दशम माला, खंड 13, अंक 4

सोमवार, 13 जुलाई, 1992
22 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 4, सोमवार, 13 जुलाई, 1992/22 आषाढ़ 1914 (शक)

विषय	**पृष्ठ**
के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या: 61 से 80	1—19
अतारांकित प्रश्न संख्या 602 से 831	20—255
ी द्वारा वक्तव्य	
अयोध्या की घटनाएं	256—260
श्री एस० बी० चव्हाण	260—261
सभा पटल पर रखे गए पत्र	
अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	261—277

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 13 जुलाई, 1992/ 22 आषाढ़, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
101	नीचे से 7	"लाकटक" के स्थान पर "लोकटक" पढ़िये।
155	18	"श्री संदीपान भागवान थोरात" के स्थान पर "श्री संदीपान भगवान थोरात" पढ़िये।
159	16	"श्री पवन कुमार बंसत" के स्थान पर "श्री पवन कुमार बंसल" पढ़िये।
177	नीचे से [illegible]	"श्री पाडुरंग पुंडीलिक फुंडकर" के स्थान पर "श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर" पढ़िये।
179		"पृष्ठ संख्या 181" के स्थान पर "पृष्ठ संख्या 179" पढ़िये।
261	नीचे से 13	"श्री राम कापरो (ठाणे)" के स्थान पर "श्री राम कापसे (ठाणे)" पढ़िये।
268	7	"श्री शरद दिघे" के स्थान पर "श्री शरद दिघे" पढ़िये।

लोक सभा

सोमवार, 13 जुलाई, 1992/22 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म०पू०

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा): महोदय मैंने प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए नोटिस दिया है।....**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, गृह मंत्री को आकर एक वक्तव्य देना चाहिए।**(व्यवधान)**

11.02 म०पू०

(इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)।

अध्यक्ष महोदय: कृपा शांति रखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) गृह मंत्री चार बजे एक वक्तव्य देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा 4.00 म०प० तक के लिए स्थगित की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

*61. **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री मोहन सिंह (देवरिया):

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटियाला आकाशवाणी केन्द्र के प्रभारी इंजीनियर की हत्या के विरोध में आकाशवाणी और

दूरदर्शन के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किया गया था;

(ख) इस आन्दोलन के कारण जिन केन्द्रों से प्रसारण रुक गया था, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं;

(घ) उनके बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) **आकाशवाणी:** दिनांक 28 मई, 1992 को दिल्ली में कुछ खराबी के कारण दिल्ली से प्रसारित होने वाले और सभी केन्द्रों द्वारा रिले किए जाने वाले सायंकालीन समाचारों में कुछ समय के लिए रुकावट आई। इसके अलावा, शिमला, जमू, चंडीगढ़, जालंधर, भटिंडा और पटियाला केन्द्रों में अन्य दिनों में अलग-अलग समय पर प्रसारण पर भी प्रभाव पड़ा।

दूरदर्शन: दिनांक 28 मई, 1992 को सभी दूरदर्शन केंद्रों से कुछ समय के लिए प्रसारण में रुकावट आई। इसके अलावा, अन्य दिनों में चंडीगढ़ अल्पशक्ति ट्रांसमीटर (कसौली में स्थित), जालंधर उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, अमृतसर उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, भटिंडा उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, कसौली उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, पठानकोट अल्पशक्ति ट्रांसमीटर और गुरदासपुर अल्पशक्ति ट्रांसमीटर से प्रसारण में रुकावट आई।

(ग) से (ङ) कर्मचारी संघों ने मांग की थी कि श्री मोहनलाल मनचंदा के परिवार को मुआवजा दिया जाए; पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा की जाए, तथा इन प्रदेशों में स्थित स्थापनाओं के उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाएं इत्यादि।

श्री मोहनलाल मनचंदा के परिवार को अब तक रु० 8.00 लाख का मुआवजा अदा कर दिया गया है। इसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री राहत कोष, तथा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रदान की गई राशि शामिल है। बीमा संबंधित मांग का परीक्षण किया जा रहा है। स्थापनाओं एवं कर्मचारियों की उचित सुरक्षा हेतु कई कदम उठा लिए गए हैं। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल की तैनाती एवं बाहरी ड्यूटियों के लिए चलते-फिरते सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था की गई है, इति।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

*62. **श्री विजय एन॰ पाटील:**
डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी विदेशी/गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने भारत में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) इन कम्पनियों दवारा कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की आशा है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कहां-कहां स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(घ) उन विदेशी/गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन विद्युत परियोजनाओं को लगाने हेतु लाइसेंस देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विदेशी/गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के लिए रखी गई शर्तों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में भारतीय एवं विदेशी निजी क्षेत्र की कम्पनियों (अनिवासी भारतीयों सहित) से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने सम्बन्धी नई नीति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	कम्पनी का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे॰वा॰)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना का नाम/राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	मै॰ कोलेमैन एण्ड एसोसिएट्स आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम	विदेशी	240 (लिग्नाइट)	585.73	बरसिंगसर ता॰ वि॰ केन्द्र राजस्थान

1	2	3	4	5	6
2.	मै० मल्टी पॉवर सिस्टमस इन्क० यू० एस० ए०	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210 (लिग्नाइट)	700.00	नेवेली लि० कारपोरेशन का जीरो यूनिट ताप विद्युत केन्द्र/तमिलनाडु
3.	मै० मदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनेशनल, इन्क० यू० एस० ए०	विदेशी	2340 (कोयला)	7000.00	इब वैली ताप विद्युत केन्द्र/उड़ीसा
4.	मै० नार्थ-ईस्टर्न एनर्जी सर्विसिज़ इन्क० यू० एस० ए०	विदेशी/ भारतीय	500 (कोयला)	1548.00	कलिंगा पॉवर कारपोरेशन का इबरी ताप विद्युत केन्द्र/उड़ीसा
5.	मै० एन टी पी सी एण्ड मै० ए बी बी स्वीडन	विदेशी/ भारतीय	800 (गैस)	1600.00	गैस आधारित
6.	मै० सैंच्यूरी पॉवर	भारतीय	420 (कोयला)	1040.00	पैंच ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 मध्य प्रदेश
7.	मै० जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	भारतीय	300 (हाइड्रो)	547.00	बास्पा जल विद्युत/हिमाचल प्रदेश
8.	मै० पंजाब पॉवर जेनेरेशन मशीन्स लि०	भारतीय	22.5 (हाइड्रो)	40.00	धान्वी जल विद्युत/हिमाचल प्रदेश
9.	मै० बाल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०, दिल्ली	भारतीय	70 (हाइड्रो)	176.77	उहल-3 जल विद्युत/हिमाचल प्रदेश
10.	मै० जायामकोण्डम लिग्नाईट पॉवर कारपोरेशन	विदेशी/ भारतीय	1500 (लिग्नाइट)	4500.00	मैक्नैली भारत सहित टिडको/तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6
11.	मै० आर० पी० जी० इन्टरप्राइजेज़	भारतीय	500 (कोल)	1637.00	चान्दिल ताप विद्युत केन्द्र/बिहार
12.	मै० जी वी के इण्डस्ट्रीज़, यू० एस० ए०	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	400 (गैस)	550.00	जैगुरूपाडु संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन/आन्ध्र प्रदेश
13.	मै० कोन्फिडैन्स शिपिंग कम्पनी लि०, महाराष्ट्र	भारतीय	110 (एलएमएचएस	198.50	बारज/शिप माउंटेड
14.	मै० जी० एम० स्वामी एसोसिएट्स	भारतीय	250 (लिग्राइट)	800.00	टीकापको/तमिलनाडु
15.	मै० कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	भारतीय	500 (कोयला)	1638.00	बज-बज ताप विद्युत केन्द्र/प० बंगाल
16.	मै० स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज़	विदेशी	400 (सीसीजीटी)	435.00	गोदावरी बेसिन/आन्ध्र प्रदेश
17.	मै० सैन्च्यूरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	भारतीय	500 (कोयला)	1036.20	चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र/राजस्थान
18.	मै० एन्रोन कारपोरेशन, यू० एस० ए०	विदेशी	2000 (गैस)	6000.00	दाभोल/महाराष्ट्र
19.	मै० स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज़	विदेशी	20 (गैस)	40.00	धांकुनी/प० बंगाल
20.	मै० कांगट्रिक्स इन्क०, यू० एस० ए०	विदेशी	1000 (कोयला)	1700.00	हिसार/हरियाणा
21.	मै० कांगट्रिक्स इन्क०, यू० एस० ए०	विदेशी	500 (कोयला)	1000.00	मंगलौर/कर्नाटक
		जोड़	12582.50	32772.20	

विवरण-II

विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है:—

लाइसेंसधारियों एवं विद्युत उत्पादन कम्पनियों के मामले में निम्नलिखित की अनुमति दी गई है:—

— विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी क्षेत्र की कम्पनियों के सम्बन्ध में 4:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात की अनुमति दी जायेगी।

— वे सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से कुल परिव्यय का कम से कम 20% जुटा सकेंगे।

— प्रवर्तकों का अंशदान, कुल परिव्यय का कम से कम 11% होना चाहिये।

— भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से योगदान कुल परिव्यय का अधिक से अधिक 40% तक हो सकता है।

— निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि किए जाने को सुनिश्चित किए जाने हेतु उनके द्वारा संसाधनों के 60% भाग की व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य स्रोतों के माध्यम से की जानी चाहिये।

— विदेशी निजी क्षेत्र निवेशकों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के मामले में शतप्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

— निर्यात से अर्जित लाभ के संतुलन सम्बन्धी शर्त जोकि सामान्यता 51% तक विदेशी निवेश के मामले में लागू की जाती है, विद्युत क्षेत्र में उक्त विदेशी निवेश के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

— परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

— सरकार के अनुमोदन से उन मामलों में विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की भी अनुमति दी जायेगी जहां विदेशी सप्लाइकर्ता/सप्लाइकर्ताओं अथवा एजेंसी/एजेंसियों द्वारा रियायती ऋण प्रदान किया जायेगा।

— विद्युत उत्पादन कम्पनियों के कार्यकरण हेतु नियामक पैरामीटर्स (अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य) जिनके अन्तर्गत 16% लाभांश दर की व्यवस्था की गई है, को 30 मार्च, 92 को अधिसूचित किया जा चुका है।

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र उद्यमियों के लिए उक्त विधायी एवं वित्तीय वातावरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है। तथापि, 25 करोड़ रुपये से कम कुल परिव्यय वाली स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनियां स्थापित की जा सकती हैं। विद्युत की मांग में घटबढ़ के फलस्वरूप विद्युत की मांग में सम्भावित कमी के परिप्रेक्ष्य में निवेश पर लाभांश के सन्दर्भ में सुनिश्चितता हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनियां, उपयुक्त रूप से निर्धारित टू-पार्ट टैरिफ के आधार पर विद्युत की बिक्री कर सकती हैं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचालनात्मक मानक और ईष्टतम संयंत्र भार गुणक (पीएलएफ) का निर्धारण किया गया है।

लाईसेंसधारियों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन निम्नानुसार है:—

(क) लाइसेंस की प्रारम्भिक और परवर्ती नवीकरण अवधि को क्रमशः 20 एवं 10 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 30 वर्ष एवं 20 वर्ष किया जाना।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की दर से 2% अधिक पूर्व लाभांश दर को बढ़ाकर 5% किया जाना।

(ग) निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण वास्तविक लागत पर किया जाना (विस्तार परियोजनाओं के लिए भी) जबकि पूर्व में यह भारतीय रिजर्व बैंक की दर से 1% अधिक पर किया जाता था।

(घ) ऋण मोचन सम्बन्धी अनिवार्यताओं को पूरा करने हेतु विनियोजन की व्यवस्था करना।

निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने और इनकी मानीटरिंग किए जाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

चांदी, सोना और हीरों का खनन

*63. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य का सोना, चांदी और हीरे निकाले गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई और 1992-93 में कितनी राशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का उक्त खनिजों की खोज/खनन के लिए विदेशी कम्पनियों की सहायता लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान खनिज चांदी, सोना और हीरे का उत्पादन और मूल्य इस प्रकार है:—

		1989-90	1990-91	1991-92
सोना	मात्रा (किग्रा०)	2156	2090	2039
	मूल्य (करोड़ रु०)	69.14	72.79	88.47
हीरा	मात्रा (कैरेट)	16473	18010	19859
	मूल्य (करोड़ रु०)	5.31	6.02	8.85
चांदी	मात्रा (किग्रा०)	40508	34955	35537
	मूल्य (करोड़ रु०)	27.35	22.96	25.75

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० को पिछले 3 वर्षों के दौरान सोने और हीरे के खनन के लिए दी गई राशि तथा 1992-93 के लिए प्रस्तावित राशि क्रमशः 3.32 करोड़ रु० 0.42 करोड़ रु० 4.94 करोड़ रु० तथा

6.00 करोड़ रु० है। इस अवधि के दौरान स्वर्ण तथा हीरे के गवेषण के लिए हट्टी गोल्ड माइन्स लि० तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० को कोई बजट नहीं दिया गया है।

चूंकि चांदी केवल बाई-प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित की जाती है, इसलिए इसके लिए अलग से धन आबंटित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक की उत्तर कोलार शिष्ट पट्टी में सोने के गवेषण के लिए परामर्शी कार्य हेतु फ्रांस की मैसर्स बी०आर०जी०एम० के साथ एक करार किया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, हीरे के गवेषण और दोहन के लिए आस्ट्रेलिया की मैसर्स एस्थान माइनिंग कंपनी एंड मेनिनकों के साथ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

ऊपरी तुंगा परियोजना

*64. **श्री एच०डी० देवगौडा:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ऊपरी तुंगा परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) ऊपरी तुंगा परियोजना की संशोधित रिपोर्ट फरवरी, 1992 में प्रस्तुत की गयी थी।

(ग) इस परियोजना में 94,698 हेक्टेयर को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने के लिए 379.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विद्यमान एनिकट में सुधार की परिकल्पना है।

(घ) स्वीकृति प्राप्त करने के वास्ते राज्य सरकार द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित की जानी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

विशाखापत्तनम ताप विद्युत केन्द्र

*65. **श्री रामकृष्ण कौताला:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में जापानी फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले ताप विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के

विशाखापत्तनम में जापानी फर्म द्वारा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यूनिट 1 और 2 को मुख्य उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से क्रमशः 5 तथा 6 वर्ष की अवधि में चालू किए जाने की सम्भावना है।

असम में मनास, बेकी और एई नदियों से हुआ भू-कटाव और उनकी बाढ़ से हुई क्षति

*66. **श्री उद्धव बर्मन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानस, बेकी और एई नदियों के सब-बेसिन क्षेत्र में भू-कटाव और बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने हेतु असम सरकार द्वारा अब तक भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) हाल ही में, निम्नलिखित दो परियोजनाएं 29 जून, 1992 को असम सरकार से प्राप्त हुई हैं:

(i) मेरर चार पर लैंगथासिंगा बाजार के डाउनस्ट्रीम पर एेई मानस नदी के दायें तट के कटाव के लिए कटावरोधी उपाय (प्रत्येक बुल हैड के दोनों छोर सहित बुल हैड सं॰ 4,5 और 6 का निर्माण) लागत 2.94 करोड़ रुपए; तथा

(ii) डेबारागांव में एेई नदी का इसके पुराने मार्ग पर आंशिक व्यपवर्तन लागत 3.10 करोड़ रुपए।

(ख) और (ग) इनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इन स्कीमों की मंजूरी मिलने के बाद इनके वित्त पोषण पर केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत संकट

*67. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विद्युत संकट बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) बिहार में अप्रैल-जून, 1991 तथा अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी क्रमशः 31.3% एवं 43.8% थी। इस कमी का मुख्य कारण, बिहार के ताप विद्युत केन्द्रों का असंतोषजनक कार्य निष्पादन था।

(ग) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल

है — विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन को अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय करना आदि।

[अनुवाद]

लाल समिति की रिपोर्ट

*68. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक सेवा का एकाधिकार समाप्त करने के लिए लाल समिति नामक एक समिति गठित की थी;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इनमें से प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं, डाक प्रेषण का एकाधिकार समाप्त करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया मार्ग

*69. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्री नरेश कुमार बालियान:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के मार्ग आर्थिक रूप से अर्थक्षम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) उन सभी मार्गों पर, जहां एअर इंडिया यात्री सेवा का प्रचालन करती है, 1991-92 के दौरान नकद बचत हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

एअर इंडिया

*70. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एअर इंडिया द्वारा किये गये कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निरन्तर लाभ हो रहा है जबकि एअर इंडिया को घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) एअर इंडिया ने वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमशः 70.89 करोड़ रुपए 81.32 करोड़ रुपये और 129.50 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का निवल लाभ कमाया है।

(ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लाभ अर्जित किया है जबकि इंडियन एयरलाइन्स को हानि हुई है।

(ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस को निम्नलिखित कारणों से हानि हुई:—

(1) ए-320 विमान परिचालनों को रोक देना।

(2) ईंधन की बचत के लिए जनवरी 1991 के दौरान परिचालनों में कटौती करना।

(3) जुलाई, 1991 में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का अधोमुखी समायोजन तथा ए॰टी॰एफ॰ की दरों में परिणामी वृद्धि।

(4) ए 320 विमान बेड़े को क्रमिक रूप से पुनः सेवा में लगाने के साथ सम्बद्ध नियत व्यय की भारी मात्रा का अन्तर्लयन।

(5) बीमा-किश्त की दरों में अवतरण दरों में वृद्धि।

इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिये उठाए गए कदम

वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:—

(1) मांग के अनुरूप समायावलियों का पुनः समायोजन।

(2) मार्गों को छोटा करके तथा गति संबंधी अनुसूचियों/सामान्य रफ्तार के स्तरों आदि को इष्टतम बनाकर विमान ईंधन की खपत में किफायत करना।

(3) खाद्य सामग्री को उठाने/खान-पान वस्तुओं की होने वाली बरबादी से बचने के लिये बारबार उड़ानपूर्व जांच करना।

(4) स्थापना संबंधी व्यय में कटौती करना।

(5) सिविल निर्माण-कार्यों, फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालय उपस्कर आदि से संबंधित गैर-परिचालन व्यय मे जहां तक संभव हो, बचा जाता है/उसे आस्थगित रखा जाता है।

(6) यात्री किरायों और भाड़े की दरों का पुनः समायोजन।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

*71. **श्री एन॰ डेनिसः** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के कौन-कौन से स्थान दूरदर्शन नेटवर्क के अन्तर्गत नहीं आते है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु के किसी क्षेत्र से दूरदर्शन का प्रसारण-क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) तमिलनाडु के सभी जिलों को इस समय पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो रही है। मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क से राज्य के करीब 89.5 प्रतिशत क्षेत्र और 89.2 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो रही है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में दूरदर्शन कवरेज के विस्तार के लिये विभिन्न पक्षों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इस समय तमिलनाडु मौजूदा दूरदर्शन कवरेज के विस्तार के लिये निम्नलिखित स्कीमों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा हैः—

1. रामेश्वरम के मौजूदा अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (300 मीटर टावर सहित) लगाना; और

2. नागपत्तनम, मयूरम, आर्काट और राजापलायम में अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर लगाना।

पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के अनुसार कुंभकोणम में भी एक उच्च शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर लगाने की योजना है।

बिहार में बाढ़

*72. **श्री नवल किशोर राय:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली भारी क्षति से अवगत है, जिसके कारण वहां लोगों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने हेतु अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन योजनायें तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) औसतन, बिहार में वार्षिक रूप से लगभग 14.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 97 करोड़ रुपए का नुकसान होता है।

(ख) और (ग) बाढ़ों के कारण होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के वास्ते कई स्कीमें तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार की नदी प्रणाली के बाढ़-प्रबन्ध की व्यापक मास्टर योजनाएं भी तैयार की गई हैं। मार्च, 1991 तक प्रारम्भ किए गए 531.6 करोड़ रुपए की लागत के उपायों से राज्य में बाढ़प्रवण क्षेत्र के कुल 42.6 हेक्टेयर क्षेत्र में से 18.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई। आठवीं योजना (मार्च, 97) के अंत तक 407 करोड़ रुपए के प्रत्याशित परिव्यय से 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तरी बिहार के लिए एक बाढ़रोधी (पूफिंग) कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है और केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आठवीं योजना के लिए 70 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द किया जाना

*73. **श्री ए० चार्ल्स:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से जून, 1992 तक इंडियन एयरलाइंस की कितनी उड़ानें रद्द की गई और उसके क्या कारण

(ख) प्रभावित यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जनवरी, 1992 से जून, 1992 तक ी अवधि के दौरान, 48,613 उड़ानों में से 4788 (9.85%) उड़ानें रद्द की गई। मोटे तौर पर, विमान व्र-रखाव तथा हैंडलिंग समस्याओं, खराब मौसम, हवाई अड्डा प्रतिबंधों, औद्योगिक अशान्ति तथा समयावलि परिवर्तनों, आदि के कारण उड़ानें रद्द की गई।

(ख) जब कभी उड़ानें रद्द की जाती हैं, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों या परिवहन के अन्य ीकों से भेजा जाता है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें संयुक्त/परिवर्तित उड़ानों तथा अन्य एयरलाइनों रा परिचालित उड़ानों में स्थानांतरित भी किया जाता है।

(ग) उड़ानों को केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही रद्द किया जाता है। जहां तक संभव होता है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

स्थानीय कालों की अवधि

*74. **श्री सत्यदेव सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 16 जून, 1992 से दिल्ली और मुम्बई में स्थानीय कालों के लिए मीटर प्रणाली शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा महसूस किया गया है कि पांच मिनट की अवधि बहुत कम है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय कालों की अवधि पांच मिनट से बढ़ाकर दस मिनट करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली और बम्बई में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के सभी उपभोक्ताओं की सभी स्थानीय कालें प्रत्येक पांच मिनट प्रति काल के आधार पर मीटर में दर्ज की जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) स्थानीय कालों की समय-अवधि मुख्यतः संकुलन कम करने के लिए शुरू की गई है। टेलीफोन काल की अवधि को पांच मिनट से बढ़ाकर दस मिनट करने से बेहतर कार्यकुशलता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

खानों का गैर-सरकारीकरण

*75. **मोहम्मद अली असरफ फातमी:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में कुछ खानों का गैर-सरकारीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सम्बन्धित राज्यों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) खनन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनुमति है। सरकार के पास सरकारी क्षेत्र में विद्यमान किसी खान को गैर-सरकारी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कोयला खनन के मामले में, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में अपनी कोयला खानों को, विशेष रूप से ताप बिजलीघर को और कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए कोयला खान

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी नहीं, तथापि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकारें ही खनन पट्टे/पूर्वेक्षण लाइसेंस मंजूर करने के लिए सक्षम हैं। बशर्ते कि उपर्युक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल कोयले और कुछ अन्य खनिजों के बारे में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ली गई हो।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

*76. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:**

श्री रामबदन:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के संबंध में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र समीक्षा आयोग द्वारा बताई गई कमियां दूर करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) विश्व बैंक द्वारा भेजे गए स्वतंत्र पुनरीक्षण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सरकार सरोवर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना से संबंधित कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है। संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे इन पहलुओं पर विचार करे और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थिति तत्काल स्पष्ट करें। इस मामले पर विचार करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक भी 25 जुलाई, 1992 को आयोजित की जा रही है।

[हिन्दी]

"इनमार सेट" प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन सुविधा

*77. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "इनमार सेट" प्रणाली के अन्तर्गत विमानों, जलयानों और बसों आदि में यात्रियों को टेलीफोन सुविधा देने की कोई योजना बना रही है;

(ख) क्या इस प्रणाली को शुरू करने के लिए कोई परीक्षण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) ये परीक्षण किन स्थानों पर किये जा रहे हैं/किए जा चुके हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) विदेश संचार निगम लि० ने पुणे के निकट आर्वी में एक पृथ्वी भू-केन्द्र (एल०ई०एस०) की स्थापना की है। इसकी स्थापना मुख्यतः इनमार सेट

प्रणाली के माध्यम से पोतों को और पोतों से अधिक विश्वसनीय टेलीफोन, टेलेक्स और डाटा सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

(ख) से (घ) पोतों को और पोतों से टेलीफों, टेलेक्स तथा अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिए आर्वी स्थित पृथ्वी भू-केन्द्र में सफल परीक्षण किए गए हैं।

[अनुवाद]

निकटवर्ती नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की सुविधा

*78. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार निकटवर्ती नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संचार राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 12.5.1992 को संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य में दिए गए हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मैं सदन को उन दो महत्वपूर्ण उपायों के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा और स्थानीय कालों तथा ट्रंक कालों (मैनुअल तथा उपभोक्ता द्वारा डायल दोनों) के लिए शुल्क (टैरिफ) के तद्नंतर यौक्तिकीकरण की व्यवस्था करने के संबंध में कर रही है।

2. सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा की तेजी से व्यवस्था करने के लिए उपाय किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों आज 15,000 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं जबकि वर्ष 1982 में यह संख्या लगभग 8000 थी। 31 मार्च, 1995 तक लगभग 2,20,000 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा से जोड़ने के सरकार के कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा के लिए और अधिक मांग उत्पन्न होंगी।

3. इन विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामतः ग्रामीण समुदाय ने मांग की है कि उन्हें ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान की जाए। ग्रामीण उपभोक्ताओं ने भी एस०टी०डी० सुविधा की मांग भी करनी शुरू कर दी है। सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा की व्यवस्था करने के लिए समय लगेगा। प्रथमोपाय के रूप में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ग्रुप डायलिंग क्षेत्र और लम्बी दूरी के क्षेत्र के अंतर्गत कालों के लिए शुल्क वसूल करने के तरीकों का यौक्तिकीकरण करना भी अपेक्षित है।

4. देश में सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय एस०टी०डी० के साथ जोड़ने के लिए तक्नीकी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा कम दूरी प्रभारण (चार्जिंग) क्षेत्र की संकल्पना है जिससे अन्य कम दूरी प्रमारण क्षेत्रों के संदर्भ में नम्बरिंग और चार्जिंग के लिए अनन्य पहचान बनती है इस प्रकार कम दूरी प्रमारण क्षेत्र संघटन से ग्रामीण क्षेत्रों में एस०टी०डी० सुविधा का तेजी से विस्तार हो पाएगा।

5. काल प्रभारों (मैनुअल और उपभोक्ता द्वारा डायल दोनों) का निर्धारण करने के लिए मौजूदा प्रभारण योजना के संबंध में प्रत्येक एक्सचेंज से किसी बड़े क्षेत्र में अवस्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की एक बड़ी संख्या

तक वास्तविक दूरी को मापने की आवश्यकता होती है। इससे न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान करने में तकनीकी बाधाएं सामने आ जाती हैं बल्कि दूरसंचार नेटवर्क में अत्यधिक वृद्धि और प्रति वर्ष चालू किए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की बड़ी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए इनका संचालन करना भी कठिन हो जाता है।

6. अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि दूरियों को मापने के लिए देश को 321 लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में बांट दिया जाए जो गौण स्विचन क्षेत्रों के आनुषंगी है जिनसे प्रशासनिक इकाई बनती है;—

(i) लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतया एक अथवा दो राजस्व जिले शामिल होते हैं।

(ii) प्रत्येक लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र को पुनः अनेक कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिनके अंतर्गत सामान्यतया यथास्थिति एक अथवा दो तहसीलें शामिल होती हैं। प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 से 2000 वर्ग कि॰मी॰ के बीच है। कुछ अपवादों, विशेषकर उत्तर पूर्व के बिना आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर कुल 2,570 कम दूरी प्रभारण क्षेत्र होंगे।

संशोधित प्रभारण योजना

7. इस समय ग्रामीण उपभोक्ताओं को मुख्यतः पड़ौसी एक्सचेंजों से बात करने के लिए मैनुअल ट्रंक सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां तक कि उन्हें पड़ौसी एक्सचेंजों से बात करने के लिए ट्रंक काल प्रभार भी अदा करने पड़ते हैं जो दूरी के साथ-साथ बढ़ते हैं और ये प्रभार अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ग्रुप डायलिंग सुविधा की व्यवस्था से उनके लिए अब उसी कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में बिना आपरेटर की सहायता के उपभोक्ताओं को सीधे डायल करना संभव हो जाएगा। कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र की भीतर सीधे डायलिंग सुविधा के लिए 0 से 20 कि॰मी॰ स्लैब या इससे अधिक की किसी दूरी को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक 3 मिनट (1रु॰ 1/-) की एक काल युनिट के प्रभारों में भी छूट दी जाएगी।

7.2 यद्यपि, इस प्रस्ताव से विभाग को काफी नुकसान होगा, तथापि, यह आशा की जाती है कि दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि होने से, भविष्य में इस नुकसान की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। तथापि, 0—20 कि॰मी॰ की दूरी के लिए 3 मिनट की अवधि की एक काल युनिट हेतु मैनुअल ट्रंक काल प्रभारों में 2/ रु॰ से 5/ रु॰ तक संशोधन करने का प्रस्ताव है जो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर और बाहर एक समान रूप से लागू होंगे।

8. कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र के बाहर की गई काल के संबंध में उस क्षेत्र के केन्द्र के आस-पास के एक एक्सचेंज विशेष को प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए कम दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में और इसी प्रकार प्रत्येक लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। कम दूरी प्रभारण क्षेत्र से बाहर की गई कालों के लिए प्रभार निम्नलिखित के बीच मापित दूरी के अनुसार शासित होगा:—

(क) एक ही अथवा संलग्न लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में अवस्थित कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के संबंध में कम दूरी प्रभारण केन्द्र से कम दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच,

(ख) अन्य सभी मामलों में लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र से लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच।

9. एक ही कम दूरी प्रभारण केन्द्र के भीतर कालें "0" लैवल से भिन्न लैवल पर उपलब्ध होंगी। (जो राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग का कोड है) ताकि एस॰टी॰डी॰ सुविधा से वंचित उपभोक्ता सीधी डायल कालें कर सकेंगे।

10. परिधीय कस्बों की कालें

संशोधित प्रभारण योजना के साथ-साथ, एक स्कीम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जिसके जरिए, एक दूसरे के आसपास स्थित और एक सीमा वाले दो टेलीफोन प्रणालियों के उपभोक्त कम दर पर अपनी कालें सीधे डायल कर सकेंगे। बड़े कस्बों की परिधि के आस-पास उपग्रह से जुड़े छोटे कस्बों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभदायक होगी और यह आशा की जाती है कि कम शुल्क दर के कारण बड़े शहरों की जनसंख्या का पलायन आस-पास के छोटे स्थानों की ओर होने लगेगा। ये कालें, भले ही दूरी कितनी ही हो, प्रत्येक 3 मिनट के लिए एक काल यूनिट की दर पर मीटर में भी दर्ज होंगी। एस॰टी॰डी॰ वंचित उपभोक्ता भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

11. स्थानीय कालों की मल्टी मीटरिंग

स्थानीय कालों के लिए भी, विशेषतः बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में पल्स मीटरिंग की शुरूआत करने की आवश्यकता पर कुछ समय से सरकार का ध्यान गया है। ऐसी प्रणाली विश्व के कम से कम 30 देशों में विद्यमान है। सदस्यगण इस प्रस्ताव पर प्रश्न-काल के दौरान दोनों सदनों में किए गए विचार-विमर्श से अवगत होंगे। सदस्यों, जनता, उपभोक्ता संगठनों और वाणिज्य मंडल आदि से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। संचार मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति ने भी इस प्रस्ताव पर विचार किया और 5 मिनट की अवधि की एक काल यूनिट की पल्स मीटरिंग की सिफारिश की। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 30,000 लाइनों से अधिक क्षमता की सभी प्रणालियों में स्थानीय कालें 5 मिनट की अवधि वाली एक काल यूनिट की दर से मीटर में दर्ज की जाएंगी। इस समय केवल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में ही इस व्यवस्था की शुरूआत करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

11.2 नेटवर्क का संकुलन कम करने की दृष्टि से स्थानीय कालों के लिए समय-सीमा शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि अधिक से अधिक कालें पूरी की जा सकें। यद्यपि, ऐसी जानकारी है कि अधिकांश उपभोक्ता अपनी बातचीत को 3 मिनट या इससे कम समय में पूरी कर लेते हैं, तथापि व्यावसायिक उपभोक्ता, जिनके पास फैक्स मशीनें और कम्प्यूटर हैं, वे आंकड़े पारेषित करने के लिए स्थानीय लाइनों को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। सरकार इस बात को उचित मानती है कि लंबी अवधि के लिए लाइनों को इस्तेमाल न करने वाले सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में ऐसे उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार वसूल किया जाए। यह आशा की जाती है कि सामान्यतः उपभोक्ता अपनी कालें, निर्धारित की जा रही 5 मिनट की अवधि, तक सीमित रखेंगे और इससे बेहतर काल पूर्णता दर सुनिश्चित होगी तथा नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

12. उपर्युक्त सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व पर्याप्त तकनीकी तैयारियों की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक दूरसंचार सर्किल, जब भी वे तकनीकी व्यवस्था पूरी कर लें, लेकिन हर स्थिति में 31.8.92 से पहले, इन योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर, दिल्ली

*79. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर, दिल्ली की 6 गैस टरबाइन यूनिटों में से दो यूनिट पिछले दो वर्ष से बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या वर्षों पहले एक फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा लगाए गए टरबाइन में लगातार खराबी चलती आ रही है और डेसू के पास इस संयंत्र को चालू रखने एवं इसका रख-रखाव करने के लिए अपेक्षित तकनीकी ज्ञान का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये गैस टरबाइनें सामान्य रूप से कार्य करती रहें?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) इस समय, डेसू के छः गैस टर्बाइनों में से केवल एक कार्य नहीं कर रहा है। डेसू के पास तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध है और गैस टर्बाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के संबंध में इसे किसी प्रकार की गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गैस टर्बाइनों की समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मरम्मत की जाती है और फुटकर पुर्जों का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक भी रखा जाता है ताकि यूनिटों का उपयुक्त रूप से कार्यनिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

पर्यटन के लिए मास्टर योजना

*80. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई पर्यटन योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) दिनांक 5.5.1992 को संसद के समक्ष प्रस्तुत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति के ब्यौरे दिए गए हैं जिनमें विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास, पर्यटन उत्पादों का विविधीकरण, विदेशों में पर्यटक भेजने वाली नई मार्किटों का पता लगाना, स्वदेशी/बजट पर्यटन का विकास, आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश सरकारों की है इसलिए वे स्वयं अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेवार हैं।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

602. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मुख्यालय को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके मुख्यालय को किस स्थान पर ले जाया जा रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रिटिश गैस कंपनी द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना

603. **श्री गुरुदास कामत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश गैस कंपनी ने भारत में विद्युत संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विद्युत संयंत्र को कहां स्थापित किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा बोलियां आमंत्रित किए जाने के संबंध में जारी किए गए नोटिसों के प्रत्युत्तर स्वरूप ब्रिटिश गैस कम्पनी ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को क्रमशः नागोथाने संयुक्त साइकल गैस परियोजना तथा बवाना संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन परियोजना के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर दी हैं।

सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों में कटौती

604. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री द्वारा घोषित मितव्ययिता अभियान के अंतर्गत जनवरी से जून, 1992 तक केन्द्रीय सरकार में विभागवार कितने टेलीफोन कनेक्शनों को हटा दिया गया है; और

(ख) विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने किस सीमा तक टेलीफोन कनेक्शनों में 10 प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य पूरा किया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन

605. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए भवनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित होंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए स्थानों के टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है। इन स्थानों पर आठवीं और नवीं योजना के दौरान पर्याप्त निधि उपलब्ध होने तथा उपस्कर आबंटित होने पर भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। तथापि, विभाग की यह नीति है कि जहां तक संभव हो, 2000 लाइनों की क्षमता वाले छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों को किराए के मकान में रखा जाए।

विवरण

टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के लिए जिन स्थानों पर भूमि अर्जित की गई है उनकी सूची

अरूर, छंगान्नर, एडाथुआ, हरिपद, करुवाड़, कोल्लाकाडावू, कुथीआथोडे, मावेलिकारा, नूरना, एसएल पुरम, कालीकट-पलायम, चक्कीपेटारा, चंगारामकुलम, चोंबाला, एडापाल, एलाथुर, कदालुंदी, कलप-कनचेरी, कोडुवेल्ली, कोंडाट्टी, कूराचुण्डु, कोट्टात्तल, कन्नमंगलम, कुट्टीपरम, मननटोडी, मजेरी, मीननागोडी, मोकम, नाडापरम, नीलाम्बू, पेरामदरा, पोनमेरी, पोन्ननी, पुडुप्पडी, पुलपल्ली, सुल्तान्स बैटरी, थारिओडे, वल्लूव्याक्रूम, वेंगारा, वण्डूर, अलाकोड, अंजरकंडी, अरालम, बाली-पट्टनम, पेरी, चेंगला, चेरूकुन्नू, चेरुपुझा, इडकाड, इरीकूट, इटीटी, केलाकम, मजेश्वर, मंठ्ठामंगलम, मैथिल, भत्रानूर, मूलियार मुलारिया, पिवलकिया, पानूर, पैयनगाडी, पटयानूर, पय्यावूर, पेरावूर, पेरडला, पेर्ला, उडूमा, ओप्पाला, एल्लूरूथी, उदयमो, कलाडी, कल्लूरकाडू, कट्टापाना, कोलेचेरी, कूथाट्टकलम, कूवापाडी, कोठामंगलम, मनीद, मुलनूथरूथी, नेडूमकंडम, पंपावुडा, पण्डापल्ली, पेरूर, पेरूम्बावूर, पोथानीकौड, थोडूपुझा, वारापुझा, अयरकन्नम, मारानामंगल, चेंगलम, चिंगावनम, एराट्टपेट्टाह, एरूमेली, एट्टूमंडूर, कंजीरापल्ली, कीडानगूर, कोल्लापल्ली, कूटीकल, कोझावनत्र, कुमाराकम, कुरूपमथारा, मणिमाला, मारमगट्ट पल्ली, मोणिपल्ली, मूनीबूव, नजीझूर, पलाई, पंपाडी, पिन्नाकण्डु, पूवारानी, रामपुरम, थालायोलापाराम्बू, वकाथान्नम, वाझूर, कोडिवायूर, कोंगाड, मुण्डूर, पार्ली, पाथीरिपाला, कदमपाझीपुरम, श्रीकृष्णपुरम, मिथला, वडाकचेरी, मालाबार, पट्टाम्बी, एलनथूर, कदमबानाड, कोडुमोन, कोन्नी, कोझेनचेरी, कुम्बानाड, मल्लापल्ली, पण्डालम, अयूर, भारतीपुरम, चार्थननूर, चेरपा, इरूम्बानानगाड, करूणागापल्ली, कोकाड, कुन्नाथूर, मायानन्द मोंझ्रो द्वीप समूह, नेडुमपाणा, ओचीरा, परावूर, पारीपल्ली पथनापुरम, पूयापल्ली, पुनालूर, पुन्नाला क्विलोन, वेल्लायित्ताबालम, वेलिनालूर, वेट्टिकवाला, अम्रमनाडा, चालाकडी, चाझूर, चारपू, क्रानगानोरे, गुरूवायूर, कण्डासंकाडावू, कन्नारा, कट्टूर, कोडाकारा, कोराटी, कुन्नामकुलम, माला, मुलाम्कुन्नाथाकावू, मुण्डूर-कोचीन, ओल्लूर, पारीक्रानाम, पूवाथर, पुन्नायूरकुलम, वाडाकचेरी-कोचीन, वलापाड, वरनडारा-पल्ली, वेल्लानगरल्लूर, वेल्लिकुककलनागारा, आर्यनाडु, अन्तिमनगल, कन्हैयापुरम, कांजीरणकुलम कट्टाकाडा, मडावूर-पल्लीकल, त्रिवेन्द्रम-मनकाडू, नेडूमंगड, पाचा-पालोड, विझिनजाम, चालीस्सेरी, चेरप्ला स्सेरी, क्षितूर, कोयालमन्ना।

[हिन्दी]

1990-91 में स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों का स्थगन

606. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद सदस्यों के निजी कोटे पर टेलीफोन कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगा दिया है अथवा स्वीकृत कनेक्शनों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सांसदों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत करने की प्रथा बहाल की जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

607. श्री आनन्द अहिरवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के कितने डाकघरों/उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी डाकघरों/उप-डाकघरों में यह सुविधा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क)

शाखा डाकघर — 7346,

379

उप-डाकघर —

(ख) और (ग) यद्यपि सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है फिर भी 8वीं योजना के दौरान सरकार की सभी ग्राम पंचायतों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन प्रदान करने की योजना है जो संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर होगी। ऐसे टेलीफोन की संस्थापना के लिए चुने गए स्थानों में डाकघर भी हैं।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

608. **डा॰ सी॰ सिलवेरा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत सभी व्यक्तियों को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 30 जून, 1992 की स्थिति अनुसार, दिल्ली में, एक्सचेंज-वार और श्रेणी-वार, प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में वर्ष 1986 में टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत सभी व्यक्तियों को अधिकांश एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। कुछ एक्सचेंजों की सीमित क्षमता होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका है। 1.7.1992 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या तथा उनके निपटान की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमता में 1.03 लाख लाइनों की वृद्धि और पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों की 21,600 लाइनें बंद करने पर 81,400 लाइनों की निवल वृद्धि होगी।

(च) इस वृद्धि के साथ उन सभी व्यक्तियों को मार्च, 1993 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे जिन्होंने 1986 में अपना नाम दर्ज करवाया था।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली 1.7.1992 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या तथा उनके निपटान की तारीख

स्तर	एक्सचेंज	—जारी किए गए कनेक्शन ओवाईटी सामान्य	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	—तक जारी किए गए कनेक्शन ओवाईटी विशेष	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या	—तक जारी किए गए कनेक्शन "एसएस"	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं॰	—तक जारी किए गए कनेक्शन "विशेष"	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	—तक जारी किए गए कनेक्शन सामान्य	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं॰	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31, 34, 35	जनपथ	18.7.91	132	18.7.91	18	4.7.91	13	4.7.91	46	19.12.88	1587	1796
61, 69, 462	जोरबाग	30.6.91	542	30.6.91	88	31.1.92	26	30.6.91	54	24.9.85	6280	6990
331, 332, 371	किदवई भवन	30.6.91	764	30.6.91	172	29.2.92	7	30.6.91	59	22.6.88	3433	4435
38, 378	राजपथ	30.6.92	—	30.6.92	—	30.6.92	—	30.6.92	—	16.4.91	325	325
301, 379	सेना भवन	30.6.91	42	30.6.91	122	29.2.92	8	30.6.91	5	30.5.86	476	673
436 (लोदी रोड)	पी॰आर॰एक्स	30.6.91	32	30.6.91	74	30.6.91	—	30.6.91	3	25.3.88	170	279
उत्तर: 720	अलीपुर	30.6.91	18	30.6.91	—	30.6.91	—	30.6.91	5	12.4.89	901	924
729	बादली	10.10.91	298	31.12.91	3	31.12.91	1	31.12.91	22	14.3.88	2397	2721
23, 251, 252, 291, 292,	तीस हजारी	30.4.92	247	30.4.92	8	30.4.92	12	30.4.92	23	19.7.88	9536	9826
711, 712, 721, 722, 723, 724	शक्ति नगर	30.4.92	209	30.4.92	7	30.4.92	32	30.4.92	32	30.5.85	42649	42929
728	नरेला	30.11.91	37	30.11.91	1	29.2.92	—	29.2.92	4	29.1.90	1174	1216
25, 718	लारेंस रोड	30.6.91	487	30.6.91	12	30.6.91	16	30.6.91	77	31.12.84	5373	5965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
727,	रोहिणी	30.6.91	384	30.6.91	51	30.6.91	27	30.6.91	239	31.12.84	16661	18367
पूर्व-326, 327, 328	दिल्ली गेट	27.4.92	192	30.4.92	6	30.4.92	1	30.4.92	43	8.5.85	9072	9314
51, 52, 77, 73, 753	ईदगाह	31.3.92	447	31.3.92	6	31.3.92	3	31.3.92	52	24.8.87	13937	14445
220, 221, 222, 224	लक्ष्मी नगर	30.6.91	2616	30.6.91	85	30.6.91	134	30.6.91	424	9.12.85	38315	41574
227	यमुना विहार	22.11.91	497	31.12.91	3	30.6.91	2	30.6.91	124	13.2.85	7363	7989
228, 229	शाहदरा	5.7.91	932	31.12.91	19	31.12.91	9	30.6.91	332	8.5.85	11479	12670
225	मयूर विहार	17.12.91	209	31.12.91	12	31.12.91	2	31.12.91	45	29.7.86	4737	5005
दक्षिण-60, 67, 687	चाणक्य पुरी	28.10.91	522	11.11.91	75	18.3.92	68	7.8.91	133	23.2.87	9812	10610
55, 66, 685, 686,	हौज खास	8.8.91	825	8.8.91	116	31.8.91	96	28.8.91	165	24.3.87	10855	12057
641, 642, 643, 644, 646	नेहरू प्लेस	27.8.91	2120	2.12.91	146	30.3.92	42	2.12.91	229	1.9.86	22636	25173
689	वसंत कुंज	13.1.92	130	20.3.92	4	20.3.92	12	3.3.92	24	15.12.89	3217	3387
63, 683, 684	ओखला	31.6.91	905	30.6.91	83	30.6.91	73	30.6.91	206	20.1.88	10441	11708
6807	छत्तरपुर	6.8.91	68	6.8.91	13	28.8.91	4	28.8.91	26	19.1.89	1183	1291
681	तैखंड	30.6.91	47	30.6.91	7	30.6.91	3	30.6.91	16	7.12.87	664	737
पश्चिम-329	दिल्ली कैंट	30.6.92	—	30.6.92	—	15.5.92	—	18.5.92	3	5.7.88	1489	1492
550, 555, 559	जनकपुरी	30.6.91	1617	30.6.91	100	30.6.91	107	30.6.91	240	31.10.84	16460	18514
58, 571, 572, 573, 574, 575,	करोलबाग	31.3.92	469	31.3.92	4	31.3.92	5	31.3.92	44	4.12.89	8920	9442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5562	नजफगढ़	31.5.92	6	31.5.92	—	31.5.92	—	31.5.92	2	26.2.88	1832	1840
547	नांगलोई	30.6.91	292	30.6.91	5	30.6.91	—	30.6.91	46	31.3.87	3290	3633
50, 53, 59, 541, 542, 545	रजौरी गार्डन	30.10.91	2422	29.2.92	43	29.2.92	32	29.2.92	131	31.12.84	35737	38365
570	शादीपुर	10.2.92	65	30.4.92	—	30.4.92	—	30.4.92	3	21.2.90	1031	1099
558	पश्चिम विहार	30.6.91	763	30.6.91	32	30.6.91	38	30.6.91	122	31.12.84	8302	9257
3295	पालम	31.8.91	11	31.8.91	—	31.8.91	1	31.8.91	3	31.8.91	36	51
5452	एमआईटीसी	31.8.91	1	31.8.91	2	31.8.91	—	31.8.91	1	31.8.91	25	29
556	समालखा	30.4.92	1	30.4.92	—	30.4.92	—	30.4.92	1	27.3.87	529	530
	योग		19354		1317		774		2883		312324	336652

नोट: एक्सचेंजों के पूरे नामों की सूची संलग्न है।

संक्षिप्त नाम सहित एक्सचेंजों के नामों की सूची

जेपी	जनपथ
जेबी	जोरबाग
केबीएन	किदवई भवन
आर पी	राजपथ
एस बी एन	सैना भवन
पी आर एक्स	लोदी रोड
ए एल पी	अलीपुर
बी डी एल	बादली
टी एच	तीसहजारी
एस के	शक्तिनगर
एन आर एल	नरेला
एड ब्ल्यू आर	लारेंसरोड
आर एच एन	रोहिणी
डी जी	दिल्ली गेट
आई डी	ईदगाह
ए एक्स आर	लक्ष्मी नगर
वाई वी आर	यमुना विहार
एस एच आर	शाहदरा
एम वी आर	मयूर विहार
सी एच वाई	चाणक्यपुरी
एच के	हौजखास
एन पी	नेहरू प्लेस
वी के जे	वसंत कुंज
ओ के एच	ओखला
सी पी आर	छत्तरपुर
टी के एच	तैखंड
कैंट	दिल्ली कैंट
जे के पी	जनकपुरी
के बी	करोलबाग
एन जे एफ	नजफगढ़
एन जी एल	नांगलोई
आर जी	राजौरी गार्डन
एस पी आर	शादीपुर
पी वी आर	पश्चिम विहार
पालम	पालम
एन आई टी सी	एन आई टी सी
एस एच एल	समाल्खा

उर्दू समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन

609. श्री सैयद शाहबुद्दीन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) इन उर्दू समाचार पत्रों के नाम क्या हैं तथा उनका औसत परिचालन कितना है, जिन्हें 1991-92 के दौरान विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने विज्ञापन दिये;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान उन्हें समाचार पत्रवार कितनी धनराशि के विज्ञापन दिये गये; और

(ग) इतने ही परिचालन वाले उन उर्दू समाचार पत्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1991-92 में विज्ञापन के लिए विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से अनुरोध किया था, किन्तु उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान जिन उर्दू समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए गए थे उनके नामों की सूची और उनकी प्रसार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1991-92 (1.4.91 से 31.3.92) की अवधि के दौरान उर्दू समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को 97, 98, 363/—रुपये की धनराशि के विज्ञापन दिए गए।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन सूची में सूचीबद्ध सभी उर्दू समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को प्रचार अपेक्षाओं और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार विज्ञापन दिए गए।

विवरण

उर्दू समाचार पत्रों के नाम उनकी प्रसार संख्या सहित, जिनका प्रयोग विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान किया गया।

नाम	प्रसार संख्या	नाम	प्रचार संख्या
अंगारे	16687	कोहकन	11400
भाग्यनगर टाइम्स	14650	जोहर-ए-गुफ्तार	4984
सियासत	39949	कौमी सवार	14025
रहनुमा-ए-दक्कन	20982	हालाते-ए-बिहार	23500
मन्सिफ	9390	रोशनी	18145
खतीब	14539	इमारत	14126
साथी	8526	उजाला	14864
रहरू	5537	खिदमत	11621
हमारा नारा	14200	फराग-ए-वतन	22877
सादा-ए-आम	11451	शारदा	16308
कौमी तंज़ीम	23942	हमारी ताकत	1950
सदागत	11621	आर्यभट्ट	3607
संगम	13504	ओरियन्ट	3300
कौमी आवाज	17239	आवामराज	1600
इन दिनों	25600	फरमान	2725
नवैद सुबह	16625	सी-ज़े	1400
आज़िमाबाद एक्सप्रेस	15358	हमारा पयाम	1200
हमारा बिहार	15085	जय जवाहर	1700
देश-विदेश	23150	दारूल सल्तनत	1745
		देवबंद टाइम्स	1860

नाम	प्रसार संख्या	नाम	प्रसार संख्या
पन्द्रहवीं सदी हिजरी	1310	अल-मदीना तुल मुनव्वरा	1150
स्पोर्टस और फिल्म	14367	बीवी	7800
मस्ताना जोगी	9865	मजदूर वाइनी	23366
बीसवीं सदी	11697	रोजाना शफीर-ए-नव	12600
ओम	1100	बौद्ध धरती	10310
शान-ए-हिंद	1030	लोगों की हकूक	1600
मसीही दनिया	1986	मेहनत	16491
फिल्मी सितारे	7159	नवा-ए-सुबह	4843
दि बंगलादेश टाइम्स	5400	प्रिंस	1867
साइंस की दुनिया	8250	कूलर	6733
शगूफा	2700	मशेशर	15695
आमोज़गार	1750	पंछी	19693
सोहली	7100	तहरीक-ए-आवाम	11261
निराला जोगी	1500	फैसल जदीद	22433
अल्हासनत	2166	आवाज़-ए-मुल्क	12790
हुस्न-ओ-सेहत	7856	तरजुमन हिन्द	12762
कौमी आवाज	15670	कौमी मिशन	8222
राजस्थान लीडर	5216	हकीकत	1800
पैगाम-ए-नेहरू	11345	पाबंदी	11851
उर्दू एक्सप्रेस	15400	आजम	11458
इन दिनों	15300	कुशवाहे-ए-शान	10972
गरज़	15830	महनामा ईशा	1810
हमारी जबान	1035	सच	1475
आइना-ए-हैदराबाद	13773	दुखतीरग	12457
तसकीन	13733	आवाज-ए-आवाम	11533
आफताब-ए-जदीद	11540	कारवां	13076
नूर-ए-बरेली	22066	कौमी खबर	15916
मोसालास	14158	रजौरी टाइम्स	1465
गरम हवा	15400	तीर-ओ-नश्तर	9157
एक कौम	24510	प्राचीन टाइम	6860
हिंदू	4912	अखबार-ए-नौजवान	16637
जदीद इन-दिनों	25200	आवामी तरजुमन	10635
आजकल	4825	इनदिनों	25200
प्यार-ए-ज़िदगी	5300	ख्वातीन का उर्दू	6536
आजिमाबाद मेल	14533	डी० बटल	5283
परिस्तर	9501	आफकौर-ए-मिल्ली	
भविष्य वाक	20401	खिदम	17916
प्यारी उर्दू	15641	एशिया-82	12361
आगाज़ और अंजाम	15916	उसमान की आवाज	14400
अनवर-ए-कौम	8487	सदा-ए-जमहूर	15386
मेमार	1600	नवीद-ए-दक्खन	13260
इमरोज़-ए-हिंद	10200	जदी अमल	12078
परभनी टाइम्स	1900	रोजनामा उर्दू	7681
मसरीकी आवाज	21380	गरज	509
बिहार यंग टाइम्स	7778	ख्वाब की मंजिल	10275
रोशन किरदार	3783	लुबना	73000
सहारनपुर टाइम्स	1100	इनदिनों	8300
		सफीर-ए-मुल्क	10738
		इन्कलाब	1650

नाम	प्रसार संख्या	नाम	प्रचार संख्या
इतीबा-ए-जादीद	2447	रियायत जन्नत	18724
संदेश	18958	गर्म हवा	1875
आवाज-ए-अवध	3025	आवाम	0001924
काम कैसा है	2113	हफ्ता-ए-रफ्ता	0001940
जेब-ओ ज़ीनत	4766	तेज	0002379
मदर-ए-हिंद	1200	मसावत जादीद	0016425
शर्माया	1800	कौमी आवाज़	0031678
शेर की पकड़	4967	मिलाप	0021758
मुहाफ़ीर-ए-हिंद	7527	प्रताप	0025538
इंटरनेशनल्स मुजरिम	34975	पसबन	0011827
घर की दुनिया	4675	सालार	0011871
हयात	764	इन्कलाब	0023531
खबरदार जादीद	9600	उर्दू टाइमस	0019746
अथाह	11258	हिंदुस्तान	0008612
नवाज-ए-आलम	1723	औरंगाबाद टाइम्स	0018906
कहन सुनन	2033	कयादत	0001850
अरजुमान-ए-शहर	1650	नदीम	0015022
अलसफा न्यूज़	13433	प्रताप	0015412
अल इमान जादीद	9563	मिलाप	0015330
मगध एक्सप्रेस	15190	समाज	0022716
लाजवाल	10830	पंजाब बुलेटिन	0013667
औवत-ए-बाराबंकी	16775	रोशन	0014650
आवामी मतलब	800	जवाहर निगर	0004400
जवान दोस्त	14500	लुधियाना एक्सप्रेस	0019553
निशान-ए-आज़ादी	5826	हिंद समाचार	0051264
दर्द-ए-कौम	1841	लुधियानी पोस्ट	0016825
सच रंग	8684	सियासत-जदीद	10157
सियासी महास	6800	नया संस्कार	2282
जादीद आवाज़	12857	कौमी जंग	14658
अफ्तर-ए-जाददी	10419	कौमी मोर्चा	15170
नूर	5336	कौमी आवाज	28770
हमदर्द जौहर	1800	पैगाम	12233
अपना दोस्त	10829	तीर-ओ-नश्तर	13216
भाग्यनगर आबजर्वर	7307	मजदूर वाहिनी	21750
इंसाफ	5200	कलम-ए-मसरीक	10605
रोशन किरदार	12970	पैगाम	10249
रहनुमा-ए-हिंद	965	इतेहाद-ए-वतन	7623
अल्आमियत	14465	नूर-ए-बरेली	15733
वाइज आफ हैदराबाद	5000	अमल	13328
ख्वातीन का महानामा बाजी	13414	मसरीकी आवाज	22559
हमारा कदम	40533	दि रोज़ाना हिंद	14316
फारूकी तीन	15650	गाज़ी	13720
माता-ए-अखरत	7583	आज़ाद हिंद	15351
निजाम-ए-कलदरत	1590	आकाश	22246
हक बात	12000	अखबार-ए-मसरीक	12882
गहफत	3435	नवा-ए-हाल	17138
हवामहल पत्रिका	2062	असरे जदीद	13426
औरंगाबाद ज्ञान	7450	इकरा	14504
शफयत	22300		
शर्मा	51061		
फिल्म एडवांस	24472		
बानो	6763		

नाम	प्रसार संख्या	नाम	प्रसार संख्या
मुसलमान	6944	इशातरक	1725
राजस्थान लीडर	11700	सदा-ए-हक	1805
वाइस आफ हैदराबाद	10858	पैगाम-ए-वफा	8558
ईसानी समाज	1867	कौमी हमदर्द	3385
आर्यवीर	1843	स्वाद-ए-आजम	10904
महेशर	12400	तमीर-ए-आदाब	1770
ओरियन्टल प्रेगुएट	4132	मुहाफिज-ए-कौम	6344
निदा-ए-आंध्रा	1125	मेरठ मेला	1867
रहनुमा-ए-वक्त	1700	अज़मत-ए-हिंद	1389
फैज-ए-दक्खन	1500	तरजुमन-ए-अलीगढ़	1900
वाइस आफ एशिया	1700	स्पार्ट्स टुडे	14680
अल अमूर	1700	रिफार्मर	2950
टाइम इन टाइम	5483	बढ़ता सूरज	1794
कल्चर	5308	दिलेर	1500
मेंहदी टाइम्स	1950	शिवज्योति	1800
आइना-ए-हैदराबाद	1100	नवा-ए-डगर	2487
हेमाल्ला	15816	पयाम-ए-इंकलाब	5142
आदर्श	9241	आजाद हिंद	2388
कोहकन	15010	अलबयान	1688
मसवरा-ए-अवाम	23500	बिल्डर्स	1500
आइना-ए-नव	12362	शेर-ए-डगर	3960
नामूद	1890	कौमी मिशन	4385
एक कौम	15030	जराइम	48014
मोसालास	15900	तजकरा	2413
कौमी मिसाल	10260	गोसवरा	4884
अंजलि	15500	ताकीद	1450
आज के हालात	10809	आवशार	18672
शाम-ए-बिहार	7447	इनदिनों	15200
नई दुनिया	47901	प्रान्तपती	1556
शेर-ए-पंजाब	9534	रोज़ाना खबर जदीद	8134
केसर कयारी	5833	तलाश-ए-रिश्ता	1980
अखबार-ए-नव	22716	जं० कं० पोस्ट	894
नगूशे	3700	चमन-ए-हाशमसी	12617
ब्लिसट्ज	29432	अल्लतरजुमन	10350
आयाज़	11265	पिंडार	24760
नशेमन	34419	मुन्तिज़र बहार-ए-हिंद	1757
सालार	9988	उम्मीद की कीरण	4841
तमिलनाडु टाइम्स	6921	नज़ीम	8350
नज़राना	18005	सिटीजन टाइम्स	1850
आह्वान	2960	हिना डाइजेस्ट	1874
जनता संसार	1700	तनवीर-ए-नव	5700
अंसारी दुनिया	1619	रफीक-ए-मंजिल	3660
मसरीक	1600	मसरीकी आवाज़	10760
नज़ारा	2900	मंसूर-ए-लखनऊ	11870
सदाकत	4700	आजका दिन	5850
रोदाद-ए-चमन	13097	कयादत-ए-हिंद	8605
हमारी आवाज	2302	रहनुमा-ए-ववकआीन	1200
इनकिशाक	5066	शंखधुन	16233
ताजवर	1525		

नाम	प्रसार संख्या	नाम	प्रचार . संख्या
शायांहेद	10100	जरीन शुवायन	12583
शिया	1500	मशरीकी आवाज	11090
साराबिहार	5450	अमन का मसीहा	9753
वारिस-ए-अवध	28247	मेरा ख्याल	1794
डोगरा न्यूज	1668	निदाए मिल्लत	1500
शियानत-ए-अवकाफ	4500	सियासी महज़	17200

दूर संचार संभाग में हिन्दी के पदों को भरना

610. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न दूरसंचार मंडलों तथा जिलों में अनेक वर्ष पूर्व स्वीकृत किये गये विभिन्न हिन्दी पद अभी तक नहीं भरे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को कब स्वीकृत किया गया था और ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है अथवा बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (घ) फील्ड यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि विस्तार परियोजनाएं

611. **हरि केवल प्रसाद:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाने वाली अनुदान-सहायता से कृषि विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि पम्प सेटों में सुधार करने हेतु चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान-राशि के रूप में कितनी धन-राशि दी जायेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, कृषि विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि पम्पसैटों में सुधार हेतु न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान सहायता के रूप में कोई राशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

रांची में सार्वजनिक टेलीफोन

612. **श्री रामदेव राम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रांची, बिहार में 156 सी॰सी॰बी॰ सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) बिहार राज्य के रांची में 128 सी॰सी॰बी॰ सार्वजनिक टेलीफोनों की संस्थापना कर दी गई है।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरे और स्थानों के नाम दिए गए हैं।

विवरण

रांची में सी॰ सी॰ बी॰ सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची

1.	ब्रजभातिया ब्रदर्स	25144
2.	मोतीलाल मार्केट रतू रोड	26598
3.	केवल राज भाटिया मार्फत आभा मेडीकल	26743
4.	सुबोध कुमार चौधरी पंडरा	27657
5.	राजकिशोर शर्मा, आर॰एम॰सी॰एच॰ चौक	26879
6.	शिव कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी कालोनी	26981
7.	राधो शरण क्लीनिक बारिआतू	23620
8.	हरिजन कालोनी, हारमा रोड, रांची	25699
9.	कमल कांत रोड, रांची	27796
10.	डेकोडिलस गाधधी चौक	27777
11.	अल्फा जे॰ जे॰ रोड, रांची	27821
12.	रामधुन प्राथतम प्रतिष्ठान लिमिटेड	22348
13.	मै॰ ब्रज भूषण शर्मा, होलीडे ट्राई	26548
14.	पंजाब स्वीट हाउस, मेन रोड, रांची	24940
15.	जय माता बस सेवायें	28841
16.	होटल अनुराग :.	20644
17.	मै॰ शैम्पा ट्रकवल्स	21499
18.	एस॰ के॰ मुखर्जी, धारपाखाना, रांची	21699
19.	मै॰ शीला इलेक्ट्रानिक, रांची	27121
20.	प्रेसीडेंट, लेहिया वाचनालय	23761
21.	न्यू रेडियो क्राफ्ट, बर्मन मार्केट	26566
22.	मै॰ कमला होटल	27160
23.	मै॰ मारूति ट्रेवल्स	23710
24.	जी॰के॰ अग्रवाल	22452
25.	अजय कुमार गुप्ता, रेडियम रोड रांची	22271
26.	अंगलेश कुमार साहू	24885
27.	अनंत लाल गुप्ता, नार्थ मार्केट	

28. जी॰ कुमार	20465
29. अनंत लाल गुप्ता	24595
30 सागर शिशु, मेन रोड, रांची	23299
31. ए॰ के॰ सिन्हा	23317
32. कावेरी रेस्टोरेंट	25193
33. डी॰ दास सोरंगढा, रांची	22810
34. एस॰एस॰ कनक रोड	24547
35. डी॰सिंह, डी॰ आई टी ए इलेक्ट्रानिक	20743
36. बंसी बस न्यू मोरहाबी	26111
37. पी॰ उपाध्याय	29684
38. सी॰एम॰कपूर काश्मीर वस्त्रालय	20417
39. डी॰के शर्मा, पिस्का मोर	21366
40. एस॰के॰ अजमनी एस॰के॰एम गांगुली रोड	21764
41. बी॰के॰ सिंह, गरीखाना, रांची	21133
42. विनोद कुमार द्विव्यायन, लेन मोराबादी	23175
43. बी॰के॰ सिंह, हारमू रोड, रांची	24117
44. बालेश्वर सिंह, लक्ष्मीभंडार	28753
45. मनोज कुमार, टेन्ट हाउस	28033
46. ए॰ के सिंह, बरीयातु रोड, रांची	28036
47. अजय कुमार, हरमू बाजार	28032
48. ए॰के॰गुप्ता, गांधी मार्केट बिपान भंडार	28366
49. मो॰ बक्षी	27689
50. बी॰ कुमार , बेस्ट मार्केट रोड	26216
51. राज कुमार, कचेई रोड	26601
52. श्री अशोक शर्मा, अशोक इंजीनियरिंग वर्क्स	21753
53. श्री गंगा शर्मा, सर्कुलर रोड	28002
54. शम्भु प्रसाद सिंह गरीखाना	20470
55. दीप नारायण यादव, बानो मंजिल रोड	20978
56. आर॰वी॰ गुप्ता जोती संगम, अपर बाजार	21650
57. मै॰ लक्ष्मी इंटरप्राइसेस, पिस्का मोर रोड	25533
58. श्री सुरेन्द्र सिन्हा, लक्ष्मी मार्केट	
59. मै॰ गुप्ता मार्केट, श्रद्धानंद रोड	25448
60. श्री कल्याण देव, एस एम गांगुली रोड	25652
61. सुनील चौधरी, अम्बिका इंटरप्राइस	23652
62. श्री शिव प्रसाद अग्रवाल, रातू रोड	21151
63. श्री अमल कुमार मित्रा, अशोक नगर	
64. श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी, इंद्रापुरी	21096
65. अलोक कुमार वर्मा, बिरसा होटल	23753
66. श्रीमती गीता देवी अग्रवाल	23366
67. श्रीमती शैल मिश्रा, बसंत बिहार रोड	23361
68. श्री श्यामसुन्दर??	25707
69. श्री ए॰के॰ सिन्हा, लंगटोली, रांची	38180
70. श्री सुमंत सिंह, रनजीत स्ट्रीट	28860

71.	श्री एम चौधरी	28698
72.	मै॰ साय इंटरप्राइसेस, आदर्श मार्केट	27588
73.	मीता सरकार, अशोक नगर	
74.	श्री राजकुमार गुप्ता, मेन रोड, रांची	26769
75.	राकेश टेजा, अनुराग मार्केट	27223
76.	श्री आशीष कुमार भाटिया	26052
77.	श्री जरनैल सिंह, पंजाब फूर्न	
78.	लक्ष्मण झा, ए॰वी॰के॰एस॰हाई स्कूल	
79.	श्री सच्चिन्दन दास, संध्या सिनेमा	27987
80.	श्री अजय कुमार सिंह, गरीखाना	
81.	श्री सर्वेश कुमार हरमू, एच एस जी कालोनी	20703
विकलांग द्वारा संचालित पीसीओ		
82.	कोर्ट कम्पाउंड	25459
83.	मार्केट, रतू रोड रांची	25149
84.	नागरमल मोदी सेवा सदन	22002
85.	ओम प्रकाश वर्मा, ज्योति फिल्म	28526
86.	मिस रोशन आरा	20053
87.	विजय कुमार पोगला	26285
88.	नरेश प्रसाद डोरंडा	300965
89.	श्रीमती देवपती सेन, कडरू रोड	20249
90.	अजय कुमार मण्डल	21425
91.	मो॰ साबिर, पथालकुडवा, रांची	21097
92.	अजय कुमार वर्मा, महवीर चौक	22674
93.	मो॰ शफी, कनक रोड	23122
94.	प्रेम किरपाल सिंह, रांची	
95.	मोनू सिमेजा, मेन रोड, रांची	20751
96.	अशोक कुमार सिंह, दोरंडा	
97.	श्री विजय दास चर्च रोड रांची	27486
98.	श्री शरद कुमार, बरियातू रोड	28789
99.	श्री जीवन भगत हरमू हाऊसिंह	20182
विभागीय स्थानीय सी॰सी॰बी॰ टेलीफोन घर		
100.	अग्रवाल, नर्सिंग होम	23867
101.	कोर्ट कम्पाउन्ड, रांची	23602
102.	अनता आटोमोबाइल्स	20679
103.	केशरी नर्सिंग होम	22000
104.	गोपाल आटोमोबाइलस रतन रोड रांची	22001
105.	रामगोविन्द रामविलास प्रसाद	22375
106.	गांधी नगर	25398
107.	आटो एक्सचेंज गेट	21781
108.	शक्ती सर्विस पिट्रोल पम्प हाउस	25056
109.	राजस्थान छात्रावास हरमू	25549
110.	नागरमल सेवा सदन	21357

111.	अरगोरा पी०सी०ओ०	25698
112.	उपहार सिनेमा	21200
113	डा० वी०के० जैन, हिन्दी पीरी	23099
114.	श्रीमती श्यामा सरन नर्सिंग होम	26632
115.	ध्रुव सेक्टर-3, एच ई सी	408130
116.	ध्रुव इंजि० बिल्डिंग एच ई सी	408129
117.	मातादीन प्रीमीसेस लालपुर	24824
118.	ग्रीनफील्ड सेल्स एवं सर्विसेज्	20175
119.	आलम नर्सिंग होम, बरियातू	20385
120.	सच्चिदानन्द एण्ड कम्पनी, इन्द्रपुरी	20438
121.	मनीर आलम कदरू, रांची	26045
122.	टेलीकॉम सेंटर, रांची एअरपोर्ट	408861
123.	टेलीकॉम सेंटर, रांची रेलवे स्टेशन	300965
124.	आलम नर्सिंग होम, बरियातू	2881
125.	न्यू एस०टी०डी० टेलीफोन, रांची स्टेशन	20385
126.	श्री सुरेन्द्र सिन्हा, लक्ष्मी मार्केट	26561
127.	टेलीकॉम सेंटर पंडरा	26018
128.	टेलीकॉम सेंटर, रातू	27873

विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना

613. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु फरवरी, 1991 में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) हालांकि संयुक्त क्षेत्र में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए फरवरी, 1991 में कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लिमिटेड तथा मैसर्स इस्सर गुजरात लि० ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, परन्तु मैसर्स इस्सर गुजरात लि० ने बाद में समझौते ज्ञापन से अपने को अलग कर लिया।

गोवा में टेलीफोन, डाक तथा तार से प्राप्त आय और उन पर व्यय

614. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में टेलीफोन सेवाओं, डाक तथा तार से वर्ष 1991-92 के दौरान पृथक-पृथक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) उपर्युक्त सेवाओं पर उपरोक्त वर्ष के दौरान पृथक-पृथक सेवा के लिये कितनी धनराशि खर्च हुई?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) गोवा में 91-92 के दौरान विभिन्न सेवाओं से प्राप्त कुल राजस्व इस प्रकार है:—

	(करोड़ रूपयों में)
टेलीफोन तथा तार	16.50
डाक	3.56

(ख) 91-92 (अस्थाई) के दौरान कुल व्यय इस प्रकार है:—

	(करोड़ रूपयों में)
दूरसंचार विभाग	
(I) मूल्यह्रास तथा ब्याज भुगतानों को छोड़कर कार्यकारी व्यय	3.53
(II) पूंजीगत कार्य	12.57
डाक विभाग	
(I) मूल्यह्रास तथा ब्याज भुगतानों को छोड़कर कार्यकारी व्यय	2.23
(II) पूंजीगत कार्य	0.83

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

615. **श्री ललित उरांव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्तमान इलैक्ट्रानिक तथा हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1992-93 में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में 1992-93 के दौरान, नये टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(घ) उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनकी क्षमता में वृद्धि करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडु): (क) सूचना विवरण I के रूप में संलग्न है।

(ख) चक्रधरपुर (जिला सिंहभूम पश्चिम) नामक स्थान पर एकमात्र मैनुअल एक्सचेंज है जिसे 1992-93 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा।

(ग) सूचना विवरण II के रूप में संलग्न है।

(घ) सूचना विवरण III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

31.3.1992 की स्थिति के अनुसार मौजूदा इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों और मैनुअल एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

	जिले का नाम	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज	मैनुअल एक्सचेंज
1.	सिंहभूम पूर्व	8	0.

	जिले का नाम	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज	मैनुअल एक्सचेंज
2.	सिंहभूम पश्चिम	12	0
3.	नालन्दा	5	0
4.	पटना	19	0
5.	बेगूसराय	8	0
6.	दरभंगा	4	0
7.	खगड़िया	5	0
8.	मधुबनी	12	0
9.	समस्तीपुर	6	0
10.	सुपौल	6	0
11.	औरंगाबाद	8	0
12.	गया	12	0
13.	जहानाबाद	4	0
14.	नवादा	5	0
15.	बोकारो	9	0
16.	धनबाद	8	0
17.	गुमला	1	0
18.	लोहारदगा	1	0
19.	रांची	13	0
20.	छतरा	2	0
21.	गिरिडीह	8	0
22.	हजारीबाग	22	0
23.	भभुआ	4	0
24.	भोजपुर	4	0
25.	बक्सर	2	0
26.	रोहतास	4	0
27.	गढ़वा	3	0

	जिले का नाम	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज	मैनुअल एक्सचेंज
28.	पलामू	8	0
29.	भागलपुर	9	0
30.	अररिया	3	0
31.	कटिहार	3	0
32.	किशनगंज	2	0
33.	पूर्णिया	8	0
34.	सहरसा	8	0
35.	मधेपुरा	4	0
36.	मुजफ्फरपुर	5	0
37.	सीतामढ़ी	8	0
38.	वैशाली	9	0
39.	चम्पारन पश्चिम	5	0
40.	छपरा	9	0
41.	गोपालगंज	4	0
42.	सीवन	5	0
43.	चम्पारन पू०	8	0
44.	बांका	1	0
45.	मंगुर	4	0
46.	साहेबगंज	2	0
47.	देवघर	2	0
48.	दुमका	3	0
49.	गोड्डा	1	0
50.	जमुई	3	0

विवरण-II

1992-93 के दौरान खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान के नाम

1. करेटरी
2. तंदुआ
3. चुरचू
4. सुलताना
5. बहराइचनगर
6. गिद्दी
7. पांडू
8. बड़काथाना
9. तेनूघाट
10. गांदे
11. जमुआ
12. देवरी
13. बिरनी
14. गावन
15. ईटखोरी
16. मरकाचो
17. पीरतारन
18. सदगामा
19. नावाडीह
20. बदाम
21. कोलाबीरा
22. बानो
23. बड़िया
24. रायडीह
25. चैनपुर
26. बिशुनपुर
27. घाघरा
28. महुआदानर
29. गारु
30. तांतनगर
31. मझगांव
32. कुचाई
33. इच्छागढ़
34. जालीडीह
35. महुदा

36. कैरों
37. महेशमुंडा
38. नूनीहाट
39. महागामा
40. महाराजपुर
41. चकई
42. घोसी
43. इस्लामपुर
44. खुरचा
45. घनेरा
46. सिलाव
47. रुपाली
48. आजमनगर
49. चौसा
50. नरायनपुर
51. बीहपुर
52. मजोरगाय
53. घोरई
54. कटाया
55. सीधा
56. घेष
57. बठनाहां
58. बायपट्टी
59. सिमरी
60. लालदानिया

विवरण-III

उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम जिनकी क्षमता में 92-93 के दौरान वृद्धि किए जाने है।

1. इश्रीबाजार
2. राजधनवार
3. सूरिया
4. कठारा
5. बढ़ी
6. बांका
7. पीरपैंती

8. कहलगांव
9. सुलतानगंज
10. साहेबगंज
11 राजमहल
12. तलझरी
13. टीनपहार
14. जमात्रा
15. झारमुंडी
16. मिहीजम
17. मोहालपहारी
18. जमुई
19. झाझा
20. शेखपुरा
21. बरियारपुर
22. जमालपुर
23. मुगेर
24. हवालीखागरपुर
25. घटशिला
26. जाइगोरा
27. नोवामुंडी
28. चाईबासा
29. बाराजमदा
30. बिहारशरीफ
31. पटना
32. बिहटा
33. मशूढी
34. मनेर
35. बेनीपुर
36. दरभंगा
37. लहरियासराय
38. बेनीपट्टी
39. झोझरपुर
40. रोसेरा
41. समस्तीपुर
42. निरमाली
43. खगड़िया
44. औरंगाबाद

45. जहानाबाद
46. नवादा
47. बालीडीह
48. धनबाद
49. चिरकुंडा
50. गुमला
51. लोहारदगा
52. छतर
53. झुमरी तलैया
54. हजारीबाग
55. बक्सर
56. भाभुआ
57. मोहानिया
58. डालमियानगर
59. सासाराम
60. आरा
61. डालटनगंज
62. नौगछिया
63. कटिहार
64. फोरबिसगंज

दिल्ली और मुम्बई में ओ॰ बी॰ जारी करने के पश्चात् टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

616. **श्री मोहन रावले:**
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा:

क्या संचार मंत्री 9 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के उत्तर के संबंध में यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर कब तक रख दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

(ग) अपेक्षित सूचना सारे देश में फैले फील्ड यूनिटों से एकत्र की जानी है, इसलिए इस कार्य में समय लगने की संभावना है। जैसे ही अपेक्षित सूचना संकलित कर ली जाएगी, लगभग तीन माह की अवधि के भीतर उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

राज्यों में कन्वेन्शन सिटी काम्प्लेक्स

617. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन-संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कंवेन्शन सिटी काम्प्लेक्स स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को सूचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसरण में कन्वेशन पर्यटन के संबंध में एक समिति गठित की गई है जो कन्वेन्शन परिसर स्थापित करने के लिए ब्यौरे तैयार करेगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों। यह समिति राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श करेगी और कन्वेन्शन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का अभिनिर्धारण करेगी।

राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना संबंधी कार्यक्रम

618. **श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना संबंधी कार्यक्रम 1991-92 के दौरान आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान देश के सभी भागों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव विषय पर कई कार्यक्रम तैयार किए। मीडियावार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों ने इस विषय पर विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है। मीडियावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आकाशवाणी:

वर्ष 1991-92 में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों ने राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर विभिन्न विधाओं को 60,000 से अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए। ये कार्यक्रम वार्ता, चर्चा, नाटक, रूपक, भेंटवार्ता, गीत और काव्य-पाठ आदि के रूप में प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन:

दूरदर्शन ने टेलीफिल्मों, धारावाहिकों, नाटकों, चर्चाओं, भेंटवार्ताओं, गीतों, काव्य-पाठों, नेताओं और सूफी संतों की सूक्तियों, क्विकी शीर्षकों आदि के विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। दूरदर्शन ने समाज के सभी वर्गों तक साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का सन्देश पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए।

दूरदर्शन ने ईद, गुड फ्राइडे, शिवरात्रि, नाग पंचमी, रक्षा बंधन, होली, क्रिसमस आदि के महत्वपूर्ण त्यौहारों के संबंध में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। इन त्यौहारों के अवसर पर समाचार भी प्रसारित किए गए। दूरदर्शन ने राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव के विषय पर कई धारावाहिक भी प्रसारित किए। इस विषय पर हाल में जो कुछ धारावाहिक प्रसारित किए गए उनमें "सनुहरे वर्क," "एकस के हम बारिक" सोर्ड आफ टीपू सुल्तान, सांझा चूल्हा, आजादी की कहानी, गूंगी तारीख, चाणक्य, कहकशां, भारत के शहीद, मशाल आदि शामिल हैं।

उपर्युकत कार्यक्रमों के अतिरिक्त सभी दूरदर्शन केन्द्रों ने समय-समय पर राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर नारे/शीर्षक/सन्देश प्रसारित किए।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय:

निदेशालय ने वर्ष 1991-92 में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर निम्नलिखित प्रचार किया:—

1. बाह्य प्रचार:

निदेशालय द्वारा कौमी एकता पर देश भर में 1991-92 में 73 होर्डिंग प्रदर्शित किए गए।

2. भित्ति चित्र:

निदेशालय ने 1992 के अर्ध कुंभ मेले के अवसर पर मोदी नगर से ऋषिकेश तक तथा तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव के विषय पर 185 भित्ति चित्र प्रदर्शित किए।

3. कपड़े के बैनर:

गणतंत्र दिवस, 1992 के अवसर पर 100 बैनर लगाए गए।

4. स्टाल:

निदेशालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर तथा 1992 के अर्ध कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार तथा मेरठ, मुजफ्फरपुर आदि में इस अवसर पर 220 स्टाल लगाए।

5. बसों पर विज्ञापन:

वर्ष 1991-92 में निदेशालय द्वारा देश भर में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर 170 बस विज्ञापन प्रदर्शित किए गए।

6. सिनेमा स्लाइड:

वर्ष 1991-92 में निदेशालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में हिन्दी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 8779 सिनेमा स्लाइडें तैयार कर जारी की गई।

2. मुद्रित प्रचार:

निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर 6,20,000 फोल्डर और 4,20,000 पुस्तिकाएं तैयार की गई।

3. प्रेस विज्ञापन:

कौमी एकता सप्ताह तथा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान पर प्रेस विज्ञापन जारी किए गए।

4. प्रदर्शनियां:

निदेशालय द्वारा 1991-92 में देश भर में 61 स्थानों पर ''एक राष्ट्र एक प्राण'' पर प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिनमें देश के विभिन्न प्रदेशों, फर्मों और वर्गों तथा भारत की जनता की एकता को प्रदर्शित किया गया।

5. डाक द्वारा प्रचार:

निदेशालय द्वारा अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 257 क्षेत्रीय प्रचार एककों तथा 38 प्रदर्शनी अधिकारियों को ''नो कम्प्रोमाइज आन सेक्यूलरिज़्म'' पर समाचार सामग्री भेजी गई।

6. श्रव्य दृश्य:

निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर ''तरंग अनेक—राग एक'' नामक 36 मिनट का श्रव्य कैसेट तैयार किया गया जिसमें भारत के वर्तमान और अतीत का वर्णन किया गया है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय:

वर्ष 1991-92 में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर 93,563 कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम देश भर में फिल्म शो, सामूहिक चर्चा, सेमीनार और गीत और नाटक प्रभाग की मंडलियों के सजीव कार्यक्रमों तथा बातचीत के रूप में थे।

गीत और नाटक प्रभाग:

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा वर्ष 1991-92 में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर 37,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

फिल्म प्रभाग:

फिल्म प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना पर कई वृत्तचित्र फीचर फिल्में और न्यूज़ मैगजीन तैयार किए गए। वर्ष 1991-92 में प्रभाग द्वारा निम्नलिखित वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीन जारी किए गए।

वृत्तचित्र:

1. समत्वम भाग-1
2. —तैथव— भाग-2
3. —तैथव— भाग-3
4. इंद्रधनुष
5. राष्ट्रीय एकता शपथ
6. मूव विद ईच अदर टु ईच अदर स्पीक
7. हार्ट टु हार्ट
8. थ्रू इन्नोसेन्स

न्यूज़ मैगजीन:

1. पंचग्राम सन्देश (एन॰एम॰ नं॰ 210)
2. ए वायस फार जस्टिस (एन॰एम॰ नं॰ 212)
3. पंजाब के 25 वर्ष (एन॰एम॰ नं॰ 215)
4. क्रांतिकारियों की आवाज (एन॰एम॰ नं॰ 216)

उपर्युक्त के अलावा फिल्म प्रभाग द्वारा निम्नलिखित 3 फिल्में सिनेमा थियेटरों को जारी की गई:—

(1) तेरी मेरी यारी (2) दाता तेरे कई नाम (3) मदर इंडिया

पत्र सूचना कार्यालय:

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) द्वारा राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पर 51 फीचर/लेख जारी किए गए और 1991-92 में सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से विभिन्न आयोजनों को कवर किया गया।

विवरण-II

आकाशवाणी:

आकाशवाणी के सभी केन्द्र वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के विषय पर भिन्न-भिन्न विधाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते रहेंगे। उनमें वार्ताएं, चर्चाएं, नाटक, फीचर, भेंटवार्ताएं बाहारी कवरेज और काव्य पाठ शामिल हैं।

दूरदर्शन:

वर्ष 1992-93 में दूरदर्शन द्वारा दिल्ली में अपने राष्ट्रीय नेटवर्क से और अल्पशक्ति ट्रांसमीट नेटवर्क से तथा प्रादेशिक केन्द्रों से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर बराबर कार्यक्रम प्रसारित कि॰ जाते रहेंगे। प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा ये क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें देख सकें। ये कार्यक्रम नाटक, फीचर, वृत्तचित्र, फीचर फिल्म, वार्ताओं, गीत, मिले-जुले कार्यक्रमों के रूप में होंगे और उनके अलावा, ग्रामीण युवकों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा प्रश्नमंच कार्यक्रम भी होंगे। इन सभी कार्यक्रमों में सर्वधर्म संभाव, शांति और संयम का संदेश, समान पूजा स्थल, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के आदर्श का प्रतिपादन करने वाले जाने-माने महानुभावों, सभी धर्म के संतों, फकीरों, जाने-माने साहित्यकारों और उनकी कृत्तियों का बराबर उल्लेख किया जाएगा तथा राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना, महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों और अनेकता में एकता और देश की अखंडता का संदेश होगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय:

वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय एकता और साप्रंदायिक सौहार्द के विषय पर निदेशालय के पास कई परियोजनाएं विचाराधीन है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा इस वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में "एक राष्ट्र एक प्राण" प्रदर्शनी का बराबर आयोजन किया जाता रहेगा।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय:

पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए फिल्म शो, गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा सजीव मंचन मौखिक संदेश सामूहिक विचार-विमर्श तथा सेमीनारों आदि के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यक्रमों का विशेष और उल्लेखनीय अंग होंगे।

गीत और नाटक प्रभाग:

गीत और नाटक प्रभाग ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के विषय पर 1992-93 में 36,000 कार्यक्रम प्रसारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कार्यक्रम देश के सभी भागों में लोकनाटकों, जादू शो, मिले-जुले कार्यक्रम और गीत और नृत्य के परंपरागत रूपों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

फिल्म प्रभाग:

फिल्म प्रभाग ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के विषय पर 1992-93 के लिए निम्नलिखित फिल्में तैयार करने का कार्यक्रम बनाया है:—

(1) नो यूअर इंडिया (2) फोर मैन (3) सीज़र्स एंड क्लाथ (4) स्वामी विवेकानंद द्वारा हज़रत मोहम्मद सरफराज़ हुसैन को लिखे गए पत्र पर आधारित सांप्रदायिक सद्भाव पर फिल्म (5) विभिन्न भाषाओं के प्रतिष्ठित कवियों की कविताओं पर आधारित सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर फिल्म (6) भारत की पुकार (भाग-4), (7) दो सिर वाला पक्षी (8) पेंटल जैसे जाने-माने कलाकारों के साथ राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के विषय पर स्वांग के रूप में फिल्म (9) बुरा कथा में तेलगु गीत पर आधारित राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के विषय पर फिल्म (10) नौका यात्रा (11) नृत्य (12) एक पहेली (13) पहचान।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के संचालन में समय की पाबंदी

619\. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के संचालन में समय की पाबंदी का कोई महत्व नहीं रह गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उड़ानें भरने में समय की पाबंदी का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जनवरी से जून, 1992 की अवधि के दौरान 34.85% उड़ानों में विमानों के रख-रखाव और हैंडलिंग, खराब मौसम, हवाई अड्डा प्रतिबंधों, ऐसे विविध कारणों जिनके दिये अन्य अभिकरण जिम्मेदार है, समयावलि में अनुसूचित परिवर्तनों और परिणामी कारणों से विलंब हुआ है या रद्द की गई है।

(ग) उड़ानों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(i) क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर "आनटाइम" निष्पादन का बारीकी से निरीक्षण करना;

(ii) उड़ानों के बीच संशोधित ब्लाक टाईम और वर्धित ग्राउण्ड टाईम का समावेश करते हुए समयावधि को युक्तिसंगत बनाना; और

(iii) क्षेत्रीय कार्यालय और साथ-साथ मुख्यालय में खामियों को दूर करने के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा।

नई हवाई पट्टियों का विकास

620. डा॰ वसंत पवार: क्या नागर विमानन और पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नई हवाई पट्टियों का विकास करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान हवाई पट्टियों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो हवाई अड्डे-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी हवाई अड्डों पर टर्मिनल और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रचालकों (एयरलाइनों) द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से आरंभ किया जाता है।

केरल में डीजल आधारित विद्युत संयंत्र

621. प्रो॰ के॰ वी॰ थामसः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ब्रह्मपुरम, कसारगोड और कालीकट में डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थिति क्या है;

(ख) इन्हें कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक संयंत्र की विद्युत क्षमता कितनी होगी और परियोजना पर कितनी लागत आयेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) ब्रह्मपुरम, कसार गोड और चढाकरा (कालीकट के समीप) में डीज़ल विद्युत उत्पादन सेट अधिष्ठापित किए जाने से सम्बन्धित इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया है।

(ख) परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने तथा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की स्वीकृति के पश्चात् डीज़ल संयंत्रों को चालू किए जाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(ग) व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार तीनों परियोजनाओं के बारे में प्रत्येक की प्रस्तावित क्षमता तथा अनुमानित लागत का ब्यौरा निम्नवत् है:

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
कसारगोड	60	13085
ब्रह्मपुरम	100	29680
वड़ाकरा / कोजीकोड (कालीकट के समीप)	120	24611

अथेरिया समिति का प्रतिवेदन

622. **श्री छेदी पासवान:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच अथेरिया समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) दूर संचार विभाग के पुनर्गठन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (आत्रे समिति) अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पनवेल, मुम्बई में हवाई अड्डे का निर्माण

623. **श्री यशवंतराव पाटिल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई के निकट पनवेल में एक नया हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हवाई अड्डे के कब तक बन जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के दरभंगा में टेलीफोन प्रणाली

624. **श्री लालं बाबू राय:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के दरभंगा और छपरा जिलों मे टेलीफोन प्रणाली काफी लम्बे समय से ठप्प पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो वहां के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का प्रयोग किस हद तक किया जा रहा है;

(ग) विगत वर्षों के दौरान उक्त टेलीफोन प्रणाली के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) उक्त जिलों में टेलीफोन प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) छपरा जिले में क्षमता का 77.2 प्रतिशत उपयोग हो रहा है और दरभंगा जिले में इसका प्रतिशत् 88.9 है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान छपरा जिले में 78 और दरभंगा जिले में 66 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(घ) छपरा जिले में छपरा स्थित एम॰ ए॰ एक्स॰ 11 एक्सचेंज की 1100 लाइनों की 1400 लाइनों वाले सी-डाट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदला जा रहा है। दरभंगा जिले में लहरियासराय स्थित एम॰ ए॰ एक्स॰-11 एक्सचेंज की 800 लाइनों को 1992-93 के दौरान 1000 लाइनों वाले सी-डाट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला जा रहा है। दरभंगा के 900 लाइनों वाले एम॰ ए॰ एक्स॰-11 को भी 1993-94 तक 1400 लाइनों वाले सी-डाट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदला जा रहा है।

गुजरात और उड़ीसा में दूरसंचार सुविधाएं

625. **श्री काशीराम राणा:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात और उड़ीसा में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी, स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। गुजरात में वर्ष 92-93 के दौरान 65 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वर्ष 92-93 के दौरान गुजरात में 56 नए स्थानों पर एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान करने की योजना भी है।

उड़ीसा में वर्ष 92-93 के दौरान 40 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 92-93 के दौरान उड़ीसा में 150 स्थानों पर एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त 8वीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार, 8वीं योजना की समाप्ति तक निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने से उद्देश्य के विस्तार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुतः मांग करने पर टेलीफोन प्रदान करना, और

(ii) बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा की अवधि को कम करके दो वर्ष तक रखना।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन

626. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों में से नये टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु न्यूनतम 3000/- रुपये होना (मूल वेतन) चाहिए जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में यह 3700/- रुपया (मूल वेतन) है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस असमानता को दूर करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं। जहां तक गैर ओ० वाई० टी०/एस० एस० श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने में पात्रता का संबंध है, केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं क्योंकि राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वेतन 3,700/-रु० (मूल वेतन) निर्धारित किया गया। तथापि एक विशेष मामले के रूप में डाक तथा दूरसंचार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मूल वेतन 3000/- रु० निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कालाहांडी, उड़ीसा में कुटीर ज्योति कार्यक्रम

627. **श्री सुभाष चन्द्र नायक:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के पिछड़े जिले कालाहांडी के कितने गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1991 तक उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 591 गांवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जा चुका था।

खनिजों की खोज

628. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनिज खोज नीति को पुनर्निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) खनिजों की मांग और पूर्ति के अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) और खनिज गवेषण निगम लि० (एम० ई० सी० एल०) ने, जो भारत में खनिज गवेषण करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, हाल ही में भागीदारी की कसौटी, परियोजनाकरण तथा लिंकेज के आधार पर खनिज गवेषण के लिए अपनी नीति को पुनः स्थापित किया है, ताकि समय-बद्ध तरीके से ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इन संगठनों ने खनिज गवेषण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग आरंभ किया है।

(ग) मांग तथा पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए साधनों की तंगी और देश में अत्यधिक कमी वाले खनिजों के निम्न ग्रेड डिपोजिटों का लाभप्रद उपयोग करते हुए त्वरित गवेषण करने, उत्पादन बढ़ाने के लिए 8वीं योजना अवधि में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

हवाई अड्डों का उपयोग में न लाया जाना

629. **श्री चन्द्रजीत यादव:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने हवाई अड्डे उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं तथा ये कितने समय से उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं;

(ख) इन हवाई अड्डों को उपयोग में न लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे हवाई अड्डों के रखरखाव पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) इन हवाई अड्डों का उपयोग करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) इस समय प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हवाई अड्डों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) अनुसूचित प्रचालकों से मांग न होने के कारण संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हवाई-अड्डे बिना किसी प्रयोग के पड़े हुए हैं।

(ग) प्रति वर्ष 80.00 लाख रुपये।

(घ) हवाई टैक्सी परिचालन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुछ हवाई अड्डों पर कार्य पुनः प्रारंभ हो जायेगा। योजना में हवाई क्षेत्रों को अस्थायी रूप से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने तथा फालतू भूमि का वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाना आदि शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	राज्य	तारीख जब से प्रयोग में नहीं है
1.	अकोला	महाराष्ट्र	बिरले ही प्रयोग किया गया
2.	रतनागिरी	,,	12.7.91
3.	शोलापुर	,,	2.7.91
4.	दीसा	गुजरात	1.8.91
5.	खंडवा	मध्यप्रदेश	,,
6.	पन्ना	,,	,,
7.	बिलासपुर	,,	1.11.90
8.	झांसी	,,	बिरले ही प्रयोग किया गया
9.	सतना	,,	1.11.90
10.	कोटा	राजस्थान	28.9.90
11.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	बिरले ही प्रयोग किया गया
12.	पंतनगर	उत्तर प्रदेश	जनवरी, 1991
13.	दोनाकोंडा	आंध्र प्रदेश	बिरले ही प्रयोग किया गया
14.	वारंगल	,,	फरवरी, 1988
15.	कुडप्पा	,,	25.9.89
16.	हसन	कर्नाटक	बिरले ही प्रयोग किया गया
17.	मैसूर	,,	23.9.89
18.	हुबली	,,	फरवरी, 1990
19.	वैल्लोर	तमिलनाडु	बिरले ही प्रयोग किया गया
20.	झारसुगुडा	उड़ीसा	,,
21.	बलूरघाट	पश्चिम बंगाल	,,
22.	माल्दा	,,	,,
23.	खोवाई	त्रिपुरा	,,
24.	कमालपुर	,,	,,
25.	चकूलिया	बिहार	,,
26.	जोगबनी	,,	,,
27.	मुजफ्फरपुर	,,	,,
28.	रक्सौल	,,	,,
29.	धनबाद	,,	,,
30.	गया	,,	1.11.90
31.	रूपसी	आसाम	बिरले ही प्रयोग किया गया
32.	शैला	,,	,,
33.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	1.11.90

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	राज्य	तारीख जब से प्रयोग में नहीं है
34.	तेजू	,,	मई, 1991

भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर डाक-टिकट

630. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "भारत छोड़ो आन्दोलन, 1942" के स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर डाक टिकट जारी करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में अगस्त, 1992 में दो डाक टिकटों का सेट जारी किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों द्वारा "मांग दिवस" का मनाना

631. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों की दिल्ली यूनियन ने हाल में "मांग दिवस" मनाया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या था; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) समाचार पत्रों से यह पता चला है कि पत्रकारों की दिल्ली यूनियन ने हाल ही में "मांग दिवस" आयोजित किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस संबंध में कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के पास विमान

632. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1992 को इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के पास कितने विमान हैं तथा वे किस-किस किस्म के हैं तथा उनको किन-किन तारीखों में खरीदा गया है;

(ख) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान कितने और किस प्रकार के विमान खरीदने का विचार है; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध विमानों के दो अलग-अलग विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) आगामी पांच वर्षों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित विमान अधिग्रहण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

एअर इंडिया 2333 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1993-94 के दौरान चार बोइंग 747-400 (यात्री विमान)

इंडियन एयरलाइंस 1823 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1993-94 के दौरान 12 एयरबस ए-320 विमान

विवरण I

एअर इंडिया के पास उपलब्ध विमानों का विवरण

बी-747-200	**सेवा में लगाये जाने की तारीख**
1. वीटी-ईबीई	4.5.71
2. वीटी-ईबीएन	1.4.72
3. वीटी-ईटीयू	27.12.75
4. वीटी-ईएफजे	6.2.78
5. वीटी-ईएफयू	16.8.79
6. वीटी-ईजीए	23.12.79
7. वीटी-ईजीबी	22.2.80
8. वीटी-ईजीसी	6.4.80
9. वीटी-ईएनक्यू	23.5.87
बी 747-300	
1. वीटी-ईपीडब्ल्यू	21.10.88
2. वीटी-ईपीएक्स	22.11.88
ए 300-बी4	
1. वीटी-ईएचएन	11.8.82
2. वीटी-ईएचओ	12.11.82
3. वीटी-ईएचक्यू	15.11.82
ए-310-300	
1. वीटी-ईजेजी	20.4.86
2. वीटी-ईजेएच	18-5-86

	सेवा में लगाये जाने की तारीख
3. वीटी-ईजेआई	1.6.86
4. वीटी-ईजेजे	30.10.86
5. वीटी-ईजेके	30-12-86
6. वीटी-ईजेएल	31.3.87
7. वीटी-ईक्यूएस	24.8.90
8. वीटी-ईक्यूटी	30.8.90

विवरण II

इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध विमानों का विवरण

ए-300	डिलीवरी/खरीद की तारीख
1. वीटी-ईडीवी	20.10.76
2. वीटी-ईडीडब्ल्यू	29.11.76
3. वीटी-ईडीएक्स	31.12.76
4. वीटी-ईडीवाई	11.5.78
5. वीटी-ईडीजेड	8.6.78
6. वीटी-ईएफवी	25.10.79
7. वीटी-ईएफडब्ल्यू	18.7.80
8. वीटी-ईएफएक्स	7.8.80
9. वीटी-ईएचसी	18.5.82
10. वीटी-ईएचडी	27.5.82
11. वीटी-ईएलडब्ल्यू	1.7.90
एअर बस-320	
1. ईपीबी	21.6.89
2. ईपीडी	27.6.89
3. ईपीसी	3.7.89
4. ईपीई	7.7.89
5. ईपीएफ	18.7.89
6. ईपीजी	7.8.89
7. ईपीएच	8.9.89
8. ईपीआई	14.9.89
9. ईपीके	27.9.89
10. ईपीजे	13.10.89
11. ईपीएम	27.11.89
12. ईपीओ	12.1.90
13. ईपीपी	23.1.90
14. ईपीक्यू	8.2.90
15. ईपीएल	28.9.90

	डिलीवरी/खरीद की तारीख
16. ईपीआर	28.9.90
17. ईपीएस	28.9.90
18. ईपीटी	28.9.90
एफ-27	
1. वीटी-डीओएम	1963
2. वीटी-डीओएन	1963
3. वीटी-डीडब्ल्यू	1967
बोइंग-737	
1. वीटी-ईएसी	9.11.70
2. वीटी-ईएआई	21.12.70
3. वीटी-ईएजे	12.1.71
4. वीटी-ईएके	8.2.71
5. वीटी-ईसीपी	26.9.74
6. वीटी-ईसीक्यू	26.9.74
7. वीटी-ईसीएस	13.11.74
8. वीटी-ईडीआर	8.10.75
9. वीटी-ईडीएस	15.10.75
10. वीटी-ईएफके	10.11.77
11. वीटी-ईएफएम	8.12.77
12. वीटी-ईजीडी	16.6.80
13. वीटी-ईजीई	14.7.80
14. वीटी-ईजीएफ	21.7.80
15. वीटी-ईजीजी	13.8.80
16. वीटी-ईजीएच	18.2.81
17. वीटी-ईजीएम	18.3.81
18. वीटी-ईजीआई	23.9.81
19. वीटी-ईजीजे	30.9.81
20. वीटी-ईएचई	4.8.82
21. वीटी-ईएचएफ	21.8.82
22. वीटी-ईएचजी	18.8.82
23. वीटी-ईएचएच	8.9.82

जामनगर और सौराष्ट्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

633. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय जामनगर और सौराष्ट्र के अन्य जिलों में कौन-कौन से क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं;

(ख) क्या गुजरात में जामनगर और सौराष्ट्र जिलों के कई क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देखे जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन क्षेत्रों में कब तक आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कितने-कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक के दर पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(च) आठवीं योजनावधि के दौरान गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) यद्यपि, गुजरात के समूचे सौराष्ट्र क्षेत्र को आकाशवाणी की दिन के समय की प्राथमिक ग्रेड रेडियो कवरेज प्राप्त होती है परंतु इस क्षेत्र के केवल 72% भाग को ही वहां कार्यरत टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों की सेवा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार पर्याप्त साधनों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(ङ) जामनगर तथा धोराजी के दो अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों जिन की लागत क्रमशः 37.16 लाख रुपये तथा 37.30 लाख थी।

(च) आठवीं योजना के अंतर्गत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अलग दूरदर्शन चैनल

634. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने दूरदर्शन पर अलग शैक्षिक टेलीविजन चैनल चलाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा काफी समय से शैक्षिक टी॰वी॰ कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। फिलहाल, अलग से शैक्षिक दूरदर्शन चैनल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

635. **श्री दिलीपभाई संघानी:** क्या **संचार** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के लिए आज तक जिलावार कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ख) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) आज की तारीख तक, गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पी॰सी॰ओ॰) खोलने के लिए विचाराधीन आवेदन पत्रों की जिलेवार संख्या निम्नलिखित है:—

गौण स्विचन क्षेत्र / जिले का नाम		विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों की संख्या	
		एस॰टी॰डी॰ पी॰सी॰ओ॰	स्थानीय पी॰सी॰ओ॰
1.	अहमदाबाद	—	—
2.	बड़ोदा	48	80
3.	राजकोट	601	186
4.	सूरत	972	—
5.	भावनगर	156	151
6.	बलसार	472	77
7.	भुज	411	58
8.	जामनगर	500	271
9.	जूनागढ़	64	64
10.	अमरेली	23	10
11.	मेहसाणा	103	—
12.	नडियाड़	257	08
13.	सुरेन्द्रनगर	30	01
14.	हिमतनगर (साबरकांठा)	56	—
15.	पालनपुर (बनासकांठा)	97	08
16.	गोधरा (पंचमहल)	49	03
17.	भड़ूच	68	05
	जोड़	3907	910

(ख) कोई समय-सीमा निश्चित कर पाना संभव नहीं है। तथापि, जहां तक संभव होगा अधिकाधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रयास किए जाएंगे, बशर्ते कि तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

636. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, दिसम्बर 1990 में डा॰ अत्रे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन, देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिए अत्यन्त उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए किया गया था। समिति ने मार्च 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया की यातायात क्षमता

637. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन हेतु एअर इंडिया की सेवाएं स्थगित किए जाने से इस विमान सेवा को हुई यातायात संभावनाओं की क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षति को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नर्मदा सागर बांध परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

638. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से नर्मदा सागर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और;

(ख) यदि हां, तो सहायता मिलने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक द्वारा, प्रारंभ में, नर्मदा सागर परियोजना का मूल्यांकन 1984-85 में किया गया था। तथापि,

विश्व बैंक ने बाद में सूचित किया कि अन्य बातों के साथ-साथ इस बैंक के, पर्यावर्णीय निर्धारण अपेक्षाओं पर नये प्रचालनात्मक निदेशों को देखते हुए इस परियोजना का फिर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा। विश्व बैंक ने यह भी बताया कि इस परियोजना को उसके ऋण कार्यक्रम में पुनः शामिल करने पर विचार करने के वास्ते, मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित व्यवस्था करनी होगी:—

(i) एक यथार्थपरक वित्तीय योजना;

(ii) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन; और

(iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक व्यापक योजना।

मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उक्त अपेक्षित योजनाओं और मूल्यांकनों का विवरण शीघ्र तैयार करें।

[अनुवाद]

इस्पात मूल्यों में वृद्धि

639. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्री मंजय लाल:
श्री राम नरेश सिंह:
श्री सत्यगोपाल मिश्र:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992 में इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) मूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप समूचे इस्पात उद्योग पर तथा इस्पात की खपत पर पूर्णतया निर्भर एककों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) वर्ष 1992 में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि निम्नानुसार है:—

1.3.92 उत्पाद शुल्क में वृद्धि होने के कारण लम्बे उत्पादों पर 260 रुपये प्रति टन, चपटे उत्पादों पर 100-830 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे पर 130 प्रति टन।

1.4.1992 जावक रेल भाड़े में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए इस्पात पर 124 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे पर 85 रुपये प्रति टन।

19.5.1992 कोयले के मूल्यों में संशोधन के कारण आदानों की लागतों में हुई वृद्धि, रुपये के मूल्य और विनिमय दर के अन्तर के समायोजन, दो केन्द्रीय बजट और दो रेल बजट के प्रभाव, बिजली और पानी आदि की दरों में वृद्धि को पूरा करने के लिए औसतन इस्पात के लिए 15% और कच्चे लोहे के लिए 16% की सामान्य वृद्धि की गई।

(ख) एकीकृत इस्पात संयंत्र परिसज्जित इस्पात का 56% उत्पादन करता है। उत्पादन का शेष 44% जिसके मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, के संबंध में मूल्य वृद्धि सीमान्त है। अतः कुल मिलाकर वर्तमान मूल्य वृद्धि से इस्पात उपभोक्ता इकाइयों सहित सभी उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कर्मचारियों की कमी

640. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी में वरिष्ठ स्तर के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में श्रेणी-एक और "दो" स्तर के खाली पड़े पदों का पदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(घ) क्या इससे दोनों संगठनों के कार्यक्रम निर्माण लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो ये पद कब से भर दिये जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम और इंजीनियरी संवर्गों में बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं। ये रिक्तियां मुख्य रूप से अप्रैल, 1992 में भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के अंतर्गत 478 पदों के सृजन के अलावा नये स्टेशनों/केन्द्रों के लिये पदों के सृजन के कारण हुई हैं। दूरदर्शन में भूतपूर्व स्टाफ आर्टिस्ट श्रेणी से संबंधित करीब 550 पदों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा रोक लगा देने के कारण नहीं भरा जा सका। ये रोक हाल ही में हटाई गई है।

(घ) कुछ मामलों में स्टाफ की कमी से नये केन्द्रों को चालू करने में देर हुई है। तथापि मौजूदा केन्द्रों के निर्माण लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) रिक्त पदों को भरने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि इस संबंध में निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में समुद्री कटाव

641. **श्री एम० रमन्ना राय:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समुद्री तट का कुल कितना भाग समुद्री कटाव प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें से कितना समुद्री तट केरल मे पड़ता है;

(ख) क्या केरल सरकार ने कटाव नियंत्रण संबंधी दूसरे चरण के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) केरल और कर्नाटक में क्रमशः लगभग 448 और 73 कि०मी० समुद्री तटों की लम्बी सीमा तक समुद्री कटाव गंभीर समस्या पैदा करता है। अन्य राज्यों में, समुद्री कटाव इक्का-दुक्का स्थानों पर होता है।

(ख) और (ग) केरल सरकार द्वारा लगभग 156 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर समुद्र कटावरोधी

चरण-II कार्यक्रम, अप्रैल, 1990 में प्रस्तुत किया गया था। जांच के पश्चात्, राज्य सरकार को समुद्र तट कटाव बोर्ड द्वारा सुझाए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार पता लगाई गई पहुंचों के लिए अलग-अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की सलाह दी गई थी। योजना आयोग के संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्य-सरकारों को केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु अब 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली स्कीमें भेजनी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्र तथा अभ्यावेदन

642. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री छेदी पासवान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 6 महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की पावती प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर भेज दी गई है और कितने मामलों में अभी तक अन्तिम उत्तर नहीं भेजा गया है; और

(ग) पन्द्रह दिन के अन्दर पावती न भेजने तथा तीन महीने के अन्दर अन्तिम उत्तर न भेजने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरदर्शन रिले केन्द्र

643. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में टिटलागढ़, कन्टाभाजी तथा पाटनगर क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी, नहीं। साधनों की कमी के कारण 1992-93 के दौरान इन स्थानों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

कालीकट हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं

644. **श्री ई० अहमद:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कालीकट हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ए-320 एअरबसों की उड़ानें बन्द करना

645. **श्री जीवन शर्माः**
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्तिः
श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसादः
श्री गुरूदास कामतः
श्री अन्ना जोशीः

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में कई ए-320 एअरबसों की उड़ानें बन्द कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इसके कारण कितने उड़ान कार्यक्रम रद्द किये गये थे और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) ये खड़े किये गये विमान पुनः कब से उड़ान भरना शुरू कर देंगे; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में टेलीफोन सुविधा

646. **श्री देवी बक्स सिंहः**
श्री बलराज पासीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अस्पतालों विशेषरूप से नैनीताल और उन्नाव जिलों के अस्पतालों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन अस्पतालों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) इन अस्पतालों में कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में (नैनीताल तथा उन्नाव जिलों सहित) दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को ऋण

647. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत पारेषण कार्य के लिए उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त ऋण मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) मांगी गई ऋण की राशि और वास्तव में मंजूर की गई धन-राशि के बीच अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युत वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अपेक्षित धन-राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऋण संबंधी नीति की कुछ शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पी॰एफ॰सी॰) द्वारा उ॰प्र॰रा॰बि॰ बोर्ड को केवल पिछले वर्ष स्वीकृत राशि का संवितरण किया जा सका और नए ऋण प्रदान नहीं किए जा सके। उ॰प्र॰रा॰बि॰ बोर्ड से प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य योजना तैयार किए जाने, 3% न्यूनतम सांविधिक लाभांश दर प्राप्त किए जाने हेतु कदम उठाने, बकाया राशियों का भुगतान किए जाने आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ताकि नए ऋण स्वीकृत किए जा सकें।

[अनुवाद]

तेलुगु-गंगा परियोजना

648. **श्री अन्बारासु इरा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलुगु-गंगा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) तेलुगु गंगा परियोजना का मूल्यांकन यद्यपि तकनीकी आर्थिक रूप से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था, फिर भी परामर्श समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में इस पर विचार आस्थगित रखा गया क्योंकि अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण से परियोजना को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अंतर्राज्यीय मामलों को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की

बैठक, जो तत्कालीन मंत्री (जल संसाधन) द्वारा 5.4.1990 को बुलायी गई थी, आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह सूचित किया था कि मुख्यमंत्री कृष्णा जल के बंटवारे से संबंधित मामलों को स्वयं सुलझाएंगे। तीनों मुख्यमंत्रियों की बैठक 1990 में दो बार हुई। चार अस्थाई वैकल्पिक प्रस्ताव, जो उनकी दूसरी बैठक के दौरान उभर कर आए थे, पर विचार करने के लिए उनकी बैठक पुनः आयोजित की जाएगी।

(ख) अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण इसे पूरा करने के निर्धारित समय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

देश में विद्युत संकट

649. **श्री श्रीकान्त जेना:**
डा॰ डी॰ वैंकटेश्वर राव:
श्री भोगेन्द्र झा:
श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव:
श्री विजय कुमार यादव:
श्री गोपीनाथ गजपति:
श्री रवि राय:
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:
श्री शशि प्रकाश:
श्री अर्जुन सिंह यादव:
श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 तक प्रत्येक राज्य में बिजली की अनुमानतः कितनी कमी थी; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को विद्युत की आपूर्ति पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने वाले हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) देश में अप्रैल, 1992—जून, 1992 के दौरान राज्यवार विद्युत सप्लाई संबंधी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना और अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण किए जाने की व्यवस्था करना शामिल है।

विवरण

अप्रैल, 92—जून, 92 के लिए विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 92—जून, 92 (आंकड़े मिलियन यूनिट में)			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	164	164	0	0
दिल्ली	2625	2606	19	0.7
हरियाणा	2595	2547	48	1.8
हिमाचल प्रदेश	364	364	0	0
जम्मू और कश्मीर	870	734	135	15.6
एन०एफ०एफ० सहित पंजाब	4685	4522	163	3.5
राजस्थान	3405	3311	94	2.8
उत्तर प्रदेश	8270	7213	1057	12.8
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	22978	21461	1517	6.6
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	6795	6579	216	3.2
मध्य प्रदेश	5155	4529	626	12.1
महाराष्ट्र	10725	10131	594	5.5
गोवा	195	195	0	0.0%
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	22870	21434	1436	6.3
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	5855	5076	779	13.63
कर्नाटक	4985	3745	1240	24.9
केरल	1820	1695	125	6.9
तमिलनाडु	6175	6036	139	2.3
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	18835	16552	2283	12.1
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1920	1080	840	43.8
दामोदर घाटी निगम	1830	1367	463	25.3
उड़ीसा	1965	1539	426	21.7
पश्चिमी बंगाल	3020	2736	284	9.4
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	8735	6722	2013	23.0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	946	657	289	30.5
अखिल भारत	74364	66926	7538	10.1

गुजरात में जिला मुख्यालयों को प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ टेलीफोन से जोड़ा जाना

650. **श्री महेश कनोडिया:**
श्री रतिलाल वर्मा
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में अब तक कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन लगा दिए गए हैं;

(ख) 1992 के अन्त तक कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में जिला मुख्यालयों को प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) 30.6.1992 तक 4053 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान किए गए।

(ख) 3000 पंचायत ग्राम।

(ग) जी हां।

(घ) 8 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन 31 मार्च, 1997 तक।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

651. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, संचार

राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 10.2.92 को अहमदाबाद आयोजित बैठक में गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

1. ऊंझा 2. तलोजा 3. देवगड़वरिया 4. बारदोली और 5.ऊना

8 वीं योजना अवधि के दौरान इन स्थानों में काम कर रहे गैर-इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

इसराइल के लिए विमान सेवा

652. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी:**
डा॰ ए॰ के॰ पटेल:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इसराइल के बीच कोई सीधी विमान सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा की बारम्बारता और अन्य ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या भारत आने वाले इसराइली पर्यटकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान इज़राइल से आने वाले पयर्टकों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	आगमन
1989	4,634
1990	5,855
1991	6,882

तीस्ता-तीन परियोजना

653. **श्री चित्त बसु:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पन-विद्युत निगम (एन॰एच॰पी॰सी॰) ने 1888 करोड़ रुपये की तीस्ता-तीन परियोजना के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की हैं;

(ख) क्या ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दिये गये ठेके की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने तीस्ता-3 जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित किए जाने के लिए इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बंगलादेश के बीच नदी के बटवारे के बारे में बैठकें

654. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
श्री श्रवण कुमार पटेल:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच हाल में नई दिल्ली में गंगा नदी जल के बंटवारे के बारे में कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकला और समझौते की यदि कोई शर्तें हों तो वे क्या हैं;

(ग) क्या कुछ अन्य पूर्वी नदियों के जल के बंटवारे के बारे में भी वार्ता हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के बीच मई, 1992 में नई दिल्ली में गंगा सहित नदियों के जल के बंटवारे में बातचीत हुई थी।

(ख) से (ङ) दोनों प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत थे कि आपसी बातचीत के जरिए गंगा, तीस्ता और अन्य वृहद नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के लिए तैयार की गयी एक समान दीर्घावधिक और व्यापक व्यवस्था इन दोनों देशों के व्यक्तियों के सर्वोत्तम हित में होगी। एक स्वीकार्य हल खोजने के लिए नये प्रयास करने के वास्ते संबंधित मंत्रियों द्वारा कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें गंगा पर शुष्क मौसम प्रवाहों के बंटवारे के लिए अन्तरिम प्रबंध भी शामिल है।

इंडियन एयरलाइंस के विमान का बाल-बाल बचना

655. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 809 का विमान बाल-बाल बचा जब 12 जून, 1992 को एयरबस को पटना हवाई अड्डे पर आपात स्थित में उतारना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विमान संख्या 809 को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से(ग) दिनांक 12.6.92 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-809 ने पटना हवाई अड्डे पर सामान्य अवतरण किया था लेकिन धावनपथ के आखिर में बैक ट्रैकिंग के दौरान नोज अन्डर कैरिज का नंबर—2 पहिया निष्क्रिय हो गया। इस घटना की जांच की जा रही है।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में बाहर से आने वाली कालों पर प्रतिबन्ध

656. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली और देश के अन्य भागों के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में बाहर से आने वाली कालों पर 28 मई, 1992 से प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क)और(ख) पी०सी०ओ० की व्यवस्था जनता के उपयोग और सहूलियत के लिए मुख्यतः आवक काल सुविधा के लिए की जाती है। पी०सी०ओ० पर आवक काल सुविधा की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप इस सुविधा का दुरुपयोग होता है और पी०सी०ओ० के वास्तविक प्रयोक्ता को असुविधा होती है। अतः 27.12.91 से पी०सी०ओ० से आवक काल सुविधा वापस ली गई है।

मुम्बई में टेलीफोन शिकायतों पर ध्यान देना .

657. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुखः** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि रविवार और छुट्टी के अन्य दिन शिकायतों पर ध्यान देने के लिए मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सभी दिन शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू: (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई में सभी टेलीफोन एक्सचेंज भवनों में कार्यालय समयावधि के बाद और रविवार/सार्वजनिक अवकाश के दिन टेलीफोन की खराबियों को दूर करने के लिए एक आपातकालीन दोष मरम्मत सेवा(फाल्टरिपेयर सर्विस) काम कर रही है। यह सेवा अस्पतालों, फायर ब्रिगेड और पुलिस के टेलीफोनों की खराबियों को दूर करती है। यह सेवा गंभीर बीमारी के कारण उत्पन्न मानवीय आपात्कालीन स्थितियों में अथवा उन अन्य स्थितियों में भी सहयोग प्रदान करती है जिनमें कार्यालयावधि के पश्चात् और सभी दिवसों को अनवरत टेलीफोन सेवा अपेक्षित होती है।

दक्षिणी जल ग्रिड

658. **श्री गंगाधर सानी पल्ली:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी जल ग्रिड के निर्माण की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कुल फालतू पानी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित राज्यों की बैठक बुलाने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सरकार द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में अन्य सम्पर्कों के साथ-साथ जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरित करने हेतु विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की परिकल्पना है। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को अध्ययन करने और उपलब्ध जल के इष्टतम् उपयोग के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) राष्ट्रीय जल परिप्रेक्ष्य योजना में अन्तर-बेसिन अन्तरण के जरिए जितने अतिरिक्त जल का उपयोग किया जा सकता है, वह 22 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है, जिससे 35 मिलियन हेक्टे० भूमि को लाभ होगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए अध्ययन शुरू किए हैं।

(ग) सोसायटी में संबंधित राज्य-सरकारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उनके कार्य में हुई प्रगति पर विचार करने के लिए इसकी बैठकें नियमित अन्तराल पर होती हैं।

हिमाचल प्रदेश में "फैक्स" सुविधा

659. **प्रो० प्रेम धूमल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर और मंडी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां। फैक्स सुविधा का लाभ कोई भी ऐसा उपभोक्ता उठा सकता है जो कि अपने टेलीफोन के साथ फैक्स मशीन लगा सकता हो और साथ ही दूरसंचार विभाग को इसकी सूचना दे। निजी उपयोग और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए फैक्स लगाने हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस क्रमशः 3000 रु० और 15,000 रु० हैं। हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर और मंडी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 1991 के दौरान बिलासपुर और उना में तथा मार्च, 1992 में मंडी जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक फैक्स सुविधा स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया गया था।

(ग) वर्ष 1992 के अंत तक उपयुक्त सभी तीनों स्थानों पर फैक्स सेवा प्रदान करने की योजना है।

गंधार गैस टरबाइन और कवास परियोजनाएं

660. **श्री पी॰ सी॰ चाको:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कवास परियोजना गैस की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के बावजूद गन्धार परियोजना हेतु 1200 करोड़ रुपए मूल्य के गैस टरबाइन के आदेश एक विदेशी कम्पनी को दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए प्रतिदिन 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम॰सी॰एम॰डी) गैस को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन

661. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:**
श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं और इसका पुनर्गठन कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या चेयरमैन-कम मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पद को कब तक भर दिये जाने की संभावना हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा भारत पर्यटन विकास निगम के होटल व्यापार में मुख्यतया प्रशासनिक तथा अपेक्षित परिवर्तन होने के कारण हुआ है। भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल के पुनर्गठन के लिए समय-सीमा बता पाना व्यहार्य नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पर्यटन के महानिदेशक ने भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार तब तक संभाला हुआ है जब तक नियमित पदधारी की नियुक्ति नहीं की जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

662. **श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य का मात्र छः प्रतिशत ही प्राप्त कर लिया है जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति की रपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अभी कितने गावों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(घ) क्या नलकूपों के लिए बिजली देने के लक्ष्य को भी गत तीन वर्षों के दौरान कम किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गावों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से किया जाता है निगम द्वारा सातवीं योजना अवधि तथा अनुवर्ती वर्षों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति की गई/लक्ष्यों से अधिक कार्य किया गया है।

(ग) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की राज्यवार संख्या अनुसंलग्न विवरण में दी गई है:—

(घ) और (ङ) निधियों सम्बन्धी बाधाओं के कारण वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान पम्पसैटों के अर्जन का लक्ष्य व्रार्षिक योजना में कम कर दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य
1990-91	4,15,910	3,29160
1991-92	2,96,000	2,20,180

(च) शतप्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण के लिए समस्त समय सूची का निर्धारण संसाधनों की उपलब्धता तथा इस प्रयोजनार्थ आठवीं तथा अनुवर्ती योजनावधि में वार्षिक योजना आवंटन पर निर्भर करेगा।

विवरण

31.3.92 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	31.3.92 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	21*
2.	अरुणाचल प्रदेश	1632
3.	असम	531

*शेष निर्दिष्ट गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं है।

क्र०सं०	राज्य	31.3.92 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)
4.	बिहार	20306
5.	गोआ	9*
6.	गुजरात	222*
7.	हरियाणा	0
8.	हिमाचल प्रदेश	46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	315
10.	कर्नाटक	545*
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	6489
13.	महाराष्ट्र	248*
14.	मणिपुर	398
15.	मेघालय	2587
16.	मिजोरम	204
17.	नागालैण्ड	13
18.	उड़ीसा	14071
19.	पंजाब	0
20.	राजस्थान	7191
21.	सिक्किम	35*
22.	तमिलनाडु	9
23.	त्रिपुरा	1699**
24.	उत्तर प्रदेश	29622
25.	प० बंगाल	10004
	जोड़ (राज्य)	96197
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	3
	जोड़ (अखिल भारत)	96200

*शेष निर्दिष्ट गांव विद्युतीकरण की लिए व्यवहार्य नहीं है।

**1971 की जनगणना के अनुसार

रूस की सहायता से चलाये जाने वाले विद्युत संयंत्र

663. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल:**
श्री यशवन्तराव पाटिल:
श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्यान्वित की जा रही दस विद्युत परियोजना को रूस से सहायता देने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रस्तावित सहायता राशि कितनी थी; और

(ग) सरकार यह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) ऋण की मात्रा, शर्तों तथा स्वरूप के बारे में रूस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है जोकि निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है:—

1. कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (840 मे॰ वा॰)
2. विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण—2 (1000 मे॰ वा॰)
3. टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स (2400 मे॰ वा॰)
4. विन्ध्याचल चरण—2 पारेषण लाइन
5. मैथान ताप विद्युत परियोजना (840 मे॰वा॰)
6. कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना चरण—I (420 मे॰ वा॰)
7. मंगलौर ताप विद्युत परियोजना चरण—I (800 मे॰ वा॰)
8. कोल बांध जल विद्युत परियोजना (800 मे॰ वा॰)
9. दुलहस्ती - किशनपुर - श्रीनगर पारेषण लाइन

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और उनका दर्जा बढ़ाना

664. **श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए फ्रांस से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और किन-किन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के अस्पतालों के टेलीफोन सुविधा

665. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त अस्पतालों को टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रगय्या नायडु: (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में "लॉजों और यात्री" निवासों का निर्माण

666. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:** क्या विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को लॉजों और यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में और अधिक यात्री निवासों का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सि पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) गत दोनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा गृहों और यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:

वर्ष		स्वीकृत राशि
1990-91	—	175.52 लाख रुपए
1991-92	—	92.53 लाख रुपए

(ख) और (ग) जी, हां। कालिम्पोंग में यात्री निवास के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। तथापि, विस्तृत अनुमानों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

गुजरात में किराये के मकानों में डाकघर

667. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में कितने डाकघर किराये के निजी मकानों में चलाये जा रहे हैं;

(ख) कितने निजी आवासों के मालिकों ने अपना आवास खाली करने के नोटिस दिये हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में पिछले तीन वर्षों से जिले-वार कितना किराया दिया जा रहा है; और

(घ) उन डाकघरों को किराये के निजी आवासों से खाली करा के सरकारी भवनों भवनों में ले जाये जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु): गुजरात राज्य में 1273 डाकघर किराये के भवनों में काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

(ख) 262 मकान मालिकों से अपने-अपने मकान खाली कराने के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वित्तीय दृष्टि से और अन्य कारणों जैसे भूमि आदि के उपलब्ध न होने की वजह से विभाग इस स्थिति में नहीं है कि वह सभी डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण कर सके जो किराये के भवनों में काम कर रहे हैं। मकान मालिकों से अपने मकान खाली कराने के नोटिस प्राप्त होने पर उचित वैकल्पिक भवन प्राप्त करके अथवा जहां तक संभव हो विभागीय भवन का निर्माण करके किराये के डाकघर भवनों को खाली करने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा

668. **श्री बारेलाल जाटव:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(घ) सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) समिति 3 अगस्त, 1992 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है।

दिल्ली और इलाहबाद के बीच विमान सेवा

669. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद और दिल्ली के बीच विमान सेवा बंद कर दी गई है; और

(ख) यदि, हां तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिल्ली और इलाहाबाद के बीच इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं विमान-क्षमता संबंधी कठिनाइयों के कारण 20.5.92 से बन्द कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

670. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:**

श्री के० पी० सिंह देव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार का कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में 1992-93 के दौरान वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्ययों का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
(i) वृहद और मध्यम सिंचाई	302.06	250.43
(ii) लघु सिंचाई	67.85	64.35

इनके अतिरिक्त, उड़ीसा में निम्नलिखित परियोजनाएं जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं:

1.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	— 3769 मिलियन येन (लगभग 73.50 करोड़ रुपए)
2.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना — बायां तट नहर	— 3744 मिलियन येन (लगभग 73.00 करोड़ रुपए)

बांध सुरक्षा परियोजना और राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना, जो विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है, में उड़ीसा भी एक सहभागी राज्य है। बाह्य अभिकरणों से प्राप्त प्रतिपूर्ति, विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को भेज दी जाती है।

गृह मंत्रालय के माध्यम से पुनर्वास कार्य के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है:

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	1992-93 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1.	पोट्टेरू सिंचाई परियोजना (वृहद परियोजना)	4.50
2.	सतिगुड़ा सिंचाई परियोजना (राज्य को मध्यम सिंचाई परियोजना सौंपने के समय शेष कार्य)	1.60
	कुल	6.10

दिल्ली से प्रादेशिक भाषा के समाचारों का प्रसारण

671. **श्री प्रबीन डेका:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से प्रसारित प्रादेशिक भाषा के समाचार भलीभांति नहीं सुने जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बोर्ड

672. **श्री रवि राय:**
श्री मोहन रावले:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बोर्डों के पुनर्गठन के लिए अपनाया गया मानदण्ड क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता, उद्योग तथा शैक्षिक रुचि दर्शाने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिससे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के साथ उच्चस्तरीय परस्पर क्रिया सुनिश्चित हो सके।

विवरण

1.7.1992 से एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडलों का गठन

एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया	1. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक इंडियन एयरलाइस
2. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइस	2. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक एयर इंडिया

एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
3. संयुक्त सचिव, नागर विमानन विभाग	3. संयुक्त सचिव, नागर विमानन विभाग
4. महानिदेशक, (पर्यटन)	4. महानिदेशक, (पर्यटन)
5. प्रो॰ एन॰एम॰ खुसरो	5. श्री संजीव गोयन्का
6. श्री के॰ आर॰ पुनिया	6. श्री विनय मोदी
7. श्री अनूप सिंह	7. श्री अहमद पटेल
8. श्री आदित्य बिरला	8. श्री बी॰एस॰ रामूवालिया
9. श्री जितेन्द्र प्रसाद	9. श्री शुभब्रत बसु
10. श्री श्याम भारतीय	10. श्री अशोक बैन
11. श्रीमती जया बच्चन	11. श्री अमर सिंह
12. श्री के॰एम॰ मामीन	12. श्री आर॰पी॰ मित्तल
13. श्री ए॰सी॰ मुथैय्या	13. श्रीमती सुमति ओरांव
14. श्री विट्ठल भाई पटेल सागर (मध्य प्रदेश)	14. श्री आर॰पी॰ पानिका
15. श्री भीखाभाई, भूतपूर्व संसद सदस्य	15. श्री जे॰पी॰ गुप्ता (ऐडवोकेट)

उड़ीसा में टेलीफोन हेतु प्रतीक्षा सूची

673. **डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों से अब तक उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक, मयूरभंज तथा बालासोर जिलों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) अब तक वर्षवार कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में सभी आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:—

जिले का नाम	31.3.1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची (90-91)	31.3.1992 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची (91-92)	30.6.1992 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
भुवनेश्वर (जिला पुरी)	1928	1670	2015
कटक	761	1927	1555
मयूरभंज	74	378	408
बालासोर	326	580	620

(ख) जिन आवेदकों को टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए गए, उनकी वर्षवार संख्या इस प्रकार है:—

जिले का नाम	1990-91 के दौरान	1991-92 के दौरान	1.4.92 से 30.6.92 के दौरान
भुवनेश्वर (जिला पुरी)	3626	2864	431
कटक	1729	2477	427
मयूरभंज	279	423	69
बालासोर	390	660	152

(ग) 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का अधिकांश भाग 1993-94 तक निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को जापानी सहायता

674. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का नवीकरण करने के लिए सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की जापानी सहायता का उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए भी किया जायेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव:) (क) और (ख) एक जापानी कम्पनी ने इस्को के बर्नपुर कारखाने की आधुनिकीकरण परियोजना को वित्त देने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। योजना निधि की अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार "इस्को" में निजी भागीदारी की संभावनाओं का पता लगा रहीहै। क्या हम जापानी संसाधनों का लाभ उठा पाएंगे यह गवेषण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

(ग) किसी अन्य इस्पात क्षेत्र परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की गई पेशकश से संबंधित जापानी सहायता का उपयोग करने के लिए फिलहाल ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में बिजली के अवैध कनैक्शन

675. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में बिजली के अवैध कनैक्शनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पकड़े गये अवैध कनैक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप "डेसू" को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इन कदाचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) डेसू द्वारा समय-समय पर मारे गए छापों के दौरान अधिसंख्य अनधिकृत बिजली के कनैक्शन अभिज्ञात किए गए। वर्ष 1991-92 के दौरान डेसू द्वारा 46004 छापे मारे गए तथा बिजली की चोरी/दुरुपयोग के 30108 मामलों का पता लगाया गया। वाणिज्यिक हानियों के रूप में बिजली की चोरी से होने वाली हानि की मात्रा का पता लगा पाना सम्भव नहीं है क्योंकि कुल पारेषण एवं वितरण हानियों में से बिजली की चोरी को अलग नहीं किया जा सकता है। डेसू ने बिजली की चोरी के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत इसे एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है।

उज्जैन, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

676. **श्री सत्य नारायण जटिया:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में उज्जैन में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा पर्याप्त नहीं है;

(ख) इन्दौर दूरदर्शन रिले केन्द्र की प्रसारण प्रणाली में परिवर्तन द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम और मन्दसौर जिलों में कितने क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं तथा शेष क्षेत्रों तक इसे पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन स्टूडियो और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) उज्जैन जिले के काफी हिस्से, जिनमें जिला मुख्यालय भी शामिल है, इंदौर के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर और नागदा के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से कवर होते हैं।

(ख) इंदौर के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम और मंदसौर जिलों का करीब 62 प्रतिशत क्षेत्र उज्जैन मंडल के मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत कवर होता है। जौरा (रतलाम) में अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर और ककड़ेश्वर (मंदसौर) में अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर रतलाम और मंदसौर जिलों में, दूरदर्शन सेवा में सुधार हो जाएगा। उज्जैन मंडल में टी० वी० कवरेज का और विस्तार करना इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(घ) भोपाल में एक पूर्ण विकसित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र और रायपुर में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र

तकनीकी रूप से तैयार है, जिन्हें अभी चालू किया जाना है। इस समय मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अलग-अलग शक्ति के 54 टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

महाराष्ट्र में कुटीर ज्योति योजना

677. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में कुटीर ज्योति योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) भविष्य में किन-किन जिलों में इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किए अनुसार कुटीर ज्योति कार्यक्रम को वर्ष 1989-91 के दौरान, ग्रेटर बम्बई को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया गया था।

(ख) इस कार्यक्रम को 31.3.1991 के बाद जारी नहीं रखा गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेंगाली बहुउद्देश्यीय परियोजना

678. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेंगाली परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इसे किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गयी थी;

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि का नियतन दिया गया है;

(घ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अब तक कुल कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य बनाया गया है;

(ङ) क्या इस परियोजना पर कार्य पूरा हो गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस परियोजना के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राशि नियत की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) रेंगाली सिंचाई परियोजना (चरण-1) को योजना आयोग द्वारा 233.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लगात पर 31.3.1978 को निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(ग) इस परियोजना पर 3/92 तक 187.00 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(घ) इस परियोजना की चरम क्षमता 4,23,600 हेक्टेयर है। अभी तक कोई क्षमता सृजित नहीं की गयी है।

(ङ) जी नहीं।

(च) इस परियोजना के वास्ते योजना आयोग के कार्यदल द्वारा 1992-93 के दौरान 32.50 करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश की गयी है।

बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में डाक तथा दूरभाष सुविधाएं

679. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बिहार के छोटा नागपुर सन्थाल परगना क्षेत्र के सभी गांवों में डाक तथा दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव के अधिकांश टेलीफोन बंद पड़े रहते हैं और इनका रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु): (क) और (ख) बिहार सर्किल के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3284 ग्राम पंचायत हैं। मौजूदा में इन्हें 2901 डाकघरों के एक नेटवर्क से सेवा प्रदान की जा रही है। इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आगामी वार्षिक योजनाओं के अधीन, अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त होने और औचित्य के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार डाकघर खोले जा रहे हैं।

जहां तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, बिहार की सभी ग्राम पंचायतों, जिनमें छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र शामिल हैं, में आठवीं योजना अवधि के दौरान यह सुविधा उत्तरोत्तर उपलब्ध करा दी जाएगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग), से ... (ङ): हालांकि, ग्रामीण टेलीफोनों का कार्य निष्पादन आमतौर पर सन्तोषजनक पाया गया है, फिर भी, इस तरह के दोष कुछ ही मामलों में पाये गये हैं। इन टेलीफोनों की जांच और इनके कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग करने के लिए संबंधित अनुरक्षण स्टाफ को विस्तृत मार्गनिर्देशों के साथ-साथ अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

तमिलनाडु को कावेरी जल

680. **श्री जी॰ माडेगौड़ा:**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:
श्री के॰ राममूर्ति टिंडिवनाम:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु निगरानी निकाय गठित करने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) क्या पंचाट के अनुसार मई और जून, 1992 में कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी अथवा काबिनी से पानी छोड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु को कावेरी से कितना टी॰एम॰सी॰ फुट पानी दिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) कावेरी बैसिन राज्यों को 9 जून, 1992 को लिखा गया है कि वे कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन का प्रबोधन करने के लिये संयुक्त समितियों के गठन के वास्ते अपनी सहमति बतायें।

(ख) और (ग) अंतर्राज्यीय सीमा के निकट स्थित कावेरी पर बिल्ली गुन्डुलू निस्सरण स्थल पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रेक्षित प्रवाह मई और जून, 1992 के दौरान क्रमशः लगभग 6.2 और 17.3 हजार मिलियन घन फुट थे जो इस अंतरिम आदेश में निर्धारित प्रवाहों से अधिक हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करना

681. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका अधिकतम उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) देश में प्राकृतिक जल संसाधनों के उपयोग के लिये बड़ी संख्या में कुओं/नलकूपों के सिंचाई कार्यों, टैंकों और अन्य लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त, पूरे देश में अब तक कुल 263 वृहद सिंचाई परियोजनाएं और 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। अब तक 84 वृहद और 778 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयी हैं। इनके अतिरिक्त जहां वर्षा होती है, वहां वर्षा जल को संरक्षित करने और उसका उपयोग करने के लिये जल विभाजक कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं।

(ख) नहर प्रणाली से सिंचाई जल का उपयोग सुधारने के लिये 1974-75 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल के विभिन्न प्रकार के उपयोगों में इन बेसिनों के जल संसाधनों के प्रणालीबद्ध समन्वय और प्रबंध के लिये नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की योजना भी बनायी गयी है।

[अनुवाद]

एशिया ब्राऊन बोवेरी और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का संयुक्त उद्यम

682. **श्री जार्ज फर्नांडीज:**
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया ब्राऊन बोवेरी (ए॰बी॰बी॰) ने 800 मेगावाट क्षमता का दो चरणों वाला सिंगल कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के साथ संयुक्त उद्यम लगाने हेतु निविदा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशिया ब्राऊन बोवेरी ने भारत में विद्युत उपकरण परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च होगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) डेसू द्वारा बवाना में एक संयुक्त गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मैसर्स आसिया ब्राऊन बावेरी (ए॰बी॰बी॰) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैसर्स ए॰बी॰बी॰ तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा, दिल्ली के निकट बवाना में लगभग 800 मेगावाट क्षमता वाले संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के आशय की पुष्टि करने अथवा विद्युत उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्यमों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अन्तर्गत इसी प्रकार की परियोजनाएं, जोकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हों, स्थापित करने के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन प्रचार के लिए धनराशि का आवंटन

683. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक विदेशी तथा घरेलू बाजारों में पर्यटन के प्रचार हेतु सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित/खर्च की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों को स्वदेशी पर्यटन का प्रचार तथा संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रस्ताव के गुण-दोष और धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को अवमुक्त धन-राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण I

विदेशी तथा स्वदेशी मार्किटों में प्रचार के लिए निर्धारित/खर्च की गई राशि

	विदेशी		स्वदेश	
वर्ष	निर्धारित राशि	वास्तविक व्यय	निर्धारित राशि	वास्तविक व्यय
1989-90	2055.00	2055.00	831.00	830.60
1990-91	2400.00	2400.00	550.00	518.50
1991-92	2800.00	2800.00	570.00	302.00

वर्ष 1992-93 के दौरान, विदेशों में तथा स्वदेश में प्रचार हेतु क्रमशः 3500.00 लाख रुपए और 275.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

विवरण II

राज्य सरकारों को पर्यटन का प्रचार करने के लिए अवमुक्त राशि

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.48	—	4.00
2.	बिहार	—	—	5.40
3.	गोआ	1.34	—	—
4.	हरियाणा	3.53	—	0.50
5.	हिमाचल प्रदेश	1.51	—	—
6.	जम्मू तथा कश्मीर	2.00	—	1.50
7.	कर्नाटक	2.98	—	9.65
8.	केरल	0.99	—	11.25
9.	मध्य प्रदेश	1.46	3.19	20.00
10.	महाराष्ट्र	—	2.98	30.28
11.	उड़ीसा	0.40	2.98	—
12.	राजस्थान	2.87	8.56	—
13.	सिक्किम	—	1.23	—
14.	तमिलनाडु	9.12	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	10.40	—	5.00

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
16.	पश्चिम बंगाल	6.14	—	—
17.	अंडमान और निकोबार	3.17	—	—
18.	दिल्ली	9.71	—	2.76
19.	लक्षद्वीप	4.00	—	—

एअर इंडिया के यात्रियों की संख्या में कमी

684. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया की उड़ानों द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में हाल ही में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं। एअर इंडिया द्वारा अप्रैल-जून 1992 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वहन किए गए यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्री सेवा में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। आरक्षण, ग्राउंड हैंडलिंग, उड़ानगत मनोरंजन, खाद्य/भोजन सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरदर्शन रिले केन्द्र

685. **श्री रतिलाल वर्मा:**
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के अधिकांश जिलों, विशेषतौर पर भावनगर जिले के बोटाड शहर में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की संख्या बहुत कम होने के कारण इन क्षेत्रों के लोग टेलीविजन सुविधा से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में निकट भविष्य में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) इस समय गुजरात के सभी 19 जिले राज्य में कार्यरत 32 टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कवर होते हैं। फिलहाल बोटाड शहर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

इलैक्ट्रानिक डाक सेवा

686. **श्री अवरिन्द त्रिवेदी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इलेक्ट्रानिक डाक सेवा आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक यह सुविधा कहां-कहां पर उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या निकट भविष्य में देश के अन्य भागों को भी इसका लाभ मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उन मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गणेश उत्सव पर डाक टिकट

687. **श्री अन्ना जोशी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गणेश उत्सव के शताब्दी समारोह पर एक विशेष डाक-टिकट जारी करने के संबंध में सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) गणेश महोत्सव पर विशेष डाक-टिकट जारी करने से संबंधित एक प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष उसकी 11.5.1992 को हुई बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तथापि, समिति ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जो उसे प्रस्तुत किए गए थे। सभी लंबित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित की जा रही है जो फिलैटलिक सलाहकार समिति को अपनी सिफारिशें विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

2000 ई० तक बिजली की मांग

688. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:**
श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2000 ई० तक बिजली की मांग बढ़ने संबंधी कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि तक विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी बिजली का उत्पादन किये जाने की आशा है; और

(घ) शताब्दी के अन्त तक बिजली की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान समस्त भारत में अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता 517005 मिलियन कि०वा० आवर है।

(ग) और (घ) देश में विद्युत की कमी को पूरा किए जाने की दृष्टि से विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 8वीं योजना के लिए 30065 मे०वा० क्षमता संवर्धन की स्वीकृति दी गई है। सन् 2000 में कुल विद्युत उत्पादन, 9वीं योजना के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के अधिकारियों का निलम्बन

689. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शान्ताक्रुज के नए घरेलू हवाई अड्डे पर कार्यरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के कुछ अधिकारियों को हाल ही में निलम्बित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) बंबई हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल के एक एयरोब्रिज में गड़बड़ी के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन अभियंताओं और एक एयरोब्रिज चालक को निलम्बित कर दिया गया।

तटवर्ती समुद्री कटाव के लिए विश्व बैंक से सहायता

690. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक को वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक से उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

691. **श्री हरि केवल प्रसाद:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के निर्धारित कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में इस कार्य में विलम्ब हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने वर्ष 1992 के दौरान किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो कितने जिला मुख्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है और कब तक?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लगभग 50% जिला मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की व्यवस्था अभी की जानी है और ऐसा करने के लिए अभी तक कोई समय अनुसूची तैयार नहीं की गई है।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1992 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की व्यवस्था हो जाने की संभावना है।

(क) निम्नलिखित एक्सचेंजों और आर॰एल॰यू॰ की व्यवस्था करने की योजना है।

1. बाराबंकी
2. हरिद्वार
3. हल्द्वानी
4. कोटद्वार
5. अमरोहा
6. चंदोसी
7. बस्ती
8. धामपुर
9. नजीबाबाद
10. गोंडा
11. बलरामपुर
12. सयैदपुर
13. शाहगंज

(ख) उन एक्सचेंजों की सूची जिन्हें जनवरी—दिसम्बर, 1992 के दौरान सी-डॉट एक्सचेंजों द्वारा इलैक्ट्रानिक बनाने का प्रस्ताव है।

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	जिला
1.	फतेहबाद तहसील (मुख्या)	आगरा
2.	मदरक	अलीगढ़
3.	जंघाई	इलाहाबाद
4.	देवगांव	आजमगढ़
5.	शिवपुर	बहराइच
6.	भितौरा	बरेली
7.	मीरगंज	बरेली
8.	गवान	बदायूं
9.	सैयदपुर	बदायूं
10.	बिसौली	बदायूं
11.	हलदौर	बिजनौर
12.	नूरपुर	बिजनौर
13.	शेरकोट	बिजनौर
14.	नगीना (तहसील मुख्या)	बिजनौर
15.	बीबी नगर	बुलंद शहर
16.	रायपुर	देहरादून
17.	खाड्डा	देवरिया
18.	लाफ	देवरिया
19.	रामकोला	देवरिया
20.	आवगढ़	एटा
21.	सोरांव	एटा
22.	भदरसा	फैजाबाद

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	जिला
23.	धाता	फतेहपुर
24.	पचपेरवा	गोंडा
25.	बेनीगंज	हरदोई
26.	बिलग्राम तहसील (मुख्यालय)	हरदोई
27.	कछौना	हरदोई
28.	लंदौरा	हरिद्वार
29.	रामपुर	जौनपुर
30.	सुगनगंज	जौनपुर
31.	बबीना	झांसी
32.	बारगांव	झांसी
33.	गुरसराय	झांसी
34.	रूद्रपुर	देवरिया
35.	ऐरा	लखीमपुर
36.	महंगापुर	लखीमपुर
37.	बजना	मथुरा
38.	शेरगढ़	मथुरा
39.	चिराइयाकोट	मऊ
40.	ख्वाजा नगला	मेरठ
41.	फलवाडा	मेरठ
42.	अहरौरा	मिर्जापुर
43.	कैलहाट	मिर्जापुर
44.	दलपतपुर	मुरादाबाद
45.	सिंहपुर सानी	मुरादाबाद
46.	भजना नगला	नैनीताल
47.	फौजी कालोनी	नैनीताल
48.	कोटा बाग	नैनीताल
49.	मानकमाता	नैनीताल
50.	रामगढ़	नैनीताल
51.	रानीबांग	नैनीताल
52.	स्योंसी	पौड़ी
53.	थाल	पिथौरागढ़
54.	हरचनपुर	रायबरेली
55.	धमोरा	रामपुर
56.	खोड सिंघन	रामपुर
57.	मिलक तह०मुख्या	रामपुर

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	जिला
58.	छटमलपुर	सहारनपुर
59.	रामपुर मनीहरसन	सहारनपुर
60.	शोहरतगढ़	सिद्धार्थ नगर
61.	चंबा	टेहरी
62.	सैयदराजा	वाराणसी
63.	सकलदिहा	वाराणसी
64.	उमराहा	वाराणसी

(ग) **उन स्थानों की सूची जहां जनवरी—दिसंबर, 1992 के दौरान (एमआईएलटी) टाइप एक्सचेंजों का प्रयोग करके इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की व्यवस्था किए जाने की संभावना है।**

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	जिला
1.	जैनगोरा	आगरा
2.	कुण्डोल	आगरा
3.	किराओली-तह०मुख्य०	आगरा
4.	मालपुर	आगरा
5.	नूनहै	आगरा
6.	बराग	अलीगढ़
7.	लोडा	अलीगढ़
8.	साजनपुर	अलीगढ़
9.	गोबना तह०मुख्या०	अलीगढ़
10.	पुतलदेवी	अलमोड़ा
11.	पारसखेरा	बरेली
12.	मेहरागांव	बरेली
13.	छोई	बरेली
14.	नथुआ खान	बरेली
15.	कोटवा सदक	बाराबंकी
16.	भानपुर	बस्ती
17.	नेवदा	फैजाबाद
18.	नगेथा	हरदोई
19.	इलौरी बाजार	जौनपुर
20.	सिद्दकीपुर	जौनपुर
21.	गढ़ी पुख्ता	मुजफ्फर नगर
22.	चौसाना	मुजफ्फरनगर
23.	तरबगंज तहसील मुख्यालय	गोंडा

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	जिला
24.	बेतलघाट	नैनीताल
25.	लालपुर	नैनीताल
26.	नरवाल	कानपुर देहात
27.	श्रीकोट	पौड़ी
28.	दीवानगंज	प्रतापगढ़
29.	पृथ्वीगंज	प्रतापगढ़
30.	विरी	पिथौरागढ़
31.	त्रिसुंदी	रायबरेली
32.	फुंदपुरी	सहारनपुर
33.	महेश्वरी	सहारनपुर
34.	सराय मालाई	सीतापुर
35.	कटरा	सुल्तानपुर
36.	पांडेबाबा	सुल्तानपुर
37.	धाम्मौर	सुल्तानपुर
38.	भीषणगंज	सुल्तानपुर
39.	गोसाईगंज	सुल्तानपुर
40.	रामगंज	सुल्तानपुर
41.	पट्टौनी	मथुरा
42.	खुरसांदा	मथुरा
43.	कोतवाराज	मिर्जापुर
44.	पुरवा तहसील मुख्यालय	उन्नाव
45.	हसनगंज-तहसील मुख्यालय	उन्नाव
46.	दुंडा तहसील मुख्यालय	उत्तरकाशी
47.	पुरोला-तहसील मुख्यालय	उत्तरकाशी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में टी० वी० ट्रान्समीटर की स्थापना

692. **श्री बलराज पासी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नैनीदन्डा, चोपटा और हरियाली दन्डा (धनपुर) जिला चमोली में टी०वी० ट्रान्समीटर स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) यद्यपि, इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में जोशीमठ में एक अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है। इसके वर्ष 1993-94 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने की उम्मीद है।

पनबिजली काम्प्लेक्सों को दो चरणों में मंजूरी

693. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में पनबिजली काम्प्लेक्सों को दो चरणों में मंजूरी देने की योजना को स्वीकृति प्रदान करने का है ताकि समय और लागत वृद्धि से बचा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान स्थापित की जाने वाली इन बिजली परियोजनाओं का परियोजना वार क्षमता सहित ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) मुख्य बांध के लिए निवेश संबंधी स्वीकृति लंबित होने, परियोजना के प्रथम चरण में अग्रिम कार्यवाही किए जाने तथा निर्माण अवधि को कम करके जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से (सरकार ने) केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं (जिन्हें केन्द्रीय क्षेत्र अथवा राज्यों के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है) के निर्माण-पूर्व कार्यों तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों को हाथ में लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है बशर्ते कि:

(1) केन्द्रीय क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही परियोजना के बारे में संबंधित राज्य सरकार की, मान्य विद्युत के बंटवारे के फार्मूले के आधार पर सहमति प्राप्त की गई हो।

(2) परियोजना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई हो।

(3) परियोजना के लिए पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना में कुछ संसाधनों के आबंटन का प्रावधान किया गया हो।

(4) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से प्रथम चरण में सिद्धान्त रूप में स्वीकृति सहित सभी सम्बद्ध एजेंसियों से स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हों।

इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम चरण में जो विशेष निर्माण पूर्व/आधारभूत कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं उनमें ये शामिल हैं:—

(1) परियोजना के कारण जलप्रहित क्षेत्र भूमि को छोड़कर मुख्य परियोजना कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण।

(2) आधारभूत विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक अस्थायी (शिविर स्वरूप के) आवासीय/कार्यालय भवन का निर्माण।

(3) पहुंच मार्गों तथा पुलों के साथ-साथ अस्थाई आवासों/कार्यालय भवन का निर्माण।

(4) कन्स्ट्रक्शन पावर।

(5) पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाएं तैयार करना।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं पर निर्माण से पूर्व के कार्यों

को आरंभ करने पर विचार किए जाने की संभावना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों तथा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो:—

(1) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-2) (हिमाचल प्रदेश) — 300 मे॰वा॰
(2) बगलिहार जल विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर) — 450 मे॰वा॰
(3) सवालकोट जल विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर) — 600 मे॰वा॰
(4) कमैंग जल विद्युत परियोजना (अरुणाचल प्रदेश) — 600 मे॰वा॰

लाइन परीक्षण उपकरण

694. **प्रो॰ राम कापसे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम, मुंबई के लिए लाइन परीक्षण उपकरण और दिल्ली दूरसंचार विभाग के लिए ट्रांजिस्टरयुक्त "एन प्लस वन" उपकरण खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब खरीदा गया और इस पर कितनी लागत आई;

(ग) क्या इनका इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन उपकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने बम्बई टेलीफोन के प्रयोग के लिए लाइन टैस्टर्स तथा दिल्ली टेलीफोन्स के प्रयोग के लिए ट्रांजिस्टर युक्त वनप्लस वन उपस्कर खरीदे हैं।

(ख) खरीददारी और उनकी लागत के ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ग) वन प्लस वन कैरियर प्रणालियां गैर-व्यवहार्य क्षेत्रों में अल्प अवधि के लिए प्रयोग में लाई जाती है ताकि उससे अस्थाई रूप से राहत प्रदान की जा सके। इनको ठीक किया जाता है जब कभी भी अन्यत्र केबिल बिछाए जाते हैं। संबंधित क्षेत्र में इनका पुनः प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के लिए खरीदी गई कुल 5000 वनप्लस वन कैरियर प्रणालियों में से 2764 प्रणालियां इस समय प्रयोग में लाई जा रही हैं, शेष को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाएगा।

बम्बई में लाइन टैस्करों का उपभोक्ताओं की लाइनों की जांच करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

महानगर टेलीफोन निगम लि॰ बम्बई द्वारा खरीदे गए लाइन टैस्टर उपकरणों का विवरण

क्रम सं॰	मद	दिनांक सहित खरीद आदेश सं॰	मात्रा संख्या	राशि रुपयों में
.	टेलीफोन लाइन टैस्टर	एमएमबीवाई/टी-96/88-89 दिनांक 24.2.89	125	862420.00
.	-वही-	एमएमबीवाई/टी-57/88-89 दिनांक 24.2.89	125	862420.00
3.	-वही-	एमएमबीवाई/1-58/90-91 दिनांक 29.1.91	50	344968.00

क्रम सं०	मद	दिनांक सहित खरीद आदेश सं०	मात्रा संख्या	राशि रुपयों में
4.	टेलीफोन लाइन टैस्टर	एमएमबीवाई/टी-59/90-91 दिनांक 25.1.91	50	344968.00
5.	-वही-	एमएमबीवाई/टी-77/91-92 दिनांक 16.1.92	50	344596.00
6.	-वही-	एमएमबीवाई/टी-78/91-92 दिनांक 16.1.92	50	344596.00
		जोड़:	450	31,03,968.00
7.	पोर्टेबल लाइन टैस्टर	एमएमबीवाई/1-79/90-91 दिनांक 27.3.91	7	24,128.44
8.	-वही-	एमएमबीवाई/टी-57/91-92 दिनांक 28.11.91	20	84,318.40
9.	-वही-✓	एमएमबीवाई/टी-02/92-93 दिनांक 5.5.92	100	4,22,023.00
		जोड़:	127	5,30,469.84
		कुल योग		36,34,437.84

विवरण-II

एमटीएनएल की दिल्ली यूनिट के लिए वन एक्स वन प्रणालियों की खरीद का ब्यौरा

क्रम सं०	खरीद आदेश सं० और तारीख	मात्रा	राशि रुपयों में
1.	एमटीएनएल/20-80/(4)/87-एमएम/नाटेल्को दिनांक 16.9.88	1500	1,23,75,000
2.	एमटीएनएल/20-80/(4)/87-एमएम/हिमाचल दिनांक 9.1.90	1000	84,82,830
3.	एमटीएनएल/20-80/(4)/87-एमएम/नोटेल्को दिनांक 18.4.90	2000	1,68,06,240
4.	एमटीएनएल/20-80/(527)/90-एमएम/हिमाचल दिनांक 13.2.91	500	36,61,775
	जोड़:		4,13,25,845

निजी क्षेत्र द्वारा इस्पात उद्योग में निवेश

695. **श्री चन्द्रजीत यादव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उद्योग में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र और विदेशी कम्पनियों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र और विदेशी कम्पनियों के निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने के एकमुश्त उपायों पर कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) नई इस्पात परियोजनाओं और विद्यमान संयंत्रों की क्षमता में विस्तार करने के लिए अनेक औद्योगिक उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने की अभिरुचि का द्योतक है। उड़ीसा और कर्नाटक की राज्य सरकारों का संयुक्त क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने भी वृहत् एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने में अपनी अभिरुचि दिखाई है। निजी क्षेत्र में स्पंज लोहे/कच्चे लोहे के अनेक संयंत्र की स्थापना संबंधी कार्य कार्यान्वयनाधीन है।

अभी हाल में लोहे और इस्पात को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे उद्योगों को इक्विटी में 51% तक विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की सुविधा है। विदेशी प्रौद्योगिकी करारों में भी ऐसे उद्योगों को स्वतः अनुमोदन की सुविधा है बशर्ते भुगतान निर्धारित सीमा के अन्दर हो।

करीमगंज जिले में उच्च क्षमता वाला आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र

696. **श्री द्वारकानाथ दास**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला करीमगंज, असम के लोग बंगला देश की ढाका रेडियो स्टेशन की उच्च फ्रीक्वेन्सी के कारण अपने "रेडियो सैटों" से दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा अन्य रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रमों को नहीं सुन पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करीमगंज जिले में उच्च शक्ति वाला आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) करीमगंज जिले को दिन में सिलचर के 10 कि०वा० मी०वे० ट्रांसमीटर से प्राथमिक ग्रेड रेडियो कवरेज प्राप्त होती है किन्तु पड़ोसी देशों के ट्रांसमीटरों के निकटवर्ती चैनल/सह चैनल हस्तक्षेप के कारण रात्रि के समय आकाशवाणी सिलचर द्वारा रिले किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के सुनाई देने के स्तर में कुछ गिरावट आना संभव है।

(ख) और (ग) साधनों की कमी के कारण फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोकटक पन बिजली परियोजना

697. **श्री थाइमा सिंह थुमनाम**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में लाकटक पन बिजली परियोजना के अन्तर्गत लोकटक झील सहित कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ग) परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है; और

(घ) इससे उत्पादित होने वाली बिजली में से प्रत्येक राज्य को कितनी बिजली मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) लोकटक झील सहित लोकटक जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र लगभग 252 वर्ग कि०मी० है।

(ख) परियोजना को पूरा किए जाने पर 131.96 करोड़ रु० की कुल लागत आई थी।

(ग) परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 105 मे०वा० है।

(घ) परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा निम्नानुसार है:—

राज्य	हिस्सा (उत्पादित ऊर्जा के % में)
असम (मेघालय एवं मिजोरम सहित)	34.67
मणिपुर	20.95
त्रिपुरा	11.32
नागालैण्ड	5.81
अरुणाचल प्रदेश	4.76
अनाबंटित	14.29
जोड़	100.00

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों का आगमन

698. **श्री भगवान शंकर रावत:**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:

श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम':

प्रो० प्रेम धूमल:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक देश-वार कितने विदेशी पर्यटक भारत आए;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान देश-वार अनुमानतः कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटक भेजने वाले प्रमुख देशों से भारत की यात्रा करने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:—

देश	पर्यटक आगमन		
	1989-90	1990-91	1991-92 (अनुमानित)
यू०के०	237142	219277	221417
यू०एस०ए०	134539	115035	138516
जर्मनी	77716	67060	77524

देश	पर्यटक आगमन		
	1989-90	1990-91	1991-92
श्री लंका	67419	68849	58003
फ्रांस	82215	70946	70560
जापान	60769	52376	48861
इटली	51643	42273	52262
कनाडा	43222	36665	41532
मलेशिया	33700	32633	25657
स्विटज़रलैण्ड	32226	31505	30189
यू०ए०ई०	30396	25806	33699
सिंगापुर	30375	31426	26077
अफगानिस्तान	21275	20586	25649
आस्ट्रेलिया	30917	27878	22574
पाकिस्तान	184101	142739	205962
बंगलादेश	220751	230860	253884
अन्य	426673	397767	449526
जोड़	'65079	1613681	1781892

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए पर्यटक आगमन में समग्र वृद्धि की दर 10% निर्धारित की गई है।

(ग) पर्यटन के संवर्धन के लिए सरकार की विचाराधीन स्कीमों में, विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास, तीर्थ पर्यटन सहित स्वदेशी पर्यटन के लिए सुविधाओं का विकास, साहसिक पर्यटन का विकास, विदेशों में प्रचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उड़ानों का रोका जाना

699. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, मई और जून, 1992 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उड़ानों को कितनी बार रोका गया तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी उड़ानें रद्द की गई और कितनों में विलंब हुआ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) अप्रैल-जून, 1992 के दौरान प्रमुख रखरखाव तथा खराबियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विमानों, एकसाथ ही नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से और कभी-कभी एक से अधिक भी ग्राउंड रहे:—

ए-300	9
ए-320	3
बी-737	8

(ख) अप्रैल-जून, 1992 अवधि के दौरान 24073 उड़ानों में से 6945 उड़ानों में विलंब हुआ तथा 2025 उड़ानें रद्द की गईं।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

700. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और झांसी जिले में मोंठ में कितने आई०एस०टी०डी० और एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार को वाराणसी के चांदपुर और भोजबीर तथा झांसी जिले के मोंठ नामक स्थानों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और मोंठ में खोले गए आईएसटीडी, एसटीडी और पी०सी०ओ० की संख्या निम्नानुसार है:—

वाराणसी	:	151
जौनपुर	:	17
गाजीपुर	:	14
मोंठ	:	शून्य

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वाराणसी जिले में चांदपुर और भोजबीर में मांग होने पर यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। जहां तक झांसी जिले में मोंठ का संबंध है, वहां पर एसटीडी सुविधा चालू किए जाने और मांग दर्ज होने पर ही यह सुविधा प्रदान कर पाना संभव हो सकेगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्रम सं०	उ०प्र० के जिले का नाम	1991-92 के दौरान जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
1.	कानपुर (शहर)	7651
2.	कानपुर (देहात)	229
3.	उन्नाव	304
4.	लखनऊ	9650
5.	गाजियाबाद	10,912
6.	बुलंदशहर	546
7.	इलाहाबाद	3738
8.	मेरठ	4150
9.	वाराणसी	3504
10.	आगरा	865
11.	फिरोजाबाद	683
12.	अलमोड़ा	332
13.	पीलीभीत	207
14.	पिथौरागढ़	108
15.	अलीगढ़	2037
16.	बरेली	620
17.	मुरादाबाद	805
18.	बिजनौर	177
19.	रामपुर	51
20.	बदायूं	89
21.	नैनीताल	636
22.	आजमगढ़	631
23.	मऊ	37
24.	देवरिया	551-251
25.	गोंडा	286
26.	बहराइच	289
27.	बस्ती	140
28.	सिद्धार्थ नगर	30
29.	गोरखपुर	1050
30.	महराजगंज	136
31.	मिर्जापुर	88

क्रम सं०	उ०प्र० के जिले का नाम	1991-92 के दौरान जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
32.	जौनपुर	146
33.	सोनभद्र	348
34.	सुल्तानपुर	456
35.	रायबरेली	475
36.	फतेहपुर	99
37.	प्रतापगढ़	120
38.	बलिया	564
39.	गाजीपुर	95
40.	देहरादून	1150
41.	मुजफ्फरनगर	835
42.	सहारनपुर	1406
43.	हरिद्वार	315
44.	टिहरी	164
45.	पौड़ी	160
46.	चमौली	319
47.	उत्तरकाशी	38
48.	इटावा	270
49.	फर्रूखाबाद	612
50.	मैनपुरी	333
51.	फैजाबाद	567
52.	बाराबंकी	327
53.	झांसी	76
54.	जालौन	217
55.	हमीरपुर	307
56.	बांदा	782
57.	ललितपुर	202
58.	एटा	410
59.	मथुरा	288
60.	सीतापुर	311
61.	हरदोई	287
62.	शाहजहांपुर	327
63.	लखीमपुर खीरी	101

कार सिंचाई परियोजना

701. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की कार सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा उक्त प्रस्ताव हेतु 1992-93 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ग) क्या इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के बाद, 8.02 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की कार मध्यम सिंचाई परियोजना परामर्शदात्री समिति द्वारा 5/86 में स्वीकार्य पायी गयी थी, बशर्ते कि राज्य सरकार वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करे, योजना में इसके लिये पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करे और जल दरों आदि की समीक्षा करे। मार्च, 1992 तक इस पर 1.83 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। यद्यपि आठवीं योजना में पूर्णसिपल ओवर लागत की व्यवस्था की गई है, परन्तु योजना आयोग के कार्यदल द्वारा 1992-93 के लिए किसी परिव्यय की सिफारिश नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

निजी विमान कंपनियों को हवाई अड्डों पर सुविधायें

702. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1992 के राष्ट्रीय सहारा में निजी विमानन कम्पनियों के लिए हवाई अड्डे की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नये टर्मिनलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जिनसे निजी विमानन कम्पनियों को काउंटर दिये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) किन हवाई अड्डों पर यह कार्य शुरू हो गया है इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की आशा है;

(च) इस समय हवाई अड्डों पर निजी विमान सेवाओं को स्थान उपलब्ध न करा पाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन विमानन कम्पनियों द्वारा सरकार को कुल कितना वार्षिक भुगतान किया जा रहा है और यह भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सभी हवाई टैक्सी प्रचालकों को मौजूदा टर्मिनलों में यथा संभव आवश्यक कांउटर उपलब्ध कराये जाते हैं। तथापि, दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर कुछ कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि सभी हवाई टैक्सी प्रचालक दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों को अपना प्रमुख परिचालनात्मक बेस बनाना चाहते हैं। हवाई टैक्सी प्रचालकों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली तथा बम्बई से अतिरिक्त अन्य किसी हवाई अड्डे को अपना बेस बनायें।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवतरण एवं पार्किंग प्रभार, पी॰एस॰एस॰ तथा लाईसेंस शुल्क के रूप में 21.72 लाख रुपये प्राप्त किये। इसी प्रकार, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के लिये लगभग 22 लाख रुपये एकत्र किये। विमान के अवतरण पार्किंग तथा हाउसिंग की दरें विमान के वजन तथा पार्किंग की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। अवतरण तथा स्थान के लाईसेंस शुल्क/किराया प्रत्येक हवाई अड्डे पर भिन्न-भिन्न है।

[अनुवाद]

दक्षिणी पावर ग्रिड

703. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री जार्ज फर्नांडीज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की दक्षिणी पावर ग्रिड को बिजली देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰टी॰पी॰सी॰) दक्षिणी क्षेत्र को अपने रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत की 200 मेगावाट की अक्तूबर, 1983 में चालू की गई पहली यूनिट से से ही विद्युत सप्लाई करता है। केन्द्र की वर्तमान क्षमता 2100 मेगावाट है तथा उत्पादित विद्युत को दक्षिणी ग्रिड को सप्लाई किया जा रहा है।

दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए एन॰टी॰पी॰सी॰ द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई हैं:—

(1) कयामकुलम एस॰टी॰पी॰पी॰ चरण-I (420 मेगावाट)

(2) मंगलौर एस॰टी॰पी॰पी॰ चरण-I (420 मेगावाट)

(3) गोदावरी जी०पी०पी० (400 मेगावाट)

(4) मनुगुरू एस०टी०पी०पी० (1000 मेगावाट)

पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

704. **श्री शरद दिघे:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना से समूचे पश्चिमी तट विशेषकर महाराष्ट्र को अलग करने का कड़ा विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कया उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से अनेक अभ्यावेदन तथा अनुरोध प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को यह स्पष्ट करते हुए उत्तर भेजा गया है कि राज्य सरकार के हितों का ध्यान रखा गया है और 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र को 3.50 कोरड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई जो उस वर्ष किसी भी राज्य को स्वीकृत सर्वाधिक सहायता है। इसके अलावा, जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से 81.71 करोड़ रुपए की सहायता से अजंता तथा एल्लौरा का संरक्षण एवं विकास करने के लिए औरंगाबाद जिले में एक परियोजना तैयार की गई है। महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र को शामिल करते हुए एक पर्यटक परिपथ को विकसित करने के लिए अभिनिर्धारित भी किया जा रहा है।

दूरसंचार उपकरणों का निर्यात

705. **श्री साईमन मराण्डी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इनके निर्यात का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी कम्पनियों के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से एककों के निर्यात में कमी आयी है और सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने गत कुछ वर्षों के दौरान भारी घाटा वहन किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों को घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की कम्पनियों के नामों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग को सूचित किए गए दूरसंचार उपस्करों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कम्पनी पिछले तीन वर्षों से घाटे में नहीं चल रही है।

(घ) और (ङ). उद्योग मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए उपस्करों के निर्यातों तथा माने गए निर्यातों का ब्यौरा

क्रम सं०	पार्टी का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निर्यात		
		89-90	90-91 (लाख रू० में)	91-92
1.	भारती टेलीकाम लि०	0.00	12.32	258.96
2.	ब्लू स्टार लि०	40.00	110.00	205.00
3.	इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	0.00	0.00	15.26
4.	गुजरात कम्युनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रानिकस लि०	0.00	0.00	72.00
5.	हिंदुस्तान केबिल्स लि०	368.65	1161.61	760.00
6.	हिंदुस्तान टेलीप्रिंटरस लि०	0.00	0.00	17.10
7.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	26.22	20.48	107.00
8.	इंटरसिटी केबिल सिस्टम्स (पी) लि०	0.00	12.76	2.00
9.	करनाटका टेलीकेबिल्स लि०	0.00	15.01	30.00
10.	लार्सन एंड टुब्रो लि०	0.00	0.00	15.00
11.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेट	0.00	0.35	14.40
12.	नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रानिक्स कं० लि०	0.00	0.00	22.76
13.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	0.00	120.00	206.00
14.	नॉर्दन डिजिटल एक्सचेंज लि० (नोडे)	9.00	9.94	109.57
15.	प्रियाराज कम्युनिकेशन्स लि०	0.00	0.00	17.99
16.	पंजाब कम्युनिकेशन्स लि०	0.00	0.00	12.56
17.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लिमिटेड	0.00	7.00	20.00
18.	राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री लि०	0.00	18.00	0.00
19.	श्याम ऐन्टीना इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लि०	16.50	31.30	123.26
20.	स्वीडे इंडिया टेलीट्रानिक लि०	0.00	0.00	121.46
21.	टाटा केल्ट्रॉन लि०	0.00	4.79	3.61
22.	टाटा टेलीकाम लि०	0.00	0.00	17.62
23.	टेलीमैटिक्स सिस्टस लि०	0.34	0.34	177.00
24.	विन्ध्य टेलीलिंक्स लि०	0.00	32.09	0.00
25.	डब्ल्यू०एस० इन्डस्ट्रीज	0.00	0.00	172.00
26.	फिनोलेक्स केबिल्स लि०	47.15	51.00	56.00
27.	सुराना उद्योग लि०	8.11	0.73	39.25
कुल	मात्रा और लागत (लाख रूपयों में)	515.95	1607.72	2595.80

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रणाली के लिए बाजार से ऋण

706. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान दूरसंचार प्रणाली का विकास करने के लिए बाजार से किसी किस्म के ऋण लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए बाजार से कितना ऋण मांगा गया है और आठवीं योजना में इसके लिए वास्तव में कितना बजट रखा गया है; और

(घ) इस प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान लगभग 7,026 करोड़ रु॰ बाजार से ऋण लेकर पूरा करने का प्रस्ताव है। तथापि, योजना आयोग के 40,555 करोड़ रु॰ के योजना प्रस्तावों में से परिव्यय के लिए 10,688 करोड़ रु॰ की सीमा तक आठवीं योजना में बाजार से ऋण का प्रस्ताव है।

(घ) आठवीं योजना में आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं,

— नेटवर्क को पूरी तरह से स्वचालित बनाना।

— जिन उपस्करों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनके स्थान पर अधिकांशतः डिजिटल टाइप के इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाना

— आप्टिकल फाइबर, रेडियो माध्यम, उपग्रह संचार आदि की माध्यम से सर्वाधिक विश्वसीय संचारण माध्यम उपलब्ध कराना।

— स्टोर तथा फारवर्ड संदेश स्विचन प्रणाली को अधिकाधिक शामिल करके इसके माध्यम से द्रुत संदेश संचारण।

— डायरेक्टरी पूछताछ, मैनुअल ट्रंक सेवा, बिल बनाने आदि जैसी ग्राहक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

— फैक्स/इलेक्ट्रानिक डाक, विडियो/ओडियो कांफ्रेंसिंग, रेडियो पेजिंग, सेल्युलर फोन आदि जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं की व्यवस्था करना।

— सभी एक्सचेंजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करने के कार्यक्रम के भाग के रूप में सभी स्ट्रोजर एम ए एक्स-III एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाना, चाहे ऐसे एम ए एक्स-III एक्सचेंजों का निर्धारित कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ हो।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एल०पी०टी०वी० तथा वी०एल०पी०टी०वी० ट्रांसमीटर

707. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में एल०पी०टी०वी० तथा वी०एल०पी०टी०वी० टावरों की स्थापना के लिये क्रमशः जौरा, जिला रतलाम और कुकड़ेश्वर, जिला मंदसौर को चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी हां। आशा है कि जौरा टी०वी० ट्रांसमीटर 1992-93 में और कुकड़ेश्वर ट्रांसमीटर 1993-94 में चालू हो जाएगा।

[अनुवाद]

ऊर्जा आयोग

708. **श्री संदीपन भगवान थोरात:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं। ऊर्जा आयोग गठित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाली और पंचकुला चंडीगढ़ में टेलीफोन

709. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाली और पंचकुला चंडीगढ़ में संसद सदस्य कोटे से कई टेलीफौन कनेक्शन मंजूर किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने टेलीफोन लगा दिए गए हैं;

(घ) कितने टेलीफोन अभी तक नहीं लगाए गए हैं और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंजूर किए गए/संस्थापित टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः—

	चंडीगढ़	पंचकुला	मोहाली	कुल
मंजूर किए गए	117	20	06	143
संस्थापित	45	11	01	57
संस्थापित किए जाने वाले	72	09	05	86

संस्थापित किए जाने वाले कुल 86 टेलीफोन कनेक्शनों में से 52 मामले उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण विचाराधीन पड़े हैं, 4 मामले तकनीकी व्यवहार्यता के कारण विचाराधीन हैं, 6 मामले हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है, 23 मामले ऐसे हैं जिनमें एडवाइसनोट जारी कर दिए गए हैं, संस्थापना का कार्य प्रगति पर है, और एक मामले में उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण संस्थापना कार्य रूका पड़ा है।

(ङ) विचाराधीन मंजूरियों के प्रति टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रता से प्रदान करने के संबंध में सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।

नेदुमपास्सेरी में हवाई अड्डा

710. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणनः** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के एरणाकुलम जिले म नेदुमपास्सेरी में हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

711. **श्री कमल चौधरीः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान दिल्ली टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का गठन कब और कितने समय के लिए किया गया था;

(ख) परामर्शदात्री समिति में किस आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है;

(ग) दिल्ली टेलीफोन परामर्श दात्री समिति की इस समय कितनी रिक्तियां है; और

(घ) इस रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) दिल्ली की वर्तमान टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन पिछली सरकार द्वारा मार्च, 1991 में दो वर्ष अर्थात् 31.3.93 तक के लिए किया गया था, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

(ख) इसके लिए नामांकन संलग्न विवरण के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति से संबंधित अगली कार्रवाई 28.6.91 को मुल्तवी कर दी गई थी। दिल्ली के लिए नई टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

दूरसंचार सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले वर्गों के लोग

1.	संसद सदस्य	3
2.	राज्य विधान मंडल	4
3.	राज्य प्रशासन	1
4.	निगम अथवा नागरिक निकाय	2
5.	प्रेस	4
6.	चिकित्सा व्यवसाय	2
7.	विधि व्यवसाय	2
8.	सभी अन्य व्यवसाय जैसे इंजीनियर, वास्तुविद आदि	2
9.	व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग	10
10.	सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा अन्य	10
		40

पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा) का विपणन सम्मेलन

712. **श्री इन्द्रजीत:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1993 में पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन सम्मेलन और ट्रेवल मार्ट दोनों का भारत में आयोजन करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु केवल पाटा ट्रेवल मार्ट का ही आयोजन हो पाएगा;

(ख) भारत में "पाटा" ट्रैवल मार्ट का सम्मेलन कब आयोजित किए जाने की संभावना है और भारत में पर्यटन के विकास के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की क्या योजना है;

(ग) क्या उपरोक्त आयोजन के साथ-साथ पाटा विपणन सम्मेलन भी पहले-पहल भारत में आयोजित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या योजनाएं हैं और इससे किस तरह से पूरा लाभ उठाया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ने भारत में 1993 में पाटा ट्रैवल मार्ट और विपणन सम्मेलन आयोजित कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आयोजन की प्रस्तावित तारीख 15-18 अप्रैल, 1993 है। पाटा इंडिया चैप्टर और पर्यटन विभाग इस आयोजन में सुविधाएं और सहायता देंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्योग से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे इसलिए भारत को आकर्षक पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करने का भी प्रस्ताव है।

कोज़ीकोड में उच्च शक्ति का आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र

713. **श्री के॰ मुरलीधरन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद कोज़ीकोड में उच्च शक्ति का आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) सातवीं योजना के अंतर्गत प्रारंभ में कोज़ीकोड के मौजूदा 10 कि॰वा॰मी॰वे॰ ट्रांसमीटर को एक नये 10 कि॰वा॰मी॰वे॰, से बदले जाने का प्रस्ताव था। बाद में वहां 100 कि॰वा॰मी॰वे॰ ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया गया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप एक नये ट्रांसमीटर भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया। भवन की योजना डिजाइन और ले-आउट प्लान को अब अंतिम रूप दिया जा चुका है और प्रारंभिक अनुमान स्वीकृत कर दिये गये हैं। सिविल निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होने वाले हैं।

राजस्थान में पाली में टी॰वी॰ रिले ट्रान्समीटर

714. **श्री गुमान मल लोढ़ा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के पाली में टी॰वी॰ टावर और टी॰वी॰ रिले ट्रान्समीटर बहुत कमजोर और जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं;

(ख) "क्या पूरा पाली जिला दूरदर्शन नेटवर्क के अर्न्तगत आता है"; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे दूरदर्शन नैटवर्क के अन्तर्गत कब तक लाये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी, नहीं। बताया जाता है कि पाली का अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर अपनी करीब 15 किलोमीटर की रेंज (किनारे के सेवा क्षेत्रों सहित, जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीनें और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है) के अंतर्गत संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। इस ट्रांसमीटर से समूचे पाली जिले में कवरेज प्राप्त होने की आशा नहीं है।

(ग) साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, समीपवर्ती अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू हो जाने पर पाली जिले में दूरदर्शन कवरेज में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। इस तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, परियोजना के औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् लगभग 3-4 वर्ष का समय लग जाता है।

विद्युत परियोजना पर भारत-अमरीका बैठक

715. **श्री पी॰एम॰ सईद:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विद्युत परियोजनाओं के संबंध में हाल ही में एक उच्च स्तरीय भारत-अमरीका बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर विचार विर्मश किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) "न्यू ओपोर्चूनिटीज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दी इण्डियन पॉवर सैक्टर" विषय पर भारत-अमरीकी वाणिज्य मण्डलों तथा अमरीकी सरकार के संगठनों द्वारा भारत में एक इण्डो-यू०एस० सेमिनार का आयोजन किया गया जोकि 16-17 जून, 1992 को नई दिल्ली में हुआ था। जिन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे निम्नवत् थे:—

1. भारतीय विद्युत परिदृश्य तथा ईंधन सप्लाई व्यवस्था,
2. भारत में निजी क्षेत्र में विद्युत का विकासः गुद्दे तथा सुअवसर,
3. निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण,
4. निजी क्षेत्र में विद्युत का विकासः अमरीका के अनुभव,
5. विद्युत क्षेत्र में भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यमों की संभावनाएं।

सेमिनार में मुख्यतया विद्युत उत्पादन, और वितरण में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ था। सेमिनार में कई भाग लेने वालों द्वारा भारत में विद्युत परियोजनाएं लगाए जाने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

716. **श्री फूलचन्द वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु 31 मार्च, 1992 के अन्त तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान-किए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में अभी भी कितने लोग हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) मध्य प्रदेश में पांच प्रमुख शहरों अर्थात् इन्दौर, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में 1991-92 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 24129 है।

(ख) 1.4.91 से 30.6.92 के दौरान पांच प्रमुख शहरों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 34,509 है।

(ग) 30.6.92 की स्थिति के अनुसार इन पांचों शहरों की प्रतिक्षा सूची में 53470 व्यक्तियों के नाम दर्ज है।

[अनुवाद]

दिल्ली के डाकघरों में ग्रुप "डी" में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पद

717. **श्री सूरज मंडल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न डाकघरों में ग्रुप "डी" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित श्रेणियों में अनेक पद बहुत पहले से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में महानिदेशक (डाक) को अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) 31.12.1991 तक के जो आरक्षित रिक्तपद भरने के लिए शेष रह गए थे, उन्हें भर दिया गया है।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण

718. **श्री बब्बूलाल जमादकर:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए इसके प्रारंभ से वर्ष 1991 के अन्त तक अधिग्रहण की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिग्रहण की गई भूमि में से संयंत्र द्वारा उपयोग की गई भूमि एवं उपयोग न की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फालतू भूमि को इसके मूल मालिकों को लौटाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या गैर-सरकारी व्यक्ति अधिग्रहण की गई भूमि की अवैध बिक्री कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अधिगृहित भूमि की अवैध बिक्री को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) प्रारंभ से लेकर वर्ष 1991 की समाप्ति तक भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(एकड़ में)

संयंत्र के लिए	बस्ती के लिए	निजी खानों के लिए	कुल
8,977.88	13,391.88	11,051.08	33,420.84

(ख) भिलाई के लिए अधिग्रहित भूमि में से इस्तेमाल में लाई गई तथा इस्तेमाल में न लाई गई भूमि का क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

(एकड़ में)

	इस्तेमाल में लाई गई भूमि	इस्तेमाल में न लाई गई भूमि	कुल
संयंत्र	5,973.10	3,004.78	8,977.88
बस्ती	12,960.12	431.76	13,391.88
कुलः	18,933.22	3,436.54	22,369.76

(ग) चूंकि उपरोक्त खाली भूमि संयंत्र के भावी विस्तार तथा बस्ती की सुविधाओं के लिए आरक्षित है, अतः अधिशेष भूमि को मूल भू-स्वामियों को लौटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में गतिरोध

719. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में गतिरोध आने के कारण 1991-92 में कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक कार्रवाई के कारण वर्ष 1991-92 के दौरान 10,583 श्रम. दिवसों की हानि हुई।

श्री गंगानगर और अबोहर के बीच हवाई अड्डे का निर्माण

720. श्री जगमीत सिंह बरार: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीगंगानगर (राजस्थान) और अबोहर (पंजाब) के बीच किसी स्थान पर हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) यातायात संभावना, परिचालनों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और उनकी तैनाती, विमान-बेड़ा उपलब्धता और अनुसूचित एयरलाइनों के परिचालन की योजना तथा नए हवाई अड्डे के निर्माण से संगत अन्य ऐसे कारक हैं जो श्री गंगानगर और अबोहर के बीच हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं।

तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति

721. **श्री के॰ राममूर्ति टिंडिवनाम:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) तेलुगु-गंगा परियोजना का मूल्यांकन यद्यपि तकनीकी आर्थिक रूप से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था, फिर भी परामर्श समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में इस पर विचार को आस्थगित रखा गया क्योंकि अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण से परियोजना को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अंतर्राज्यीय मामलों को हल करने के लिए आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक, जो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री द्वारा 5.4.1990 को बुलायी गयी थी, लेकिन आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह सूचित किया था कि मुख्यमंत्री कृष्णा जल के बंटवारे से संबंधित मामलों को स्वयं सुलझाएंगे। तीनों मुख्यमंत्रियों की बैठक 1990 में दो बार हुई। चार अस्थाई वैकल्पिक प्रस्ताव, जो उनकी दूसरी बैठक के दौरान उभर कर आए थे, पर विचार करने के लिए उनकी बैठक पुनः आयोजित की जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए सहायता

722. **श्री मोहन लाल झिकराम:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ख) राज्य सरकार ने यह धनराशि किन-किन स्थानों पर खर्च की?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश को विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं की गयी है। किन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि जल क्षेत्र में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए योजना निधियों का आबंटन आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही निर्धारित किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में मजदूरों की भर्ती

723. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों से बोकारो इस्पात संयंत्र में मजदूरों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) क्या अनेक व्यक्तियों को भर्ती के लिये निर्धारित नियमों का पालन किये बिना तथा आरक्षण और प्रतिबंध की नीति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसमें रिक्त पद उपलब्ध न होने के बावजूद कई अनियमित/नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में नए हवाई अड्डे का निर्माण

724. श्री रमेश चेन्नितला: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोचीन के वर्तमान हवाई अड्डे का विकास करने अथवा वहां एक नया हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय तभी लिया जाएगा जब तीनों विकल्पों, अर्थात (i) मुख्य धावनपथ में 2000 फुट का विस्तार करने, (ii) गौण धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार करने और (iii) नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नए भूखण्ड का चुनाव करने संबंधी तुलनात्मक लागत का आंकलन कर लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा बाजार से ऋण जुटाना

725. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लि० ने बाजार से ऋण जुटाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का ऋण जुटाने की संभावना है और यह धनराशि किन-किन परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी हां, हिन्दुस्तान कापर लि० ने ऐसा निर्णय लिया है।

(ख) बाजार ऋण की आवश्यकता आठवीं योजना के दौरान किए जाने वाले निवेशों तथा वित्त के अन्य स्रोतों की उपलब्धता, जैसे बजट सहायता, सप्लायर्स क्रेडिट, वित्तीय संस्थागत ऋण आदि पर निर्भर होगी।

कम्पनी इस समय लगभग 230 करोड़ रु० के बाजार ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगा रही है।

मुख्य प्रमाणित परियोजनाएं इस प्रकार हैं:—

(1) खेतड़ी कापर कम्पलेक्स और इंडियन कापर कम्पलेक्स, घाटशिला में प्रदूषण नियंत्रण।

(2) खेतड़ी स्मैल्टर का विस्तार।

(3) मलंजखंड खुली खान का विस्तार।

(4) राजस्थान में बनवास खान खोलना।

(5) घाटशिला में चापरी-सिद्धेश्वर खान खोलना।

(6) खेतड़ी कापर कम्पलेक्स में सांद्रक का आधुनिकीकरण।

[अनुवाद]

बिहार में डाक सुविधाएं

726. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई ग और वर्ष 1992-93 के लिये कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार जिला-वार कितने डाक सुविधा हेतु अर्ह गांवों और पंचाय में डाक सुविधाएं नहीं हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में जिला-वार पंचायत/गांव स्तर पर डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान, 17 शाखा डाकघर, 1 लाइसेंसशुदा डाक एजेंसी, 171 नए लैटर बाक्स तथा (i) कलकत्ता और गिरिडीह और (i पटना और बेगूसराय, कटिहार और मोतीहारी के बीच प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा स्थापित की गई। इ संबंध में, 1992-93 के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 31.3.92 की स्थिति के अनुसार, बिहार में 56768 गांव और 2558 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें डाकघ नहीं है। तथापि, मूलभूत डाक सुविधाएं जैसे डाक वितरण की सुविधा बिहार के सभी गांवों और पंचायतों उपलब्ध है किसी गांव या पंचायत में डाकघर खोलने की पात्रता प्रस्ताव विशेष की जांच करते समय इ प्रयोजन के लिये निर्धारित जनसंख्या दूरी और आय संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

(ग) 1992-93 के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

727. **श्री राम देवराम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के प्रत्येक जिले में नए टेलीफोन कनेक्शन की मांग तथा उपलब्धता के बीच कितना अंतर और

(ख) इस अंतर को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना (1992—97) प्रस्तावों में बिहार के साथ-साथ देश के टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क विस्तार में निम्नलिखित शामिल है:—

— ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करना,

— 10,000 लाइनों तथा इससे अधिक की बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष करना।

विवरण

मांग और नए टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करने में जिलेवार अंतर अर्थात् प्रतीक्षा सूची की स्थिति

जिला	अंतर	जिला	अंतर
1. बांका	43	26. रांची	1957
2. भागलपुर	955	27. चतरा	23
3. गोड्डा	36	28. गिरीडीह	06
4. मुंगेर	95	29. हजारी बाग	657
5. जमुई	50	30. भबुआ	01
6. दुमका	58	31. भोजपुर	246
7. देवघर	226	32. बक्सर	108
8. साहेबगंज	67	33. रोहतास	274
9. सिंहभूम (पूर्व)	2224	34. गढ़वा	12
0. सिंहभूम (पश्चिम)	537	35. पलामू	147
1. नालन्दा	935	36. अररिया	54
2. पटना	4730	37. कटिहार	66
3. बेगूसराय	160	38. किशनगंज	59
4. दरभंगा	317	39. पुर्णिया	297
5. खगड़िया	शून्य	40. मदेपुरा	69
6. मधुबनी	110	41. सहरसा	47
7. समस्तीपुर	172	42. सुपौल	35
8. औरंगाबाद	577	43. मुजफ्फरपुर	1109
9. गया	1436	44. सीतामढ़ी	410
0. जहानाबाद	223	45. वैशाली	594
1. नेवादा	107	46. छपरा	113
2. बोकारो	709	47. गोपालगंज	48
3. धनबाद	1023	48. सीवान	254
4. गुमला	55	49. चंपारन (पूर्व)	59
5. लोहारदगा	40	50. चंपारन (पश्चिम)	30

दूरदर्शन धारावाहिक "वैली आफ स्प्लैंडर"

728. **श्री गुरुदास कामत:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित धारावाहिक "वैली आफ स्प्लैंडर" को लागत निर्धारण समिति ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) "वैली आफ स्प्लैंडर" नामक वृत्तचित्र का प्रसारण अधिकार दूरदर्शन द्वारा रायल्टी का भुगतान करने पर प्राप्त कर लिया गया था। ऐसे मामलों में लागत निर्धारण समिति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

फैसीमाइल एक्सचेंज के माध्यम से मनीआर्डर

729. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फैसीमाइल एक्सचेंज के माध्यम से मनीआर्डर भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में पी०सी० पर आधारित बहुउद्देशीय काउन्टर मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) मनीआर्डर भेजने के लिए फैक्स टेक्नालॉजी का उपयोग करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) हमने 1990-91 के दौरान हैदराबाद शहर में डाकघरों में पर्सनल कम्प्यूटर पर आधारित 16 काउंटर मशीनें सप्लाई की हैं। 1992-93 में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सिकन्दराबाद में ऐसी मशीनें सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

गोवा में डाक बचत खातों में जमा राशि

730. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31, मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार गोवा में डाक बचत खातों में कुल कितनी राशि जमा थी; और

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में तत्संबंधी आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार गोवा में डाकघर बचत खातों में जमा कुल राशि 25,30,52,377/-रु० (पच्चीस करोड़ तीस लाख बावन हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये) है।

(ख) इस संबंध में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के तदनुरूपी आंकड़े इस प्रकार हैं:

(I) 1989-90—20,09,62,356/-रु०

(बीस करोड़ नौ लाख बासठ हजार तीन सौ छप्पन रुपये)।

(II) 1990-91—23,15,39,258/-रु०

(तेइस करोड़ पन्द्रह लाख उनतालीस हजार दो सौ अठावन रुपये)।

दिल्ली में ओबराय ग्रुप को भूमि पट्टे पर देना

731. श्री ललित उरांव: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा दिल्ली में होटल के निर्माण के लिए ओबराय ग्रुप को पेशकश के संबंध में 18 जून, 1992 के "दि पाइनियर" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्राइवेट पार्टियों को होटलों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर देने हेतु कोई दिशा निर्देश बनाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन से तथ्य मालुम कर लिए गए हैं। संबंधित भूमि बजट (सस्ते) होटल के निर्माण के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम को आबंटित की गई है।

इस संबंध में निगम ने होटल श्रृंखलाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिनका मूल्यांकन किया गया है। एक करार को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) होटलों के निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों को जो भूमि दी जाती है उसके लिए शर्तें भूमि के मालिकों द्वारा निर्णीत की जाती हैं। भारत सरकार ने होटल परियोजनाओं को जो कि स्वैच्छिक स्कीम है, अनुमोदित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं।

उड़ीसा में डाक जीवन बीमा

732. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में डाक बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के

दौरान डाक जीवन बीमा योजना के विकास के लिए आवंटित धनराशि और प्रचार पर किया गया खर्चा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आवंटित राशि	किया गया खर्च
1989-90	0.5 लाख रु०	43, 023 लाख रु०
1990-91	1.0 लाख रु०	85, 555 लाख रु०
1991-92	0.9 लाख रु०	69, 180 लाख रु०

उपर्युक्त धनराशि समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग्स, प्रचार समाग्री, डाक जीवन बीमा के उपहारों आदि पर खर्च किया गया।

डाक जीवन बीमा के लिए नया कारोबार अर्जित करने के प्रयोजन से सर्किल में कुल 11 विकास अधिकारी और 4 फील्ड अधिकारी नियुक्त हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 3 वर्षों के दौरान नया कारोबार अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी गई राशि निम्नानुसार है:-

1989-90	1,90,683 रु०
1990-91	1,60,039 रु०
1991-92	2,21,811 रु०

उड़ीसा सर्किल में डाक जीवन बीमा के काम को आधुनिक बनाने के लिए डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए प्रशासनिक अनुमति ले ली गई है। कम्प्यूटर इस वित्तीय वर्ष में लगा दिया जाएगा।

(ख) उड़ीसा सर्किल में वर्ष 1992-93 के लिए 20 करोड़ रुपये के नये कारोबार का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश के गांवों में डाकघर

733. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के कितने मुख्य गांवों में डाकघर नहीं है; और

(ख) 1992-93 के दौरान राज्य में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने नए डाकघर स्थापित किए जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) आन्ध्र प्रदेश में 5892 ग्राम पंचायत वाले गांवों को मिलाकर बिना डाकघर वाले गांवों की कुल संख्या 18420 है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 1992-93 के दौरान नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वे आय, दूरी और जनसंख्या संबंधी निर्धारित मानदंड पूरे करते हों। आन्ध्र सर्किल के लिए लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सिक्किम में डाकघर और तारघर

734. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सिक्किम में कितने डाक और तारघर खोले गए हैं;

(ख) तत्संबंधी वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान ऐसे और अधिक डाक-तार घर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, सिक्किम में 13 शाखा डाकघर खोले गए थे जबकि 1991-92 के दौरान 13 शाखा डाकघर और 5 संयुक्त डाक-तारघर खोले गए।

(ख) सिक्किम में 1990-91 और 1991-92 के दौरान खोले गए डाकघरों और संयुक्त डाक-तारघरों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1992-93 के दौरान सिक्किम में और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वे निर्धारित मानदंड पूरे करें और धनराशि उपलब्ध रहे तथा इस संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हों। वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य अभी घोषित किया जाना है।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 991-92 के दौरान सिक्किम में खोले गए डाकघरों और तारघरों का विवरण

1990-91		1991-92	
क्रम सं॰	डाकघर का नाम	क्रम सं॰	डाकघर का नाम
1.	गार	1.	अनिथांग
2.	मझनराज	2.	अमपा
3.	फंतान	3.	रामथांग
4.	शितगेर	4.	निदिहम
5.	संगमो	5.	पानबिंग
6.	पंयाग	6.	रेमेन्दु
7.	तिंगमो	7.	ताजू
8.	नामफिन्ग	8.	सोमीक
9.	बोनसन	9.	सिंगिथांग
10.	केतांग	10.	संगनाथ
11.	पाबोंग	11.	सालघरी
12.	रोंग	12.	पिपाले
13.	मोनपुर	13.	फामथांग

क्र स०	संयुक्त डाक-तारघर
1.	शैामलिक मार्चक
2.	अह्यांगतांग
3.	अरितार
4.	पांचेखैनी
5.	पश्चिम पेंदाम

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों को टेलीविजन के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाना

735. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आदिवासी, पिछड़े, सुदूर, ग्रामीण और सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों को टेलीविजन के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है;

(ग) क्या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर गढ़वाल के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में दूरदर्शन का विस्तार करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) यद्यपि सरकार द्वारा ऐसी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है फिर भी दूरदर्शन देश में अपनी विस्तार योजनाएं तैयार करते समय आदिवासी, पिछड़े, सुदूर, ग्रामीण, सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज के विस्तार को समय-समय पर प्राथमिकता देता रहा है।

(ग) और (घ) इस समय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भिन्न-भिन्न शक्ति के 15 दूरदर्शन ट्रांसमीटर और 3 दूरदर्शन ट्रांसपोजर कार्यरत हैं। इन ट्रांसमीटरों में से एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) एक अल्प शक्ति (100 वाट) और 3 अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और 2 ट्रांसपोजर (2×10 वाट) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में कार्यरत हैं। गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर और चमोली जिले के जोशीमठ में अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर भी इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना देश में दूरदर्शन विस्तार के लिए साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

हाल की औद्योगिक हड़ताल का एअर इंडिया, एयरलाइंस और वायुदूत पर प्रभाव

736. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15 जून, 1992 को हुई राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल के परिणामस्वरूप एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की कितनी उड़ाने ठप्प रहीं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक विमान सेवा को कितना अनुमानित घाटा हुआ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) 15 जून, को नहीं बल्कि 16 जून को औद्योगिक हड़ताल के कारण प्रभावित उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार है:—

1. एयर इंडिया — शून्य
2. इंडियन एयरलाइंस ने मूल 189 अनुसूचित उड़ानों की तुलना में 39 उड़ाने प्रचालित कीं
3. वायुदूत — 3

(ख) 1. एयर इंडिया — शून्य
2. इंडियन एयरलाइंस — 1.37 करोड़ रुपये
3. वायुदूत — केवल नाममात्र की हानि।

बिहार और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं

737. **श्री छेदी पासवान:**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग-अलग कौन-कौन सी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं तथा ये किन-किन स्थानों से प्रकाशित होती हैं और इनकी कितनी-कितनी प्रतिलिपियां प्रकाशित की जाती हैं; और

(ख) इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के विरुद्ध गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार संकलित सूचना के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश से करीब 4,000 पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रकाशित पत्रिकाओं का ब्यौरा संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में बिहार और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली 35 पत्रिकाओं के प्रसार दावों के मामले में शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 28 पत्रिकाओं के मामले में प्रसार संख्या की जांच की जा चुकी है और 7 पत्रिकाओं की जांच का कार्य प्रगति पर है।

महाराष्ट्र में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

738. **श्री यशवंत राव पाटिल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में उन स्थानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें 1992 के दौरान "एस॰टी॰डी॰" तथा ग्रुप डायलिंग सुविधा से जोड़ने का विचार है;

(ख) महाराष्ट्र में, विशेषकर अहमदनगर जिले में, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर 1992 के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1992 के दौरान महाराष्ट्र के जिन स्थानों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है उनका जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जिन स्थानों में वर्ष 1992 के दौरान ग्रुप डायलिंग सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

महाराष्ट्र के उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1992 के दौरान एसटीडी सुविधा और ग्रुप डायलिंग प्रदान करने का प्रस्ताव है।

एस०टी०डी० सुविधा

जिला	स्थानों के नाम
अहमदनगर	कोपरगांव रवहौरी
जलगांव	सावदा, जामेर, अमलनेर
नासिक	भिओला, घोटी, दुर्गतपुरी
पुणे	तलगांव डमटेर
रायगढ़	कारजाट, रोहा, मुर्द
चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
धूले	सकीरी, नवलगांव
कोल्हापुर	कागल, बूटी बोरी, बदगांव
नागपुर	मौदा, कटोल, रामटेक, सौपरे, उमरेद, नरखड
परभानी	सैलू, बोरी, बासमत, हिंगोली
सतारा	फालटेन, लोनंद
सिंदुदुर्ग	वनगुरुला, सावंतवादी, कन्कावली,
सोलापुर	अकालकोट, मोहोल, अकलूज, पंडारपुर
भंडारा	शाहपुर
अकोला	करंजा, मुरटिजापुर
अमरावती	डमनगांव रेलवे
औरंगाबाद	पैथान, वैजापुर, कन्नाड
बीड	पारलीवैजनाथ
बुलदाना	चिरवाली
जालना	अमबाद
उसमानाबाद	तुलजापुर
रतनागिरी	छिपलनपुर, लोट
थाने	नलसोपारा, पालधर, वालिब, पुरबाद, डाहानु, वादा
वरधा	हिंगघाट
योतमल	पंद्रारकंवादा

ग्रुप डायलिंग सुविधा:—

ग्रुप डायलिंग सुविधा से संबंधित ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण-II

वर्ष 1992 के दौरान महाराष्ट्र के जिन स्थानों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है, उनकी जिलेवार संख्या।

जिला	एक्सचेंजों की संख्या
अहमदनगर	6
नासिक	3
ठाणे	3
सतारा	3
शोलापुर	3
बीड	2
लतूर	2
उसमानाबाद	3
कुल	25

वर्ष 1992 के दौरान जिला अहमदनगर में प्रस्तावित नए एक्सचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है:

एक्सचेंज का नाम	तहसील
अरनगांव	अहमदनगर
खौदगांव	अहमदनगर
वीरगांव	अकोला
दुरेमांव	करजार
वघोली	शिवगाँव
क्वाथा	श्रीगोंडा

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा भानवाथपुर का विकास कार्य

739. **श्री लाल बाबू राय :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भावनाथपुर (जिला गढ़वा बिहार) का विकास कार्य बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या विकास कार्यों में तथाकथित अनियमितताओं की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) भावनाथपुर लाइम स्टोन खान जून, 1990 तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन थी। जून, 1990 से भावनाथपुर स्थित लाइम स्टोन खान को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के रॉ-मैटिरियल डिविजन के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित कर दिया गया है। अतः इससे संबंधित विकासीय कार्य रॉ-मेटिरियल डिविजन द्वारा किये जा रहे हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भावनाथपुर खान तथा इसके परिसरीय क्षेत्र के विकास पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(लाख रुपये)

वर्ष	पूंजी	राजस्व	परिसरीय
1989-90	शून्य	7.13	4.43
1990-91	1.5	6.42	कोई मंजूरी नहीं
1991-92	7.7	28.10	12.0

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

740. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल राज्य में 1 जुलाई, 1992 को टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे; और

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए केरल में दूरसंचार विकास की क्या योजनाएं तैयार की गई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु): (क) 1.7.1992 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए 2,30,060 आवेदन विचाराधीन पड़े हैं।

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान, पूरे देश के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:—

सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना तथापि, केरल राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को पहले ही टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची को दो वर्ष की अवधि तक सीमिति करना।

चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल राज्य में 80000 नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने की योजना है। तद्नुसार केरल राज्य के लिए दूरसंचार विकास योजनाएं बनाई गई है।

[अनुवाद]

बिहार में पटना और पालीगंज के बीच यू॰एच॰एफ॰ संचार सम्पर्क

741. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पटना, विक्रम और पालीगंज (बिहार के बीच यू॰एच॰एफ॰ संचार सम्पर्क स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) (i) पटना-बिहटा के लिए 120 चैनल डिजिटल अति उच्च आवृत्ति प्रणाली मौजूद है।

(ii) बिहटा-विक्रम की 30 चैनल डिजिटल अति उच्च आवृत्ति प्रणाली 1993-94 के दौरान चालू किए जाने की योजना है।

(iii) विक्रम-पालीगंज की 10 चैनल डिजिटल अतिउच्च आवृत्ति प्रणाली 1993-94 के दौरान चालू किए जाने की योजना है।

(घ) लागू नहीं होता।

छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना

742. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में अभी तक कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना से की जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई शुरू कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य की कुल कितने हेक्टेयर भूमि को अभी तक छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में 1990-91 तक ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र का अनुमान 23426 हेक्टेयर लगाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) मध्य प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 473 हेक्टेयर क्षेत्र लगाया गया है।

(ङ) उष्ण कटिबन्धी और शुष्क जोन फल एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान इस स्कीम के लिए

20.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इस स्कीम के आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदला जाना

743. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से रखे जाने का इरादा है।

असम में टेलीफोन एक्सचेंजों का परिवर्तन

744. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष एक्सचेंजों को कब तक परिवर्तित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) 1.7.92 की स्थिति के अनुसार, इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं। 226 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 155 इलैक्ट्रोनिक टाइप के एक्सचेंज हैं।

(ग) शेष इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले जाने का प्रस्ताव है:—

(I) सभी एम ए एक्स-III टाइप इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों को वर्ष 1993-94 तक बदल दिया जाएगा।

(II) एम ए एक्स-II टाइप इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को वर्ष 1994-95 तक बदल दिया जाएगा।

(III) अन्य इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को उनकी समय अवधि समाप्त होने पर बदला जाएगा।

विवरण

जिलावार संख्या 1.7.1993 तक की स्थिति के अनुसार

क्रम सं॰	जिला	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	इलैक्ट्रानिक मैकेनिकल एक्सचेंजों की संख्या	जोड़
1.	कछार	16	06	22
2.	हैलाकन्डी	03	3	06
3.	करीमगंज	09	04	13
4.	धुबरी	06	04	10
5.	कोकराझार	04	01	05
6.	बोंगाईगांव	04	01	05
7.	गोलपाड़ा	05	00	05
8.	कामरूप	06	11	17

क्रम सं॰	जिला	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	इलैक्ट्रानिक मैकेनिकल एक्सचेंजों की संख्या	जोड़
9.	नलबाड़ी	01	03	04
10.	बनपाटा	07	01	08
11.	लखीमपुर	02	05	07
12.	डिब्रुगढ़	14	02	16
13.	तिनसुकिया	13	03	16
14.	धेमाजी	03	01	04
15.	नौगांव	11	05	16
16.	करबी अंगलोंग	06	01	07
17.	एन॰सी॰ हिल्स	04	02	06
18.	मारीगांव	01	01	02
19.	सिबसागर	08	03	11
20.	गोलाघाट	09	04	13
21.	जोरहाट	07	01	08
22.	सोनितपुर	10	03	13
23.	दारंग	06	06	12
		155	71	226

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की संख्या

745. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी विमान सेवाओं (एयरलाइंस) की तुलना में इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया में कर्मचारियों की संख्या अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी विमान सेवाओं की तुलना में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की प्रति विमान औसत संख्या कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) और (ख) इस समय इंडियन एयरलाइंस के मामले में प्रति विमान् कर्मचारियों की औसत संख्या 401 तथा एयर इंडिया के मामले में 726 है। विश्व में विभिन्न एयरलाइन्सों द्वारा अपनाये जा रहे क्रियाकलापों और उप-ठेका पद्धतियों के स्वरूप में काफी विभिन्नता है। अतः प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या पर आधारित वस्तु परक तुलना करना कठिन है।

केबल टी॰वी॰ / डिश एन्टिना को वैध करना

746. **डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव:**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टी॰ वी॰ / डिश एन्टिनाओं को वैध घोषित करने हेतु औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कब तक कानून बना दिया जायेगा; और

(घ) यह कितना उपयोगी सिद्ध होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि देश में केबल टी॰ वी॰ नेटवर्कों और डिश एन्टीना प्रणालियों के विनियमन से संबंधित विषय इस समय सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय तारघर के टेलीग्राफ कर्मियों की सेवाएं नियमित करना

747. **श्री चंद्रेश पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में गत आठ से नौ वर्षों से बिना अवरोध के कार्य कर रहे रिजर्व ट्रेड पूल स्टाफ के कई कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी सेवाओं को कब तक नियमित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जो कि 27.3.90 से गैर हाजिर है और उन्हें सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी की जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं।

दिल्ली बिजली बोर्ड

748. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिये एक स्वतंत्र बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित बोर्ड कब तक स्थापित हो जायेगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) दिल्ली के पुनर्गठन के बारे में स्थापित की गई सरकारिया / बालाकृष्णन समिति ने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य बिजली बोर्ड के स्वरूप के अनुरूप दिल्ली के लिए स्वायत्तशासी बिजली बोर्ड स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। इस मामले में निर्णय लिया जाना, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन किए जाने समेत विभिन्न प्रशासनिक तथा विधिक औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली की बहु-मंजिली इमारतों में विद्युत उप-केन्द्र

749. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बहु-मंजिली इमारतों के परिसर में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) दिल्ली में बहु-मंजिली इमारतों के परिसरों में विद्युतीकरण कार्य के एक अंग के रूप में डेसू ने अनेक उपकेन्द्र स्थापित किए हैं। अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के अलावा विद्युतीकरण कराए जाने की इच्छुक सम्बन्धित एजेंसी के लिए, भार सम्बन्धी अपेक्षा के अनुसार उप-केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए डेसू को निःशुल्क अपेक्षित स्थल/निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में पेंशन निधि योजना

750. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटीआफ इंडिया लिमिटेड जैसे केन्द्रीय सरकार के कई उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों से पेंशन निधि योजना के माध्यम से काफी धन एकत्रित किया है;

(ख) क्या इन उपक्रमों में इस योजना को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/लिया जायेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी हां। इस्पात उद्योग से संबंधित राष्ट्रीय संयुक्त समिति में हुए समझौते ज्ञापन के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (एन०एम०डी०सी०) ने दिनांक 1.1.1989 से अपने कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता से 2% की दर से कटौती करना शुरू किया था ताकि पेंशन निधि बनाई जा सके। कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० (के०आई०ओ०सी०एल०) ने दिनांक 1.4.1992 से पेंशन निधि के लिए अपने कर्मचारियों से वसूली करना शुरू किया है।

(ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० में यह योजना दिनांक 1.4.1992 से कार्यान्वित की गई है। "सेल" तथा एन०एम०डी०सी० में अब तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सेल/एन०एम०डी०सी० द्वारा तैयार की गई योजना श्रमिकों के प्रतिनिधि को स्वीकार्य नहीं थी।

(घ) "सेल" ने सम्पूर्ण मुद्दों की जांच करने तथा सिफारिशें करने के लिए निदेशकों की एक समिति बनाई है ताकि योजना को कार्यान्वित करने के उपायों का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हाथरस में टेलीफोन एक्सचेंजों का बदला जाना

751. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान हाथरस संसदीय चुनाव क्षेत्र में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान करने तथा प्रत्येक एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया था;

(ख) क्या यह सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंजवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एस॰टी॰डी॰ सुविधा उपलब्ध न कराने के मुख्य कारण हैं—उपयुक्त भूमि टावर सामग्री और उपस्करों का उपलब्ध न होना मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण न होना और आगरा स्थित टी ए एक्स के साथ जोड़े जाने के लिए इन एक्सचेंजों में, हाथरस एक्सचेंज को छोड़कर, उपयुक्त संचारण माध्यम का उपलब्ध न होना।

अतरौली और सिकन्दराराव में मार्च, 93 तक एस॰टी॰डी॰ सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंगलौर में पोतभार सुविधाएं

752. **श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब और पूर्वी योरोप के देशों को फलों और सब्जियों का निर्यात करने के लिए बंगलौर में पोतभार सुविधाएं उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस के अलावा, लुफथांसा और कुवैत एयरवेज बंगलौर से सामान उठाते हैं। बंगलौर स्थित मैसर्स मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि॰ नामक कार्गो हैंडलिंग एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

753. **श्री अर्जुन सिंह यादव**:
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:
श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31, मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में डाकघर नहीं थे;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान जिला-वार कितने डाकघर खोले गये;

(ग) सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान डाकघर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिना डाकघर के गांवों की संख्या 95,362 थी।

(ख) 1991-92 के दौरान खोले गए जिला-वार डाकघर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस वर्ष के दौरान पहले स्वीकृत किए गए 90 और डाकघर खोले जाएंगे। वर्ष 1992-93 के दौरान इसके अलावा भी और डाकघर मंजूर किए जाएंगे और खोले जाएंगे।

(घ) उत्तर प्रदेश में 8वीं योजना में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या पर अभी निर्णय लिया जाना है। इसके लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान खोले गए डाकघरों के बारे में जिला-वार सूचना

क्रम सं०	जिला	डाकघरों की संख्या
1.	आगरा	—
2.	अलीगढ़	—
3.	इलाहाबाद	13
4.	अल्मोड़ा	7
5.	बलिया	7
6.	बांदा	8
7.	बस्ती	21
8.	बरेली	7
9.	बहराइच	8
10.	बुलंदशहर	7
11.	देवरिया	7
12.	इटावा	—
13.	फैजाबाद	13
14.	गोरखपुर	19
15.	गोंडा	4
16.	गाजीपुर	18
17.	झांसी	3
18.	जौनपुर	11
19.	लखीमपुर खीरी	8
20.	मिर्जापुर	6

क्रम सं०	जिला	डाकघरों की संख्या
21.	मुरादाबाद	5
22.	प्रतापगढ़	20
23.	रायबरेली	13
24.	सुलतानपुर	18
25.	सीतापुर	13
26.	वाराणसी	21
27.	बाराबंकी	9
28.	बिजनौर	4
29.	बदायूं	6
30.	एटा	—
31.	फर्रूखाबाद	4
32.	फतेहपुर	7
33.	हरदोई	12
34.	हरिद्वार	—
35.	हमीरपुर	5
36.	लखनऊ	14
37.	ललितपुर	—
38.	कानपुर शहर	9
39.	कानपुर देहात	2
40.	उन्नाव	5
41.	मेरठ	2
42.	मुजफ्फर नगर	2
43.	सहारनपुर	5
44.	गाजियाबाद	12
45.	देहरादून	1
46.	पौड़ी	5
47.	चमौली	8
48.	टेहरी	—
49.	मथुरा	—
50.	रामपुर	—
51.	नैनीताल	4
52.	पीलीभीत	—
53.	पिथौरागढ़	1
54.	शाहजहांपुर	2

क्रम सं०	जिला	डाकघरों की संख्या
55.	महाराजगंज	5
56.	आजमगढ़	5
57.	मऊ	4
58.	सिद्धार्थनगर	8
59.	सोनभद्र	1
60.	जालौन	—
61	फिरोजाबाद	—
62.	मैनपुरी	—
63.	उत्तरकाशी	—

[अनुवाद]

समाचार पत्रों को विज्ञापन

754. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
प्रो० रीता वर्मा:
श्री चेतन पी० एस० चौहान:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई से प्रकाशित होने वाले ऐसे दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें दृश्य एवं श्रव्य निदेशालय ने वर्ष 1991 तथा 30 जून, 1992 तक विज्ञापन दिये और प्रत्येक समाचार पत्र को कितने विज्ञापन दिये गये;

(ख) क्या दृश्य एवं श्रव्य निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) वित्तीय वर्ष 1991-92 की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा ऐसे आंकड़ों का संकलन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार की नीति, प्रचार आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संमत और न्यायसंगत ढंग से विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रहता है। किसी समाचार पत्र के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता।

विवरण

दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गये विज्ञापनों की संख्या
टाइम्स आफ इंडिया	2052
इंडियन एक्सप्रेस	2153
हिन्दुस्तान टाइम्स	2272
नेशनल हेराल्ड	1232
पेट्रिआट	921
इवनिंग न्यूज	48
स्टेट्समैन	964
समाचार पोस्ट	264
दि इकोनोमिक टाइमस	126
हिन्दुस्तान	1519
नवभारत टाईम्स	1334
सांध्य टाइम्स	33
व्यापार भारती	75
बन्देमातरम्	491
पंजाब केसरी	1127
भारत भावना	355
व्यापार केसरी	53
वीर अर्जुन	614
जनसत्ता	947
सांध्य भारत	18
सांध्य वीर अर्जुन	29
अमृत इण्डिया	448
पब्लिक एशिया	153
दिनकाल	313
जागरण	1158
द पेज	241
अमन व्यापार	1
अप्राहन्त समाचार मेल	9
राष्ट्रीय सहारा	4
आवाम	286
तेज	244
कौमी आवाज	554
मिलाप	435

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गये विज्ञापनों की संख्या
प्रताप.	489
जदीद-इन-दिनों	227
मसरीक-ई-आवाज	203
फैसल जदीद	232
उस्मान की आवाज	96
इन्तिबाह-ए-जदीद	112
गरम हवा	1
पन्क्लिक समाचार	175
जत्थेदार	384
डेली एड्यूकेटर	544

कलकत्ता से प्रकाशित समाचारपत्र

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गए विज्ञापनों की संख्या
दि टेलीग्राफ	1741
कलकत्ता आबजर्वर	612
इवनिंग ब्रीफ	45
बिजनेस स्टेंडर्ड	178
दि इकोनोमिक टाइम्स	52
विश्वामित्र	276
सन्मार्ग	472
छपते-छपते	88
रूपलेखा	145
प्रकाश	101
प्रभु राष्ट्र	25
सेवा संसार	93
प्रथा	53
परीक्षित	80
काल रात्रि	19
सूत्रकार	21
दि रोजाना हिन्द	60
गाजी	82
आजाद हिन्द	140
आकाश	270
अखबार-ए-मसरिक	77
नवा-ए-हाल	54

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गये विज्ञापनों की संख्या
आसरे जैदीद	71
इकरा	67
आबशार	43
मुद्दाबीर-ए-हिन्द	23
नवी प्रभात	194
आनन्द बाजार पत्रिका	564
आजकल	531
दैनिक बासमती	217
गणशक्ति	152
कालान्तर	185
पैगाम	306
नातुन पृथ्वी	34
बर्तमान	678
सन्धया आजकल	5

बम्बई से प्रकाशित समाचारपत्र

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गए विज्ञापनों की संख्या
इंडियन एक्सप्रेस	798
फ्री प्रेस जरनल	947
मिड-डे	333
डेली	1009
टाइम्स आफ इंडिया	1049
आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरी	93
दि इंडिपेन्डेंट	76
फाइनेन्सिल एक्सप्रैस	177
दि इकोनौमिक टाइम्स	8
नवभारत टाइम्स	576
विश्वामित्र	170
दो बजे दोपहार	15
इन्क्लाब	432
उर्दू टाइम्स	275
हिन्दुस्तान	222
महाराष्ट्र टाइम्स	551
साकाल	511
मुम्बई तरून भारत	123

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गय विज्ञापनों की संख्या
नवशक्ति	127
नवाकल	494
सन्धयाकाल	42
लोकसत्ता	297
सामना	311
समकालीन	47
जन्म भूमि	197
जन्मभूमि (प्रवासी)	102
मध्यान्तर	43
गुजरात समाचार	102
हिन्दुस्तान	189
मराठिया मुरासु	64
कला कौमुदी	9

मद्रास से प्रकाशित समाचारपत्र

प्रकाशन का नाम	1991-92 के दौरान दिए गए विज्ञापनों की संख्या
इंडियन एक्सप्रेस	1370
न्यूज टूडे	1193
मुसलमान	487
थांथी	961
मलाई मलार	102
दीनामलार	283
दीनामणि	452
मलाई मुरासु	52
मक्काल कुराल	193
दीनाकरन	463
विदिवेल्ली	95
अलाई ओसाई	137
कुमारी मुरेसु	167
वेत्री मलाई	3

[हिन्दी]

समाचारों का प्रसारण

755. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की राज्यों के स्थानीय समाचारों के लिए निर्धारित समय में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारित करने संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या गैर-स्थानीय समाचारों को अधिकतम समय दिया जाता है और वे ही समाचार राष्ट्रीय बुलेटिन में पुनः प्रसारित किये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय समाचारों को प्राथमिकता देने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क)से (ग) प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट समाचार बुलेटिनों में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समाचारों के लिए कोई निर्धारित समयावधि आबंटित नहीं की गई है। यद्यपि इन समाचार बुलेटिनों में स्थानीय समाचारों को महत्व दिया जाता है फिर भी, केवल स्थानीय भाषा जानने वाले दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को उनमें शामिल करना आवश्यक समझा जाता है। तथापि, संपूर्ण समाचार बुलेटिन समाचारों की प्राप्ति और उनके समाचारिक महत्व पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में दूरदर्शन रिले केन्द्र का क्षतिग्रस्त होना

756. **श्री एन० डेनिस:**
श्री हरिकिशोर सिंह:
श्रीमती सरोज दुबे:
श्री वी० देवराजन:
श्री शरद यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1992 को बम फटने से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में श्रीनिवासनल्लूर स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) अप्रैल, 1992 में दूरदर्शन ट्रांसमीटर कुंभकोणम में एक बम फटा जिससे मामूली नुकसान हुआ। पुलिस ने मामले की छानबीन की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

गुजरात में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

757. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अभी तक स्थापित किये गये कम्प्युटरीकृत/इलेक्ट्रोनिक और गैर-इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्य में और अधिक उप-टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल 416 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और 691 गैर-इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां परन्तु केवल टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में।

(ग) चालू वर्ष के दौरान गुजरात में कुल 65 नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। अनंतिम जिलेवार प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:—

जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
अमरेली	10
बनासकांठा	7
भड़ुच	3
भावनगर	4
गोधरा	5
जामनगर	5
जनागढ़	4
खेड़ा (नड़ीयाद)	1
मेहसाणा	1
साबरकांठा	4
सुरेन्द्रनगर	3
अहमदाबाद	11
बड़ोदा (बड़ोदरा)	1
राजकोट	3
सूरत	3
जोड़	65

आकाशवाणी/दूरदर्शन से समाचारों का प्रसारण

758. **श्री मोहन रावले**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी से किन-किन भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं;

(ख) प्रत्येक भाषा में समाचारों का प्रसारण कब से हो रहा है;

(ग) दूरदर्शन पर मेट्रो तथा राष्ट्रीय नेटवर्क पर किन-किन भाषाओं में समाचारों का प्रसारण होता है; और

(घ) इन भाषाओं में समाचारों का प्रसारण कब से हो रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) आकाशवाणी द्वारा 20 भाषाओं और 47 बोलियों में समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। इन बुलेटिनों में से कुछ को 1927 में देश में नियमित रेडियो प्रसारणों की शुरुआत के समय से ही आरंभ किया गया था। प्रत्येक समाचार बुलेटिन को आरंभ करने की सही तारीखें केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में अगस्त 1982 से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। मेट्रो नेटवर्क पर अलग से कोई समाचार प्रसारित नहीं किये जाते।

[हिन्दी]

लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार

759. **श्री सत्य देव सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र के विस्तार का कार्यक्रम वर्ष 1991-92 में कार्यान्वित किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या "माइक्रोवेव लिंकेज" सुविधा को लखनऊ से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) 1991-92 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ का कोई बड़ा विस्तार करने का कोई कार्यक्रम नहीं था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधायें

760. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को एस०टी०डी० सुविधा के साथ जोड़ा गया;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को एस०टी०डी० सुविधा के साथ जोड़ने का विचार किया गया था तथा मई, 1992 तक कितने एक्सचेंजों में यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है और ये टेलीफोन एक्सचेंज कहां-कहां हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 437 टेलीफोन एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा से जोड़ा गया।

(ख) एक्सचेंजों के नामों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

प्रस्तावित 440 एक्सचेंजों में से, मई, 1992 तक 295 एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ग) मार्च, 1993 तक शेष 145 एक्सचेंजों के स्थानों का उल्लेख संलग्न विवरण-II में किया गया है जहां कि एसटीडी सुविधा प्रदान की जानी है।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान एसटीडी सुविधा से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम

आन्ध्र प्रदेश

पड्डापाली	जमतारा इसनापुर	बीबीनगर	यादगिरकुट्टा
नगरकुरनूल	सिरपुरकागजनगर	इछापुरम	पेडाबा
नकराकल	छितयाल	ड्राक्षारमा	ऐट इनक्लाइन
गुदलावल्लारू	हीरामण्डलम	पार्वतीपुरम	मिरयालागुडा
कोडावलूर	रिपाली	बेलमपल्ली	जानागांव
मेढछाल	घाटकेश्वर	सांघीनगर	संकरपल्ली
शमसाहाबाद चेवरी	विकराबाद	अट्टीली	पेरीछेरला

आसाम

तेजपुर	नागांव	जोनाई	अमगुड़ी
सारूपाथर देहमाजी	डुमडुमा	मंगलडोई	नलबाड़ी

बिहार

अररिया	बाघा	बिहटा	बेरमो
कहलगांव	लखीसराय	पाकुड़	रामगढ़
रक्सौल	सुपौल	बक्सर	भाबुआ
गढ़वा	जामुई	छतरा	ततीसिलवाई
बंका जमतारा	गोगढ़दिहा	झांझरपुर	निरमाली

...रात			
...खा	बड़ताल	धोल	ठमरगांव
...डरा	नन्देसारी	वापी	कोसम्बा
...म्बडी	दाहोद	प्रानतिज	कनोडर
...कालोनी	कुक्करवाडा	बालासिनोर	मनवादर
...रसाद	डाकोर	राखेल	मातर
हरियाणा			
चौखला	कुण्डली	मेहम	असरा
दारूहेड़ा	घरोंदा	नरायणगढ़	सोहना
गोहाना			
हिमाचल प्रदेश			
कुल्लू	कलपा	किलोंग.	
जम्मू व कश्मीर			
लेह	कारगिल	राजौरी	पुंछ
दोदा	बदगाम	पुलवामा	
केरल			
मुंडाकायम्	पूवाधुर	बालूसेरी	कंडाकडावू
छोट्टनीकारा	छेन्गामानाड	पीरमेडू	कहाकाडा
पुथेनकरूडा	नेदुनकन्दन	सस्थामकोहा	कलपेनी
छिरायाइनकिल	कल्लमबलम	किलीमानूर	मदकूरपल्लीकल
छवारा	ओछिरा	पद्मनापुरम	आंचल
वेहूपेहा	रामपुरम	भारंगनम	कुराविलंगड़
पूवारानी	अय्यारकुन्नम	इरूमेली	मामूड
कुरूप्पनथारा	मेथाल्लुर	वकथानन	बाहुर
कुमराकोम	मल्लापल्ली	कोनी	एसएलपुरम
कहापाना	देवीकोलम	कहूर	पुलीकोभूम

पेरीन्नामान	वेल्लांगालुर	इडापल	पुन्नाचुरकुलम
छेरपल्लासेरी	कोयाईमन्ना	कोडवायुर	थिरूरंगाडी
वेगांरा छेगांला	छेगांला	पाभूर	कोथुपराम्बा
पय्यनगाडी	कुम्बाला	उदमा	अन्जरा कण्डी
छेरूकुन्नूर			

कर्नाटक

पावगाडा	सान्दूर	मुलकी	कुंशल नगर
सोराब	श्रीनिवासपुर	बायादगी	कोल्लार
कुमटा	आरसीकेरे	बालेले	नन्दीबिलेडा
सिरीरंगापटना	बेलहोंगल	हुगुंड	छिलकुण्डा
कौप	दान्देली	बिलारे	पांडवपुर
छत्रागिरी	टी०एन० पुरा	के० आर० नगर	वाडी
पोलीबेहा	गोकाक	कोल्लेगल	मुदिगेरे
सौन्दाती	पेरियापटना	हुमनाबाद	चिन्तामनि
सी०आर० नगर	हुन्सूर	यादगिरी	सी०आर० बटना
मद्दूर	धर्मस्थला	कैगा	शाहबाद
काकरी			

महाराष्ट्र

कोदरगांव	शिरडी	पैथान	मुरतिजापुर
पालीवैजनाथ	बुलडाना	चालीसगांव	सावडा
गोकुलशिरगांव	छाकुर	उमरेड	काटोल
किनवट	मेडला	इगतपुरी	मोर
हिंगोली	नागोथाने	पेन	करजाट
छिपलन	मुइंडा	विटा	किर्लोसकरवाडी
पंदरपुर	दहानू	पालघर	मुरबाद
हिंगनघाट	बिछोलिम	कालनगुटे	

मध्य प्रदेश

बैतूल	छतरपुर	पन्ना	गुना
शिवपुरी	मांडला	नरसिंहपुर	राजगढ़

शाहडोल	सीधी	टीकमगढ़	शाजापुर
दमोह	सनवाड़	सिंगरौली	

उत्तर पूर्व

छुरछंदपुर	छान्डेल	करोंग	बिशनपुर
थौबल	मोन	सैहा	आर०के० पुर
कैलाशहर	टुएनसांग	वोखा	दापोरिजों
छांगलैंग फेक	मोककचुंग	जुनेबोते	जूनेबोटो
उसरूल			

उड़ीसा

राजनीलगिरी	रेमुना	उद्याला	रायरंगपुर
करांडिया	बदमाल	कांताबांजी	पालागढ़
सोनेपुर	अथागढ़	धनमंडल	जगतसिंघपुर
जाजपुरवउन	सालेपुर	आनन्दपुर	पालसपंगा
हिंडोल	भांजानगर	दिगापहन्दी	परलाखेमुण्डी
धर्मगढ़	राजखरियार	लक्ष्मीपुर	मलकांगेरी
उमरकोटे	बालिगुडा	बौध	कोर्नार्क
साखी गोपाल	नयागढ़	बरपाली	बेलपहाड़
ब्राजराज नगर	देवगढ़	कुछिन्डा	पदनमापुर
बीरमित्रपुर	राजगंगपुर	जोडा	पट्टामुण्डी·
केसिंडा	हिलांलीकट।		

पंजाब

अजनाला	बटाला	सुल्तानपुर लोधी	नकोदार
नवाशहर	आनन्दपुरसाहिब	समराला	बरनाला
मलेरकोल्ला	सुनार	फतेहगढ़ साहिब	समाना
जीरा	तलेवण्डी	मानसा	मुक्तसर
दासूया	गढ़शंकर	बालादार	रामपुरफूल

राजस्थान

बांदीकुई	छिरवा	दौसा	फालना
कोटपुतली	खेतड़ी	राजसंमद	लालसोट

मथानिया	नाथद्वारा	विजयनगर	अछरोला
शाहपुरा	शाहजहांपुर		

तमिलनाडु

सिरीपेरम्बुदूर	येरकाड	छेहीनाड	कुड्डालोर
सुरीयुर	किलाकराय	उलुडंरपेट	अम्बूर
शोलावन्दन	छिग्घोदे	अन्नामलाई	मुथुर
ओहनछाथीराम	कालाकुरिछी	उसीलमपट्टी	नाम्बियूर
नथवेली-I-II	ओमालुर	अन्दीपट्टी	कुम्बम
विरुधाचलम	कदायांनाल्लूर	केवरीपट्टन	अलनगुडी
पावूरछत्राम	नामगिरिपेट	कृष्णागिरी	सुरन्धाई
सीरमपालायम	अवलपुन्डूराय	वल्लापेडी	कुन्नापुर
इरायसर	वेलूर	मोदाकुरीछी	पडलोर
इट्टावैठालाई	क्रिश्चियनग्राम	छत्तरपति	दलवाईपुरम

उत्तर प्रदेश

झांसी	फर्रूखाबाद	सोनभद्र	टिहरी
उत्तरकाशी	ऐतमादपुर	रसरा	आंवला
नौगढ़	खलीलाबाद	हाटा	फेरेन्दा
बागपत	मिश्रिख	गढ़मुक्तेश्वर	उंचाहार
जैनपुर	साथेरिया	मलवान	भीमताल
डिबियापुर	सिकन्दरराव	बाझापुर	रनिया
नीमसार	गोला गोकरण नाथ	तुलसीपुर	मोतीचूर
देघाला	नवाबगंज	फतेहपुर सीकरी	चौरीचौरा
दुधवा पार्क	जिम कार्बेट पार्क	लैंसडाउन	रेनूकूट (पीपरी)
पल्लीकला	सिकन्दराबाद	ऋषिकेश	पिलखुवा
शामली			

पं० बंगाल

तारकेश्वर	कैनिंग	जोईनगर	फतेहपुर
बंकुरा	बिशनुपुर	सन्तालदेही	कोन्टाई
बेलदा	बेरहामपुर	नलहाटी	गाल्सी
जमालपुर	सतगाछिया	सेहराबाजार	कालीगंज
नक्सलवारी	दिनहाटा	बीरपाड़ा	बानरहाट

विवरण-II

मार्च, 1993 तक एसटीडी सुविधा प्रदान किए जाने वाली संभावित एक्सचेंजों (वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित 440 एक्सचेंजों में से शेष) के नाम

आन्ध्र प्रदेश

हीरामण्डलम	कोडवालूर	जनगांव	नकराकल

आसाम

अमगुडी	डुमडुमा

बिहार

बाघा	कहलगांव	लखीसराय

गुजरात

नान्देसरी	लिम्बाडी	कनोदर	मातर
मानावादर	डाकोर	पडरा	कोसाम्बा
बोरसाद	राखेल		

हरियाणा

कुण्डली	मेहम	घरौंदर	सोहना

जम्मू और कश्मीर

बदगाम	पुलवामा

केरल

कहापाना	फुल्र्लकोत्रू	पुण्याखुलम	पानूर
उदमा	मामूद	इडापाल	मेवाल्लुर
यल्लापल्ली	कुट्टुकरबा	कुम्बला	

कर्नाटक

पोल्लिबेटा	मासुर	शहाबाद	नन्दीबिलेग
पांडवपुर	के आर नगर	चिन्तामनि	यादगिरी
हुंगु	छन्नागिरी	वाडी	पेरियापटना
सी०आर० नगर	सी०आर० परम		

महाराष्ट्र

गोकुलशीरगांव	छिपलन	किर्लोस्करवाडी	पालघर
शिरडी	पारलीवैजनार्थ	चालीस गांव	छाकुर
किनवट	भोर	पेन	पैथरा
यवला	हिंगोली	विठा	हिंगजघाट

उड़ीसा

रायरंगपुर	करनजिर	राजखरियार	देवगढ़
केसिंघा			

पंजाब

अजनाला	नवाशहर	समराला	सुनाम
मुक्तसर	बालछौर	बटाला	नकोदर
बरनाला	तलवण्डी	फतेहगढ़साहिब	
दसौया	रामपुरापुल	सुल्तानपुर लोधी	
आनन्द साहिब	मलेरकोटला	समाना	मानसा
गढ़शंकर			

राजस्थान

फलना	लालसोट	शहाजहांपुर	अछरोल
छिरावा	खेतड़ी		

तमिलनाडु

अन्दीपहटा	अन्नूर	नेयवेल-I-II	कोवेरीपट्टानम
केलारकराय	ओमालुर	आलनगुडी	पदलुर
पेट्टावथालाई	क्रिश्चियन ग्राम		

उत्तर प्रदेश

सलीलाबाद	टांडा	गजरौला	सिकन्दरा
तुलसीपुर	दुधवा पार्क	ऋषिकेश	औखला
हाटा	मिश्रिख	मुराद नगर	जैनपुर
भीमताल	बाजपुर	नीमसार	फतेहपुर सीकरी
जिम कार्बेट पार्क	पल्लियाकलां	एतमादपुर	गढ़मुक्तेश्वर
साथेरिया	बिबियापुर	रनिया (केपी)	डेघाला
चोरी चोरा	लैंस डाउन		

पं॰ बंगाल

फतेहपुर	संथालदिही	सतगछिया	दिनहाटा
कोन्टाई	गा़लसी	सेहरा बाजार	कालियागंज
बीरपाड़ा	गलहाटी	जमालपुर	नाजलबाड़ी
बालरहाट			

एअर इंडिया के सामने चुनौतियां

761. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की विमान सेवायें एयर इंडिया के लिए भारी गतिरोध उत्पन्न कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) डेल्टा एयरलाइंस नामक एक यू॰ एस॰ कैरियर पहले ही भारत के लिए परिचालन कर रहा है। अमरीका सरकार ने दो और वाहक, अर्थात यूनाइटिड एयरलाइन्स और अमरीकन एयरलाइंस नामित किये हैं। ये विमान-वाहक एअर इंडिया के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा उपलब्ध करा सकते हैं जो चुनौती से निपटने के लिए यू॰ एस॰ ए॰ में नये स्थानो को सेवाएं परिचालित करने की संभावना की जांच कर रही है।

पर्यटन योजना

762. **श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन :**
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की पर्यटन योजना की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(ङ) पांडिचेरी में कौन-कौन से पर्यटन स्थलों का पता किया गया है; और

(च) सरकार ने वहां पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। 5.5.92 को संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य निम्नानुसार हैः—

— क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना

— रोजगार के अवसर बढ़ाना

— विशेषकर बजट श्रेणी हेतु स्वदेशी पर्यटन का विकास करना

— राष्ट्रीय विरासत एंव पर्यावरण का संरक्षण करना

— अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास करना और विदेशी मुद्रा आय को अधिकाधिक बढ़ाना

— पर्यटन उत्पाद का विविधीकरण करना

— विश्व पर्यटन में भारत के हिस्से को बढ़ाना

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर एक समीक्षा शुरू की गई है।

(ङ) और (च) पर्यटक स्थलों का विकास करने एवं अभिनिर्धारण करने की जिम्मेवारी मुख्यतया पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है। तथापि, पर्यटन विभाग से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

763. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्थापना किए जाने की तिथि से अब तक राज्यवार गांवों का विद्युतीकरण करने और पम्पसैटों को बिजली के कनैक्शन देने के कार्य में कितनी प्रगति की है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को इस कार्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर०ई०सी०) द्वारा अपनी स्थापना से लेकर मार्च, 1992 के अन्त तक गांवों के विद्युतीकरण एवं पम्पसैटों के अर्जन के मामले में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आर०ई०सी० द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.92 की स्थिति के अनुसार आरईसी स्कीम के अन्तर्गत संचयी वास्तविक प्रगति (अंतिम)

क्र०सं०	राज्य	गांव	पम्पसैट
1.	आन्ध्र प्रदेश	14907	876037
2.	अरुणाचल प्रदेश	465	

क्र०सं०	राज्य	गांव	पम्पसैट
3.	असम	15807	1922
4.	बिहार	31966	103438
5.	गोवा		
6.	गुजरात	7708	266187
7.	हरियाणा	90	193810
8.	हिमाचल प्रदेश	11072	2312
9.	जम्मू और कश्मीर	4244	1656
10.	कर्नाटक	8850	461521
11.	केरल	151	146564
12.	मध्य प्रदेश	50444	719035
13.	महाराष्ट्र	13322	853552
14.	मणिपुर	1092	29
15.	मेघालय	2142	58
16.	मिजोरम	309	0
17.	नागालैण्ड	730	160
18.	उड़ीसा	22570	47051
19.	पंजाब	3908	396024
20.	राजस्थान	20510	266838
21.	सिक्किम	277	
22.	तमिलनाडु	807	443657
23.	त्रिपुरा	2785	1274
24.	उत्तर प्रदेश	43542	273287
25.	पश्चिम बंगाल	21903	75525
	जोड़	279601	5129937

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र०सं०	राज्य	संवितरित राशि (लाख रु० में) (अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	12486
2.	अरुणाचल प्रदेश	1641
3.	असम	3600
4.	बिहार	8336
5.	गोवा	
6.	गुजरात	9447

क्र॰सं॰	राज्य	संवितरित राशि (लाख रु॰ में) (अनंतिम)
7.	हरियाणा	6597
8.	हिमाचल प्रदेश	2094
9.	जम्मू और कश्मीर	1773
10.	कर्नाटक	7552
11.	केरल	4305
12.	मध्य प्रदेश	40811
13.	महाराष्ट्र	18915
14.	मणिपुर	2773
15.	मेघालय	1780
16.	मिजोरम	1572
17.	नागालैण्ड	665
18.	उड़ीसा	9383
19.	पंजाब	6781
20.	राजस्थान	12684
21.	सिक्किम	1145
22.	तमिलनाडु	10186
23.	त्रिपुरा	2162
24.	उत्तर प्रदेश	22071
25.	पश्चिम बंगाल	110112
	कुल जोड़	199771

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

764. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयीं;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में ऋण दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार से है:—

	ग्राम विद्युतीकरण		पम्पसैटों का अर्जन	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1989-90	2365	1832	20000	19573
1990-91	2350	2207	16100	18506
1991-92	750	702	12500	21361
		(अनंतिम)		(अनंतिम)

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्यों तथा आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

विमान किराये में वृद्धि

765. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):**
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू:
श्री जार्ज फर्नांडीज:
प्रो॰ राम कापसे:
श्री शरद दिघे:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और वायुदूत के यात्री किराए में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान विमान किराये में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) रुपया मुद्रा समायोजनों के कारण लागतों को पूरा करने की दृष्टि से एअर इंडिया ने 15.7.1992 से प्रभावी सभी आयटा तथा द्विपक्षीय किरायों में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। वायुदूत ने राजस्व तथा परिवाहन लागतों के बीच असंतुलन को कम करने के लियं अपने नेटवर्क के कुछ सैक्टरों पर किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

विवरण

	किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण
1.	**इंडियन एयरलाइंस**	
	1.7.1989	सभी अंतर्देशीय यात्राओं पर भारत सरकार द्वारा मूल किराये के 10% की दर से लागू किया गया अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर (आई॰ए॰टी॰सी॰)
	9.7.1989	300 किलो मीटर दूरी के सैक्टरों पर मूल किराये में 30% की वृद्धि। 301 किलोमीटर और इससे अधिक की दूरी वाले सैक्टरों पर मूल किराये में 20% की वृद्धि।
	11.4.1990	ईंधन अधिभार में वृद्धि। कुल किरायों में 15.7% की वृद्धि। बर्धित राशि ईंधन अधिभार अंश में जोड़ी गई।
	1.7.1990	भारत सरकार द्वारा अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर मूल किराये के 10% से बढ़ाकर कुल किराये का 15% किया गया।
	26.9.1990	जी॰ई॰सी॰ (गल्फ निष्क्रमण सरचार्ज) कुल किराये के 10% की दर से लागू किया गया (मूल+ईंधन अधिभार)
	7.10.1991	गल्फ निष्क्रमण अधिभार ईंधन अधिभार के साथ मिला दिया गया। मूल किराये में कुल किराये (मूल किराया + ईंधन अधिभार + जी॰ ई॰ सी॰) के 9% की वृद्धि। ईंधन अधिभार में कुल किराये (मूल किराया + ईंधन अधिभार + गल्फ निष्क्रमण अधिभार) के 11% की वृद्धि।
2.	**एयर इंडिया**	
	23.04.1989	सभी किराये में 5% की वृद्धि
	10.05.1989	वैयक्तिक परिभ्रमण किरायों में 10% की वृद्धि
	15.05.1989	सभी किरायों में 5 प्रतिशत वृद्धि
	16.05.1989	सभी किरायों में 5 प्रतिशत वृद्धि
	30.05.1989	सभी किरायों में 5 प्रतिशत वृद्धि
	29.06.1989	सामूहिक पर्यटन किरायों में 15 प्रतिशत वृद्धि
	1.07.1989	सामान्य किरायों में क्रमशः 15%/10% वृद्धि
	1.08.1989	सभी किरायों में 5% वृद्धि
	7.08.1989	सामान्य किराये में 5% वृद्धि

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण
1.9.1989	सामान्य / आयटा संवर्द्धन किरायों में 5% वृद्धि
20.9.1989	वैयक्तिक भ्रमण किराये में 17.7% वृद्धि
16.11.1989	सभी आयटा किरायों में 3% वृद्धि
16.11.1989	सभी आयटा किरायों में 12.4% वृद्धि
15.12.1989	सभी आयटा किरायों में 12% से 15% की वृद्धि
1. 4.1990	द्विपक्षीय वाई॰जी॰वी॰ 4 किरायों में वृद्धि (क) बंबई-मारीशस 10.01% (ख) दिल्ली-मारीशस 30.30% द्विपक्षीय वाई॰जी॰वी॰ 4 का दायरा कलकत्ता-मारीशस और मद्रास-मारीशस तक बढ़ाया गया।
1.4.1990	वाई॰ई॰ / जी॰वी॰ / वाई॰ए॰पी॰ 25 / वाईजेड / वाई॰डी॰ किरायों में 10% की वृद्धि।
1.4.1990	सामान्य किरायों में 5% की वृद्धि सिवाय बंबई से बी॰के॰के॰ / सी॰ए॰एन॰ / एच॰के॰जी॰ / के॰एच॰एच॰ / एम॰एन॰ एल॰ / एस॰एच॰ए॰ / टी॰पी॰ई॰ / के लिए प्रथम श्रेणी किरायों में 8% वृद्धि के आयटा / द्विपक्षीय विशेष किरायों में 10% की वृद्धि सिवाय कलकत्ता से मनीला के वाई॰ई॰ 3एम किरायों में 5% वृद्धि के।
16.4.1990	यू॰एस॰ए॰ / कनाडा के लिये सभी किरायों में 9.6% और 19.0% के बीच वृद्धि। मेक्सिको के लिये सभी किरायों में 10% और 12.3% के बीच वृद्धि। वेनेजुएला के सिवाय मिड एटलांटिक एरिया के स्थानों के लिये— (क) बंबई / दिल्ली से सभी किरायों में 10% वृद्धि। (ख) कलकत्ता / मद्रास से सभी किरायों में 10% वृद्धि जमा आई॰एन॰आर॰500
16.4.1990	सामान्य किरायों में 5% वृद्धि।
16.4.1990	सभी आयटा किरायों में 5% वृद्धि। बच्चों के किराये, वयस्क किरायों के 67% पर स्थापित किए गए (वृद्धि 34%)।

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण
15.5.1990	सभी किरायों में 10% वृद्धि सिवाय, ओ॰के॰ए॰ के लिए 6% के सिवाय दिल्ली से प्रथम श्रेणी पर 5%। ओ॰के॰ए॰ के लिये 5% के सिवाय कलकत्ता से प्रथम श्रेणी पर 8%। पेक्स किरायों पर 4% वृद्धि।
1.6.1990	आयटा किरायों में 5% वृद्धि।
1.6.1990	भारत से 10% वृद्धि।
1.6.1990	भारत से 8% वृद्धि। द्विपक्षीय वाई॰ई॰ किरायों के लिये।
15.6.1990	बच्चों के किराये, वयस्क किरायों के 67% पर स्थापित किये गए (वृद्धि 34%)
15.6.1990	बंबई से 25% वृद्धि।
20.6.1990	द्विपक्षीय वाई॰ई॰ 3एम किराये स्थापित किये गए।
1.7.1990	एफ॰ओ॰ डब्ल्यू ,एफ॰आर॰टी॰/वाई॰ओ॰डब्ल्यू किरायों में 7% वृद्धि वाई॰आर॰टी॰-यथास्थिति। सी॰ओ॰डब्ल्यू/ वाई॰आर॰टी॰, संशोधित वाई॰ओ॰डब्ल्यू/वाई॰आर॰टी॰ किरायों में 115% पर पुनः स्थापित किये गए (वृद्धि सी॰ओ॰डब्ल्यू 11.86% सी॰आर॰टी॰ 4.54%)।
15.8.1990	एफ॰आर॰टी॰*/वाई॰आर॰टी॰* यथास्थिति सी॰ओ॰डब्ल्यू*/ सी॰आर॰टी॰* संशोधित वाई॰ओ॰डब्ल्यू*/वाई॰आर॰टी॰ संशोधित वाई॰ ओ॰डब्ल्यू*/वाई॰आर॰टी॰ का 115% (वृद्धि 11.86%/4.54% क्रमशः) फिनलैंड के लिये। 11.86%/4.54% क्रमशः) फिनलैंड के लिये। एफ॰ ओ॰ डब्ल्यू पर 7%। एफ॰आर॰टी॰ यथास्थिति। सी॰ओ॰डब्ल्यू 11.87%वृद्धि। सी॰आर॰टी॰ 4.54% वृद्धि। वाई॰ई॰/वाई॰जी॰वी॰ किरायों में 5% वृद्धि। लंदन के लिये वाई॰एल॰डी॰/वाई॰एच॰डी॰ किरायों में 5% वृद्धि एम॰ओ॰डब्ल्यू॰ के लिये वाई॰ जेड किराये में 27.54% वृद्धि।
1.10.1990	सामान्य किरायों में 2% वृद्धि।
1.10.1990	त्रिकोणीय और आर॰टी॰डब्ल्यू किरायों सहित सभी किरायों पर 7% वृद्धि।

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण
18.10.1990	सभी किरायों पर 7% वृद्धि।
15.11.1990	मिस्र को 5% के अलावा सामान्य किरायों पर 10% वृद्धि। मिस्र/ईरान को 8% के अलावा जी० आई० पी० पर 15% वृद्धि। जे०ई०डी०/एमईडी को यू०एम०आर०ए०एच० किरायों पर 10% वृद्धि। डी०एक्स०बी०, एस०एच०जे को वाई०ई० किरायों पर 15% वृद्धि।
1.12.1990	सभी किरायों पर 7% वृद्धि।
1. 1.1991	सभी किरायों पर 7% वृद्धि।
1. 1.1991	भारत से होकर 7% वृद्धि।
1. 1.1991	भारत से होकर 7% वृद्धि।
1. 4.1991	एफ०ओ० डब्ल्यू/वाई०ओ०डब्ल्यू/किरायों पर 7% जमा 7% वृद्धि। एफ०आर०टी०/वाई०आर०टी० किरायों पर 7% वृद्धि। संशोधित वाई का सी की दर से 115% वृद्धि। सभी संवर्धन किरायों पर 15% वृद्धि। व्यस्क किरायों के 67% पर सामान्य किरायों के लिए शिशु किराया।
15. 4.1991	एफ०/वाई० किराए स्तर पर 15% वृद्धि।
15. 4.1991	उत्तरी अटलांटिक को। एफ०ओ० डब्ल्यू किरायों पर 7% जमा 10% वृद्धि। एफ०आर०टी/वाई०ओ०डब्ल्यू/वाई०आर०टी० किरायों पर 10% वृद्धि। वाई० का सी की दर पर 115%। जी०आई०टी० पर 15% के अलावा संवर्धन किरायों पर 12% वृद्धि। व्यस्क किरायों के 67% पर सामान्य किरायों के लिए शिशु किराया। व्यस्क किरायों के 75% पर सभी संवर्धन किरायों के लिए शिशु किराया। वाई०ई० 4एम० के लिए एम०टी०पी० जब प्रोत्साहन ग्रुप के लिए उपयोग किया जाए—किराया जमा आई०एन०आर० 4000 वाई०जी०वी० 4 किरायों के लिए एमटीपी—कुल अवधि के लिए किरायों जमा आईएनआर 3500

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण	
15. 4.1991	एफओडब्ल्यू/वाई॰ओ॰डब्ल्यू किरायों पर 7%+10% वृद्धि। एफआरटी/वाईआरटी और यूएमआरएएच किरायों पर 10% वृद्धि। जीआईटी/वाईई 3एम किरायों पर 15% वृद्धि। वाई का सी की दर पर 110% मिस्र के अलावा वाई का 115% की दर पर। व्यस्क किराया का 67% डीएक्सबी/एचएचजे का वाईई के लिए शिशु किराया।	
15. 4.1991	आयरलैंड/यू॰के॰ के अलावा यूरोप को:— सीसीयू/एमएए से 5% के अलावा सामान्य किरायों पर 7% वृद्धि विशेष किरायों पर 9% वृद्धि। आयरलैंड/यू॰के॰ को सीसीयू/एमएए से 3% के अलावा सामान्य किराये पर 5% की वृद्धि। विशेष किराये पर 7% वृद्धि।	
15. 4.1991	एफ॰ ओ॰ डब्ल्यू॰/वाई॰ओ॰डब्ल्यू पर 7%+7% वृद्धि। वाई का 115% की दर पर सीवाईई 3 एम किरायों पर 10% वृद्धि। जीआईटी किरायों पर 5% वृद्धि। वाईई 60 से एनवीओ और ई 35 से एमआरयू पर 10% वृद्धि। जीवी 4 से एमआरयू पर 5% वृद्धि।	
16. 4.1991	भारत से होकर 10% वृद्धि।	
1. .6.1991	भारत से होकर 10% वृद्धि।	
1.10.1991	भारत से होकर 15% वृद्धि।	
1.10.1991	सभी किरायों पर 10% वृद्धि।	
1.12.1991	संवर्धन किरायों पर 3% सामान्य किरायों पर यथास्थिति।	
27.12.1991	तीनकोणीय किरायों पर 2% वृद्धि भारत/यू॰के॰/केन्या।	भारत से कनाडा
4. 1.1992	संवर्धन किरायों पर 3% वृद्धि। सभी किरायों पर 2% वृद्धि।	तक
10. 4.1992	सामान्य प्रथा और इकोनामी आरटी किरायों पर 10% नए प्रथम और इकोनामी क्लास आरटी किरायों पर 55% पर स्थापित प्रथम/इकोनामी क्लास ओडब्ल्यू सामान्य किराए। मिस्र को 110% के अलावा ओडब्ल्यू/आरटी नए इकोनामी क्लास किरायों के 115% पर लागू मध्यवर्ती क्लास किराए सभी विशेष किरायों पर 10%। बम्बई/दिल्ली/सीसीयू॰/त्रिवेन्द्रम से डीएक्सबी/एसएचजे को द्विपक्षीय वाईई 3एम किराये के अनुरूप 10% तक वृद्धि।	भारत से मध्यपूर्वी तक

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण	
13. 4.1992	सभी सामान्य और संवर्धन किरायों पर 10% नए प्रथम/मध्यवर्ती/इकोनामी क्लास आरटी किरायों के 55% पर स्थापित प्रथम/मध्यवर्ती/इकोनामी क्लास ओ डब्ल्यू सामान्य किराए।	भारत से यूरोप तक
15. 4.1992	सामान्य प्रथम और इकोनामी आरटी किरायों पर 10% दिल्ली से अफ्रीका तक वाई०ई० 3एम किरायों पर 5% के अलावा सभी विशेष किरायों पर 10% आरटी किरायों के 55% पर स्थापित प्रथम/इकोनामी क्लास ओडब्ल्यू सामान्य किराए। संशोधित इकोनामी क्लास किरायों के 115% पर पुनःस्थापित मध्यवर्ती क्लास किराये।	
28. 4.1992	प्रथम/इकोनामी श्रेणी आर०टी० किरायों के 12% मध्यवर्ती श्रेणी, इकोनामी श्रेणी किराये के 115% ओ०डब्ल्यू सामान्य किराये, आर०टी० किरायों के 55% सभी संवर्धन किरायों पर 12%।	
1. 5.1992	15% वृद्धि।	
12. 5.1992	प्रथम/इकोनामी श्रेणी आर०टी० किरायों के 12% मध्यवर्ती श्रेणी, इकोनामी श्रेणी किराये के 115% ओ०डब्ल्यू सामान्य किराये, आरटी किरायों के 55% सभी संवर्धन किरायों पर 12%।	
1. 6.1992	सामान्य और संवर्धन किरायों पर 10%।	

3. वायुदूत लिमिटेड

अप्रैल, 1990	ए०टी०एफ० मूल्यों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु 15.7% की वृद्धि।
जुलाई, 1990	वित्त मंत्रालय द्वारा एकत्रित अंतर्देशीय हवाई यातायात कर प्रारंभिक मूल किराये के 10% से बढ़ाकर कुल किराये के 15% किया गया।
सितम्बर, 1990	गल्फ अधिभार, मूल किराये के 10% जमा ईंधन अधिभार की दर से लागू किया गया।
अक्तूबर, 1991	ए०टी०एफ० के मूल्य में वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन के कारण अतिरिक्त भारत वसूल करने के लिए 20% वृद्धि।

किराये में वृद्धि की प्रभावी तारीख	विवरण
मार्च, 1992	20 मार्च, 1992 से वायुदूत ने अपनी शुरूआत से लेकर अब तक हुये घाटे को कम से कम करने हेतु अपने कुछ मार्गों पर किराये में वृद्धि की है।

वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर

766. श्री श्रीकांत जेना: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के बेड़े का निपटान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है; और

(घ) वेस्टलैंड बेड़े के निपटान के परिणामस्वरूप कितना घाटा होने कि संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चूंकि वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए वित्त व्यवस्था एक अनुदान के माध्यम से यू॰के॰ सरकार द्वारा की गई थी, अतः अनुदान की शर्तों के अनुसार इन हेलीकॉप्टरों के निपटान के लिए उक्त सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के निपटान के लिए यू॰के॰ सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

767. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):**
श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से निष्पादित किया जा रहा है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है और इनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध न होने के कारण लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रहीं वृहत् सिंचाई परियोजनाएं तथा उनकी प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उन परियोजनाओं की सूची, जो विश्व बैंक की संभावित सहायत हेतु सूची में रखी गई है संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निकटता से मानीटरी की जाती है और राज्य सरकारों को समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यान्वयन उपायों के बारे में सलाह दी जाती है।

विवरण-I

विश्व बैंक द्वारा प्राप्त निर्माणाधीन वृहत् सिंचाई परियोजनाओं की सूची

	परियोजना का नाम	दान देने वाला अभिकरण	सहायता की राशि	संचयी उपयोग 31.5.92 तक
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परि० (क्रेडिट 1665-आई एन/ऋण 2662-आई एन)	अ०वि०सं० अ०पु० और वि० बैंक	एस०डी०आर० 127.5 मिलियन (डालर 174.110 मिलियन) अमरीकी डालर 41.00 मिलियन	45.310 मिलि०
	गुजरात			
2.	सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना (क्रेडिट 1552-आई एन/ऋण 2497)	अ०वि०सं० अ०पु० और वि० बैंक	एस०डी०आर० 99.7 मिलियन (डालर 136.150 मिलियन) अमरीकी डालर 200.00 मिलियन	122.120 मिलियन
3.	सरदार सरोवर जल आपूर्ति और जल निकास परियोजना (क्रेडिट 1553-आई एन)	अ०वि०सं०	एस०डी०आर० 149.5 मिलियन (डालर 197.600 मिलियन)	184.473 मिलियन
	कर्नाटक			
4.	अपर कृष्णा सोपान-2 सिंचाई परियोजना	अ०वि०सं० अ०पु० और वि० बैंक	एस०डी०आर० 119.00 मिलियन (डालर 162.500 मिलियन) अमरीकी डालर 85.00 मिलियन	43.330 मिलियन
	महाराष्ट्र			
5.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-III परियोजना (क्रेडिट 1621-आई एन)	अ०वि०सं०	एस०डी०आर० 166.4 मिलियन (डालर 224.220 मिलियन)	50.120 मिलि०
	पंजाब			
6.	पंजाब सिंचाई एवं जलनिकास परियोजना (क्रेडिट 2076-आई एन/ऋण 3144-आई एन)	अ०पु० और वि० बैंक अ०वि०सं०	अमरीकी डालर 00.00 मिलियन एस०डी०आर० 117.5 मिलियन (डालर 155.670 मिलियन)	21.290 मिलियन
	उत्तर प्रदेश			
7.	अपर गंगा आधुनिकीकरण परियोजना (क्रेडिट 1619-आई एन)	अ०वि०सं०	एस०डी०आर० 117.5 मिलियन (डालर 155.330 मिलियन)	87.300 मिलियन

	परियोजना का नाम	दान देने वाला अभिकरण	सहायता की राशि	संचयी उपयोग 31.5.92 तक
	तमिलनाडु			
8.	पेरियार वैगाई सिंचाई-II परियोजना (क्रेडिट 1468-आई एन/एस एफ-16-आई एन)	अ०वि०सं० एस०एफ०	एस०डी०आर० 16.6 मिलियन (डालर 21.660 मिलियन)	18.855 मिलियन
			एस०डी०आर० 16.6 मिलियन (डालर 22.670 मिलियन)	11.355 मिलियन

अ०वि०सं०—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अ०पु० और वि० बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एस०डी०आर०—स्पेशल ड्राइंग राइटस।

विवरण-II

सम्भव सिंचाई सूची

एफ वाई 93 सरदार सरोवर परियोजना नहर-II पुनर्वास तथा ओ० एण्ड एम०-I (हरियाणा) (कंगसबती)
सुवर्णरेखा (उड़ीसा)

एफ वाई 94 जल संसाधन समेकन-I
(महाराष्ट्र अथवा उड़ीसा)
जल विज्ञान आंकड़ा संकलन तथा प्रेषण
(बहुराज्य)
पुनर्वास तथा ओ० एण्ड एम०-II
(सुवर्णरेखा बिहार-II)

एफ वाई 95 जल संसाधन समेकन-II (राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु)
प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास
भूजल विकास (पुनरुद्धार करने वाला राज्य)
(नर्मदा सागर)

एफ वाई 96 राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना-II और/अथवा
ओ० एण्ड एम०-III
जल संसाधन समेकन III
बाढ़ नियंत्रण (पूर्वी भारत)
उत्तर पश्चिम जल निकास

गुजरात में उच्च शक्ति तथा कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर

768. श्री महेश कनोडिया:
श्री रतिलाल वर्मा:

श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के विभिन्न जिलों में इस समय उच्च शक्ति तथा कम शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर चल रहे हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रभावी संप्रेषण के लिए "डिस्क" लगाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) इस समय गुजरात में 3 उच्च शक्ति, 28 अल्प शक्ति और एक अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इन ट्रांसमीटरों के स्थान का ब्यौरा इस प्रकार है:—

ट्रांसमीटर	स्थान
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अहमदाबाद, द्वारका और राजकोट
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	आहवा, अम्बाजी, अमरेली, भरूच, भाब्बर, दौहाद, भावनगर, भुज, धूराजी, गोधरा, जूनागढ़, जामनगर, केवाड़िया कालोनी, नवसारी, पीलनपुर, पाटन, सोनगढ़, पोरबंदर, देदीपाड़ा, सूरत, सुरेन्द्र नगर, थराड, बड़ोदरा, वलसाड, वेरावल, कोसम्बा, छोटा उदयपुर और मेहसाना।
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	ककरापार

(ख) भुज के मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (10 कि०वा०) ट्रांसमीटर में बदलने की योजना बनाई गई है। अन्तिरिम उपाय के रूप में, इस ट्रांसमीटर को 1992-93 के दौरान 1 कि०वा० की कम शक्ति पर चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट सुविधा

769. **डा० सी० सिलवेरा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में स्पीड पोस्ट सुविधा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सेवा हेतु स्लैबवार शुल्क निर्धारित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां, स्पीडपोस्ट सेवा 62 शहरों/कस्बों और राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत 6 एक्सटेंशन काउंटरों तथा 130 स्थानों पर प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा चालू की गई है।

(ख) स्थानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) विभिन्न स्थानों के लिए डाक प्रभार का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

500 कि॰ मी॰ के भीतर के स्थानों के लिए

200 ग्राम तक भार की डाक वस्तु के लिए 20 रु॰ लिये जाते हैं, 500 ग्राम तक भार की डाक वस्तु के लिए 30/- रु॰ और 501 ग्राम या उससे अधिक भार या उसके भाग की वस्तु के लिए प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 10/- रु॰ अतिरिक्त लिए जाते हैं।

500 कि॰ मी॰ से अधिक की दूरी के स्थानों के लिए

200 ग्राम तक भार की डाक वस्तु के लिए 30/- रु॰ लिये जाते हैं, 500 ग्राम तक भार की डाक वस्तु के लिए 40/- रु॰ और 501 ग्राम या इससे अधिक भार या उसके भाग की वस्तु के लिए प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 15/- रु॰ अतिरिक्त लिये जाते हैं।

विवरण

देश के उन शहरों/कस्बों के नाम जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है।

राज्य का नाम	राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत स्पीड पोस्ट केन्द्र	प्वाइंट-टू-प्वाइंट सेवा के अंतर्गत स्पीड पोस्ट केन्द्र
1	2	. 3
1. आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	1. कुरनूल
	2. विजयवाड़ा	2. गुन्टूर
	3. तिरूपति	, 3. राजामुन्दरी
	4. विशाखापटनम	4. काकीनाडा
		5. चिराला
		6. टाडेपल्लीगुडम
		7. अनन्तपुर
		8. भीमापुरम
2. असम	1. गुवाहाटी	1. डिब्रूगढ़
	2. सिल्चर	2. तिनसुकिया
		3. उत्तर लखीमपुर
		4. जोरहाट
		5. धुबरी
		6. तेजपुर

1	2	3
3. बिहार	1. पटना	1. गिरडीह
	2. रांची	2. दरभंगा
	3. जमशेदपुर	3. बेगुसराय
	4. धनबाद	4. कटिहार
		5. मोतीहारी
4. गुजरात	1. अहमदाबाद	1. राजकोट
	2. सूरत	2. जामनगर
	3. बड़ोदरा	3. सुरेन्द्र नगर
		4. अंकलेश्वर
		5. वापी
		6. गांधीधाम
		7. कांडला
		8. आनन्द
		9. वल्लभ विद्यानगर
		10. विट्ठल उद्योगनगर
		11. भावनगर
5. जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर (कार्य नहीं कर रहा)	
	2. जम्मू	
6. हरियाणा	1. फरीदाबाद	1. अम्बाला
	2. गुड़गांव (एक्सटेंशन काउंटर)	2. पानीपत
		3. रोहतक
		4. सोनीपत
		5. यमुना नगर
		6. पंच कुला
		7. हिसार
7. हिमाचल प्रदेश	1. शिमला	1. धर्मशाला
		2. मंडी
		3. सोलन
		4. परवानू
8. पंजाब	1. लुधियाना	1. अमृतसर
	2. जालंधर	2. पटियाला
		3. भटिंडा

1	2	3
9. कर्नाटक	1. बेंगलूर	1. हुबली
	2. मंगलूर	2. रानेबेन्नूर
	3. मैसूर	3. धारवाड़
		4. बेलगांव
		5. मणिपाल
		6. गुलबर्गा
		7. देवनगेरे
10. मेघालय	1. शिलांग	1. तूरा
		2. जोवाई
11. मणिपुर	1. इम्फाल	1. चूड़ाचादपुर
12. त्रिपुरा	1. अगरतला	1. कैलाशहर
		2. राधाकिशोरपुर
13. मिजोरम	शून्य	1. एजवाल
14. नागालैंड	शून्य	1. दीमापुर
		2. कोहिमा
15. अरूणाचल प्रदेश	शून्य	1. ईटानगर
		2. नाहरलागुन
16. केरल	1. अल्वाये	1. कोट्टायम
	2. कोचीन	2. अलेप्पी
	3. त्रिवेन्द्रम	3. पालघाट
	4. क्विलोन	4. त्रिचूर
	5. कालीकट	5. कन्नानोर
	6. त्रिचूर	6. मंजेरी
17. महाराष्ट्र	1. बंबई	1. शोलापुर
	2. नागपुर	2. कोल्हापुर
	3. पुणे	3. सांगली
	4. नासिक (एक्सटेंशन काउंटर)	4. अकोला
	5. थाणे (एक्सटेंशन काउटर)	5. अमरौटी
		6. औरंगाबाद
		7. अहृदनगर
		8. पन्दरपुर
		9. लोनावाला
		10. महाबलेश्वर
		11. पंचग्नानी
		12. खंडाला
		13. कोंकण

1	2	3
18. मध्य प्रदेश	1. भोपाल	1. जबलपुर
	2. रायपुर	2. रतलाम
	3. इंदौर	3. रीवा
	4. ग्वालियर	4. उज्जैन
19. तमिलनाडु	1. मद्रास	1. इरोडे
	2. कोयम्बटूर	2. करूर
	3. कांचीपुरम	3. पोल्लाची
	4. मदुरै	4. राजपलायम
	5. त्रिची	5. शिवकाशी
	6. सलेम	6. पुदुकोटाई
	7. त्रिरूपुर	7. थंजावूर
	8. होशुर (एक्सटेंशन काउंटर)	8. कुम्बाकोणम
		9. नेवेली
20. उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	1. बरेली
	2. कानपुर	2. देहरादून
	3. इलाहाबाद	3. नैनीताल
	4. आगरा	4. झांसी
	5. वाराणसी	5. मसूरी
	6. मेरठ	6. मथुरा
	7. मुरादाबाद	7. अलीगढ़
	8. गोरखपुर	8. बस्ती
	9. गाजियाबाद (एक्स्टेंशन कांउटर)	9. मुजफ्फरनगर
	10. नोएडा (एक्सटेंशन कांउटर)	10. मोदीगर
		11. रुड़की
		12. सहारनपुर
		13. गाजियाबाद
		14. नोएडा
		15. बहराइच
21. उड़ीसा	1. कटक	1. राउरकेला
	2. भुवनेश्वर	2. बारीपाड़ा
		3. बालासौर
		4. पुरी
		5. बरहामपुर
		6. बोलनगीर

1	2	3
		7. पाराद्वीप
		8. सम्बलपुर
22. राजस्थान	1. जयपुर	1. जोधपुर
		2. पाली
		3. बीकानेर
		4. कोटा
		5. अजमेर
		6. उदयपुर
		7. अलवर
		8. भरतपुर
		9. जैसलमेर
		10. श्रीगंगानगर
23. पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता	1. सिलिगुडी
	2. हावड़ा	2. हल्दिया आयल रिफाईनरी
24. सिक्किम	शून्य	1. गंगटोक
25. गोवा	1. पणजी (गोवा)	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र		
1. दिल्ली	1. नई दिल्ली	
2. पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	शून्य
3. चंडीगढ़	1. चंडीगढ़	शून्य
4. अंडमान व निकोबार	शून्य	1. पोर्टब्लेयर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

770. **श्री आनन्द अहिरवारः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिले दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत आ गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी जिलों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के सभी जिले कब तक दूरदर्शन नेटवर्क के प्रसारण क्षेत्र में आ जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) (ख) और (घ) मध्य प्रदेश के सभी जिले इस समय पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होते हैं।

(ग) राज्य के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली में विद्युत संकट

771. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**
श्री कमल चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में भारी विद्युत संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) दिल्ली में निर्बाध सप्लाई बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा रति वर्ष दिए जाने वाले आश्वासन के बावजूद भी दिल्ली में हर वर्ष विद्युत संकट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) दिल्ली में बिजली की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। अप्रैल से जून, 1992 की अवधि के दौरान बिजली की उपलब्धता में 0.7% की न्यूनतम कमी थी जिसे उपयुक्त भार प्रबन्धन तथा उद्योगों में व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लगा कर पूरी की गई थी। कुछ अवसरों पर खासकर ग्रीष्मकाल में, लोड शेडिंग करना, निम्न आवर्तिता तथा निम्न वोल्टता की दशाओं में उत्तरी ग्रिड की प्रणालीगत मानदण्डों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। दिल्ली में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डेसू विद्युत उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आयोजनाओं के अलावा अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली का विस्तार कर रहा है तथा उसे सशक्त बना रहा है।

[अनुवाद]

फरक्का में पन बिजली संयंत्र

772. **श्री चित्त बसु:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फरक्का के लिए 1986-87 में एक 125 मेगावाट पन बिजली संयंत्र के लिए स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस परियोजना का कार्य किस चरण में है; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) फरक्का बराज जल विद्युत परियोजना (125 मेगावाट) के बारे में परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। तथापि फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना किए जाने तथा जल संसाधन मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् औपचारिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है। लाभान्वित राज्यों की सहमति प्राप्त करना तथा सरकार द्वारा निर्धारित की गई लागत पर परियोजना से दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत क्रय किया जाना भी आवश्यक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा उड़ानों में कटौती

773. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने भारत के लिए अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं अथवा उड़ानों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप माल और यात्री यातायात तथा पर्यटन संभावनाओं पर भी, किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यातायात की मांग को पूरा करने के लिए क्या नीति अपनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय माल/यात्री परिवहन के इसके हिस्से में निरन्तर कमी हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे महंगे विमानों के मार्गों में उपयुक्त परिवर्तन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनका अधिकतम उपयोग हो सके?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान सबीना (बेल्जियन एयरलाइन) तथा चैकोस्लोवाक एयरलाइन्स ने भारत के लिए अपने परिचालन रोक दिए हैं। डेल्टा एयरलाइन्स ने पैनम का स्थान ले लिया है परन्तु इसकी क्षमता इससे पूर्व पैनम की क्षमता से अपेक्षाकृत कम है। उक्त विदेशी एयरलाइनों ने अपने वाणिज्यिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेवाएं रोक दी हैं/कम कर दी हैं।

(ग) से (घ) किसी प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है। कारगो यातायात अधिकतर "ओपन स्काई" नीति के अधीन परिचालित तदर्थ कारगो उड़ानों द्वारा किया जाता है। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्य एयरलाइनों को, यातायात की मांग से निपटने के लिए, उड़ानें परिचालित करने का अधिकार दिया जाता है।

(ङ) से (छ) अन्य विमान वाहकों से प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद, एयर इण्डिया ने अपना मार्केट शेयर कायम रखा है।

किदवई भवन, नई दिल्ली में आग लगना

774. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल:**
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई 1992 में किदवई भवन, नई दिल्ली में लगी आग के कारण दिल्ली टेलीफोन की विशेष सेवाएं प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अग्निकाण्ड में कुल कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इस घटना के एक माह बीत जाने के बावजूद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारी उक्त सेवाओं को सुचारु नहीं कर पाये हैं;

(घ) क्या जनपथ एक्सचेंज के टेलीफोन लाइनें भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो विशेष टेलीफोन सेवाओं और अन्य प्रभावित लाइनों को सुचारु बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) आग लगने के कारण का पता लगाने और इससे हुई हानि का मूल्यांकन करने के लिए दो समितियों का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं। सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं।

(घ) जी, हां। 2200 चालू कनेक्शनों सहित एक्सचेंज लेवल 35 पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है।

(ङ) 197 डायरेक्टरी पूछताछ के लिए 50 पोजिशंस बहाल कर दी गई हैं और 50 अतिरिक्त पोजिशंस जोड़ी जा रही हैं। 199 सहायता सेवा के लिए 20 पोजिशंस की बहाली की जा चुकी है और 10 अतिरिक्त पोजिशंस जोड़ी जा रही हैं।

(च) आधुनिक और अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय अग्नि संरक्षण प्रणालियों की संस्थापना की जा रही है। आशा है कि इनकी मदद से अग्नि दुर्घटना के विरुद्ध बेहतर संरक्षण मिलेगा।

वायुदूत के विमान बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाना

775. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत के विमान बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान शामिल करने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान शामिल करने का कार्य किस चरण में है; और

(घ) इस कार्य में कितनी धनराशि खर्च होगी और किस प्रकार के विमान खरीदे जायेंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) वायुदूत के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद उसके भविष्य के बारे में निर्णय लेने के उपरांत वायुदूत में विमानों की कमी करने अथवा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अकोला स्थित बिजली घर का आधुनिकीकरण

776. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में अकोला स्थित पारस विद्युत संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में अकोला स्थित पारस विद्युत केन्द्र के यूनिट 1 एवं 2 का 998 लाख रु० की अनुमानित लागत पर आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम (चरण-2) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ग) प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:—

(1) कोयला मिलों का नवीकरण।

(2) कोयला संचालन संयंत्र की अनलोडिंग कैपेसिटी में वृद्धि करना।

(3) नियंत्रण एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन का नवीकरण करना।

(4) बायलर ट्यूबों को बदलना।

(5) अनुपयुक्त फीड एण्ड स्टीम लाइन वाल्वों को बदलना।

(6) राख संचालन संयंत्र में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स की रिट्रोफिटिंग की व्यवस्था करना।

बोध घाट और इन्द्रावती नदी परियोजनायें

777. **श्री राम बदन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बोध घाट और इन्द्रावती नदी परियोजनाओं का कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या ये परियोजनायें अभी भी मंजूरी के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने और इनके पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) बोधघाट परियोजना (इन्दिरा सरोवर) का कार्य पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा वन दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति न दिए जाने के कारण रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने अब सितम्बर, 1991 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है।

"इन्द्रावती नदी परियोजना" नामक कोई परियोजना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मध्य प्रदेश में इन्द्रावती नदी पर भोपालपत्तनम, कुटरू-I, कुटरू-II और मटनार जल विद्युत परियोजनाएं क्रमशः 5/82, 4/85, 2/82 और 1/91 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थीं, जिन्हें परियोजना प्रस्तावों की पुनरीक्षा हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की सिफारिशों के उत्तर न देने के कारण क्रमशः 3/85, 4/88, 3/85 और 5/92 में राज्य को लौटा दिया गया।

[अनुवाद]

एअर इंडिया का पुनर्गठन

778. **श्री के० वी० तंग्काबालू:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया में उच्च पदों की पुनः संरचना और उसके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) एअर इंडिया का ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

779. श्री देवी बक्स सिंह:
श्री रामकृष्ण कुसमरिया:
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की सहायतार्थ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक के अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही भारत की यात्रा पर आ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए हाल ही में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया था कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विद्युत विभाग द्वारा आपसी रूप से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये और निजी क्षेत्र में तत्परता से विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एक कृतिक बल का गठन किया जाना चाहिये। यह भी सहमति हुई थी कि कृतिक बल की पहली बैठक सितम्बर, 1992 में होगी।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अधिगृहीत की गयी भूमि

780. कुमारी फ्रिडा तोपनो: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा इसकी स्थापना के लिए कितने भू-क्षेत्र का अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या उस सारे भू-क्षेत्र का जिस प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया गया था उसका पूर्णरूप से उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र अप्रयुक्त भूमि की बिक्री मूल आदिवासी लोगों को उसे लौटाये बिना ही कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आदिवासी लोगों के पुनर्वास के लिए अप्रयुक्त भूमि को उन्हें लौटाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) संयंत्र, बांध और खानों के निर्माण के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कुल लगभग 32,567.71 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की/ली गई थी।

(ख) लगभग 29,527.83 एकड़ भूमि संयंत्र, बांध, खानों के निर्माण के लिए तथा बस्ती, जन सुविधाओं, वृक्षारोपण, हरित पट्टी आदि के लिए उपयोग की गई है। इसमें समुद्र-तल, पहाड़ियों, नालों, नदी द्वारा कटाव

तथा उड़ीसा सरकार को सौंपी गई/सौंपी जा रही भूमि भी शामिल है। लगभग 3,039.88 एकड़ भूमि अनुप्रयुक्त है। इसमें से लगभग 2,958.10 एकड़ भूमि संयंत्र की बस्ती में जन सुविधाओं और संयंत्र की धमन भट्टी स्लैग, फ्लाई ऐश डालने, अतिरिक्त निर्माण आदि के लिए उपयोग करने की योजना तैयार कर ली गई है तथा 81.78 एकड़ भूमि खानों में जन सुविधाओं के लिए निश्चित की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के दूरसंचार विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

781. **श्री काशीराम राणाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात दूरसंचार में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार उनमें से स्वीकृत पदों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत थे; और

(ख) राज्य में किन-किन स्थानों पर मिल प्रबंधक दूरसंचार और डी०ई०टी० के कार्यालय हैं तथा उनकी संख्या कितनी है और निकट भविष्य में ऐसे कितने कार्यालय खोले जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात दूरसंचार विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या और संस्वीकृत पदों की संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:—

समूह श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क)	130	12	2
(ख)	562	43	16
(ग)	21097	2250	1441
(घ)	3992	999	404
(ङ) सफाई कर्मचारी	85	81	1
	25866	3385	1864

(ख) गुजरात के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं जहां जिला प्रबंधक/टेलीफोन जिला इंजीनियर कार्य कर रहे हैं:—

(1) जिला प्रबंधक—वलसाड़, नडियाड़, मेहसाणा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और भुज।

(2) टेलीफोन जिला इंजीनियर—गोधरा, भड़ौंच, पालनपुर, हिम्मतनगर, सुरेन्द्रनगर और अमरेली।

उपर्युक्त (1) पर उल्लिखित श्रेणी के कार्यालय खोलना समय-समय पर कार्यभार में वृद्धि होने पर निर्भर करता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

असमिया फीचर फिल्मों का प्रसारण

782. **श्री प्रबीन डेका:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान प्रसारित की गयी असमिया फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असमिया फिल्मों का प्रसारण अन्य क्षेत्रीय भाषायी फिल्मों के प्रसारण की तुलना में कम किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी महीनों में राष्ट्रीय नेटवर्क पर और अधिक असमिया फिल्मों का प्रसारण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) पांच (आलोकर अहबन, सेन मोनिया, माले अरु माराम, जूज और पियाली फुकन)।

(ख) जी, हां।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) और (ङ) असमिया फिल्मों सहित प्रादेशिक फीचर फिल्मों को उनकी बारी आने पर प्रसारित किया जाता है और दूरदर्शन के लिए वर्तमान व्यवस्था उचित समझी जाती है। जो फिल्में निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करती हैं, यदि निर्माताओं/अधिकार धारकों द्वारा प्रसारण के लिए प्रस्ताव किया जाता है, तो उन पर दूरदर्शन द्वारा गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा के जिलों में डाकघर

783. **डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र:**
श्री श्रीकान्त जेना:
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1992 तक उड़ीसा के कितने गांवों में डाकघर नहीं थे;

(ख) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत जिलावार तथा श्रेणीवार डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर, शाखा डाकघर खोलने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(घ) 1991-92 के दौरान उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों कितने डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में नए डाकघर खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और ये कब तक खोल दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) उड़ीसा में 31.3.92 की स्थिति के अनुसार 39,199 ग्राम ऐसे हैं, जहां कोई डाकघर नहीं है।

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने संबंधी निर्धारित मानदण्ड संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान, उड़ीसा के बालासोर जिले में छः डाकघर और मयूरभंज जिले में आठ डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित था।

(ङ) और (च) जी हां। तथापि, उड़ीसा सर्किल के लिए चालू वर्ष के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

उड़ीसा के ग्रामी क्षेत्रों में काम कर रहे डाकघरों के श्रेणीवार और जिला-वार ब्यौरेः

क्र०सं०	जिला	डाकघरों की संख्या			
		विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	विभागीय शाखा डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	कटक	102	66	1	899
2.	बालासोर	74	13	—	676
3.	क्योंझर	27	9	—	357
4.	धेनकनाल	32	13	—	391
5.	सुनन्दरगढ़	32	9	—	296
6.	सम्बलपुर	50	15	—	505
7.	पुरी	70	10	—	615
8.	बरहामपुर	62	16	—	661
9.	कालाहांडी	22	11	—	342
10.	फुलबनी	30	3	—	324
11.	बोलंगरी	24	7	—	284
12.	कोरापुट	51	2	—	584
13.	मयूरभंज	60	3	—	603

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलन के लिए 1.4.1991 से प्रभावित निर्धारित मापदंड/मानदंड

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1.4.91 से लागू हुए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं:

(i) जनसंख्या

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:
गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित)।

(ख) पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में:
किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000।

(ii) दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:
मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होगी।

(ख) पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में:
पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का औचित्य होगा, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में

(क) न्यूनतम अनुमानित आय लागत का $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:
न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से प्लान स्कीम के अन्तर्गत विभागीय उप डाकघर की मंजूर किए जाते हैं बशर्तें कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:—

(i) इस सकीम के अनतर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/नगर-क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में विभागीय उप डाकघर खोलना शामिल है। दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ii) प्रस्तावित उप डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iii) हालांकि, विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रुपए तक के घाटे की अनुमति दी जाती है। (पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों

में 4800 रु०)।

विभागीय उप डाकघर (गैर-योजना):

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाते हैं:—

(i) प्रारंभ में डाकघर आत्मनिर्भर होने चाहिएं परन्तु पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय इन्हें आगे बनाए रखने के लिए इनसे 5% लाभ होना चाहिए।

(ii) 20 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के मामले में दो डाकघरों के मध्य दूरी अब 1.5 किलोमीटर और अन्य शहरी क्षत्रों के लिए 2 किलोमीटर कर दी गई है।

(iii) शहरी क्षेत्रों में भविष्य में कोई अतिरिक्त विभागीय डाकघर नहीं खोला जायेगा।

[अनुवाद]

हा ॅट ब्लास्ट स्टोन प्रौद्योगिकी की आपूर्ति

784. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:
श्री तेज नारायण सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने हा ॅट ब्लास्ट स्टोन प्रौद्योगिकी .की आपूर्ति के लिए ह्यूगोविन्ज, नीदरलैंड के साथ कोई करार किया है,

(ख) यदि हां, इस करार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं,

(ग) यह करार देश के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगा, और

(घ) इस करार का कार्यान्वयन कब से किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) 22.1.1986 को मैसर्स ह्यूगोविन्ज के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो सेल को हाट ब्लास्ट स्टोव प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के अन्तरण के लिए 19.11.1986 से प्रभावी है।

(ख) इस करार की प्रमुख विशेषताएं चार विभिन्न परियोजनाओं के रूपांकन और इंजीनियरी के माध्यम से तकनीकी सहयोग और प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा पांच वर्ष के भीतर कार्यान्वयन चरणों के दौरान मैसर्स ह्यूगोविन्ज के विशेषज्ञों को सम्बद्ध करना है। इसमें रूपांकन और इंजीनियरी के क्षेत्र में नीदरलैण्ड में 320 व्यक्ति-सप्ताह

के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है इसमें भारतीय सीमा में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पूर्णतया लाइसेंस/सब-लाइसेंस तथा शाश्वत अधिकार की भी परिकल्पना की गई है। करार की अवधि 10 वर्ष होगी।

(ग) इस प्रौद्योगिकी से ऊर्जा संरक्षण, कोक दर तथा धमन भट्टी उत्पादकता में सुधार की आशा है।

(घ) कार्यान्वयन की समयावधि
प्रथम परियोजना (भिलाई इस्पात संयंत्र की धमन-भट्टी-6): मई 1991 में कार्यान्वित
द्वितीय परियोजना (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी-4): दिसम्बर 1993 में कार्यान्वित करने की संभावना है।
तृतीय परियोजना (राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी-4): चरण-1 1989 में कार्यान्वित। चरण-II कार्यान्वित की जानी है।
चतुर्थ परियोजना (राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी-1): कार्यान्वित की जानी है।
इन सभी चारों परियोजनाओं के रूपांकन और इंजीनियरी कार्य पूरे हो गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दोषपूर्ण मीटरों के कारण घाटा

785. श्री पंकज चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घाटा दोषपूर्ण मीटरों के कारण है;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को इस कारण प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ; और

(घ) दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि ऊर्जा मीटर खराब रहने की अवधि के दौरान ऊर्जा खपत का निर्धारण, पिछली औसत खपत के आधार पर किया जाता है, अतः उक्त कारणवश डेसू को होने वाली हानि के बारे में पता लगा पाना व्यवहार्य नहीं है। खराब मीटरों के ब्यौरे को कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में डेसू द्वारा कार्यवाही आरम्भ की गई है ताकि इस प्रकार के मीटरों को बदले जाने में तेजी लाई जा सके।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र और पत्रिकाएं

786. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र से प्रकाशित, पाक्षिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) नान्देड़ तथा परभणी जिलों से प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचारपत्रों के नाम क्या-क्या हैं और उनकी संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) पिछले दो वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(घ) उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार संकलित आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र से 1109 मासिक, 294 पाक्षिक और 874 साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं।

(ख) नांदेड़ और परभणी जिलों से प्रकाशित मासिकों, पाक्षिकों और साप्ताहिकों की संख्या नीचे दी गई है। इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं:—

	नांदेड़	परभणी
साप्ताहिक	22	11
पाक्षिक	2	—
मासिक	6	2

(ग) 1990 और 1991 के दौरान नांदेड़ और परभणी जिलों से प्रकाशित होने वाले मासिकों, पाक्षिकों और साप्ताहिकों के खिलाफ भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

1. 31 दिसम्बर, 1990 तक नांदेड़ जिले के पंजीकृत समाचार पत्र।

साप्ताहिक

1. नव नंदीग्राम
2. जनबिजादल

3. चक्रपाणि
4. जय क्रांती
5. जनवेदना
6. कर्तारनामा
7. लोकनेतृत्व
8. महासागर समाचार
9. मराठी स्वराज्य
10. नांदेड एक्सप्रेस
11. नांदेड वार्ता
12. संदेश भवन
13. संघर्ष वार्ता
14. सत्य विकास
15. श्रमिक एकजुट
16. वृती शाखा
17. एक जहाती
18. हालात
19. हरते श्याम
20. नागुशे
21. शहर
22. मेल जैन

पाक्षिक

1. सच खण्ड संदेश
2. वैदिक सेवाश्रम

मासिक

1. नंदीग्राम
2. वैश्य वाणी
3. सच खण्ड परपत्र
4. विद्या व्रत
5. रिसर्च बुलेटिन ऑफ मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी

6. शक्ति ब्रह्मा आश्रम समाचार

2. 31 दिसम्बर, 1990 तक परभणी जिले के पंजीकृत समाचार पत्र

साप्ताहिक

1. भूकंप
2. दलितवाणी
3. देशीकर लेन
4. दीप प्रभा
5. धर्म भूमि
6. गोंड तरंग
7. कलामनून समाचार
8. लोक कल्याण
9. लोक व्यथा
10. परभणी टाइम्स
11. शीख समाज

मासिक

1. रिसर्च बुलेटिन ऑफ मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी
2. शक्ति बरह्मा आश्रम समाचार

[अनुवाद]

उड़ीसा में पनबिजली क्षमता

787. **श्री के॰पी॰ सिंह देव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पन बिजली क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उड़ीसा में उपलब्ध पनबिजली स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) उड़ीसा की कुल मिलाकर 1983 मेगावाट (60% के भार अनुपात पर) की अनुमानित जल विद्युत शक्यता में से 36.42% शक्यता पहले ही अभिज्ञात कर ली गई है तथा 19.5% विकास के विभिन्न चरणों में है इसकी अपेक्षा अखिल भारतीय औसत शक्यता क्रमशः 14% और 7% है।

(ग) उड़ीसा में कुल मिलाकर 1222 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली आठ जल विद्युत परियोजनाएं पहले से ही प्रचालनाधीन है। कुल मिलाकर 776 मेगावाट क्षमता की चार जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं तथा 8वीं योजना के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत विभाग द्वारा आवधिक रूप से मानीटरिंग की जाती है। कुल मिलाकर 1503 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली तीन स्कीमों की परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 1398 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली सात जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित अन्वेषण कार्य विभिन्न चरणों में है। परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् क्रियान्वयन हेतु इनको स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाएगी बशर्तें संसाधन उपलब्ध हों। उपरोक्त परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में जो जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनाधीन, क्रियान्वयनाधीन हैं, व्यापक परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं, इन परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
	एक. प्रचालनाधीन परियोजनाएं	
1.	हिराकुड चरण-1	198
2.	हिराकुड चरण-2 (चिप्लिमा पीएच)	72
3.	रेंगाली चरण-1	100
4.	रेंगाली चरण-2	100
5.	बालीमेला	360
6.	हिराकुड चरण-3	37.5 एम

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
7.	अपर कोलाब	320
8.	मचकुन्द (उड़ीसा शेयर)	34.42
	उप जोड़ :	1221.92
दो. क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं		
1.	रैंगाली विस्तार	50
2.	अपर इन्द्रावती	600
3.	पोतेरू	6
4.	बालीमेला	120
	उप जोड़ :	776
तीन. परियोजनाएं जिनकी व्यापक परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है		
1.	भीमकुण्ड एम०पी०पी०	393
2.	मनुभाद्र एम०पी०पी०	960
3.	हिराकुड चरण-3 (सिप्वोल)	250
	उप जोड़ :	163
चार. ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए अन्वेषण सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं		
1.	मिडल कोलाब	600
2.	बैतरणी सालन्दी	300
3.	छातभंगी	30
4.	बेल्लीगाड्र	35
5.	गैरजोनखोल	25

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
6.	चिप्लिमा "ख"	200
7.	हिराकुड में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन	208
	उप जोड़:	1398
	जोड़:	4998.92

छोटा नागपुर (बिहार) में खनिज आधारित उद्योग

788. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटा नागपुर के लोग बिहार के छोटा नागपुर से खनिजों को बाहर ले जाये जाने का विरोध कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार छोटा नागपुर में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करके वहां की खानों और खनिजों का उपयोग करने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विभागेतर कर्मचारियों से संबंधित सावूर समिति

789. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभागेतर कर्मचारियों के लिए गठित "सावूर" समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए गठित सावूर समिति ने 171 सिफारिशें की हैं। इन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, उन्हें लागू किया जा चुका है।

विवरण

अतिरिक्त विभागीय प्रणाली (1986) की जांच समिति की रिपोर्ट

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	3.24	अतिरिक्त विभागीय कार्य प्रणाली को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए।	स्वीकृत।
2.	3.25	यदि शाखा कार्यालय को बंद करना अपेक्षित हो, तो ग्रामीण लाइसेंस डाक एजेंसी प्रणाली को प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे मामलों में एजेंटों को इस विषय पर विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए एक अनुबन्ध करना होगा।	लाइसेंस पोस्टल एजेंट कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में किसी प्रकार का विशेष निर्णय नहीं लिया जाना है।
3.	4.9	डाक व्यवस्था में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली को डाक के कार्य निष्पादन हेतु जारी रखने के लिए एक मामला मौजूद है। अन्य गैर डाक कार्य अंशकालिक या नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा पूरे किए जायेंगे जैसा कि अन्य सरकारी विभागों में प्रचलित है।	स्वीकृत।
4.	4.18	अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वैण्डर के काडर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।	इसका कारण यह दिया गया है कि अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वैण्डर अपने कार्य के साथ-साथ विभागीय वेंडर के साथ भी कार्य करते हैं। इस प्रकार की स्थिति अन्य वर्गों के संबंध में भी मौजूद है। केवल इसी कारण इस वर्ग को समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेंडर डाक टिकटों की बिक्री में विशेषकर व्यस्त कार्यालयों तथा व्यस्त घंटों में बहुत उपयोगी कार्य करते हैं। अतः अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेंडर काडर को जारी रखा जायेगा।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
5.	4.19	डाक टिकटों की बिक्री को केवल कमीशन के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए, कमीशन की दर 3 प्रतिशत है। विभागीय स्टैम्प वेंडर की नियुक्ति की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत नहीं किया गया। अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेंडरों को कार्यभार के आधार पर दिए जाने वाले पारिश्रमिक को जारी रखा जायेगा।
6.	4.20	कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले स्टैम्प वेंडरों को डाकघर परिसर में कम से कम किराए पर स्थान तथा फर्नीचर दिया जाए। इस प्रकार प्रत्येक लाइसेंसधारी स्टैम्प वेंडर को एक महीने में 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कमीशन अर्जित करनी चाहिए। 1000 रुपए की प्रतिभूति जमा करेगा तथा साथ ही वह एक अनुबंध भी करेगा।	जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में दिया गया है।
7.	4.24	अतिरिक्त विभागीय संदेशवाहक को नियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त किया जाए तथा इस वर्ग को समाप्त कर दिया जाये। संदेश-वितरण के दर में संशोधन किया गया है। दो किलोमीटर तक की दूरी के बीच संदेश वितरण की दर 1 रुपया है तथा 2 से लेकर 8 किलोमीटर तक की दूर के लिए 1.50 रुपए प्रत्येक संदेश निर्धारित किया गया है।	अस्वीकृत। मौजूदा प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
8.	4.25	अदायगी के आधार पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा संदेश वितरण की प्रणाली को व्यवहार में लाया जाये।	इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उप पोस्टमास्टर को यह स्वतंत्रता है कि वह नकद भुगतान के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा वितरण करा सकता है और यदि इस प्रकार का कोई वितरण अतिरिक्त विभागीय एजेंट द्वारा उसके कार्य के समय के बाद या कार्य के समय ही किया जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
9.	4.26	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के निम्नलिखित वर्गों को समाप्त किया जाए:— (1) अतिरिक्त विभागीय सफाई वाला (2) अतिरिक्त विभागीय गार्डनर (3) अतिरिक्त विभागीय परिचारक (4) अतिरिक्त विभागीय जमादार (5) अतिरिक्त विभागीय वाचमैन (6) अतिरिक्त विभागीय चौकीदार (7) अतिरिक्त विभागीय बोटमैन (8) अतिरिक्त विभागीय केयरटेकर (9) अतिरिक्त विभागीय गेटमैन (10) पोस्टल स्टोर डिपो और मेल मोटर सेवा में अति॰वि॰ एजेंट	नियमानुसार स्वीकृत। इस प्रकार कें पद के पदधारकों में से किसी को भी सेवामुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य करने वाले अतिरिक्त विभागीय वर्गों में मिला लिया जाएगा। समाप्त किए जाने वाले वर्गों पर 30 अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती न की जाए। होने वाली रिक्तियों पर अंशकालिक/नैमित्तिक/कंटीजेंट भुगतान कर्मचारियों को ही रखा जाए, जैसाकि अन्य विभागों में किया जाता है।
10.	4.29	कोई भी अतिरिक्त विभागीय एजेंट किसी भी शहर या शहरी क्षेत्र में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	सामान्य तौर पर यह स्वीकृत किया गया। तथापि, प्रेस छंटाई कार्यालयों में अतिरिक्त विभागीय एजेंट लगे हुए हैं तथा उनकी नियुक्ति लागत को प्रेस के मालिकों से वसूल किया जाता है। यह व्यवस्था जारी रखी जाए। आगे यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेंडरों के वर्गों को जारी रखा जाए। जिन उपशहरीय क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में संबंधित वर्गों के नियमित विभागीय कर्मचारियों का औचित्य नहीं बनता, वहां पर, अतिरिक्त विभागीय मेलमैन, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट, . अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर, तथा अतिरिक्त विभागीय पैकर्स की नियुक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
11.	4.33	बड़े रेलवे प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त विभागीय मेलमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। अतिरिक्त विभागीय मेलमैन को केवल छोटे कस्बों में ही नियुक्त किया जाए।	स्वीकृत।
12.	4.35	अतिरिक्त विभागीय छंटाई के वर्ग को समाप्त कर दिया जाए।	इस प्रावधान के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रेस छंटाई कार्यालयों में अतिरिक्त विभागीय सॉर्टर को जारी रखा जाए।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
13.	4.36	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों को ही रखा जाए:— (1) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर (2) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट (3) अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर (4) अतिरिक्त विभागीय पैकर (5) अतिरिक्त विभागीय मेलमैन (आर०एम०एस०)	इसके साथ ही, प्रेस छंटाई तथा अतिरिक्त विभागीय उप शाखा पोस्टमास्टर के कार्यालयों में अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेंडर्स तथा अतिरिक्त विभागीय स्टैंप को बनाए रखा जाएगा।
14.	4.37	अतिरिक्त विभागीय तार तथा मेल चपरासी को अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर का पदनाम दिया जाएगा। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को, जोकि अतिरिक्त विभागीय पैकर के सभी तथा थोड़ा-बहुत कार्य करते हैं जिसमें लैटर बॉक्स के निपटान का कार्य भी शामिल है, अतिरिक्त विभागीय पैकर का पदनाम दिया जाएगा। रेल डाक सेवा में सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अतिरिक्त विभागीय मेलमैन का पद नाम दिया जाए।	स्वीकृत।
15.	4.38	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को विशेषकर डाक के कार्य-निष्पादन के लिए ही रखा जाए तथा उन्हें किसी भी प्रकार का गैर डाक प्रकृति का कार्य न सौंपा जाए।	स्वीकृत।
16.	4.40	एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कार्य सौंप कर व्यक्तियों को कम संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए। इन कार्यों को मिलाने के ढंग पर किसी प्रतिबंध की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि कुल कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप, 1200 अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट नियुक्त करने के लिए सातवीं योजना के लक्ष्य की पुनरीक्षा करने की जरूरत है।	यह सिफारिश इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि जहां तक संभव हो सके इन सेवाओं को जारी रखा जाए।
17.	4.41	जहां पर भी कार्यों का सम्मिश्रण हो, वहां पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का पदनाम वहीं माना जाएगा जिस कार्य को वह अधिक से अधिक करता है।	स्वीकृत।
18.	5.52	डाकघर को खोलने तथा बनाए रखने के लिए निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा नियमों के समुचित अनुपालन पर बल दिया जाए।	स्वीकृत।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
19.	5.55	वह शाखा डाकघर, जो तीन किलोमीटर की न्यूनतम दूरी की शर्त पूरी नहीं करते, उन्हें बनाए नहीं रखा जाना चाहिए, सिवाय, ऐसे डाकघरों जिनके लिए महानिदेशालय ने विशेष तौर पर मंजूरी दी है।	सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दो डाकघर एक-दूसरे से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर नहीं होने चाहिए। तथापि, यह स्वीकार नहीं है कि जो ग्रामीण डाकघर इस मानदंड के अनुरूप न हों, उन्हें बन्द करना जरूरी है। सभी सर्किलों में इस बात की पुनरीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य यह होगा कि ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाओं में कटौती किए बिना जहां तक संभव हो, खर्च को कम किया जाए।
20.	5.56	जहां शाखा डाकघर चलाने पर ऊंची लागत आ रही है, वहां पहला प्रयास किसी एक ही अतिरिक्त विभागीय एजेंट को न्यायोचित ढंग से विभिन्न काम सौंप कर कर्मचारियों की संख्या में कमी करके खर्च को नियंत्रित करने का किया जाना चाहिए।	स्वीकृत।
21.	5.57	वर्तमान पुनरीक्षा रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन इसका उपयोग किसी डाकघर को बनाए रखने का या अन्यथा कोई उपयुक्त निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंध-साधन के रूप में किया जाना चाहिए। किसी शाखा डाकघर को दूसरे वर्ष केवल तभी बनाए रखा जाना चाहिए यदि उसकी आय के दौरान लागत का 20 प्रतिशत से कम न हो।	यह सुझाव स्वीकार है कि पुनरीक्षा रजिस्टर का उपयोग किसी डाकघर को बनाए रखने या बंद करने के बारे में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए किया जाए। भविष्य में, दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदंड पूरे होने पर शाखा डाकघर तभी खोले जाएं, यदि उसकी अनुमानित आय लागत की तुलना में 50 प्रतिशत से कम न हो (पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 25 प्रतिशत)। इसके अलावा, घाटे की अनुमत सीमा किसी भी मामले में 2400/- रु० प्रतिवर्ष से अधिक न हो (पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 4800/- रु०)। बाद में, वार्षिक अन्तराल पर प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जाएगी और तदनुसार, शाखा डाकघर को बनाए रखने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की कोई अनुचित अवधि नहीं होगी।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
22.	5.58	किसी शाखा डाकघर को दूसरे वर्ष के बाद तभी बनाए रखा जाए, यदि दूसरे वर्ष उसकी आय लागत की तुलना में 25 प्रतिशत या अधिक हो। शाखा डाकघर को चौथे वर्ष तभी बनाए रखा जाए, यदि उसकी आय तीसरे वर्ष के अन्त में लागत की तुलना में 30 प्रतिशत हो। इसे पाँचवें वर्ष तभी बनाए रखा जाए, यदि आय चौथे वर्ष के अन्त में लागत की तुलना में 40 प्रतिशत हो। पाँचवें वर्ष के बाद, डाकघर को वर्ष-दर-वर्ष बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए, यदि वह अपनी लागत की तुलना में 50 प्रतिशत आय अर्जित करता हो।	पिछले पैराग्राफों में उल्लिखित निर्णयों में इस सिफारिश पर भी निर्णय लिया गया है।
23.	5.61	अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को स्थाई बनाने का विचार छोड़ दिया जाये। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को बनाए रखना या अन्यथा केवल वार्षिक पुनरीक्षा के आधार पर किया जाए।	यह स्वीकार किया गया कि निर्धारित वित्तीय मानदंडों के संबंध में डाकघरों की लागत और आय की नियतकालिक पुनरीक्षा की जाये। तथापि, बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर डाक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी, विभाग की है।
24.	5.63	पाँच वर्षों के अन्त में किसी शाखा डाकघर के घाटे की अनुमेय सीमा को 2400/- रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाये। पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में इस सीमा को 4800/- रु० प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाए। इस सीमा की दो वर्षों में एक बार पुनरीक्षा की जाए और इसे पारिश्रमिक और दरों के प्रचलित स्तर को ध्यान में रखकर पुनः निर्धारित किया जाये। शाखा डाकघर की उसकी लागत के कम से कम 50 प्रतिशत के बराबर आय प्राप्त होनी चाहिए।	शाखा डाकघरों के घाटे की प्रस्तावित सीमा स्वीकार कर ली गई। यह सीमा प्रारम्भ में लागू होगी और वार्षिक आधार पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, के शाखा डाकघरों के संबंध में न्यूनतम 1.4.1991 से उसकी लागत के 15 प्रतिशत के बराबर होगी।
25.	5.64	विवेक सम्मत निर्णय के अधीन खोले जाने वाले शाखा डाकघर इस शर्त के अंतर्गत खोले जाएं कि घाटे की सीमा सामान्य अनुमत सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक न हो और यह छूट वर्ष-दर-वर्ष लागत की तुलना में आय के निर्धारित प्रतिशत पर समान रूप से लागू हो।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि पहले अनेक शाखा डाकघर विवेकसम्मत निर्णय के कोटे के अंतर्गत अन्य डाकघरों के काफी नजदीक खोल दिए गए अथवा वे अनुमत सीमा से अधिक घाटा उठा रहे हैं। अतः ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने के लिए संशोधित मानदंडों को बिना किसी रियायत के लागू किया जाएगा। इस स्थिति की सातवीं योजना के अन्त में पुनरीक्षा की जाएगी।
26.	5.65	शाखा डाकघरों की पुनरीक्षा करने का कार्य वार्षिक निरीक्षण के एक भाग के रूप में निरीक्षक को सौंपा जाए।	स्वीकृत।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
27.	5.66	निरीक्षक, डाकघर अपनी पुनरीक्षा से संबंधित एक पैरा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज करें। किसी शाखा डाकघर का निरीक्षण करते समय, जिस निर्धारित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है उसमें इस आशय का एक प्रश्न शामिल किया जाए।	स्वीकृत।
28.	5.68	निरीक्षक द्वारा की गई पुनरीक्षा के आधार पर, यदि किसी शाखा डाकघर को बनाए रखे जाने की शर्तें संतोषप्रद हों, तो अधीक्षक, डाकघर उसे बनाए रखने की मंजूरी जारी करेगा। जिन डाकघरों को बनाए रखे जाने की शर्तें संतोषप्रद न हों, उनके संबंध में अधीक्षक, क्षेत्रीय निदेशक या सर्किल अध्यक्षों को उस डाकघर को बनाए न रखे जाने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	स्वीकृत।
29.	6.4	शाखा डाकघर को स्वतंत्र रूप से पार्सल बुकिंग के लिए प्राधिकृत केवल तभी किया जाए, जब इसके लिए मांग की जाए। हमेशा नहीं।	स्वीकृत।
30.	6.11	केवल उन डाकघरों को बचत बैंक शक्तियां प्रदान की जाएं, जहां समुचित कार्य हो और माह में दस लेन-देनों से कम लेन-देन न हों तथा उस डाकघर में कम से कम 10 खाते परिचालित हों। तथापि, जिन डाकघरों में स्कूल खाते अथवा अन्य संस्थाओं के खाते खुले हुए हों, उनमें छूट दी जा सकती है।	

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
31.	6.13	शाखा डाकघरों द्वारा किए जा रहे निम्नलिखित कार्यों को अब वापस लिया जाना अपेक्षित है:— (1) इण्डियन पोस्टल आर्डरों की बिक्री (2) रिजर्व सैनिकों को नोटिस देना और निर्वाह भत्ता देना (3) जीवन बीमा निगम और डाक जीवन बीमा प्रीमियम एकत्र करना (4) विदेश मनीआर्डरों की बुकिंग (5) इन्टरनेशनल रिप्लाई कूपनों का विनिमय (6) प्रतिभूति जमा लेखा और प्राविडेंट फंड लेखा और (7) सरकारी प्रतिभूतियां	ग्रामीण शाखा डाकघरों में, (1) इण्डियन पोस्टल आर्डरों की बिक्री और (2) जीवन बीमा निगम/डाक जीवन बीमा प्रीमियम एकत्र करने की सुविधा इसलिए जारी रखी जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यार्थियों/बेरोजगार युवकों को बोर्डों/विश्वविद्यालयों और नियुक्ति निकायों/एजेंसियों को अपने आवेदन भेजने के लिए इण्डियन पोस्टल आर्डरों की आवश्यकता होती है। यदि यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी, तो इस क्षेत्र के ग्रामीण उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। इसी प्रकार, जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा व्यवसाय का भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार हो रहा है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को शाखा डाकघरों में प्रीमियम एकत्र करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती रहेगी। ये प्राविडेंट फण्ड एकाउंट और प्रतिभूति जमा से संबंधित मामले की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि इसे समाप्त न किया जाए। नोटिस देने, विदेश मनीआर्डरों की बुकिंग करने, इन्टरनेशनल रिप्लाई कूपनों के विनिमय इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं के मामले में सिफारिशें स्वीकार की गईं।
32.	6.14	किसी भी शाखा डाकघर में दूसरी बार वितरण का प्रावधान औचित्यपूर्ण नहीं है यदि दुबारा वितरण करना आवश्यक हो, तो यह वितरण शाखा डाकघर खिड़की से किया जा सकता है।	स्वीकृत।
33.	6.31	चल डाकघर योजना को पूर्णतया अलग कर दिया जाए।	स्वीकृत। चल डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी। ये डाक-टिकटों, लेखन सामग्री, रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग बिक्री और डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं को स्वीकार करेंगे।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
34.	6.33	डाक-टिकटों और रजिस्टर्ड लैटरों की बुकिंग खिड़की के संबंध में अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों की ड्यूटियों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। उन्हें मनीआर्डरों की बुकिंग का कार्य भी सौंपा जाए।	अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट जिस गांव का दौरा करें उस गांव में डाक-टिकटें, लेखन-सामग्री और रजिस्टर्ड लैटरों की बुकिंग खिड़की का कार्य करना उनके लिए अपेक्षित है। यह सिफारिश स्वीकार की गई। इस आशय के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं, इन्हें कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, शाखा पोस्टमास्टरों के समय सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को मनीआर्डर की बुकिंग का कार्य सौंपने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों के भुगतान का कार्य काफी महत्वपूर्ण होता है और मनीआर्डर जारी करने का कार्य सीमित सा होता है, अतः मनीआर्डर बुक करने का कार्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सौंपना ग्रामीण जनता के संबंध में इतना आवश्यक नहीं है।
35.	5.35	मंडलीय अधीक्षकों के विशिष्ट डाकघरों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को मनीआर्डर बुक करने के लिए प्राधिकृत करने का विवेकाधिकार होगा। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को उनकी परिलब्धियों के अतिरिक्त प्रति मनीआर्डर के लिए 20 पैसे की निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।	क्रम संख्या 34 पर दिए गए कारण से स्वीकार नहीं किया गया।
36.	6.37	जब चल डाकघर और काउंटर सेवा समाप्त कर दी जाए तो मानीटरिंग के लिए डाक निरीक्षकों और मेल ओवरसीयरों के पदों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।	अस्वीकृत। विभाग ने चल डाक सेवाओं की समाप्ति के पहलू को ध्यान में रखते हुए निरीक्षक डाकघर (पी॰एम॰आई॰) की ड्यूटियों के संशोधित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हुए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित घोषणा-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में डाक ढोने, वितरित करने, मनीआर्डरों का तुरन्त भुगतान करने, कार्य बचत बैंक सेवाओं

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
			और लाइसेंसशुदा डाक एजेंसी (एल०डी०ए०) के कार्य के निरीक्षण पर महत्व दिया गया है। संशोधित ड्यूटियों के आधार पर निरीक्षक डाकघर (पी० एस० आई०) के पदों को कायम रखने की समुचित समय पर पृथक रूप से जांच की जाएगी। इसी तरह मेल ओवरसियरों के पदों के चल काउंटर सेवा शुरू किए जाने से काफी पहले से विद्यमान है। इन पदों को बनाए रखने की आवश्यकता को चल डाकघरों की समाप्ति से न जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पैराओं में से एक पैरा में मेल ओवरसियरों की नियुक्ति की संशोधित योजना की सिफारिश की गई है।
37.	6.38	सभी चल डाकघरों की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, सातवीं योजना के लक्ष्यों में से "4000 ग्रामों में काउंटर सेवाओं द्वारा डाक सेवाओं के प्रावधान" की मद को हटा दिया जाए।	स्वीकृत।
38.	6.40	इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा डाकघर बन्द करने के परिणामस्वरूप भी डाक सेवा प्रदान की जाए, इसके लिए यह सिफारिश की जाती है कि जहां विभाग यह आवश्यक समझता है कि डाक सेवाएं प्रदान की जाती रहें, वहां एक लाइसेंस-प्राप्त ग्रामीण एजेंसी प्रणाली का सहारा लिया जाए, जो कमोबेश उसी तरह काम करे जिस तरह शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंसी कार्य करती है। तथापि, कमीशन प्रणाली के स्थान पर एजेंट को प्रतिमाह 50/-रुपये मासिक फीस दी जानी चाहिए।	अस्वीकृत। क्योंकि शाखा डाकघरों को बन्द करने की कोई सिफारिश नहीं की गई है, अत: इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, एक नीतिगत मामले के तौर डाक एजेंसियों के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
39.	6.41	इस एजेंसी पद्धति के अंतर्गत एजेंसी की स्थिति गैर-वितरण डाकघर के रूप में होगी। वहां मनीआर्डरों या लेखादेय वस्तुओं, पंजीकृत-पत्रों के अलावा, की कोई बुकिंग नहीं की जाएगी।	उपर्युक्त दिए गए कारणों से अस्वीकृत।

क्रम सं.	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
40.	6.42	इस एजेंसी (रिटेनर) को शाखा डाकघर कहा जाएगा और इस कार्यालय के नाम के नीचे कोष्ठक में इस आशय की प्रविष्टि करना पर्याप्त न होगा कि यह एक लाइसेंसशुदा डाक एजेंसी है।	6.40 में दी गई सिफारिश के कारण अस्वीकृत।
41.	6.57	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकार नहीं किया गया, जहां अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का औचित्य होगा वे कार्य करते रहेंगे।
42.	6.58	जिन अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों का दर्जा घटाया गया है उन डाकघरों के अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर को देय समुचित समेकित भत्ते दिए जाएं।	उपर्युक्त पैरा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया।
43.	6.63	अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के मामले में पक्षपात न किया जाए और कार्यभार के आधार पर उन्हें एक समान समेकित भत्ता दिया जाए।	स्वीकृत। तथापि, अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के संबंध में संशोधित मजदूरी नियम में प्रावधान है कि पहले नियम के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम और अधिकतम सीमा होगी; उन्हें दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी का निर्धारण उन्हें प्राप्त हुए कार्य और उसमें लगे समय के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार संशोधित नियम के अनुसार सभी शाखा पोस्टमास्टरों के भत्तों की गणना का आधार एक ही होगा, लेकिन उन शाखा डाकघरों में जिनमें कार्य अधिक होता है, के पोस्टमास्टरों को अधिक मजदूरी मिलेगी।
44.	6.64	किसी शाखा डाकघरों को सप्लाई की जाने वाली सभी मुहरें और सील वृत्ताकार होनी चाहिएं। मुहरें समाप्त कर दी जाएं। पंजीकृत मदों पर लगाने के लिए विशेष मुहर प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है चाहे वे पुरानी हो गई हों या नई। शाखा डाकघर में प्रयोग की जाने वाली कोई भी स्टेप पुराने डिजाइन की न हो।	स्वीकृत।
45.	6.65	नियमतः उन सभी मार्गों पर जहां नियमित बसें चलती हैं डाक का आदान-प्रदान मेल लाइनों को पुनः व्यवस्थित करके और फलस्वरूप यदि आवश्यक हो, तो लेखा कार्यालय में परिवर्तन करके बसों द्वारा ही किया जाना चाहिए।	स्वीकृत। तथापि, पूर्व अनुभव से पता चलता है कि कम दूरी के मामलों में राज्य परिवहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही बसों की अपेक्षा अतिरिक्त विभागीय डाक-वाहक ज्यादा विश्वसनीय हैं। अतः सिद्धांत रूप में यह सिफारिश स्वीकार की गई, सभी मामलों में अधीक्षक डाकघर इस बात का बेहतर निर्णय कर सकेंगे कि किसी विशेष अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर को मेल मोटर सेवा द्वारा बदलना फायदेमंद होगा या नहीं।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
46.	6.70	वार्षिक ग्रामीण विवरणी संकलित करना बंद किया जाए। गणना विवरणी की पद्धति की पुनरीक्षा भी विभाग द्वारा प्रारंभ की जाए। अपंजीकृत डाक परियात की मात्रा का आकलन करने के लिए विभाग सांख्यिकीय नमूना आधुनिक तकनीक अपनाए।	स्वीकृत। तथापि, ग्रामीण डाकघरों में डाक परियात की मात्रा का आकलन करने के लिए उपयुक्त तकनीक का विकास करने में कुछ समय लगेगा। यह काम आर एंड डी विंग को सौंपा जा सकता है। जब तक वैकल्पिक ढंग का विकास नहीं होता, वार्षिक ग्रामीण विवरणी की पद्धति चालू रहेगी।
47.	6.73	(i) तब तक किसी शाखा डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा न बढ़ाया जाए जब तक शाखा डाकघर का अपना कार्यभार इसके साथ किसी शाखा डाकघर को संबद्ध किये बिना 4 घंटे से कम का न हो और नये उप-डाकघर के साथ कम से कम 10 शाखा डाकघरों को इसके साथ इस तरह इसके साथ संबद्ध किया जाए कि उन शाखा डाकघरों की डाक व्यवस्था में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (ii) उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए लिपिकीय पद देने के लिए तब कार्रवाई न की जाए जब तक कि मूल उप-डाकघर में कम से कम 3 कर्मचारी न हों; और (iii) नया उप डाकघर सृजित करने के लिए मूल उप डाकघर में इसके क्षेत्राधिकार से शाखा डाकघर को लेने के बाद भी कम से कम 15 शाखा डाकघर रहने चाहिएं।	स्वीकृत।
48.	7.7	एक शाखा डाकघर के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए एक संयुक्त शाखा डाकघर मेज, एक स्टूल और कुर्सियां पर्याप्त हैं।	स्वीकृत।
49.	7.12	शाखा डाकघरों को नकदी पेटी तभी सप्लाई की जाए जब किसी भी कारण से एक माह में पांच दिन से कम के लिए 1000/- रुपये से अधिक की राशि रखी जाए। जहां ये मानदंड पूरे नहीं होते वहां पहले से दी गई नकदी पेटी वापस ले ली जाए।	स्वीकृत।
50.	7.13	नियम के तौर पर किसी भी डाकघर को घड़ी न दी जाए, सिवाय उस शाखा डाकघर के जो रेलगाड़ी के साथ सीधे ही डाक का आदान-प्रदान करता हो।	स्वीकृत।
51.	7.14	शाखा डाकघर के लिए एक स्टूल की व्यवस्था की सिफारिश नहीं की गई।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
52.	7.15	संयुक्त शाखा डाकघर मैप के अलावा जहां-कहीं रिकार्ड बक्सा दिया गया हो, उसे वापस ले लिया जाए।	अस्वीकृत।
53.	7.16	डाक-टिकटों को रखने के लिए लोहे का बक्सा वापस ले लिया जाए और इसका निपटान कर दिया जाए तथा सभी शाखा डाकघरों में डाक-टिकटों को रखने के लिये टीन एलबम एक समान रूप से लागू किया जाए।	स्वीकृत।
54.	7.17	शाखा डाकघरों में सील पुस्तिका के रख-रखाव की पद्धति समाप्त कर दी जाए और जैसा की रेल डाक सेवा सेक्शन या किसी मेल आफिस में होता है, प्राधिकृत वस्तुओं की एक सूची द्वारा इसे बदला जाए।	स्वीकृत।
55.	7.19	शाखा डाकघर थैलों के रूप में बड़े कैनवास थैलों का प्रयोग बंद कर दिया जाए और वैकल्पिक पद्धति विकसित की जाए। प्लास्टिक सामग्री के बने उपयुक्त थैलों का प्रयोग करने से यह ज्यादा चलेंगे और अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर के काम में भी वृद्धि होगी।	सिद्धांत रूप में स्वीकृत। तथापि, अंतिम निर्णय लेने से पूर्व निदेशालय की उपयुक्त शाखा द्वारा इसकी लागत, टिकाऊपन और उत्पादन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
56.	7.20	शाखा डाकघरों और लेखा कार्यालय के बीच चमड़े का नकदी थैला अदल-बदल करने की पद्धति समाप्त कर दी जाए।	अस्वीकृत। मौजूदा पद्धति जारी रहेगी।
57.	7.21	सभी सर्किल अध्यक्ष शाखा डाकघर नियम पुस्तक, डाकघर पाकेट गाइड और डाक नियम पुस्तक खंड-vi के अध्याय 13 को क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कराएं और इन्हें शाखा डाकघरों को सप्लाई करें। यह सुझाव दिया जाता है कि तिमाही में शाखा डाकघर परिपत्र जारी किए जाएं।	स्वीकृत।
58.	7.22	शाखा डाकघर नियम पुस्तक दो भागों में मुद्रित कराई जाए। एक भाग में बचत बैंक, नकदी पत्र से संबंधित नियम और दूसरे भाग में केवल डाक प्रचालन हो और यह केवल उन डाकघरों को सप्लाई की जाए जिनको बचत बैंक की शक्तियां मिली हुई है।	

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
59.	7.23	योग-सिद्धि, पदोन्नतियों और सेवा से निकालने संबंधी तिमाही विवरणी निरपवाद रूप से शाखा डाकघर परिपत्र के साथ परिचालित की जाए।	स्वीकृत
60.	7.24	इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि सर्किल में सभी शाखा डाकघरों को अपेक्षित पुस्तकें और परिपत्र सप्लाई कर दिए गए हैं यह सर्किल अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष निदेशालय को प्रस्तुत किया जाए।	स्वीकृत
61.	7.28	शाखा पोस्टमास्टर के लिये 3/- रु० वितरण कार्य करने वाले अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर को 1/- रु० स्टेशनरी भत्ता निर्धारित किया जाए। सिके वाली पेंसिल के स्थान पर बाल पेन के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। पेंसिल, स्याही और पेन के बदले बाल पेन और रिफिल की लागत हिसाब में ली जाए।	स्वीकृत
62.	7.30	जैसा कि इस समय है, लेखा कार्यालय के माध्यम से विभाग द्वारा शाखा डाकघरों को सीलिंग वैक्स और कार्बन पेपर सप्लाई किए जाने चाहिए।	स्वीकृत
63.	7.31	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य किसी श्रेणी को निर्धारित स्टेशनरी शुल्क अदा नहीं किया जाएगा।	स्वीकृत
64.	7.35	शाखा पोस्टमास्टर द्वारा स्वयं ही फालतू राशि लेखा कार्यालय को भेजने की पद्धति एक समान की जाए और इस सेवा के बदले उसे कुछ मार्गनिर्देश के पूरा करने पर बस किराये के अलावा उस दिन के लिए 10/- रु० अदा किए जाएं।	स्वीकृत
65.	7.37	जहां-कहीं राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक विद्यमान हैं विभागीय डाकघरों के मध्य प्रेषण केवल रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को समुचित निदेश जारी करने का अनुरोध किया जाए।	स्वीकृत

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
66.	7.40	शाखा डाकघरों के दैनिक लेखे के प्रपत्र में विस्तृत यौक्तिकीकरण करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आगे के पैराओं में सुझाव भी दिए गए हैं।	स्वीकृत
67.	7.49	सिवाय उन स्थानों के जहां लेटर बाक्स हैं "नियत गश्त" पद्धति समाप्त कर दी जाए। डाक पुस्तक खंड viii के नियम 132, 272 और 275 में उपर्युक्त संशोधन किए जाएं।	स्वीकृत
68.	7.54	(i) ग्रामीण क्षेत्रों में लेटर बाक्स लगाने के लिए "पत्र प्राप्ति के सिद्धांत" को "वास्तव में पोस्ट किए गए पत्र" के सिद्धांत द्वारा बदला जाए। (ii) लगाया गया लेटर बाक्स हटा दिया जाए जब तक इसमें औसतन प्रतिदिन दो या एक माह में 50 पत्र पोस्ट न किए जाएं। (iii) एक-दूसरे से 2 कि०मी० के भीतर कोई लेटर बाक्स न लगाया जाए। (iv) उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर जिन लेटर बाक्सों का औचित्य न हो उन सभी को हटा दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत, परंतु इस सीमा तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगे मौजूदा लेटर बाक्स ऐसे ही न हटा दिए जाएं।
69.	7.56	वृद्धावस्था पेंशन की अदायगी की पद्धति मनीआर्डरों के स्थान पर बचत बैंक पासबुक के माध्यम से की जाए और इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाए।	स्वीकृत
70.	8.5	मंडल अधीक्षक द्वारा पांच से दस प्रतिशत शाखा डाकघरों का निरीक्षण करने की मौजूदा व्यवस्था यथावत रहे।	स्वीकृत
71.	8.7	डिवीजन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से 2 प्रतिशत शाखा डाकघरों का निरीक्षण करना चाहिए और क्षेत्रीय निदेशकों को मंडल कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान इसकी जांच करनी चाहिए। मंडल कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावली में इस आशय का एक उपयुक्त प्रश्न शामिल होना चाहिए।	स्वीकृत

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
72.	8.11	शाखा डाकघर का दूसरा निरीक्षण तत्काल फिर लागू किया जाना चाहिए। मेल ओवरसीयर का कैडर एक लम्बी कैडर है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।	वित्तीय कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार नहीं है। समूचे कैडर को समाप्त करना संभव नहीं है। तथापि, इस संवर्ग के कुछ पद कम किए गए है।
74.	8.23	मध्यम स्तर अर्थात् सहायक उप मंडल निरीक्षक का पद सृजित किया जाना आवश्यक समझा गया है।	यह स्वीकार्य नहीं है। यह महसूस किया गया है कि मेल ओवरसीयरों को ग्रामीण इलाकों में दूर तक को विशेष प्रकृतिका कार्य सौंपा गया है, यह लिपिक ग्रेड के कर्मचारियों के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा यदि उन्हें टेन्योरआधार पर नियुक्तकिया जाताहै,तो उन्हें अपने काम में रुचि नहीं रहेगी और वे उसके विशेषज्ञ नहीं बन पायेंगे।
75.	8.25	सहायक उपमंडल निरीक्षक 3 वर्ष की सेवा वाली इच्छुक लिपिकों में से एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जायें और इन पदों को 4 वर्ष की अवधि के लिए टेन्योर पद घोषित किया जाए।	क्रम संख्या 74 में दी गई टिप्पणियों के आधार पर स्वीकार्य नहीं है।
76.	8.26	सहायक निरीक्षक को 50 रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाये।	क्रम संख्या 74 में दी गई टिप्पणियों के आधार पर स्वीकार्य नहीं है।
77.	8.27	सहायक निरीक्षक का मुख्यतया उपयोग शाखा डाकघरों का 4 महीने में एक बार निरीक्षण करने के लिए किया जाना चाहिए।	क्रम संख्या 74 में दी गई टिप्पणियों के आधार पर स्वीकार्य नहीं है।
78.	8.31	शाखा डाकघर सार (पी॰ए॰7) भेजना पुनः चालू किया जाना चाहिए। शाखा पोस्टमास्टर को चाहिए कि वह इस संशोधित शाखा डाकघर सार में अतिरिक्त जानकारी भी दे।	स्वीकृत
79.	8.35	उप मंडल निरीक्षकों को अर्दली देने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए और उसे कार्यालय सहायता भत्ते के तौर 250/- रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाना चाहिए।	यह सिफारिश इस हद तक स्वीकार की गई है कि उप मंडल निरीक्षकों को अर्दली देने की व्यवस्था समाप्तकर दी जाए। डाकघर निरीक्षक को कार्यालय सहायता भत्ते के तौर 250/- रुपये मासिक भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। डाकघर निरीक्षक के कार्यालय के साथ जो दो मेल ओवरसीयर संबद्ध होंगे, वे कार्यालय में अपेक्षित सहायता कर सकते है।
80.	8.37	जहां क्षेत्रीय निदेशक निर्धारित मानदंडों के पूरा न होने पर भी किसी शाखा डाकघर को बनाए रखना किसी भी कारण से आवश्यक समझते हों, तो उन्हें इसकी रिपोर्ट सर्किल अध्यक्ष को देनी होगी।	स्वीकृत

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
81.	9.20	शाखा पोस्टमास्टरों और अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों के वेतन का स्तर तत्नुरूपी श्रेणियों का क्रमशः 75 प्रतिशत और 85 प्रतिशत किया जाए।	वेतन निर्धारण के बारे में पैरा 9.32 में चर्चा की गई है।
82.	9.29	अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर के मामले में वेतन का विनियमन समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर किया जाना चाहिए और इसके वेतन की दर में कमी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि शाखा पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट के मामले में किया गया है।	वेतन निर्धारण के बारे में पैरा 9.32 में चर्चा की गई है।
83.	9.31	अतिरिक्त विभागीय पैकर और अतिरिक्त विभागीय मेलमैन के मामले में, जैसाकि मेल कैरियर के मामले में है, घंटों की विभागीय दर में कोई कमी करने की आवश्यकता नहीं है।	वेतन निर्धारण के बारे में पैरा 9.32 में चर्चा की गई है।
84.	9.32	विभागीय और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बीच वेतन की गणना के प्रयोजन से निम्नलिखित समीकरण की सिफारिश की जाती है:- अतिरिक्त विभागीय पोस्ट मास्टर--कैश ओवरसीयर/हैड पोस्टमैन। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट———पोस्टमैन अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर ———ग्रुप "घ"। अतिरिक्त विभागीय पैकर--ग्रुप "घ" अतिरिक्त विभागीय मेलमैन--ग्रुप "घ"	i) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण इलाकों में शाखा डाकघर, कार्यभार पर ध्यान दिए बिना कम से कम 3 घंटे की अवधि के लिए खोले जाते हैं, तो 40 प्वाइंट के कार्यभार के लिए न्यूनतम भत्ता 275/- रूपया दिया जायेगा। 40 से अधिक कार्यभार होने पर भत्तों को स्लैबरूप में बढ़ाया जाएगा, परन्तु वह 440 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा। ii) प्रतिशत में वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए, जो इस संशोधन के फलस्वरूप अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को मिली है, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी निम्नानुसार आनुपातिक वृद्धि दी गई है:

	न्यूनतम	अधिकतम
अतिरिक्त विभागीय उप पोस्ट-मास्टर	रुपये 385	रुपये 620
अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट		
क). दो घंटे के कार्य से कम के लिए		240

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
			ख). 2 घंटे से अधिक काम के लिए 270 420
85.	9.37	मंहगाई भत्ते की वृद्धि जब कभी यह नियमित कर्मचारियों के लिए मंजूर किया जाता है, तब इसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक अलग डियरनेस एलीमेंट के रूप में उसके समान माना जाए।	स्वीकृत। समेकित भत्ते की मौजूदा प्रणाली जारी रहे।
86.	9.38	यदि कोई अकेला व्यक्ति कई प्रकार के काम करता है, तो तद्नुरूपी श्रेणी के लिए जो सिफारिश की गई है, उसी अनुपात को अपनाते हुए जो अनुपात उचित हो उसी के आधार पर वेतन की गणना प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग की जाए।	स्वीकार नहीं। ऐसे शाखा डाकघर हैं जिनके लिए डाक एक कामन लाइन इस्टेब्लिशमेंट द्वारा लाई जाती है अथवा जिनकी डाक को डाकघर के नजदीकी बस रुकने के स्थान पर अदला-बदली की जाती है। इसके अलावा, डाक वितरण का काम भी उसी गांव तक सीमित रहता है जिसमें डाकघर स्थित है या मुख्य गांव के आस-पास के कुछ इक्के-दुक्के पुरवा हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उसमें समान्यतया अलग से कोई ई०डी०डी०ए० या ई०डी०एम०सी० अथवा ई०डी०डी०ए० एवं ई०डी०एम०सी० नहीं रखा जाता। जब ऐसी स्थिति होती है, डाकघर का सारा काम जिसमें डाक का लाना-ले-जाना और वितरण भी शामिल होता है, उसे शाखा पोस्टमास्टर के कर्तव्यों ही के एक भाग के रूप में माना जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें एक शाखा डाकघर के लिए केवल एक शाखा पोस्टमास्टर की मंजूरी दी गई है। इसका कारण यह है कि ई०डी०डी०ए०/ई०डी०एम०सी० के रूप में अतिरिक्त पद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस डाकघर के अनुमानित राजस्व में इसके लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं होती। हालांकि, ऐसे मामलों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए वेतन निर्धारण घाटे की अनुमेय सीमा तक किया जाता रहेगा। प्रत्येक अलग काम के लिए अलग वेतन की पात्रता निर्धारित करना और फिर समेकित राशि देना उचित नहीं होगा। इस समय, जिन शाखा पोस्टमास्टरों को ई०डी०डी०ए० एवं ई०डी०एम०सी० के रूप में अतिरिक्त सहायक स्टाफ नहीं दिया गया है, वे 15/- रुपये अतिरिक्त भत्ता पाने के पात्र हैं। यह भत्ता 1961 में उस समय निश्चित किया गया था

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
			जब किसी ई०डी०डी०ए/ई०डी०एम०सी० को देय औसत भत्ता आय की अपेक्षा काफी कम था। इस भत्ते का कम होना एक लम्बे समय से विवाद का विषय रहा है और इस भत्ते की पुनरीक्षा का काम अतिरिक्त विभागीय समिति का गठन हो जाने के कारण ही आस्थगित किया गया था। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि जहां डाक लाने ले जाने अथवा वितरण या दोनों काम करने के लिए शाखा पोस्टमास्टरों को नामजद किया गया है, वहां उन्हें 50/- रुपये तक अतिरिक्त भत्ता (जिसे सी एण्ड डी भत्ता कहा जाएगा) दिया जाए।
87.	9.39	अतिरिक्त विभागीय एजेंट के मूल भत्ते को नियमित कर्मचारियों की तदनरूपी श्रेणी के वेतनमान के मिड प्वांइट से जोड़ा जाना चाहिए।	स्वीकार नहीं वेतननिर्धारण के बारे में पैरा 9.32में चर्चा की जा चुकी है।
88.	9.40	अतिरिक्त विभागीय मेलमैन को छुट्टियों और रविवार के दिन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए।	स्वीकृत
89.	9.41	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के घंटों का वेतन, जिसमें ड्यूटी आदि के लिए प्रतिपूर्ति भी शामिल है, तदनुरूपी नियमित कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रतिशत में होना चाहिए:- अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर--घंटों के आधार पर वेतन का 87.45 प्रतिशत ई०डी०डी०ए०--घंटों के आधार पर वेतन का 99.11 प्रतिशत सभी अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट -- घंटों के आधार पर वेतन का 116.6 प्रतिशत।	अस्वीकृत। वेतन निर्धारण के बारे में पैरा 9.32 में चर्चा की जा चुकी है।
90.	9.44	मूल भत्ते और डियरनेस एलाउंस एलीमेंट को जोड़ने और इसी कार्य घंटों के लिए अपनाने के बाद घंटे के आधार पर वेतन को नजदीकी रुपये के बराबर किया जाना चाहिए।	वेतन निर्धारण के बारे में चर्चा पैरा 9.32 में की जा चुकी है।
91.	9.45	विभिन्न श्रेणियों का घंटे के आधार पर वेतन 608 लागत मूल्य सूचकांक पर निम्नानुसार होगा:- क). शाखा पोस्टमास्टर-137.01 रु० प्रतिमाह ख). अतिरिक्त विभागीय-133.80 रु० प्रतिमाह वितरण एजेंट ग). अतिरिक्त विभागीय-131.37 रु० प्रतिमाह मेल कैरियर घ). अतिरिक्त विभागीय पैकर-131.37 रु० प्रतिमाह ङ) अतिरिक्त विभागीय मेलमैन -131.37 रु० प्रतिमाह	वेतन निर्धारण के बारे में चर्चा पैरा 9.32 में की जा चुकी है।

क्रम सं.	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
92.	9.46	पहले घंटे के बाद के घंटों का कार्यभार, जैसाकि पैरा 10.28 में सुझाव दिया गया है, नजदीकी 15 मिनट तक विनियमित किया जाना चाहिए।	स्वीकार नहीं
93.	9.47	नियमित कर्मचारियों के मामले में विभाग द्वारा पहले से ही प्रयोग में लाए जा रहे गुणांक को अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की प्रत्येक श्रेणी के लिए कार्य घंटे निकालने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।	स्वीकृत। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के मामले को छोड़कर जिसके लिए कार्य मापने की चालू पुरानी प्रणाली जारी रहेगी।
94.	9.48	भत्ते के निर्धारण की पद्धति अनुबंध 45 में दर्शाए गए तरीके के अनुसार अपनायी जानी चाहिए।	अस्वीकृत।
	9.53	यदि सिफारिशों का पूरा पैकेज स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मजदूरी संरचना पर निर्णय लेने के लिए दिए गए अन्य विचारों की छानबीन की जाए।	स्वीकृत।
95.	10.15	समिति द्वारा सिफारिश किए गए पारिश्रमिक और कार्य घंटे की संपूर्ण योजना के संदर्भ में कार्य अध्ययन रिपोर्ट को कार्यभार मापने के लिए शाखा डाकघर की संक्षिप्ती पर प्रयोग किया जाए।	पैरा 9.47 में दिए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत।
96.	10.16	जैसाकि पोस्टमैन के मामले में होता है, उसी तरीके से अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट का कार्यभार मापा जाना चाहिए।	स्वीकृत।
97.	10.17	(i) विभागीय समूह "घ" कर्मचारियों के लिए अनुसरण किया जाने वाला स्तर, अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक और अतिरिक्त विभागीय पैकर के मामले में कड़ाई से पालन किया जाए।	स्वीकृत।
		(ii) अतिरिक्त विभागीय मेलमैन के मामले में डिवीजनल अधीक्षक की व्यक्तिगत राय के आधार पर मेलमैन के पद को मंजूर करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रखी जाये।	स्वीकृत।
98.	10.18	(i) यह आवश्यक है कि अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट की यात्रा को उसके फेरे पर साइकिल द्वारा पूरी की गई यात्रा के रूप में मानी जानी चाहिए।	(i) जहां साइकिल भत्ते का भुगतान किया जाता है, वहां स्वीकृत।
		(ii) अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक के मामले में 8 किलोमीटर प्रति घण्टे की दर, मैदानी क्षेत्रों में साइकिल पर उसके द्वारा तय की गई दूरियों के लिए मानी जानी चाहिए।	(ii) अस्वीकृत। विभागीय श्रेणियों के समान मानदंड लागू होंगे।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
99.	10.19	मैदानी भागों में की गई यात्रा में लिए गए समय की गणना साइकिल पर पूरी की गई यात्रा के रूप में की जानी चाहिए और तदनुसार साइकिल भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।	पूर्व पैराग्राफ में पहले ही दिया गया है। (क्रम संख्या 98)
100.	10.28	सभी शाखा डाकघर प्रतिदिन एक घंटे के लिए खोले जाने चाहिएं और कोई अवधि जिसके लिए एक घंटे के बाद भी डाकघर खोला जाए, उसे विभाग द्वारा स्थापित कार्य अध्ययन समूह द्वारा विकसित टाइम टेस्ट लागू कर कार्यभार को मापकर कार्य भार के अनुसार पूरे तौर पर औचित्यपूर्ण मामलों तक सीमित होना चाहिए।	इस पर सहमति नहीं है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर 3 घंटे तक खुले रखे गए हैं, और इस अवधि को घटाकर केवल एक घंटा प्रतिदिन करने से अधिकांश मामलों में ग्रामीण जनता को गंभीर कठिनाई हो सकती है। अतएव यह प्रस्तावित है कि शाखा डाकघर को एक ही आधार पर 3 घंटे के लिए खुला रखा जाए।
101.		सभी अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्य घंटे का मौजूदा फार्मूले द्वारा मापे गए कार्यभार के आधार पर कड़ाई से नियमन किया जाना चाहिए, जो औचित्यपूर्ण हो और उनकी मजदूरी समान श्रेणी के नियमित कर्मचारियों की मजदूरी से जुड़ी होनी चाहिए, किन्तु मूल्यांकित कार्य की सक्रिय अवधि तक यह सीमित होना चाहिए।	स्वीकृत।
102.	10.32	जहां कार्य की अत्यावश्यकता के कारण स्प्लिट ड्यूटी करनी अपेक्षित है, इसका सहारा लिया जा सकता है किन्तु नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध रियायत अतिरिक्त विभागीय को भी दी जानी चाहिए। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्य घंटे भी मजदूरी के उद्देश्य से 6-2/3 प्रतिशत बढ़ा दिये जायें।	इस पर सहमति नहीं दी गई। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां संभव हो, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्य घंटे लगातार 3 घंटे के लिए निश्चित किये जायें, ताकि 3 घंटे के लगातार समय के बाद अतिरिक्त विभागीय नौकरी की अंशकालिक प्रकृति के अनुरूप वे अपना कोई व्यवसाय करने के लिए स्वतन्त्र हैं।
103.	10.33	रेल डाक सेवा में मेलमैन को जैसा गुणांक दिया जाता है उसी तरह रात्रि ड्यूटी पर तैनात अतिरिक्त विभागीय एजेंट के मामले में भी दिया जाना चाहिए।	अस्वीकृत
104.	11.5	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए अलग वेतनमान की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
105.	11.6	नियमित सरकारी कर्मचारी जिस परिमाण में मजदूरी और अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, यदि अतिरिक्त विभागीय एजेंट भी उसे प्राप्त करने के पात्र बनते हैं, तो समता के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं।	सामान्य आधार पर इससे सहमत होना संभव नहीं है कि मूल पारिश्रमिक की समानता पर अन्य प्रकार के लाभ, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं, समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी दिया जाए। ऐसे प्रत्येक लाभ पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।
106.	11.9	किसी मकान किराया भत्ते या नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
107.	11.11	साइकिल भत्ता मंजूर करने के बाद भी साइकिल पर तय की गई यात्रा को पैदल तय की गई यात्रा के समान मानने का औचित्य नहीं है।	स्वीकृत।
108.	11.12	जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल चलकर कार्य किया जाता है, वहां पैदल चलने के आधार पर और अन्य मामलों में जहां साइकिल से कार्य किया गया है, वहां साइकिल चलाने के आधार पर कार्य निष्पादन पर लगाए गए समय की गणना की जानी चाहिए।	स्वीकृत।
109.	11.13	साइकिल भत्ते को निम्नानुसार बढ़ा देना चाहिए:- (i) 8 से 12 कि॰मी॰ तक 4.00 रु॰ (ii) 8 से 12 कि॰मी॰ तक 16.00 रु॰ (iii) 12 से 16 कि॰मी॰ तक ·18 रु॰ (iv) 16 से 20 कि॰मी॰ तक 20 रु॰ (v) 20 से 24 कि॰मी॰ तक 22 रु॰ (vi)24 से 28 कि॰मी॰ तक 24 रु॰ (vii)28 से किलोमीटर से अधिक 26 रु॰	फिलहाल, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को साइकिल भत्ता दिया जाता है, बशर्ते कि 16 कि॰मी॰ या इससे अधिक की दूरी प्रतिदिन तय की जाती है। फिलहाल,साइकिल भत्ते की अनुमत रकम 8 रुपए प्रतिमाह है। इसमें यह संशोधन किया जाएगा कि 10 कि॰मी॰ प्रतिदिन की दूरी तय करने के लिए साइकिल भत्ता बढ़ाकर 20 रु॰ कर दिया जायेगा।
110.	11.14	यदि तय की गई दूरी 16 किलोमीटर से कम हो तो भी साइकिल भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए।	इस पर पैराग्राफ 11.13 (उपर्युक्त) के सामने विचार किया गया है।
111.	11.16	ओवरटाइम और निरर्थक इंतजार के लिए मुआवजे के रूप में मजदूरी में किसी बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं की गई है।	स्वीकृत।
112.	11.17	निर्धारित ड्यूटी घंटे के बाद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को रोकने की प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी जानी चाहिए।	स्वीकृत।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
113.	11.18	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को खराब जलवायु भत्ता, जाड़ा भत्ता और परियोजना भत्ता दिया जाए। ये भत्ते समान श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के अनुपात में हों।	अस्वीकृत। खराब जलवायु भत्ता/जाड़ा भत्ता/परियोजना भत्ता जैसे प्रतिपूरक भत्ते विभागीय कर्मचारियों को मंजूर किए जाते हैं क्योंकि इन कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों से भर्ती किया जाता है और लोकहित में उन्हें ऐसे स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है जहां स्थानीय कारक ऐसे हैं कि उन्हें विशेष प्रतिपूर्ति देने का औचित्य है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मामले में वे स्थानीय लोग होते हैं और वे डाकघर के लिए कार्य करते हैं या नहीं, उन्हें किसी अन्य स्थानीय निवासियों की तरह स्थानीय परिस्थितियों में ही रहना है। यही कारण है कि महंगाई भत्ते को छोड़कर कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा से हटना औचित्यपूर्ण नहीं है।
114.	11.19	बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
115.	11.22	चिकित्सा भत्ते की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
116.	11.29	शाखा पोस्टमास्टर के लिए अलग किराए के भुगतान की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
117.	11.30	शाखा पोस्टमास्टर को 10/- रुपये प्रतिमाह भरण-भत्ते का भुगतान जारी रहना चाहिए। इसमें शाखा डाकघर के किराए पर भी ध्यान रखा गया है।	यह रकम बढ़ाकर प्रतिमाह 25 रुपए कर दी गई है।
118.	11.34	वर्दी की आपूर्ति की सिफारिश नहीं की जाती है। आउटडोर कर्मचारियों को उचित थैले दिए जायें।	स्वीकृत।
119.	11.35	छाता, वाटरप्रूफ कोट, कोट परकास, बर्फ पर चलने वाले जूते, बर्फ पर पहनने वाले चश्मे, उचित हैड गियर और पानी में चलने वाले जूते, ऐसे शाखा डाकघरों में दिए जाएं जिनमें ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति का औचित्य हो, ताकि आउटडोर अतिरिक्त विभागीय एजेंट शारीरिक कष्ट से अपनी रक्षा कर सकें और कार्य का निष्पादन संतोषजनक हो।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
120.	11.38	आसान किस्तों पर साइकिल की खरीद के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को साइकिल ऋण पाने के सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबद्ध एक योजना तैयार की जाए।	जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट साइकिल का प्रयोग करते हैं, उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले 400/- रुपए साइकिल भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। यद्यपि, बहुत कम अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को साइकिल भत्ता दिया जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित सुझाव को कार्यरूप देने की संभावना नहीं है क्योंकि अग्रिम और ऋण के मामले में बैंकों की अलग प्राथमिकताएं हैं।
121.	11.39	सामान्य तौर पर बाढ़ अग्रिम की सिफारिश नहीं की जाती है।	10 किस्तों में वसूल किया जाने वाला 100/- रु॰ का बाढ़ अग्रिम अतिरिक्त विभागीय एजेंटों [illegible] और जैसे मंजूर किया जाता है जब और जैसे यह बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किया जाता है। किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।
122.	11.40	जिस प्रकार बाढ़ और प्राकृतिक विपदाओं का अग्रिम नियमित सरकारी कर्मचारियों को उनकी परिस्थितियों के अनुपात में दिया जाता है, उसी प्रकार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी दिया जाए, बशर्तें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: (i) दुष्प्रभावित क्षेत्रों में उनके पास अचल संपत्ति हो; (ii) ये संपत्ति विपदा से दुष्प्रभावित हुई है; और (iii) अतिरिक्त विभागीय एजेंट उपर्युक्त (i) और (ii) के लिए निश्चायक लिखित प्रमाण देता है।	10 किस्तों में वसूल जाने वाला 100/- रु॰ का बाढ़ अग्रिम अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को तब और जैसे मंजूर किया जाता है, जब और जैसे यह बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किया जाता है। किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।
123.	11.42	पंखा अग्रिम की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
124.	11.43.	त्यौहार अग्रिम की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
125.	11.44	चिकित्सा अग्रिम की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
126.	11.49	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भुगतान किए जाने वाले अवकाश देने की सिफारिश नहीं की जाती है किन्तु उनकी मजदूरी का 16.61% की अतिरिक्त रकम उसके बदले क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जाती है। स्थानापन्न व्यक्ति का प्रबंध अतिरिक्त विभागीय एजेंट को ही करना होगा और उसके वेतन का भुगतान उन्हें सीधा कर दिया जाएगा जिसमें से अतिरिक्त विभागीय एजेंट की परिलब्धियों से बराबर रकम घटा दी जाएगी।	अस्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
127.	11.52	जिस प्रकार विभागीय कर्मचारियों के लिए है, उसी तरीके से कुछ विशेष दिनों के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को बोनस की रकम मजदूरी के रूप में योग की जानी चाहिए।	नियमित डाक व दूरसंचार कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने की योजना की शुरुआत के बाद उत्पादकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वही प्रोत्साहन राशि देने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए:— (i) यह योजना उन वर्षों के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर लागू होगी, जब डाक व दूरसंचार विभाग में नियमित कर्मचारी किसी विशेष वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादकता आधार पर बोनस पाने के दावेदार हो जाते हैं। (ii) सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए 75/- रुपए प्रतिमाह की मजदूरी की समान दर स्वीकार कर ली गई है, चाहे उनकी वास्तविक परिलब्धियां जो हों और प्रत्येक वर्ष के लिए तदर्थ भुगतान का परिमाण उन्हीं दिनों की मजदूरी पर आधारित होगा जो वर्ष के दौरान नियमित कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया है। (iii) प्राप्त उत्पादकता के संदर्भ में दिवस मजदूरी की संख्या निर्धारित करने का फार्मूला नियमित विभागीय कर्मचारियों के समान होगा। 75/- रुपए की सीमा को वित्त मंत्रालय की सलाह से बढ़ाकर 130/- रुपये कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
			वृद्धि की गई कि उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना करने के उद्देश्य से नियमित कर्मचारियों की परिलब्धियां 750/- रुपए से बढ़ा कर 1600/- रुपए कर दी गई थी। चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए अनुग्रह के रूप में प्रोत्साहन राशि पा रहे हैं, यह निर्णय लिया गया कि पैरामीटर को नहीं बदला जाए। हाल ही में, 75/- रुपए की सीमा को बढ़ाकर 130/- रुपए कर, ऐसा किया गया है।
128.	11.63	उपदान प्राप्त करने के लिए पात्रता की न्यूनतम सेवा सीमा 15 वर्षों की मौजूदा सीमा से घटाकर 5 वर्ष कर दी जाए।	इस सीमा तक स्वीकृत किया गया कि उपदान भुगतान प्राप्त करने के लिए अर्हता की न्यूनतम सेवा सीमा 15 वर्षों की मौजूदा सीमा के स्थान पर 10 वर्ष होगी। बशर्ते कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के भत्ते की सीमा और अधिकतम $16\frac{1}{2}$ महीने के भत्ते या 3,000/- रुपए जो भी कम हो।
129.	11.64	उपदान की रकम सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे महीने की परिलब्धि की दर से हो सकती है।	मद संख्या 128 के लिए जैसा है।
130.	11.65	उपदान की रकम पर कोई अधिकतम वित्तीय सीमा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह $16\frac{1}{2}$ महीने की पिछली परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।	मद 128 के लिए जैसा है।
131.	11.66	अधिकृत अवकाश से उपदान की मंजूरी के लिए सेवा भंग नहीं होगी।	स्वीकृत
132.	11.67	उपदान प्राप्त करने के लिए सिर्फ ड्यूटी अवधियों को सेवा के लिए गिना जाएगा। तथापि, अवकाश की छोटी-छोटी अवधि, जो वर्ष में 30 दिनों से अधिक न हो, उपदान के उद्देश्य के रूप में गिनी जाएगी।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
133.	11.68	यदि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो मेडिकल आधार पर अपनी नौकरी छोड़ने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंट को उपदान दिया जा सकता है।	स्वीकृत।
134.	11.69	यदि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो उन अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को, जो पोस्टमैन या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के बतौर खपाए जाते हैं, अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर उनके सेवा काल के लिए उपदान का भुगतान दिया जाए। उपदान के विषय पर सरकार नियमित कर्मचारियों की समानता पर नजर रखते हुए निर्णय लें।	अस्वीकृत, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों के बतौर पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।
135.	11.72	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक अंशदायी सामूहिक बीमा योजना तैयार की जाए।	उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से पहले विचार किया गया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया।
136.	11.75	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि योजना की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
137.	11.76	कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन अधिनियम को यदि आवश्यक हो, तो कानून में संशोधन कर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर लागू किया जाना चाहिए।	अस्वीकृत। क्योंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट अंशकालिक कर्मचारी हैं।
138.	11.78	पेंशन की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
139.	12.3	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होने चाहिए, यदि 28 वर्षों के बाद किसी व्यक्ति की भर्ती के लिए कोई छूट देना औचित्यपूर्ण है तो इसे उम्मीदवार की भर्ती करने वाले से अगले उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही उचित और वैध कारणों से किया जा सकता है।	इस कारण से स्वीकार नहीं है कि सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में इस आयु सीमा के अंदर अतिरिक्त विभागीय नौकरियों के लिए आवेदन प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
140.	12.4	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सामान्यतः 60 वर्षों तक रखा जा सकता है और यदि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो उन्हें 65 वर्षों तक रखा जा सकता है।	फिलहाल अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को 65 वर्षों तक रखा जाता है बशर्ते कि वे स्वस्थ पाए जाएं।
141.	12.7	सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। यदि दो व्यक्तियों के पास घटती-बढ़ती शैक्षिक योग्यताएं हों तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए जिसके पास उच्च योग्यता हो।	अस्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
142.	12.11	शाखा पोस्टमास्टर के बतौर नियुक्ति के लिए व्यक्ति के नाम पर भू-संपत्ति होने की शर्त अनिवार्य होनी चाहिए तथा इसमें छूट नहीं दी जानी चाहिए	शाखा पोस्टमास्टर के अतिरिक्त सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पास जीवन-निर्वाह के वैकल्पिक साधन होने चाहिए। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए संपत्ति शर्त पर बल देना स्वीकार्य नहीं है।
143.	12.12	पोस्टमास्टरों को छोड़कर सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पास आय का वैकल्पिक साधन अनिवार्यतः होना चाहिए।	स्वीकृत।
144.	12.14	शाखा पोस्टमास्टरों के अतिरिक्त सभी अतिरिक्त विभाग एजेंटों के पास जीवन-निर्वाह का वैकल्पिक साधन अनिवार्यतः होना चाहिए।	स्वीकृत।
145.	12.15	उस व्यक्ति को शाखापोस्टमास्टर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो डाकघर खोले जाने वाले गांव का निवासी न हो।	स्वीकृत। नियुक्त व्यक्तियों को गांव का स्थाई निवासी होना चाहिए।
146.	12.16	इस शर्त को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए कि शाखा पोस्टमास्टर द्वारा डाक प्रचालनों के निष्पादन और पब्लिक काल आफिस के कार्य करने के लिए निःशुल्क परिसर प्रदान किया जाना चाहिए।	स्वीकृत।
147.	12.17	डाक-तार विभागों के पेंशनभोगियों, अन्य सरकारी विभागों के पेंशन-भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और ऐसी विधवाओं को जिनके पति की मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई हो और वे परिवार-पेंशन ले रही हों, उन्हें शाखा पोस्टमास्टर के बतौर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके मामले में भर्ती के लिए अधिकतम आयु की सीमा नहीं होनी चाहिए।	अस्वीकृत। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए इन्हें भर्ती करना वांछनीय है।
148.	12.18	अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर को, जहां मेल पोस्ट आफिस स्थित है उस स्थान का, या डाक लाने-लेजाने वाले मार्ग के शुरू के अथवा अंतिम स्थान का निवासी होना चाहिए।	स्वीकृत। यह पद्धति पहले से है।
149.	12.19	अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों (ईडीडीए, ईडी पैकर, ईडी मेलमैन) को अपने कार्य करने के स्थान का या उसके निकट का निवासी होना चाहिए।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
150.	12.20	मैदानी इलाकों में साइकिल द्वारा डाक लाने-लेजाने और डाक का वितरण करने की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए अतः सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को साइकिल चलाना अवश्य आना चाहिए। शाखा पोस्टमास्टर इसका अपवाद हो सकते हैं जो इस प्रकार का कार्य नहीं करते।	अस्वीकृत। तथापि, बाहरी ड्यूटी के लिए भविष्य की नियुक्तियों में साइकिल चलाने की योग्यता रखी जाएगी।
151.	12.21	सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1000/-रु॰ की जमानत देनी होगी। यह राशि उसे सौंपी गई नकदी और बहुमूल्य मदों की राशि के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।	स्वीकृत।
152.	12.30	अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों और अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को उनके पद पर लगाने से पहले क्रमशः चार और तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत।
153.	12.31	अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर और अतिरिक्त विभागीय पैकर के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें वितरण कार्य भी करना हो, तो उन्हें भी वही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिया जाता है।	स्वीकृत।
154.	12.32	अतिरिक्त विभागीय एजेंट के रूप में शामिल किए जाने से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान शाखा पोस्टमास्टरों और ईडीडीए को क्रमशः 40/-रु॰ और 20/-रु॰ भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें प्रशिक्षण के स्थान पर आने और वापस जाने के लिए बस का किराया भी दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत।
155.	12.34	सम्पूर्ण ईडी संवर्ग को नियमित विभागीय संवर्ग में बदलना व्यवहार्य नहीं है।	स्वीकृत।
156.	12.35	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को "सहायक डाक कर्मचारी" कहा जाए।	अस्वीकृत/वर्तमाननामावली अंशकालिक प्रकृतिको दर्शाती है।
.157.	12.46	किसी रीजन के सभी डिवीजनों के रिक्तपद जो संबंधित डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा न भरे गए हों, उन्हें समेकित कर पूरे रीजन के अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से भरा जाना चाहिए।	अस्वीकृत,क्योंकि इससे अनेक प्रशासनिक दिक्कतें पेश आएंगी और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। इस समय, भरे न गए पदों को केवल नजदीकी डिवीजनों से ही भरा जाता है।

क्रम सं० पैरा संख्या		सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
158.	12.47	क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय, स्टोर डिपो, पुनः प्रेषण केन्द्रों पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय, निदेशक डाक, लेखा कार्यालय, मेल मोटर सेवा यूनिटों आदि में ग्रुप "घ" संवर्ग के रिक्त पद 12.46 में दिए गए सुझाव के अनुसार पूरी तरह अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।	अस्वीकृत, क्योंकि यह भर्ती नियमों, और नैमित्तिक मजदूरों को विभाग में खपाने की समस्या को देखते हुए प्रशासनिक अनुदेशों की सीमा से बाहर है।
159.	12.55	किसी को भी विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए तीन से अधिक अवसर नहीं दिए जाने चाहिए चाहे व ग्रुप "घ" या पोस्टमैन और मेलगार्ड पर पदोन्नति के लिए क्यों न हों।	अस्वीकृत, क्योंकि विभाग में खपाना रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
160.	12.60	लोअर ग्रेड के कर्मचारियों की लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए परीक्षा का स्तर दसवीं कक्षा के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैनुअल रूल्स् पर एक पेपर, बिना सहायक पुस्तकों, के निर्धारित किया जाना चाहिए।	लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए लोअर ग्रेड स्टाफ को एक विभागीय लिखित परीक्षा पास करनी होती है जो कि कर्मचारी विशेष की योग्यता को जांच ने के लिए ली जाती है।यह परीक्षा मैट्रिक स्तर की होती है।इस पद्धति में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया है।
161.	12.62	अंशकालिक नैमित्तिक मजदूरों के लिए कोई रिक्त पद आरक्षित करने का औचित्य नहीं है।	स्वीकृत।
162.	12.63	(i) पोस्टमैन और मेलगार्ड के सभी रिक्त पद ग्रुप "घ" और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से वर्तमान कोटे के अनुसार पूर्णतया योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिएं।	सभी सिफारिशें स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये विभिन्न संवर्गों के दावों के बीच वर्षों से बनाए संतुलन को बिगाड़ देंगी।
		(ii) ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए पोस्टमैन और मेलगार्ड के ऐसे रिक्त पद जो भरे न जा सके हों उन्हें योग्यता के आधार पर सफल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से भरा जाना चाहिए।	
			(iii) प्रत्येक भर्ती यूनिट में ग्रुप "घ" के 50 प्रतिशत रिक्त पद सफल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से योग्यता के आधार

क्रम सं० पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	पर और शेष 50 प्रतिशत रिक्त पद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के बतौर की गई सेवा के आधार पर भरे जाने चाहिए बशर्ते कि उन्होंने उसी परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हों।	
	(iv) समकक्ष काडरों में भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में प्रचालित स्तर की बराबरी करने के लिए समूह "घ" और पोस्टमैन संवर्गों के बतौर खपाए जाने के लिए जांचों का स्तर उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जाए।	
	(v) (क) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि स्तर मैट्रिक्यूलेशन से बहुत कम नहीं है, निम्नतर ग्रेडों से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति की जांच का स्तर पर्याप्तरूप से बढ़ाया जाए।	
	(ख) विभागीय कोटे में लिपिकीय रिक्तियों का चालीस प्रतिशत ऐसे मैट्रिक्यूलेट अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए आरक्षित किए जाएं जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 3 वर्षों की सेवा की हो और वे 35 वर्षों की आयु सीमा के भीतर हों, चयन योग्यता के आधार पर किया गया हो। दूसरे शब्दों में, लिपिकीय वर्गों में कोटे का आबंटन बाहरी उम्मीदवार के लिए 50 प्रतिशत, विभागीय उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए 20 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को सफल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए छोड़ दिया जाए।	

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		(ग) विभागीय रिक्तियों को खपाने के उद्देश्य से सफल उम्मीदवारों को पूरी तरह योग्यता के क्रम में नियुक्त किया जाना चाहिए।	
		(घ) समूह "घ" पोस्टमैन और मेलगार्ड में रिक्त पदों के आंबटन के मामले में जो पद एक ही डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा नहीं खपाए जाते हैं, उन्हें सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्य डिवीजनों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसी नियुक्तियों का मानदंड योग्यता होना चाहिए।	
		(ङ) विभाग में नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 3 अवसर दिए जाने चाहिए।	
		(च) सभी प्रशासनिक कार्यालयों (सर्किल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय सर्किल डाक लेखा कार्यालय, आर एल ओ, एम एम एस यूनिट, पी एस डी॰ आदि में समूह "घ" की रिक्तियां, जो अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए।	
163.	13.7	निम्नलिखित अतिरिक्त दंड शुरू किए जाएं: (i) निन्दा (ii) विशेष अवधि के लिए विभागीय परीक्षा शामिल होने देने से वंचित करना। (iii) विशेष अवधि के लिए नियमित काडरों में भर्ती होने देने से रोकना। (iv) पूर्व निश्चित अवधि के लिए भत्ते का आगे संशोधन नहीं करना।	अस्वीकृत। वर्तमान दंड जारी किये जाएं
164.	13.8	दंड के रूप में परिलब्धियों में कटौती की सिफारिश नहीं की जाती है।	स्वीकृत।
165.	13.11	अतिरिक्त विभागीय एजेंट को अर्ध स्थायी प्रमाण पत्र (क्यू पी सी) जारी करना या उनकी नियमित सेवा पुस्तिका का रख-रखाव आवश्यक नहीं है।	स्वीकृत।

क्रम सं॰	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
166.	13.15	"पुट आफ" ड्यूटी पर कार्यरत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का निर्वाह भत्ता देना आवश्यक नहीं है।	स्वीकृत।
167.	13.17	(i) पुट आफ ड्यूटी का मामला अगले उच्च प्राधिकारी के ध्यान में अवश्य लाया जाना चाहिए और इसे एक महीने के भीतर उस अधिकारी द्वारा अभिपुष्ट कर दिया जाना चाहिए जिसमें असफल होने पर पुट आफ ड्यूटी के आदेश रद्द माने जाने चाहिए।	स्वीकृत।
		(ii) क्षेत्रीय निदेशकों को स्वयं "पुट आफ ड्यूटी" के मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक मामले में उचित आदेश जारी करने चाहिए।	
		(iii) छः महीने या इससे अधिक अवधि से विचाराधीन पुट आफ ड्यूटी के मामले को पोस्टमास्टर जनरल के व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाना चाहिए जिन्हें इस संबंध में उचित दिशानिर्देश जारी करना चाहिए।	
168.	13.18	जब बाहली अपराध सिद्ध न होने और न्यायसंगत समझे जाने के कारण हुई हो तो विभागीय परीक्षा के उद्देश्य से सेवा में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरी अवधि की गणना की जानी चाहिए।	स्वीकृत।
169.	13.27	औद्योगिक विवाद अधिनियम (आई॰डी॰ अधिनियम) की धारा 36 ख के तहत छूट का दावा किया जाए।	अस्वीकृत।
170.	13.28	सर्किल और विभागीय स्तरों पर संयुक्त परामर्श के लिए एक फोरम प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जे सी एम में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के प्रतिनिधित्व का कोई मामला नहीं है।	यूनियनें अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मामले का अभ्यावेदन पहले होकर रही है और विभागीय स्तर पर एक अतिरिक्त विभागीय समिति का भी गठन किया गया है।

क्रम सं०	पैरा संख्या	सिफारिशें	डाक सेवा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
171.	13.32	पदधारियों (जैसाकि नियमित कर्मचारियों के लिए है) को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए बशर्ते कि किसी श्रेणी के रूप में सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक ही एसोसिएशन हो।	तथा उपमंडलीय/क्षेत्रीय/सर्किल स्तर पर होने वाली आवधिक बैठकों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है, लेकिन ऐसी बैठकों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या उनके लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। एवजी व्यक्ति पर आने वाला खर्च सरकार वहन करती है। इसके साथ-साथ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के प्रतिनिधियों को इस मामले में रिआयत भी दी गई है कि इन यूनियनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक सर्किल के निर्वाचित अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधियों का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

सभी 171 सिफारिशों की जांच की गई है और स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस को घाटा

790. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ख) इंडियन एयरलाइंस को पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि हुई है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हानि मुख्य रूप से एयरबस ए-320 विमानों को ग्राउंड किये जाने तथा खाड़ी युद्ध की वजह से ईंधन में बचत करने के लिए जनवरी 1991 में परिचालनों में कटौती किये जाने के कारण हुई। विदेशी मुद्रा दर में वृद्धि होने के कारण भी हानि हुई। वर्ष 1991-92 के दौरान यह हानि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई:—

— प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का अधोमुखी समयोजन;

— ए-320 बेड़े से सम्बद्ध नियत व्यय की भारी मात्रा का अन्तर्लयन;

— बीमा किश्त की दरों तथा अवतरण दरों में वृद्धि;

— बाजार दर पर विदेशी मुद्रा की खरीद के कारण अतिरिक्त बोझ।

(ग) वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

— मांग के अनुरूप समयावलियों पर निगरानी रखना;

— मार्गों को छोटा करके विमान ईंधन की खपत में किफायत करना तथा गति संबंधी अनुसूचियों/सामान्य रफ्तार के स्तरों आदि को इष्टतम बनाना;

— खाद्य सामग्री को उठने/खान-पान वस्तुओं को होने वाली बरबादी से बचने के लिए बारंबार उड़ान-पूर्व जांच करना;

— जहां कहीं संभव हो, समयोपरि भत्ते में कमी करना;

— पूंजीगत स्वरूप के व्यय को आस्थागित करना/उससे बचना जब तक कि वह परिचालनात्मक कारणों से अनिवार्य न हो।

टेलीफोन एक्सचेंज

791. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) आगामी दो वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि करने की क्या योजनाएं हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) 30.6.92 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 16138 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) नए एक्सचेंजों की संस्थापना के लिए न्यूनतम 10 टेलीफोन की मांग दर्ज कराना आवश्यक होता है। बड़े शहरों में नए एक्सचेंज अपेक्षित क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र और प्रतीक्षा सूची के आधार, पर खोले जाते हैं। तद्नुसार नए एक्सचेंज इन तथ्यों के आधार पर खोले जाते हैं। तथापि इसकी योजना नेटवर्क क्षमता के विस्तार के आधार पर तैयार की जाती है। जिसकी संस्थापना को नए एक्सचेंज के रूप में की जाती है अथवा मौजूदा एक्सेंजों के विस्तार के जरिए की जाती हैं। 1992-93 के दौरान निकल स्विचन क्षमता में 11.44 लाख लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय समाचार प्रसारण का स्तर

792. **श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय समाचार प्रसारण की मौजूदा रूपरेखा में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या घटिया समाचार प्रसारण सरकार के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के प्रभाव को कम कर देता है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय समाचार प्रसारण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन समय-समय पर समाचार बुलेटिनों सहित अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा और विषयों में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास करता रहता है ताकि वह अपने श्रोताओं/दर्शकों की रूचि को बरकरार रख सकें। वर्तमान समाचार बुलेटिन की रूपरेखा उचित है और इसमें कोई विशेष परिर्वतन करने का विचार नही है।

[हिन्दी]

विदेश यात्राओं में प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले संवाददाता

793. **श्री अरविंद त्रिवेदी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने पृथ्वी सम्मेलन के समाचार देने के लिये किसी हिन्दी संवाददाता को ब्राजील नहीं भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भविष्य में ऐसी यात्राओं पर हिन्दी संवाददाता को भेजा जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की रियो दि जनेरियो, ब्राजील की यात्रा को कवर करने के लिए दूरदर्शन द्वारा जो संवाददाता भेजे थे उनका चयन पर्यावरण विषय पर उनकी जानकारी के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यों के लिए संवाददाताओं का चयन उक्त मानदण्ड के आधार पर ही किया जाएगा न कि केवल किसी विशेष भाषा की जानकारी के आधार पर।

[अनुवाद]

डाक छांटने के लिए स्वचालित यंत्रों का प्रयोग

794. **श्री अन्ना जोशी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक की छटाई तथा धनादेशों के अंतरण के लिए स्वचालित मशीनों का उपयोग करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सर्किल में कितने-कितने डाक कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना है; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रबन्ध करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु): (क) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलूर और कलकत्ता में डाक छंटाई का स्वचलीकरण करने के साथ-साथ देश में 75 स्थानों पर सेटेलाइट मनीआर्डर सुविधा उपलब्ध कराने का विभाग का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रेनाइट का दोहन

795. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में ग्रेनाइट के दोहन के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राज्य में ग्रेनाइट का अनुमानित कितना भंडार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक लेखा-परीक्षा दल

796. **श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनके मंत्रालय ने किसी सामाजिक लेखा-परीक्षा दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो दल के निदेश-पद क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस दल द्वारा किये जाने वाले अध्ययन के आधार पर दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) अधिसूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) कुछ अंतरिम सिफारिशें प्राप्त की गई हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

विवरण

संकल्प

विषयः **संचार मंत्रालय के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल का गठन।**

सं॰ 2-3/92-टी सी ओ संचार मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में दूरसंचार तथा डाक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अपने सामाजिक निवेशों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी निविष्टियां (इनपुट) उपलब्ध कराने हेतु एक सतत् कार्यकारी तंत्र के रूप में एक सामाजिक लेखापरीक्षा पैनल का गठन किया है। विशेषतः उपभोक्ताओं और सामान्यतः समाज की आशा को ध्यान में रखते हुए, इन सेवाओं की अभिवृद्धि में तेजी लाने के प्रयास में कई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं जिनका कारगर समाधान खोजना होगा। यह पैनल ऐसी समस्याओं का वैकल्पिक समाधान खोजने में निविष्टियों (इनपुट) की व्यवस्था करेगा।

2. यह पैनल कार्यकलापों के निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कार्य करेगा:

दूरसंचार सेवाएं:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की अभिगम्यता।

(ख) टेलीफोन अदालतों सहित शिकायत निवारण तंत्र के कार्यों में तेजी लाना।

(ग) दूरसंचार नेटवर्क की अभिवृद्धि के परिणामतः सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से संबंधित मुद्दे।

डाक सेवाएं:

(च) समाज की जिन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और मौजूदा डाक सेवाओं में किस प्रकार अभिवृद्धि की जा सकती है और उनमें कैसे संशोधन किए जा सकते हैं जिससे विशेषतः ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(छ) समाज की जरूरतों की पूर्ति तथा लोक शिकायत निवारण की तुलना में डाक प्रणाली के वर्तमान कार्यकरण में कमियां।

(ज) डाक सेवाओं, विशेषकर घाटे में चल रहे डाक उत्पादों/सेवाओं का सामाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण।

3. पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती (सेवानिवृत्त) — अध्यक्ष

(2) डा० भास्कर राव, सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री — संयोजक

(3) श्री खुशवंत सिंह, सुप्रसिद्ध पत्रकार — सदस्य

(4) एडमिरल एस० चोपड़ा (सेवानिवृत्त) — सदस्य

(5) एयर मार्शल जे०के० सेठ (सेवानिवृत्त) — सदस्य

4. यह पैनल अपनी प्रक्रिया स्वयं अपना सकता है और सिफारिशें कर सकता है। सिफारिशें करते समय पैनल निम्नलिखित विषयों पर विचार कर सकता है:—

(i) लक्षित समूहों को आशायित तरीके से वास्तव में लाभ पहुंच रहा है अथवा नहीं।

(ii) उपलब्ध सामाजिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से पर्याप्त उपयोग किया जाता है अथवा नहीं।

(iii) प्रारंभ नेटवर्क का विस्तार साम्ययुक्त तथा उत्पादक है अथवा नहीं।

5. प्रारंभ में पैनल की अवधि 31 मार्च, 1994 तक है।

6. पैनल के गैर-सरकारी सदस्य, वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित का०ज्ञा० संख्या एफ० 6(26)-ई 4/59 दिनांक 5.9.60 के अनुसार यात्रा भत्ता और कार्य निष्पादन के सिलसिले में आवश्यक अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगें।

ह०

(आर० रामानुजम)

संयुक्त सचिव (भारत सरकार)

एअर कारपोरेशन कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल

797. **श्री वी॰एस॰ विजयराघवनः** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एअर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की मांगे क्या हैं;

(ग) हड़ताली कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये;

(घ) क्या सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) वायु निगम कर्मचारी संघ के महासचिव ने 2 जून, 1992 को एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 16 जून, 1992 की सुबह की पारी से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया हैः—

(1) वायु निगम (उपक्रमों का हस्तांतरण और निरस्त) विधेयक 1992 को वापस लेना।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के सभी उपायों को रोकना।

(3) ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करके भारत सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों में सुधार करना।

(4) माल उतारने वाले कार्यों पर लगे और स्थायी तथा निरंतर किस्म के कार्यों में लगे ठेका मजदूरों पर सांविधिक रोक लगाना।

(5) प्रबंधक मंडल में कामगारों के भाग लेने के बारे में एक विधेयक का तुरंत बनाया जाना।

(6) सभी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी सुनिश्चित करना।

(7) पेंशन योजना को तुरंत अंतिम रूप देना।

(8) तीन-पक्षीय महंगाई भत्ता समिति की सिफारिश को तुरंत अंतिम रूप देना।

(9) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण से निर्देशन वापस लेना और वेतन के संशोधन पर द्विपक्षी वार्ता के शुरू होने तक तत्काल अंतरिम सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए।

(ग) वेतन वार्ता से संबंधित एक मामले के अतिरिक्त, सभी मांगें राष्ट्रीय स्वरूप की हैं। जहां तक वेतन वार्ता का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में 1.9.90 से पांच वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते के संशोधन से संबंधी पूरा प्रश्न राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया है। तथापि लंबित पड़े कुछ मामलों में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, द्विपक्षीय वार्ताएं/समझौते किये गये हैं। कर्मचारियों की कठिनाई कम करने के लिए अंतरिम राहत के भुगतान के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसे मामलों पर जो पारम्परिक रूप से किसी समझौते/करार की विषय वस्तु नहीं है

उस पर चर्चा करने और उसका संशोधन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे सभी कर्मचारियों के वेतन में से कटौती करने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने हड़ताल के नोटिस के अनुसरण में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है।

आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन

798. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत अनुशंसित परिव्यय 9950 करोड़ रुपये है जिसमें इसकी निर्माणाधीन तथा नई स्कीमों से लगभग 5000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है।

सशस्त्र बलों के लिए पृथक चैनल

[हिन्दी]

799. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों को चरणबद्ध रूप से कम करने, आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल का विस्तार करने तथा सशस्त्र बलों के लिए पृथक चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) दूरदर्शन के कार्यक्रम ढांचे में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जो समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम की समग्र अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। आठवीं योजना की अवधि में आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल का विस्तार करने और इसे सुदृढ़ करने के लिये 9 रिले ट्रांसमीटर और 2 स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव है। सशस्त्र सेनाओं के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अलग से चैनल आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक और तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

800. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में किन-किन क्षेत्रों में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की और इसके क्या कारण थे;

(ख) ये कर्मचारी कितने दिनों तक हड़ताल पर रहे;

(ग) इस हड़ताल के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अखबारी कागज पर से नियंत्रण हटाना

801. **श्री मनोरंजन भक्तः,**
श्री जार्ज फर्नांडीजः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने अखबारी कागज पर से नियंत्रण पूर्णतः हटाये जाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया देशी अखबारी कागज निर्माताओं के हितों की रक्षा और प्रेस के स्वस्थ विकास की सरकार की नीति के अनुरूप होती है।

[हिन्दी]

"डेसू" द्वारा विकास प्रभार लिया जाना

802. **श्री साईमन मराण्डीः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) ने हाल ही में विकास प्रभार में वृद्धि करके इसे 24 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 47 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विकास प्रभाव में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान विकास प्रभार में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि जुटाए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की कीमतों, श्रम सम्बन्धी दरों में अत्यधिक वृद्धि आदि के कारण प्रभारों को बढ़ाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विद्युतीकरण हेतु विकास प्रभारी की दरें इस प्रकार हैः—

अवधि	दरें (प्रति वर्ग गज)
13.6.85 से 31.3.91	12 रुपये
1991-92	24 रुपये
1992-93	47 रुपये (शिरोपरि प्रणाली के लिए) और 59 रुपये (भूमिगत प्रणाली के लिए)

(घ) संशोधित दरों पर विकास प्रभारों की वसूली से डेसू द्वारा विद्युतीकरण की लागत को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकेगा और इससे डेसू को कोई अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

803. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में जिलेवार कितने गांवों में बिजली पहुंच गई है और कितने गांवों में अभी नहीं पहुंची है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई;

(ग) क्या 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(घ) राज्य में शेष गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जायेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) आन्ध्र प्रदेश में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य द्वारा मार्च, 1990 के अन्त तक शत प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

विवरण

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

क्र०सं०	जिला	1981 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सं०	3/91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांव
1.	श्रीकाकुलम	1921	1921	
2.	विजयानगरम	1461	1461	
3.	विशाखापत्तनम	3595	3695	
4.	ईस्ट गोदावरी	1317	1314	3*
5.	वैस्ट गोदावरी	839	839	
6.	कृष्णा	942	942	

क्र०सं०	जिला	1981 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सं०	3/91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांव
7.	गुंटूर	692	690	2*
8.	प्रकासम	1007	1007	
9.	नेल्लोर	1105	1105	
10.	चित्तूर	1352	1352	
11.	कुड्डापा	896	892	4*
12.	अनंतपुर	934	933	1*
13.	कुरनूल	894	894	
14.	हैदराबाद	—	—	
15.	रंगारेड्डी	949	949	
16.	महबूबनगर	1470	1459	1*
17.	मेढाक	1228	1228	
18.	निजामाबाद	859	859	
19.	अदिलाबाद	1559	1557	2*
20.	करीमनगर	1054	1050	4*
21.	वारंगल	989	989	
22.	खाम्मम	1101	1097	4*
23.	नालगोंडा	1115	1115	
	जोड़	27379	27359	21*

* गैर आबादी वाले जलमग्न

वायुदूत द्वारा इंडियन एयरलाइंस को रख-रखाव खर्चों का भुगतान

804. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत विमान बेडे के एवरो विमान से संबंधित समुचित रख-रखाव अनुबंध न होने के कारण वायुदूत द्वारा इंडियन एयरलाइंस को किए गए रख-रखाव खर्चे के भुगतान में हुई कुछ अनियमितताओं का पता सरकार को चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। तथापि, वित्तीय कठिनाई के कारण वायुदूत अपने भुगतान कार्यक्रम को नहीं बनाये रख सका है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण

805. **श्री संदीपान भगवान थोरात:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के निर्माण, प्रसारण और इसके अधिग्रहण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में बराबर आधुनिक प्रौद्योगिकी का ध्यान रख रहे हैं तथा अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर करते हुए इसे हर संभव सीमा तक अपना रहे हैं और आठवीं योजना के दौरान भी ऐसा ही करते रहेंगे।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

806. **श्री बी॰एल॰ शर्मा प्रेम:**
श्री फूलचन्द वर्मा:
क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान होटल कहां कहां पर स्थित है और प्रत्येक होटल की क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के नये होटलों की स्थलवार स्थापना तथा उनकी क्षमता से संबंधित सरकार की प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1992-93 में नये होटलों के निर्माण हेतु कोई योजना व्यवस्था/स्कीम नहीं है।

विवरण

आवास (अशोक ग्रुप) **क्षमता**

क्रम सं०	एकक का नाम	सितारा श्रेणी	कमरे	शय्या
क० होटल				
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	5 स्टार	571	934
2.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	4 स्टार	213	360
3.	लोधी होटल, नई दिल्ली	3 स्टार	207	255
4.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	3 स्टार	186	226
5.	अशोक होटल, बंगालोर	5 स्टार	181	362
6.	होटल आगरा अशोक	4 स्टार	55	110
7.	होटल हसन अशोक	1 स्टार	46	92
8.	होटल जम्मू अशोक	3 स्टार	48	96
9.	होटल औरंगाबाद अशोक	2 स्टार	66	132
10.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट, कोवलम	5 स्टार	125	250
11.	होटल खजूराहो अशोक	3 स्टार	38	76
12.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर	4 स्टार	54	100
13.	टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट मामल्लापुरम	3 स्टार	22	44
14.	होटल वाराणसी अशोक	4 स्टार	84	168
15.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	5 स्टार	92	220
16.	ललीता महल पैलेस, मैसूर	5 स्टार	54	106
17.	होटल एअरपोर्ट अशोक कलकत्ता	5 स्टार	149	298
18.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	3 स्टार	46	92
19.	होटल जयपुर अशोक	4 स्टार	99	198
20.	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	2 स्टार	64	128
21.	होटल मदुराई अशोक	3 स्टार	43	86
22.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	5 स्टार	247	486
23.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	4 स्टार	317	634
24.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	मितव्ययी श्रेणी	548	1238
25.	होटल बोदगया अशोक	3 स्टार	30	60
26.	होटल मनाली अशोक मनाली	3 स्टार	29	58
			3614	6817

बिहार में फुहिया-दारजुया बांध का निर्माण कार्य पूरा करना

807. **श्री राम विलास पासवान:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में दरभंगा और सहरसा जिलों का बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में फुहिया-दारजुया बांध के ग्यारह किलोमीटर का निर्माण कार्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण अधूरा पड़ा है;

(ग) क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार का आर्थिक सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां

(ख)से(ग) योजना के अंतर्गत दरजुया से कोठराम तक बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लेकिन फुहिया तक इसका विस्तारण स्वीकृत योजना में शामिल नहीं है। यह निर्णय किया गया है कि जल क्षेत्र में योजना राशि को आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में रखा गया है। 1992-93 में विशेष योजना प्रावधान के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

व्यक्तिगत उपयोग हेतु एअर इंडिया का विमान

808. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री ललित उरांव:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है और जिसमें एअर इंडिया के विमान को पायलट द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाने के बारे में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) दोषी पाये गये पायलट के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां

(ख) से (घ) इस दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई है। उड़ान के कमांडर को एक आरोप पत्र दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से जोड़ना

809. **श्री फूलचन्द वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी, नहीं।

यदि संसाधन उपलब्ध हों तो उन पंचायत ग्रामों में ही नए टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था की जाएगी जहां टेलीफोन कनैक्शन के लिए पंजीकृत प्रदत्त मांग 10 या इससे अधिक हो।

[अनुवाद]

ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन

810. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक का विचार ऊर्जा लेखा-परीक्षा अध्ययन को बढ़ावा देने संबंधी योजना के लिए धन मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) विश्व बैंक ने प्रस्तावित "औद्योगिक ऊर्जा दक्षता परियोजना" का वित्तपोषण किए जाने हेतु निधियां प्रदान किए जाने के प्रति रुचि दर्शाई थी जिसमें ऊर्जा का अधिक उपभोग करने वाले, पता लगाए गए उप-क्षेत्रों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा सम्बन्धी अध्ययन किए जाने को प्रोत्साहन दिया जाना शामिल था। तथापि, विश्व बैंक ने अब सूचित किया है कि व्यापक स्तर रप बदले हुए आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए परियोजना के संबंध में समीक्षा किया जाना आवश्यक है। अतः विश्व बैंक द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद ही परियोजना से सम्बन्धित विवरण तैयार किया जायेगा।

(ग) कथित समीक्षा के बाद परियोजना का कार्यान्वयन कार्य आरम्भ किया जायेगा।

जबलपुर, मध्यप्रदेश के डुमना हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण

811. **श्री मोहनलाल झिकराम:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण का कोई प्रास्ताव विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका अनुमानित खर्च कितना है; और

(ग) पुनर्निर्माण का कार्य कब तक शुरू होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जबलपुर (दुमना) हवाई अड्डे के धावनपथ का 6500 फुट तक विस्तार किये जाने की योजनाएं हैं जिससे इसे बी-737 विमानों के परिचालन के उपयुक्त बनाया जा सके। धावनपथ के विस्तार और नये टर्मिनल भवन और अन्य सहायक सुविधाओं पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के लिए अपेक्षित 29 एकड़ अतिरिक्त भूमि दे दिये जाने के बाद कार्य आरंभ किया जायेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

812. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्ती से संबंधित सरकार की नीति के विरुद्ध बोकारो इस्पात संयंत्र में सरकार तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति सलाहकारों के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सलाहकारों के नाम क्या हैं और इन पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) इस अतिरिक्त खर्च में कमी करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) यह सच नहीं है कि सरकारी तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों की बोकारो इस्पात संयंत्र में सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है। तथापि, सरकारी तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को उनकी विशेषता से लाभ उठाने के बोकारो इस्पात संयंत्र में सलाहकार/परामर्शदाताओं के रूप में विशिष्ट कार्यों के लिए पूर्णतया अस्थायी तौर पर रखा गया है। उनके नाम तथा नियुक्ति की तारीख से लेकर 30-6-1992 तक की अवधि में खर्च की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० के अनुसार सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति केवल अपवाद रूप में ही की जाती है तथा उस पर खर्च न्यूनतम रहती है। इन व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर विशिष्ट कार्य के लिए रखा गया है और कार्य पूरा हो जाने पर उनका संबंध बोकारो इस्पात संयंत्र से समाप्त हो जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	नाम	पदावधि	पदनाम	खर्च की गई राशि		एल०टी०ई०	मनोरंजन
				वेतन	यात्रा भत्ता		
1.	सर्वश्री जॉन राजू	मार्च 91 से फरवरी 92 (31.8.92 तक बढ़ाया गया)	परामर्शदाता	87,000.00	6,171.55	10,600.00	—
2.	जे० बी० एन० सिंह	दिस० 91 से दिस० 92	परामर्शदाता	33,378.76	3,646.40	—	—
3.	एस० एन० सिंह	मई 91 से अप्रैल 93	परामर्शदाता	58,700.00	14,361.00	—	—
4.	एस० एन० लाल गुप्ता	फरवरी 92 से जनवरी 93	वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा, आसूचना और सम्पर्क)	39,730.00	3,685.40	—	1200.00
5.	आर० के० भटाचार्य	अगस्त 91 से अगस्त 92	सलाहकार (सुरक्षा और आसूचना)	59,703.90	30,707.50	—	—

क्र॰ सं॰	नाम	पदावधि	पदनाम	खर्च की गई राशि		एल॰टी॰ई॰	मनोरंजन
				वेतन	यात्रा भत्ता		
6.	जे॰सी॰ चक्रवर्ती	21.3.91 से 20.9.93	रेलवे सम्पर्क अधिकारी बिलासपुर	59,703.90	80,707.50	—	—
7.	पी॰के॰ घोष	19.12.90 से 31.3.92	रेलवे सम्पर्क अधिकारी (बी॰एस॰एल॰ धनबाद)	43,258.00	—	—	—
8.	डी॰पी॰ पाण्डेय	2.3.91 से 29.2.92	सलाहकार, सिविल सुविधाएं	56,121.00	9,699.00	—	—
9.	बी॰एन॰ मजुमदार	(i) दिनांक 3.1.89 से 3 महीने के लिए (ii) जून 89 से 3 महीने के लिए (iii) जून 89 से 3 महीने के लिए (iv) दिनांक 1.6.90 से 6 महीने के लिए (v) दिनांक 1.6.90 से 6 महीने के लिए	परामर्शदाता जैव पार्क सुविधाएं	—	18,613.00	—	
10.	एस॰आर॰ बंसल	1.9.91 से 30.11.91	परामर्शदाता अग्नि सेवा)	18,000.00	—	2,400	—
11	एन॰के॰ दत्ता	1.2.91 से 31.5.91	प्रबन्ध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र के सलाहकार।	36,000.00	—	2,382.00	—

केरल में नए डाक घर

813. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 में केरल में नए डाक घर खोलने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक निर्धारित किए जाने की आशा है?

संचार उप मंत्री (श्री पी॰ बी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन लक्ष्यों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

814. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र कितना-कितना था; और

(ख) वर्ष 1992-93 के अन्त तक राज्यवार इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) 1.4.1992 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से दूरदर्शन कवरेज का राज्यवार स्तर और 1992-93 के अंत तक राज्यवार परिकल्पित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टी०वी० कवरेज

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज 1.4.92 की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत)		1992-93 के अंत तक परिकल्पित कवरेज (31.3.93) की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत)	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	63.4	75.7	68.4	78.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.0	44.4	11.0	44.4
3.	असम	73.1	80.8	74.4	82.8
4.	बिहार	92.3	91.7	92.3	91.7
5.	गोवा	99.0	99.0	99.0	99.0
6.	गुजरात	63.0	76.8	64.5	77.0
7.	हरियाणा	96.6	98.5	96.6	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	37.2	58.7	38.6	61.9
9.	जम्मू और कश्मीर	26.2	89.8	26.7	90.3
10.	केरल	84.0	86.3	84.0	86.3
11.	कर्नाटक	49.0	60.5	59.6	68.7
12.	मध्य प्रदेश	48.1	57.4	52.2	60.1
13.	मेघालय	94.6	97.2	94.6	97.2

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज 1.4.92 की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत)		1992-93 के अंत तक परिकल्पित कवरेज (31.3.93) की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत)	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
14.	महाराष्ट्र	69.0	81.3	69.6	81.7
15.	मणिपुर	31.3	66.4	31.3	66.4
16.	मिजोरम	42.1	53.1	67.0	72.3
17.	नागालैण्ड	43.4	47.2	68.5	69.6
18.	उड़ीसा	71.0	77.0	71.0	77.0
19.	पंजाब	99.0	99.0	99.0	99.0
20.	राजस्थान	30.8	53.0	38.9	61.5
21.	सिक्किम	36.6	63.1	77.4	95.0
22.	तमिलनाडु	89.5	89.2	90.2	90.1
23.	त्रिपुरा	93.3	93.3	93.3	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	75.9	87.6	79.0	92.4
25.	पश्चिम बंगाल	94.3	95.1	96.5	96.2
	संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	23.0	99.0	23.0	99.0
2.	चण्डीगढ़	99.0	99.0	99.0	99.0
3.	दमन और द्वीव	99.0	99.0	99.0	99.0
4.	दादरा और नगर हवेली	40.0	43.6	40.0	43.6
5.	दिल्ली	99.0	99.0	99.0	99.0
6.	लक्षद्वीप	99.0	99.0	99.0	99.0
7.	पांडिचेरी	99.0	99.0	99.0	99.0

कवरेज के उक्त आंकड़ों में किनारे के क्षेत्रों की वह कवरेज भी शामिल है जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिये ऊंचे एंटीनों और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में शुल्क में कमी

815. श्री गुरुदास कामत:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत चल रहे होटलों ने अपने शुल्क में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 के लिए मात्र चार होटलों के कमरों के किरायों में कमी की गई है:—

क्रम सं०	होटल का नाम	कमरे का किराया (रुपयों में) 1991-92	1992-93
1.	**होटल आगरा अशोक**		
	-सिंगल कमरा	1200	1195
	-स्वीट	2500	2395
2.	**कनिष्क होटल, नई दिल्ली**		
	-सिंगल कमरा	1350	1175
3.	**सम्राट होटल, नई दिल्ली**		
	-सिंगल कमरा	1600	1195
	-स्विट	6000	3750
	-फैमिली डीलक्स स्वीट	9000	4750
4.	**लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर**		
	-सिंगल कमरा	1200	1195

किराए घटाने के प्रमुख कारण ये रहे हैं—विपणन नीति, प्रतिस्पर्धा का वातावरण होना और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा धारावाहिकों के प्रस्ताव मांगना

816. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद ने प्रायोजक योजना के अन्तर्गत धारावाहिकों के लिए नये प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो जुलाई 1991 में धारावाहिकों के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या पिछले आठ महीनों के दौरान दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के प्रस्तावों की जांच करने और नई योजना को कार्यान्वित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो नये प्रस्तावों की जांच करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) प्रयोजन स्कीम के अंतर्गत धारावाहिकों का चयन एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद को प्रायोजन स्कीम के अंतर्गत 1878 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चयन समिति, जिसका पुनर्गठन किया जा रहा है, द्वारा विचार करने और स्वीकृत करने के लिए केन्द्र द्वारा इन प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है।

गोआ में खनन पर रायल्टी/उपकर

817. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में 1991-92 के दौरान खान मालिकों से खनन पर कितनी धनराशि रायल्टी के रूप में ली गई और उनसे कितना उपकर एकत्रित किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाएं

818. **श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में कुछ मध्यम आकार की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर और उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) वर्तमान में कुल मिलाकर 1424 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की एक ताप विद्युत तथा छः जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू व कश्मीर में क्रियान्वयनाधीन हैं। इन स्कीमों के बारे में ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है। कुल मिलाकर 1095 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की सात जल विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इनको निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किया जाना है। इन परियोजनाओं की सूची विवरण-2 में दी गई है। 556 मेगावाट की छः जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हैं। इन परियोजनाओं की सूची विवरण-3 में दी गई हैं।

विवरण-I

जम्मू व कश्मीर में क्रियान्वयनाधीन वृहत, मध्यम एवं लघु विद्युत परियोजनाओं की सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्थल (जिला)	अद्यतन अनुमानित लागत	1992-93 के लिए के॰वि॰प्रा॰ द्वारा सिफारिश किए गए वित्तीय परिव्यय	चालू करने का वर्तमान कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	सलाल-2 (एच)	3×115	उदयपुर	271.70	70.00	1993-94
2.	दुलहस्ती (एच)	3×130	डोडा	1585.16	494.25	1994-95
3	उड़ीसा (एच)	4×120	बारामुल्ला	2833.11	374.64	1997-98

1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र						
1.	अपर सिंध-2 (एच)	2×35	श्रीनगर	180.00	20.00	1993-94
2.	अपर सिंध-2 विस्तार (एच)	1×35	श्रीनगर	27.12	5.00	1994-95
3.	करगिल (एच)	3×1.25	करगिल	19.60	—	1993-94
4.	पम्पोर जीटी चरण-2 (थर्मल)	4×25	श्रीनगर	126.00	—	1992-93
जोड़:		1423.75				

एच—हाइड्रो-इलैक्ट्रिक

थर्मल—ताप विद्युत

विवरण-II

ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं तथा जिनके लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रतीक्षित है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्थल (जिला)	अद्यतन लागत अनुमान (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
1.	चेनानी चरण-2 एवं 3	6.00	उधमपुर	28.92
2.	न्यू राजौरी	3.00	राजौरी	8.11
3.	सिवा चरण-3	6.00	काठुआ	16.92
4.	नुन्वान बाटकोट	22.60	अनंतनाग	64.55
5.	अथवाट्ट	7.50	बारामुल्लाह	20.57
	उपजोड़	45.10		
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	सावलकोट	600	डोडा	687.00
2.	बग्लिहर	450	डोडा	883.45
	उपजोड़:	1050		
	कुल जोड़	1095.10 मेगावाट		

विवरण—III

ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापति क्षमता (मे०वा०)	स्थल (जिला)	अनुमानित लागत
1.	शितकारी कुलां	84	श्रीनगर	152.87
2.	न्यू गेंदरबल	45	श्रीनगर	115.00
3.	परनाई	37.50	पूंछ	94.28
4.	किशनगंगा	330	बारामुल्लाह	722.14
5.	लोअर कलनाई	50	डोडा	155.35
6.	सुरू (चुटक)	9.6	लदाख	33.06
	कुल जोड़	556.1		

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

819. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा इसकी पूरी क्षमता के कब तक उपयोग किये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:—

		दस लाख टन प्रति वर्ष
1.	तप्त धातु	3.4
2.	अपरिष्कृत इस्पात	1.5
3.	विक्रेय इस्पात	1.326

(ख) शेष इकाइयों के पूरा हो जाने पर तथा उनके चालू हो जाने के बाद विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता निम्नानुसार होगी:—

		(दस लाख टन प्रति वर्ष)
1.	तप्त धातु	3.4
2.	अपरिष्कृत इस्पात	3.0
3.	विक्रय इस्पात	2.656

वर्ष 1996-97 तक पूरी क्षमता का उपयोग होने की आशा है।

राज्यों में सी-डॉट एक्सचेंज

820. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्थानों पर वाणिज्यिक सेवा के लिए सी-डॉट मल्टी माड्यूल एक्सचेंज आरंभ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्यवार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्किम में भी इसी प्रकार के एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु): (क) जी, हां।

(ख)

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1	उलसूर	कर्नाटक
2	होशियारपुर	पंजाब
3	तिरुचेंगोडे	तमिलनाडु

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1994 के दौरान सिक्किम राज्य के गंगटोक में एक 2500 लाइनों वाला सी-डॉट मल्टी माड्यूल एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली

821. **मेजर जनरल (सेवा-निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में इस समय किन-किन स्थानों पर दूरसंचार विभाग के मंडलीय और उपमंडलीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक द्वारा कितने क्षेत्र में कार्य किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार गढ़वाल मंडल में और अधिक उप-मंडल दूरसंचार कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक, और किन-किन स्थानों पर ये उपमंडल कार्यालय खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दूरस्थ/सीमान्त क्षेत्र में दूरसंचार प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली संभावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश के आठ (पहाड़ी) राजस्व जिलों के नियंत्रण का कार्य चार दूरसंचार डिवीजनों और ग्यारह सब डिवीजनों द्वारा किया जाता है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

डिवीजन का स्थान	सब डिवीजन का स्थान	राजस्व जिले
(1)	(2)	(3)
1. टीडीई अलमोड़ा	1. अलमोड़ा	1. अलमोड़ा
	2. पिथौरागढ़	2. पिथौरागढ़
2. टीडीई श्रीनगर (गढ़वाल)	1. गोपेशवर	3. चमोली
	2. पौड़ी	4. उत्तरकाशी
	3. न्यू टिहरी	5. पौड़ी
		6. टिहरी
3. टीडीई नैनीताल	1. नैनीताल	7. नैनीताल
	2. हलद्वानी	,,
	3. काशीपुर	,,
4. टीडीई देहरादून	1. (फोन्स) देहरादून	8. देहरादून
	2. (तार) देहरादून	,,
	3. ऋषिकेश	,,

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार प्रणाली के कुशल कार्यकरण के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले जा रहे हैं और दूरवर्ती क्षेत्रों को एमएआरआर (मल्टी एक्सेस रेडियो रिले) प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।

विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्रों का खोला जाना

822. **श्री यशवन्तराव पाटिल**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिये प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट में ढील देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई द्वीप सैरगाह योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु विकसित किए जाने वाले द्वीपों के स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने पर्यटन का संवर्धन करने की दृष्टि से, हाल ही में प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में कुछ ढील दी है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा आंतरिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों को छोड़ कर) से 40 किलोमीटर दूर तक शिफ्ट कर दिया गया है। विदेशी पर्यटक समूहों को उन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है जो संशोधित आंतरिक रेखा के दायरे से बाहर है। विदेशी पर्यटन समूहों को हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों की पैदल-भ्रमण हेतु वैध परमिट सहित यात्रा करने की अनुमति भी है:—

हिमाचल प्रदेश

(1) यू-खाब-सुम्डू-दनकर-टाबू-गोम्पा-काजा

(2) मोरांग-डाब्लिंग

उत्तर प्रदेश

(1) नन्दा देवी अभ्यारण्य नीति घाट और चमोली में कालिन्दी खाल तथा उत्तर काशी जिले

(2) मिलाम ग्लेशियर के निकटवर्ती क्षेत्र

(ग) और (घ) सरकार का अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह में दो समुद्रतट विहार स्थलों को (यथा मध्य अंडमान में अमकुंज समुद्रतट और हैवलाक द्वीप पर राधा नगर) और लक्षद्वीप में दो द्वीपों को (थिंकारा तथा चेरियम) पट्टे पर देने का प्रस्ताव है ताकि इन समुद्र तट विहार-स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक पेशकशों के आधार पर विकास किया जा सके।

(ङ) विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करने के लिए, सरकार ने पर्यटन की एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसे 5.5.1992 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

द्वारका और जामनगर के लिए विमान सेवा

823. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका और जामनगर को अन्य शहरों के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्थानों को विमान सेवाओं से कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की निकट भविष्य में द्वारका और जामनगर को हवाई सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

824. **श्री रामदेव राम:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने विभागों, उपक्रमों तथा संस्थानों में 1991-92 के दौरान अब तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है;

(ख) विभागवार/उपक्रमवार/संस्थानवार उक्त समिति के पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की अब तक की हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) मंत्रालय के विभागों, उपक्रमों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां पहले ही से गठित की गई हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये समितियां वर्ष 1991-92 से पूर्व बनाई गई थी।

(ख) उक्त समितियां सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार गठित की गई हैं जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे और उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी इसके सदस्य नामित किये जाएंगे। हिन्दी अधिकारी अथवा हिन्दी का कार्य देखने वाला अधिकारी इसका सदस्य-सचिव होगा। इसी प्रकार मंत्रालय के अधीनवर्ती उपक्रमों/कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां संबंधित उपक्रमों/कार्यालयों के प्रभागीय प्रमुखों की अध्यक्षता में कार्य करती हैं और विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को इन समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। हिन्दी अधिकारी अथवा हिन्दी का कार्य देखने वाले अधिकारी इसके सदस्य-सचिव होते हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान और जून, 1992 तक हुई उक्त समितियों की बैठकों के ब्यौरे ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिए गए हैं। इन बैठकों में, राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा संबंधित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपिक में दिए गए प्रशिक्षण की गति की समीक्षा की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है, उपचारी उपाय किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	विभागों/उपक्रमों आदि के नाम जहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है	वर्ष 1991-92 के दौरान तथा 30 जून, 1992 तक की गई बैठकों की तारीखें
1	2	3
1.	नागर विमानन विभाग (मुख्य)	24.6.1991, 7.10.1991 20.12.1991 और 9.6.1991
2.	पर्यटन विभाग (मुख्य)	4.6.91, 5.9.1991 और 25.2.1992
	नागर विमानन विभाग के अधीनवर्ती कार्यालय/उपक्रम आदि	
1.	नागर विमानन महानिदेशालय	17.9.91, 14.1.1992
2.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	7.9.91, 19.12.91 और 24.4.1992

1	2	3
3.	रेल संरक्षा आयोग	18.9.91, 3.12.1991 9.3.1992 और 26.6.92
4.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	27.6.91, 26.7.91, 27.12.1991, 26.3.1992 और 26.6.1992
5.	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	18.6.91, 17.9.91, 18.12.1991, 27.3.1992 और 30.6.1992
6.	इंडियन एयरलाइंस	6.9.1991, 27.1.92 और 30.3.1992
7.	एयर इंडिया	23.7.91, 22.8.91, 3.12.1991, 16.4.1992 22.6.1991 और 23.5.1992
9.	पवन हंस लिमिटेड	12.4.1991, 13.9.1991, 8.1.1992 और 10.3.1992
10.	भारतीय होटल निगम	10.6.1991, 10.3.1992, 10.6.1991, 20.12.91 और 31.3.92
	पर्यटन विभाग के अधीन उपक्रम आदि	
	भारत पर्यटन विकास निगम	2.4.1991, 4.9.91, 12.12.1991, 29.4.1992

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशीनों की खरीद

825. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए खरीदी गई मशीनें बिहार के पलामू जिले के भावनाथपुर में बेकार पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी मशीनें खरीदी गई और उनकी लागत कितनी थी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने भावनाथपुर लाइम स्टोन खान के कतिपय उपस्करों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य खानों में स्थानान्तरित किया है जिससे कि भावनाथपुर की खनन मशीनरी की उपयोगिता में सुधार किया जा सके। यह कदम भावनाथपुर लाइम स्टोन खान में खनन कार्यकलाप में हुई कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 115 लाख रुपये की लागत से एक फ्रंट इण्ड लोडर, एक मोटर ग्रेडर और तीन ड्रिलें भावनाथपुर खान के लिए खरीदे गए हैं जिससे कि अनुरूप उपस्करों से खान में प्रचालन कार्यों को सुचारू और कारगर बनाया जा सके।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटा होना

826. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को गत वर्ष और चालू वित्त वर्ष में जून 1992 तक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़ते हुये घाटे को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने 371 करोड़ रुपये से अधिक का कर पूर्व लाभ कमाया। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार "सेल" को अप्रैल, 1992 में कुछ हानि हुई थी। परन्तु कम्पनी मई, 1992 और जून, 1992 दोनों महीनों में लाभ कमाने में सक्षम रही।

(ख) अप्रैल, 1992 के दौरान हानि होने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ आदान लागत में वृद्धि होने से इस्पात उत्पादों के संबंध में अलाभकारी बिक्री मूल्य का होना भी शामिल है।

(ग) हानि की घटना को रोकने के लिए तथा कार्यकारी परिणाम में सुधार करने के लिए 19 मई, 1992 से लोहे और इस्पात के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन में सुधार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

दिल्ली में विद्युत कनैक्शन

827. **श्री मदन लाल खुराना** क्या विद्युत मंत्री 30 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 220 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "डेसू" के सतर्कता विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसी झुग्गी बस्ती में उन्हीं परिस्थितियों में जिनमें गत वर्ष आग लगी थी दूसरी बार आग लग गई है;

(घ) यदि हां, तो झुग्गी बस्ती में बिजली की चोरी को न रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) डेसू के सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल के अनुसार पुराना रेलवे पुल, यमुना पुस्ता, दिल्ली के निकटवर्ती संजय अमर कालोनी के झुग्गी-झोंपड़ी समूह में 15.1.90 को जो आग लगने की घटना घटी थी, इस घटना का शार्ट सर्किट के कारण घटने का कोई प्रमाण नहीं है। यथोक्त झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों द्वारा बिजली की चोरी किए जाने में डेसू के कर्मचारियों का हाथ था। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। यथोक्त झुग्गी-झोंपड़ी समूह में 8.3.92 को जो एक अन्य आग लगने की घटना घटी है, दिल्ली पुलिस के अनुसार इसके कारण भी अज्ञात हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अनुसार बिजली की चोरी एक संज्ञेय अपराध है।

इस समस्या की रोक-थाम के लिए डेसू द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाते हैं तथा अपराधियों (कलप्रिट्स) के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इसपात संयंत्र

828. **डा॰ लाल बहादुर रावल:**
श्री राजवीर सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कहां-कहां पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश को लोह अयस्क तथा इस्पात की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) सरकार का उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की शर्त से भी छूट दे दी गई है। अतः नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बशर्ते ये वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 किलो॰मी॰ की सीमा के अन्दर न हो।

(घ) ऐसे उद्योग जिन्हें लोह अयस्क की आवश्यकता होती है। वे अपनी आवश्यकताओं को सीधे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि॰, लोह अयस्क के खनन में लगे राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों अथवा निजी खान मालिकों से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को लोह और इस्पात की सप्लाई मुख्य उत्पादकों द्वारा समय-समय पर मांग पंजीयन और मांग की गई सामग्री की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। गौण उत्पादकों से भी खुले बाजार में इस्पात उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सिल्चर दूरदर्शन केन्द्र

829. **श्री उद्धव बर्मन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन केन्द्र, सिल्चर कब से स्थानीय समाचार प्रसारित करना शुरू करेगा;

(ख) क्या दूरदर्शन केन्द्र, सिल्चर में नियुक्त समाचार-सम्पादकों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) इस समय इस दूरदर्शन केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(घ) क्या स्टूडियो कार्यक्रम तैयार करने वाले कर्मचारियों को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) सिल्चर दूरदर्शन केन्द्र को अभी चालू नहीं किया गया है। केन्द्र चालू हो जाने के बाद ही समाचारों का प्रसारण आरम्भ होगा।

(ख) केन्द्र से समाचारों का प्रसारण आरम्भ होने के बाद ही समाचार संपादकों का वास्तविक कार्य शुरू होगा।

(ग) इस समय केन्द्र में 138 कर्मचारी हैं। जबकि विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पदों की संख्या 235 है।

(घ) और (ङ) सिल्चर में टी॰वी॰ स्टूडियो की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध होने के बाद इसे चालू किया जाएगा।

[हिन्दी]

डाक छंटाई

830. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के अन्तर्गत कुछ मार्गों पर डिब्बों में डाक छंटाई का कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति यदि कोई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां। रेल डाक सेवा के अंतर्गत रेल के डिब्बों में डाक की छंटाई सभी मार्गों पर 1984 से बंद कर दी गई है।

(ख) तेज/अत्यंत तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की शुरूआत होने से उनके स्टाप कम होने, डाक की छंटाई आदि के लिए गाड़ियों में जगह का अभाव होने जैसी कतिपय अड़चनों तथा कर्मचारियों की क्षमता का भरसक उपयोग करने, प्रचालन व्यय में किफायत बरतने तथा कुल मिलाकर डाक पारेषण और वितरण की गति एवं विश्वसनीयता बढ़ाने जैसे अन्य विचारों के कारण रेल डाक छंटाई प्रणाली को जिला डाक छंटाई पद्धति के रूप में बदला गया है।

(ग) तेज और विश्वसनीय डाक पारेषण प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार का निरंतर प्रयास एक अत्यंत उपयुक्त डाक छंटाई प्रणाली बनाने का रहा है।

मध्य प्रदेश में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

831. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में किसी शाखा डाकघर और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू: (क) और (ख) किसी उप-डाकघर

का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा निम्नलिखित अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का विभागीय उप-डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव हैं जिन की जांच की जा रही है।

क्रम सं०	डाकघर का नाम	जिला
1.	मलानपुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	भिंड
2.	सुखेदा अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	रतलाम

11.03 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

4.00 म०प०

लोक सभा 4.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

[हिन्दी]

राम विलास पासवान (रोसेडा): महोदय, गृह मंत्री कहां है?

मार्निंग में डिसाइड हुआ था कि होम मिनिस्टर 4 बजे स्टेटमेंट देंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): वक्तव्य कहां है **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: क्या सरकार इसी प्रकार कार्य करती है?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुना दीजिये **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या इस देश में कोई सरकार कार्य कर रही है? इस सदन और इस देश को नगण्य माना जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं खड़ा हूं, आप को बैठ जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): महोदय वह आते ही होंगे।

[हिंदी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, यह सदन का अपमान है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री सदन में आयेंगे और वक्तव्य देंगे।

श्री बलराम जाखड़: जी हां, महोदय, वह आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। मुझे भी बोलने दिजिये। अगर आप सभी बोलना चाहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या वह आ रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): गृह मंत्री अवश्य ही आएगें, परन्तु उनका वक्तव्य अभी तैयार नहीं है। **(व्यवधान)** महोदय, वक्तव्य 5.00 म० प० या 5.30 म० प० तक तैयार हो जायेगा। इस बीच में सदन से अनुरोध करता हूं कि तब तक कार्य सूची के अन्य विषयों पर चर्चा की जाये। ....**(व्यवधान)**

4.05 म० प०

इस समय श्री मुमताज अंसारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य, सभा पटल के निकट आए और फर्श पर खड़े हो गये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाईए। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे स्थिति का सामना करना आता है। आप कृपा करके अपने अपने स्थान पर वापस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा 5.00 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

4.06 म०प०

(तत्पश्चात लोक सभा 5.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई)

5.01 म०प०

(लोक सभा 5.01 म०प० पर पुनः समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री अयोध्या स्थिति के बारे में एक स्वतः वक्तव्य देंगे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

17.01$^1/_2$ म० प०

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): अयोध्या में हुई गतिविधियों के बारे में मैंने 8 जुलाई, 1992 को संसद में एक वक्तव्य दिया था। कार सेवा का होना उस समय से जारी है तथा एक पक्के चबूतरे के निर्माण का कार्य चल रहा है।

अभी हाल ही में हुई गतिविधियों को देखते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस विषय पर बातचीत करने के लिए उनसे यहां आने का अनुरोध किया था। 11 जुलाई, 1992 को हुई हमारी बातचीत के दौरान अभी हाल ही में हुई गतिविधियों के प्रति सरकार की चिंता के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बता दिया

गया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने तथा इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के बारे में भी जोर देकर बता दिया गया था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निर्माण कार्य को उस समय तक स्थगित करने का अनुरोध किया जब तक कि यह मामला दोनों के बीच या तो सौहार्दपूर्ण ढंग से अथवा बातचीत के द्वारा अथवा न्यायालय के फैसले के द्वारा सुलझाया जाय। मैंने इस बात पर भी बल दिया कि राम जन्म-भूमि बाबरी-मस्जिद विवाद अब राष्ट्रीय महत्ता का विषय बन गया है तथा इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं और राज्य सरकार को चाहिये कि भविष्य में राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में किसी प्रकार का कार्य करने से पहले केन्द्र सरकार से परामर्श अवश्य कर लें। जिस भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में भी मैंने उनसे जानकारी देने को कहा और पूछा कि क्या इससे न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं होता; साथ ही यह कार्य करने वाली एजेन्सियों के बारे में तथा उन्हें यह कार्य कैसे सौंपा गया, उसके बारे में भी जानकारी देने को कहा है। मैंने उनसे इस निर्माण कार्य के पीछे उनकी मंशा बताने को कहा है तथा यह भी कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सभी अनिवार्य उपाय किए जाएंगे। जहां तक निर्माण कार्य का संबंध है, मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय के समक्ष है तथा राज्य सरकार ने न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। फिर भी, जहां तक इस प्रश्न, कि क्या अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, का संबंध है, जिन एजेन्सियों ने नहीं निर्माण कार्य किया तथा वह प्रयोजन जिसके लिए चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है, इत्यादि के लिए वे वचनबद्ध नहीं थे। दुर्भाग्यवश, मुझे इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सके, जो कि चिंता का विषय है।

दिनांक 10 जुलाई, 1992 को श्री अच्चन रिज़वी नामक एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में इस आशय की अर्जी दायर की है कि 9 जुलाई, 1992 को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रस्तावित मंदिर निर्माण के आरम्भ किए गए कार्य को रोक दिया जाए क्योंकि इससे उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 11 जुलाई, 1992 के अंतरिम आदेश में यह आदेश दिया है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहीत भूमि पर कोई स्थायी ढांचा खड़ा न किया जाए और यदि ऐसा किया जाता है तो इस कार्य में लगे लोगों को उस अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए जाने का खतरा उठाना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में, राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद.के विवादित ढांचे को इसकी संरक्षा के उद्देश्य और न्यायालय के वर्तमान आदेशों के अनुसार तथा इन आदेशों में दी गई अनुमति के अलावा किसी भी अन्य तरीके से नहीं छेड़ा जाना चाहिये।

मैंने 12 जुलाई, 1992 को स्वयं कार्य की प्रगति तथा राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अयोध्या का दौरा किया । प्रथम दृष्टया, मेरा विचार है कि अधिग्रहीत भूमि पर कार्य जारी रखने की अनुमति देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। फिर भी, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपने दौरे के दौरान, मैंने सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी करने का भी सुझाव दिया। मैंने आंतरिक सर्किट टी०वी० को परिचालित करने की अत्यावश्यकता पर भी जोर दिया ताकि विवादित ढांचे के चारों और विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी हो रहा है, उसे नियंत्रण कक्ष में स्पष्ट रूप से देखा जा सके। पुलिस नियंत्रण कक्ष को वहां से हटाकर अस्थायी रूप से एक छोटे से कमरे में ले जाया गया है। मुझे बताया गया कि इसके लिए नया स्थान निश्चित कर दिया गया है और कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

[श्री एस॰ बी॰ चव्हाण]

गृह मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को अयोध्या में चल रहे कार्य का मूल्यांकन करने के लिए अयोध्या भेजा गया है। यह दल, अन्य बातों के साथ-साथ, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के साथ की भूमि के खुदे हुए भाग से बरसात में पानी रिसने की संभावना के प्रश्न, उसके द्वारा ढांचे की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव, ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था, वह भूमि जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है चाहे वह अधिग्रहीत भूमि हो अथवा विवादास्पद, एजेन्सियां जो कार्य करती आ रही हैं, उसके लिए प्राधिकार इत्यादि प्रश्नों की जांच करेगा। सरकारी दल इन मामलों तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच करेगा। दल के कल सुबह लौटने की अपेक्षा है और वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से आज सुबह प्राप्त पत्र में उन्होंने एक बार पुनः आश्वासन दिया है कि ढांचे की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ जो विचार विमर्श किया था उसके अनुसरण में ढांचे की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा आगे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमराओं की संख्या में वृद्धि और कवरेज में वृद्धि करना, राम जन्म भूमि-प्रवेश द्वार पर अवरोधकों को सुदृढ़ करना और उन्हें स्थायी करना, नजदीक के घरों की छतों पर पुलिस तैनात करना और उस स्थान पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति सम्मिलित है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की पांच अतिरिक्त कम्पनियों को अयोध्या में तैनात करने की पेशकश की थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र द्वारा बताया है कि हाल में अयोध्या में उत्तर प्रदेश पी॰ए॰सी॰ की तीन कम्पनियों तथा 175 पुलिस कार्मिकों की तैनाती करके बल की तैनाती बढ़ा दी है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अयोध्या में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के उद्देश्य से अतिरिक्त बलों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को सभी प्रकार के तर्क देते हुए इस बात के लिए मनाने की कोशिश की है कि वे याचिकाओं पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद में निर्माण कार्य स्थगित रखें। सरकार इन प्रयासों को जारी रखेगी और स्थिति पर कड़ी नजर भी रखेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच के फैसले का क्या हुआ? **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): आपने क्या किया?

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा): राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जो जमीन अधिग्रहीत की गई है, उस पर कन्स्ट्रक्शन जारी है......

श्री मदन लाल खुराना: आपने कन्टम्प्ट आफ कोर्ट कैसे कह दिया? **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना: मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है और होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर): उत्तर प्रदेश कोर्ट में क्या हुआ है, वह क्यों नहीं बताते? **(व्यवधान)**..उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या फैसला दिया है यह आप बताइए और यह भी बताइए कि आप हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं या नहीं? .**(व्यवधान)**..

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने क्या कार्यवाही की है?....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: वहां कंस्ट्रक्शन जारी है। यह कोर्ट के आदेश का वॉयलेशन हुआ है। भारत सरकार ने इस बारे में क्या किया है, यह क्यों नहीं बताते? ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। यह मामला आपको उद्वेलित कर रहा है। आप सरकार से वक्तव्य चाहते थे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम कार्यवाही चाहते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: : जब इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इन्होंने ऐक्शन क्यों नहीं लिया?...**(व्यवधान)**...सरकार स्वयं कहती है कि अक्वायर्ड लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यह कोर्ट के आदेश का वॉयलेशन हुआ है। तो सरकार इस पर कोई ऐक्शन क्यों नहीं लेती?...**(व्यवधान)**...

श्री मदन लाल खुराना: अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आना बाकी है और होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान: केन्द्रीय सरकार मात्र एक मूकदर्शक है। निर्माण संबंधी गतिविधियां जारी हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, उसे कहने का अवसर देंगे। यह मामला नाजुक और जटिल है। आपको ध्यान देने और धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आप एक-एक करके बोलें तो आपकी बात समझ आ सकती है। वक्तव्य आपके समक्ष है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अवसर आयेंगे जब आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे। वक्तव्य दिया जा चुका है अतः अब मुझे कार्यवाही की असली मद को हाथ में लेने दें। इस पर विचार करने के लिए आपको और अवसर मिलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया वक्तव्य को ध्यान से पढ़कर अपना मत बनाये। 15 और 16 तारीख को आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: 15-16 तक तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**...हम यह जानना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा वहां क्या ऐक्शन लिया गया है?...**(व्यवधान)**...अभी होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट में कहा है कि कोर्ट का वॉयलेशन है क्योंकि जिस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सहयोग दें। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (नागर विमानन विभाग) (श्री एम०ओ० एच० फारूक): मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल०टी० 2138/92]

बिहार में बड़े/मध्यम/लघु/अतिलघु एककों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4423 दिनांक 25.3.1992 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन): मैं, प्रो० पी० जे० कुरियन की ओर से बिहार में बड़े, मध्यम/लघु/अतिलघु एककों के बारे में श्री सैयद शाहाबुद्दीन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4423 के बारे में 25 मार्च, 1992 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने; तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 2129/92]

उद्योग अधिनियम, 1951 के प्रयोजनार्थ औद्योगिक उपक्रमों को आनुषंगिक अथवा लघु उद्योग उपक्रमों के रूप में मान्यता दिये जाने की आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किये जाने के बारे में प्रारूप अधिसूचनायें

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 10(5)/91-एलपी, जिसमें अधिसूचना में संलग्न सारणी में उल्लिखित आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पालन किया जायेगा ताकि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उन्हें आनुषंगिक अथवा लघु उद्योग उपक्रमों के रूप में माना जाये, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये संख्या** एल॰टी॰ 2131/92]

5.15 म॰प॰

अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका मिलेगा...

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं चन्द्र शेखर जी की बात सुनना चाहूंगा...

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली-दक्षिण): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय ...**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय: मैं चन्द्र शेखर जी की बात सुनने के बाद, आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा...

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि इस सभा में जो कुछ हो रहा है मैं आपका ध्यान उस ओर आकृषित करना चाहूंगा। पिछले चार दिनों से सभा स्थगित की जा रही है और माननीय प्रधान मंत्री सभा में आने के लिए पांच मिनट का भी समय नहीं निकाल पाये हैं। आज गृह मंत्री जी आये हैं। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में और क्या जोड़ा है, जिसको वह चार दिन पहले से नहीं कह सके थे, सिवाय इसके कि वह अयोध्या गये थे, वहां पूजा की थी और यह भी देखा था कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही थी? यही उन्होंने कहा है। यदि उनकी राय में, राज्य सरकार आदेश का उल्लंघन कर रही है तो क्या गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करने या अपने विचार प्रकट करने की जिम्मेदारी नहीं है। क्या यह सच नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली): उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी अन्तिम राय नहीं दी है...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: यदि यह सच नहीं है, और यदि मैंने उनकी बात ठीक से सुनी है तो उन्हें अपना विवरण ठीक करना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी आधार के राज्य सरकार को बदनाम करें। अतः मैं ठीक स्थिति जानना चाहता हूं। यदि उल्लंघन किया गया है, तो क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है और भारत सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह कुछ कार्यवाही करे?

दूसरी बात यह है कि मैं सभा के सभी वर्गों से नम्रतापूर्वक अपील करूंगा कि केवल इस देश के लोगों की, अध्यक्ष महोदय, आपकी और इस सभा के सांसदों की ही नहीं बल्कि, समूचे देश की इस विषय पर निगाहें टिकी हैं। गृह मंत्री जी इस बात का पता लगाने के लिए अयोध्या गये थे...**(व्यवधान)** गृह मंत्री जी वहां गये थे। उनका अपना टी०वी० और विश्व टी०वी० सब कुछ दिखा रहा है जो कुछ अयोध्या में हो रहा है। गृह मंत्री जी वहां यह देखने गये थे कि वहां कुछ हो रहा है या नहीं और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। अयोध्या में हर रोज जो कुछ हो रहा है, उसको समूचा विश्व देख रहा है। स्टार टी०वी० और दूरदर्शन सब कुछ दिखा रहे हैं। जब स्टार टी०वी० में यह सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि समूचा विश्व देख रहा है। अध्यक्ष महोदय , आप हमें केवल यह बता रहे हैं कि इस विषय पर विवरण दे दिया गया है और हमें अगले मद पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय ध्यान दीजिए कि इसके दुष्परिणाम केवल इस देश में ही नहीं होगा इस मुद्दे पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं को समय नहीं दे पाया हूं। अपने देश की तथा समूचे विश्व में इसके दुष्परिणाम बहुत विनाशपूर्ण होंगे...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य: बिल्कुल नहीं...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: मैं ऐसी बहादुरी नहीं दिखा सकता, महोदय **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली): एक बार राम भक्त और राम विरोधियों में फैसला हो जाने दो ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर: मैं राम भक्तों की शक्ति को जानता हूं और मैं इससे इन्कार नहीं करता। वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे समूचे विश्व को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में राम मुद्दा छाया हुआ है **(व्यवधान)** फिर भी, वे समूचे विश्व को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वे मुझे सभा में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। समूचा विश्व उनके समक्ष झुकने जा रहा है, लेकिन जो कुछ वे कह रहे हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे विनम्रता से निवेदन करना है। इस मामले को हल्के ढंग से लिया जाना एक गम्भीर बात होगी। मुझे दुःख है कि भारत सरकार देश के नागरिकों के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य को पूरा न करने की दोषी है और यह भी नहीं जानती कि वह आग से खेल रही है। मुझे भाजपा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मुझे विश्व हिन्दू परिषद के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है **(व्यवधान)** मुझे बजरंग दल से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके अपने विचार हैं और वे इसे खुल कर व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दुख है कि लोगों ने आपको चुना है। आपके पास न तो अपने विचार हैं और न ही आपको पता है कि आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूंकि यह सरकार इस देश को विनाश की ओर ले जा रही है और हम इसे अकर्मण्यता से देख रहे हैं। वह दिन इस देश के लिए बहुत दुःखदायी होगा **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जी हां, बोलिए, आपका क्या पाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी मेरा पाइंट ऑफआर्डर है। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करने जा रहा है, ऐसे अवसर पर दो दिन पूर्व गृह मंत्री महोदय ने सदन में अयोध्या के मामले पर बयान देकर कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायालय के आदेश का उल्लघंन किया है, उस सुप्रीम कोर्ट को और उसके फैसले को प्रभावित करने का प्रयास किया है और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के उपर एक प्रकार से दबाव डाला गया है कि वह भी अपना इसी प्रकार का फैसला दे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज ही सबेरे साढ़े 11 बजे इलाहबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच का फैसला आया है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका जिक्र इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं किया, इसका क्या कारण है और क्या यह स्टेटमेंट बिल्कुल एकतरफा नहीं है? यह क्या यू॰पी॰ की सरकार को मैलाइन करना नहीं है? मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि इनके मन में क्या है? क्या ये यू॰पी॰ की सरकार को बर्खास्त करना तो नहीं चाहते हैं?

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 जुलाई को होने वाला है और इन्होंने आज ही न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की बात कह कर उसके फैसले को प्रभावित करने का काम किया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच के फैसले को इन्होंने छिपाया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है और उच्चतम न्यायालय इस पर विचार कर रहा है। अब, जब उच्चतम न्यायालय मुद्दे पर विचार कर रहा है तो यह वारंट उन्होंने स्वयं अपनी ओर से दिये हैं और मैं महसूस करता हूं कि जो न्यायाधीन मामले हैं हमें उन पर निर्णय नहीं लेना चाहिए **(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि वह उच्चतम न्यायालय पर दबाब डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल क्यों नहीं दिया गया। **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे): मैं चाहूंगा कि इस संबंध में अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय दें। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और मैं अनुरोध करूंगा कि इसको कार्यवाही में से निकाल दिया जाये। यह मेरा निवेदन है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अध्यक्ष जी, मैं फैजाबाद से चुना हुआ जन-प्रतिनिधि हूं, जब इस विषय पर यहां चर्चा हो रही है, तो मुझे भी इस विषय पर बोलने के लिए एक-दो मिनट का समय दिया जाए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा: यह क्या है? आखिरकार यह कानूनी मामला है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हर बार आप मुझसे बैठने के लिए कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं भूतपूर्व न्यायाधीश की बात सुनूंगा लेकिन फिर यदि मैं आपकी बात सुनने में असमर्थ रहा तो मैं किसी बात का अनुमान नहीं लगा सकता। कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यह इस विषय पर नियमित चर्चा नहीं है। अतः प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अब व्यवस्था के प्रश्न सुन रहा हूं। व्यवस्था के प्रश्न उठाते हुए अथवा व्यवस्था के जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके पक्ष में या विरोध में बोलते हुए जो कुछ कहा जा रहा है वह मैं सुन रहा हूं। यह नियमित चर्चा नहीं है, कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): नियमित रूप से चर्चा क्यों नहीं कर ली जाये? एक वक्तव्य दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नियमित चर्चा चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हां, हां। रोज जो हल्ला-गुल्ला हो रहा है इससे तो अच्छा यह है कि वक्तव्य आ गया है। अगर सरकार की आलोचना करनी है तो वक्तव्य पर बहस के अन्तर्गत की जा सकती है। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, अगर उस पर चिन्ता प्रकट करनी है तो उसके प्रकट करने का भी तरीका है कि सदन में बहस हो जाए। अगर सदन में बहस नहीं होगी तो फिर बहस कहां होगी। आप बहस कराइए।

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी, सदन में बहस करने का अगर आपका विचार है तो उसके ऊपर बहस जरूर कराई जा सकती है। मगर एक स्टेटमेंट हुआ, एजेंडा पर दूसरे पेपर्स हैं, उसका भी काम होना चाहिए। उसके बाद आप बहस जरूर कीजिए या टाइम फिक्स किजिए, उसके बाद बहस कीजिए।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे: वक्तव्य से कोई नई चर्चा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने चर्चा कराने योग्य वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं, मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय देने नहीं जा रहा हूं। कृपया इसके लिए इन्तजार करें। प्रो० कापसे मेरा मुद्दा अलग है। अब यदि सदस्य चर्चा करना चाहते हैं, तो कोई यह नहीं कह सकता "चर्चा नहीं होनी चाहिये।" अब इस पर चर्चा का अवसर है। उस मौके से पहले भी यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो हो सकती है। लेकिन हम उस प्रकार का निर्णय तो करें। लेकिन सदस्यों में से बहुत से सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहते हैं; कुछ सदस्य किसी अन्य बात पर बोलना चाहते हैं, तब आप की बात सुनी नहीं जा सकती और आपके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हमें ऐसा करना चाहिये। यही प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। मैं सोमनाथ जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय गृह मंत्री से कहा है उससे यह जो हमारी इस मामले में सबसे बड़ी चिंता थी वह सिद्ध हो रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलना है तो एक-एक करके बोलिए। अगर 5-6 लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं सुन सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: यहां पर सबकी बात सुन सकते हैं लेकिन एक-एक करके बोलिए। जैसा वाजपेयी जी ने कहा, दूसरे सदस्य भी कहते हैं, अगर आपको डिबेट चाहिए तो उस पर डिबेट ले लें। लेकिन हमें यह निर्णय तो ले लेना चाहिए, कि कब चर्चा हो। सोमनाथ जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि पाईंट आफ आर्डर के संबंध में बोलें। चन्द्र शेखर जी बोले, मैंने उनको बोलने के लिए रोका नहीं है, किसी को भी रोकना नहीं चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: पाईंट आफ आर्डर भी आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप विषय पर ही बोलना चाहते हैं और जैसा श्री वाजपेयी ने सुझाव दिया है, यदि अन्य सदस्य भी चर्चा चाहते हैं तो चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन होगा कि या तो जो वाजपेयी जी ने सुझाया है कि बाकायदा बहस हो और इस पूरे बयान पर बहस हो अन्यथा श्री चन्द्र शेखर जी ने सरकार के रवैये से असंतोष प्रकट किया, वह एक उनकी इमीडिएट अभिव्यक्ति थी। लेकिन पाईंट आफ आर्डर जो उठता है वह केवल एक उठता है जो मेरे साथियों ने अभी उठाया है। उस पाईंट आफ आर्डर का निर्णय होना, मैं समझता हूं कि, इस सदन के लिए हमेशा के लिए जरूरी है।

[अनुवाद]

मेरे विचार में संसदीय इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि जब उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन कोई मामला हो और जिसके बारे में दो दिन में निर्णय लिये जाने की संभावना हो उस समय सरकार के मंत्री द्वारा सरकार की राय प्रकट कर दी गई हो कि प्रथम दृष्टया में अमूक व्यक्ति दोषी है। प्रथम दृष्टया यह है। अखिर, 'न्यायनिर्णयाधीन' संबंधी नियम भी तो हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आपके पास तर्क और कारण है तो आप इस मुददे पर तर्क दे सकते हैं लेकिन आपको बाधा नहीं डालना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, अगर सोमनाथजी ने यही बात कही होती, अगर सत्ता दल के सदस्य

श्री लालकृष्ण आडवाणी]

के अलावा किसी सदस्य ने यही बात कही होती तब मेरी आपत्ति यह होती कि इस बारे में चर्चा ही नहीं की जाए। आप जानते ही हैं कि इन सब मामलों पर चर्चा न्यायाधीन के नियमों के अन्तर्गत ही की जाती है और इस प्रकार स्वतः रोक लग जाती है। हमारे पास इस देश के गृह मंत्री द्वारा दिया गया एक लिखित वक्तव्य है जोकि एक ऐसे मामले के बारे में है जो कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे शेष विवरण पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह तीसरे पृष्ठ की चार पक्तियां इस प्रकार हैः—

"प्रथम दृष्टया, मेरा विचार है कि अधिग्रहीत भूमि पर कार्य जारी रखने की अनुमति देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है।"

मेरे विचार से यह अभूतपूर्व है और यह इस सदन के नियमों और स्थापित परम्पराओं का उल्लंघन है। अतः इस व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। जहां तक चर्चा का संबंध है, हम वह चर्चा कभी भी, अभी या कल जैसा आप निर्णय लें, कर सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथजी, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, हम सब आपको सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम, मेरे सामने दो मुद्दे हैं जिन पर मैं एक कुछ निर्णय लेना चाहता हूं। पहला, सरकार का इस चर्चा कराए जाने के बारे में क्या विचार है? वह पहली बात है और दूसरा इस पर व्यवस्था के प्रश्न के बारे में है। मैं इस तरफ के एक या दो सदस्यों को भी तर्कसंगत बात करने की अनुमति दूंगा। हमें कुछ नहीं कहना है। अगर आप तर्कसंगत बात करेंगे तो मैं सुनकर निर्णय ले सकूंगा। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि हम यह चर्चा कब कर सकते हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): महोदय जब आप चाहें हम यह चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले एक व्यवस्था का प्रश्न खत्म कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्यायाधीन का प्रश्न है यह भी एक स्थापित परम्परा है कि कोई भी लंबित मामला संसद को किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने से नहीं रोक सकता है। यह एक सुस्थापित परम्परा है, और शायद यह एक स्वतः लगाई गयी पाबंदी हो, परन्तु ऐसे मामले में, जिसमें पूरे देश का संबंध हो और जहां गृह मंत्री ने स्वयं अयोध्या जाकर वहां कि स्थिति का जायजा लिया हो, उन्हें इस देश को और इस सदन को रिपोर्ट देनी है। उन्होंने केवल अपनी प्रथम दृष्टया राय दी है। परन्तु मेरी शिकायत दूसरी है। **(व्यवधान)** मेरी शिकायत है, यह है कि इस वक्तव्य के बावजूद, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। वह जानबूझकर निष्क्रियता की दोषी है, केवल इस तरफ के मेरे दोस्तों को खुश करने के लिए। **(व्यवधान)** महोदय मेरे विचार में, केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले में एक पार्टी नहीं है। यह कुछ व्यक्तियों के बीच हो रही लड़ाई है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे): अध्यक्ष महोदय क्या वह चर्चा में भाग ले रहे हैं या यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय: यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय सरकार इसमें शामिल नहीं है, और इसके अलावा, यह केवल एक संवादीय संबंधी कार्यवाही है, और एक भी अंतिम सुनवाई नहीं हुई है। फिर केन्द्र सरकार, जो कि इन अंतराज्ञप्ति संबंधी कार्यवाही में शामिल ही नहीं है, इस चर्चा से इसे न्यायाधीन कह कर बंधित कैसे होगी। केन्द्र सरकार की अपनी कोई भी राय कैसे नहीं है? सदन में अपने विचार को व्यक्त करना उनका कर्तव्य है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार के मामले में, देश को एक बहुत गलत संकेत दिया जा रहा है। सम्पूर्ण देश अन्दोलित है, यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है; यह हमारे देश की अखण्डता और एकता का प्रश्न है। लोग अन्दोलित हैं। संसद का कार्य पिछले कुछ दिनों तक नहीं हो सका। यह कार्य क्यों नहीं कर पाया?

पिछले शनिवार और रविवार को भी हम प्रधान मंत्री से मिलने गए थे। हमने उनसे चर्चा की थी। यह वक्तव्य आ रहा है। एक वाक्य को छोड़कर, इस वक्तव्य में कुछ भी नया नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो कि समाचारपत्रों में नहीं है। 11 बजे भी हमने एक वक्तव्य दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। इसकी बजाए उन्होंने कहा कि वह चार बजे एक पूर्ण वक्तव्य देंगे। तब तक उनके पास पूरी जानकारी होगी। 4 बजे तक भी ऐसा नहीं हुआ। हम यहां आए परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। 5.00 बजे वह आए और उन्होंने वक्तव्य दिया।

यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। मेरा आरोप है कि यह सरकार इस मामले को जानबूझकर देरी कर रही है। उनके पास हिम्मत नहीं है। आज, इस देश की एकता और अखण्डता उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। हम बार-बार यह सुझाव देते रहे हैं कि इस विवादग्रस्त क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाए। केन्द्र सरकार के पास ऐसा करने की शक्ति है। अगर किसी कानून की आवश्यकता है, तो उसे पारित किया जाना चाहिए। परन्तु क्या आप इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं? आप इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। अतः अपने व्यक्तिगत दौरे के पश्चात् वह उत्तर प्रदेश सरकार से केवल अपील कर रहे हैं और हमने देख ही लिया है कि उन्होंने इसका प्रत्युत्तर में क्या कार्यवाही की है। देश की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। देश की एकता और अखंडता जैसे महत्वपूर्ण विषय को केवल इस सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

अतः, हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल कार्यवाही करे और कार्यवाही भी इस ढंग से करे जो लोगों के मस्तिष्क में यह धारणा बनाये कि वे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द्र को, जो मैं मानता हूं हम सभी को अच्छा लगता है, बनाये रखने के लिए गंभीर है।

अतः मैं उस पूजा स्थल और जो कुछ वहां स्थित है उसकी रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल उचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं। विशेषतौर पर जब यह स्वीकार किया जाता है कि निर्माण कार्य जारी है तो आप इस पर इस प्रकार का परस्पर विरोधी रवैया नहीं अपना सकते।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में सदस्य इस विषय पर चर्चा के इच्छुक हैं। क्या सरकार चर्चा के लिए तैयार है?

श्री एस० बी० चव्हाण: कल चर्चा होगी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा): इस पर आज चलाइये और लोगों के व्यूज़ सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): पाइण्ट ऑफ आर्डर पर आपसे पूछा गया है, उसका जवाब आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं निर्णय देने जा रहा हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य, श्री राम नाईक द्वारा उठाये गये वयवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

अब गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के औचित्य अथवा वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। मैं अपने साथी श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को जहां तक संभव हो इस मुकदमे में एक पक्ष का होना चाहिये। अगर वे ऐसा न करे तो ऐसे मुकदमे में किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। **(व्यवधान)** जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, सरकार न्यायालय के सम्मुख अपने वकील के माध्यम से अपने निष्कर्ष बता सकती है, क्योंकि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन एक सच्चाई है। सरकार के पास यह तथ्य है और जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है उन्होंने अपना विचार बता दिया है। और ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है कि प्रथम दृष्टया जहां तक तथ्यों का सवाल है यही स्थिति है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष जी, मैंने व्यवस्था के प्रश्न के लिए कहा है...

अध्यक्ष महोदय: एक-एक व्यवस्था का प्रश्न मुझे खत्म करने दो। इसको पहले मुझे डिस्पोज़ ऑफ करने दो, उसके बाद आप। एक व्यवस्था के प्रश्न के साथ-साथ दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। कौल और शकधर का पृष्ठ 947, जहां अध्यक्ष ने पहले ही विनिर्णय दिया है....

(इस समय कुमारी पद्मश्री कुडुमुला अपने स्थान पर बेहोश हो गई)

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उस स्थान पर इकट्ठे न हों। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा आप सभी कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जायें। सदस्य अपने स्थान पर जा सकते हैं। कृपया सदस्य वहां इकट्ठे न हों। क्या मैं सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए कह सकता हूं? इससे मदद करने में आसानी होगी। पहली बात यह है कि आप अपने स्थान पर जायें कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चिकित्सकों के अलावा अन्य सभी सांसद कृपया वापिस चले जायें। श्री एम० एम० जैकब आप सदस्यों को उनके स्थान पर जाने के लिए कहें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के इस वाक्य से उठता है और प्रथम दृष्टया वाक्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय का उल्लंघन किया है। मैं उल्लंघन

का प्रश्न कहां से उठता है, उसमें नहीं जा रहा हूं। कौल और शकधर का पृष्ठ 947 बहुत स्पष्ट है क्योंकि सन् 1968 के लोक सभा के अध्यक्ष का विनिर्णय वास्तव में बहुत उपयुक्त है।. यहां अध्यक्ष ने बहुत ही स्पष्ट रूप में विनिर्णय दिया है। मैं उद्धृत करता हूं।

"....मेरे विचार में न्याय-निर्णयाधीन का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिये कि जो मामला सदन में उठाया जाना है, वह मूलतः वैसा ही हो जिस पर किसी न्यायालय को निर्णय देना है....।"

अध्यक्ष महोदय: क्या उसका यह तात्पर्य है कि मामला सदन में लाना ही नहीं चाहिये? **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह: मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। मैं इसे अब समाप्त कर दूंगा। **(व्यवधान)** ऐसा नहीं है। **न्याय-निर्णयाधीन** का कानून अथवा विधान मंडल पर **न्याय-निर्णयाधीन** की बंदिश का तात्पर्य विधायिका की बोलने की स्वतंत्रता अथवा अभिव्यक्ति के अधिकार या आवाज को दबाना नहीं है। यह विधायिका और न्यायपालिका में अलगाव और अंतर बनाये रखने के लिए है ताकि विधायिका के कार्यकरण पर कोई बंदिश न हो अर्थात् इस पर उसी प्रकार की कोई न्यायिक चुप्पी अथवा बंदिश न हो सके। अतः विधायिका का कार्य न्यायपालिका के मुक्त कार्यकरण पर रोक लगाना नहीं है। गणतंत्र के अंगों में जो भेद रखा गया है वह बहुत ही उपयुक्त है। आपके पूर्वाध्यक्षों ने कौन सा मापदंड अपनाया है। नियम यह है कि अगर मामला मूलतः वही है जिस पर न्यायालय को निर्णय देना है। मेरा निवेदन यह है कि वह मामला मूलतः उसी प्रकार का नहीं होना चाहिये बल्कि वास्तव में वही मामला होना चाहिये। यह बिल्कुल वही मामला है कि क्या उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। यह बिल्कुल वही है जिसमें आज सर्वोच्च न्यायालय उलझा हुआ है। यह एक जैसा विषय होने का प्रश्न नहीं है। यह एक ही विषय होने का प्रश्न है। अगर यह वही विषय है तब **न्याय-निर्णयाधीन** के तथ्य में आवश्यक बाधायें निहित हैं। यह एक सुस्थापित मामला है। अब यह कोई सैद्धान्तिक चर्चा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक चीज़ समझने का प्रयत्न कर रहा हूं क्योंकि यह कानून का बहुत ही अच्छा और सूक्ष्म मुद्दा है। सभा में इस मामले पर चर्चा चलने की अनुमति देकर, हम यही दलील दे रहे हैं कि गृह मंत्री को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह: नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आपने "चर्चा की अनुमति देकर" कहकर आपने किस बात की ओर संकेत किया है।

अध्यक्ष महोदय: सभा वह वक्तव्य चाहती है। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह: आप यही कह रहे हैं कि राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की अनुमति देकर क्या हमने न्याय-निर्णयाधीन होने वाले इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया है? महत्वपूर्ण विषय पर सभा के सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। श्री चन्द्रशेखर ने जो कुछ कहा, वह विचार योग्य है।

यह निश्चय ही एक ऐसा मामला है, जिस पर सभा को अपना ध्यान देना चाहिए। मेरी ओर से इस मामले पर किसी को अपने विचार प्रकट करने होंगे। यह एक मुख्य प्रश्न तथा रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर उठाए गए प्रश्न का मामला है। यह पूर्ण रूप से भिन्न मामला है। लेकिन विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगी? क्या यह वास्तविकता है कि आज यह अतिक्रमण उच्चतम न्यायालय की चिन्ता का विषय है? यह ऐसा ही है। यह वास्तविकता है। यह अनुमान लगाने का विषय नहीं है। क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली अथवा संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं? उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। यह एक लिखित वक्तव्य है। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने

[श्री जसवंत सिंह]

कहा है यह "**प्रथम दृष्ट्या**" है। सरकार का यह विचार है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक मिनट लूंगा। इससे हमें उलझनों को समझने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि सरकार एक पक्ष है, तो सरकार को अपने विचार प्रकट करने होते और सरकार ने यह बात न्यायालय में कही होती, तो क्या होता?

श्री जसवन्त सिंह: मेरे सम्मानित मित्र द्वारा एक विचार रखा गया था, जिनकी कानूनी विद्वता के समक्ष मैं तुच्छ हूं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार इस संवादात्मक आदेश का कोई पक्ष ही नहीं है। आपका विचार यह है कि क्या भारत सरकार एक पक्ष रहा था और तत्पश्चात् एक पक्ष में रहते हुए क्या भारत सरकार ने न्यायालय में जाकर अपने विचार प्रकट किए थे? उन्होंने ऐसा किया होता। लेकिन अब हम परिकल्पित विचार ले रहें हैं। यदि सरकार का यह विचार है तो यह भी एक भिन्न मामला हैं। यदि भारत सरकार तब न्यायालय गई थी तो सरकार यहां आती और कहती, "यह है वह जो कि हमने न्यायालय में कहा है"। उन्होंने वही बातें सभा में दोहराई होती। लेकिन उन्होंने विधान का इस्तेमाल नहीं किया अथवा सभा में इस बात की चर्चा नहीं की कि वे ऐसा विचार क्यों रखते हैं, क्योंकि जब तक कि न्यायालय निर्णय नहीं ले लेती, भारत सरकार भी यह चर्चा करने की स्थिति में नहीं है कि वे ऐसी विचारधारा क्यों रखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अथवा अन्ध्र प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य राज्य की सरकार किसी न्यायालय के आदेश का उल्लघन करती है। वह एक छोटी बात है। यह छोटी-छोटी बातें हैं जिस पर कि केन्द्रीय गृह-मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ गया हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: एक व्यवस्था का प्रश्न डिस्पोज होने के बाद ही दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी इनको अलाउ किया है, एक व्यवस्था के प्रश्न पर पहले चर्चा हो जाए, फिर दूसरे व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा होगी। आपका दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं अभी पहले व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न श्री जसवन्त सिंह तथा श्री आडवाणी जी द्वारा उठाया गया है, वह यह है कि क्या सरकार सभा में इस तरह के विचार व्यक्त कर सकती हैं। संक्षेप में यही मुद्दा है। मैं अपने आपको इस बात तक सीमित रखना चाहता हूं क्योंकि सरकार बहस के लिए सहमत हो गई है और जब भी बहस होगी हम इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। वास्तव में, जैसा कि सोमनाथजी ने कहा है, जो मामला निर्णयाधीन है और बहुत महत्वपूर्ण है तथा भारत के लोगों लिए चिन्ता का विषय है, तो उस पर निश्चय ही सभा में बहस होनी चाहिए। अथवा सभा की स्वतंत्रता तथा सभा की स्वायत्ता पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। यह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्था है। मुद्दा यह है कि सरकार यह विचार रख सकती है और न्यायालय में अनेक बार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं---यह हो सकता है कि अन्य दलों से भिन्न हैं

अथवा अन्यथा और उस विचारधारा की वकालत करते हैं। वास्तव में, हमारी शिकायत यह रही है कि यह सरकार अपने विचार व्यक्त नहीं कर रही थी तथा यह महीनों से तथा पिछले कठिन तीन-चार दिनों से पूरे देश को असमंजस की स्थिति में रखे हुए थी। सरकार के लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह किसी विचार को लेकर सामने आये। यह उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस पर देश के शासन का कार्यभार है। एक मामला जो कि प्रत्येक के लिए चिन्ता का विषय है, यदि वह एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है तो मैं समझता हूं सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। मेरी शिकायत यह है कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी है क्योंकि वह चुप्पी साधे हुए थी। एक दृष्टिकोण के साथ सामने आने पर मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा उन्होंने एक अन्य बात न्यायालय के निर्णय के लंबित होने के बारे में कही है—कि आपने अपना एक दृष्टिकोण बना लिया है-लेकिन उसके बाद भी आप चुप्पी साधे है, क्या आप इसके लिए न्यायालय में एक पक्ष बनने के लिए न्यायालय की सहायता करने के लिए उसकी वकालत करने के लिए न्यायालय में जा रहे है? यदि आज आप यह कह रहे हैं तो आपका दूसरा वाक्य इससे सम्बन्धित हो जाता है। ठीक है, तब तक मैं अपने विचार वापस लेता हूं। यदि आप कहते हैं कि यहां न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है अथवा यह प्रथम दृष्टया है अथवा यह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है, आप न्यायालय जाने अथवा कोई अन्य उपयुक्त कार्यवाही करने का वचन नहीं देते हैं। मैं किसी प्रकार की कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं कर रहा हूं। हमने अनेक सुझाव दिए हैं। लेकिन आप हमेशा सी०सी०पी०ए० के पास ही गए हैं। सी.सी.पी.ए. इस देश में निश्चय ही एक प्रसिद्ध शब्द बन गया है। **(व्यवधान)** हिन्दी में इसका एक भिन्न अर्थ है। लेकिन इसके अलावा वे आपके सी.सी.पी.ए. में जाते है और हम भी आपके सी.सी.पी.ए. में आया करते है। **(व्यवधान)** मैं आपके मामले की वकालत कर रहा हूं। मैं आपको यह सम्मान दे रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूछूंगा, क्योंकि अगले वाक्य में आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आप न्यायालय में जायेंगे अथवा नहीं? यदि आप न्यायालय में नहीं जायेंगे, तो आप इस देश को दुविधा में रख रहे हैं और परेशानी में डाल रहे हैं। यदि आप न्यायालय में नहीं जा रहे है, तो आपके पास दूसरा क्या विकल्प है, आपको सूचित करना चाहिए और वक्तव्य में शामिल होना चाहिए।

महोदय, यह केवल ढांचे की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। जी हां, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहस का बहुत विशिष्ट मुद्दा है। मुख्य मंत्री जी तथा गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। यह सही है। आज ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। **(व्यवधान)** मैं मामले की विशेषताओं पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा हूं फिर भी वे उसे स्वीकार नहीं कर रहे है। **(व्यवधान)** फिर भी आप पूछ रहे हैं। **(व्यवधान)** मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा था। **(व्यवधान)** यह क्या है जिसे सुरक्षा प्रदान की जानी है मन्दिर अथवा मस्जिद से कहीं अधिक संविधान है।

अध्यक्ष महोदय: केवल एक मिनट। मैं आपकी मदद चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह केवल आपके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: महोदय, मैं उस विषय पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात समाप्त होने के बाद मैं यह प्रश्न पूछूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: महोदय, मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आप अगले दो वाक्य सुनेंगे तो आपकी आशंकाएं दूर हो जायेंगी।

हमें यहां संविधान की मर्यादा को बनाए रखना है। इस लोकतान्त्रिक ढांचे में लोग मुख्य जनतांत्रिक संस्थाएं

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

है, ये हैं—संसद अर्थात् सरकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसलिए जन संविधान तथा न्यायपालिका के संरक्षण की बात आती है, तो यह हमारे लिए चिन्ता का विषय बन जाता है।

माननीय गृह मंत्री जी, यह कहकर कि उनके विचार में न्यायपालिका का उल्लंघन हुआ है, यह आपका परम् कर्त्तव्य है कि आप यह बताये कि क्या हो रहा है क्योंकि आप पर देश के शासन की जिम्मेवारी है और निजी मुकदमे की बात न करें तथा इसी तरह संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखें। आप भी इसके साथ डूब जायेंगे और देश को भी डुबो देंगे। कृपया जिम्मेदारी लें और बतायें कि आप क्या करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री लोढा जी, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे?

श्री गुमान मल लोढा: महोदय, मैं इस मुद्दे पर बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। इस मामले का मुख्य पहलू जो कि हमारे ध्यान में नहीं आया कि गृह मंत्री जी ने भी अपनी अन्तिम राय नहीं दी है।

महोदय वे कहते हैं कि कल अधिकारी आ रहे हैं और वे अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट को देखने के बाद वे एक अथवा अन्य दृष्टिकोण अपनायेंगे। अतः इस मामले पर समय से पहले चर्चा करना बेकार है और क्योंकि यह मामला पहले ही निर्णयाधीन है और इस मामले पर आप द्वारा राय देना बुद्धिमतापूर्ण नहीं है। मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि इससे पहले की गृहमंत्री जी अपना विचार बनायें, उन्हें देखना चाहिए कि:

(1) सभी तकनीकी अधिकारियों और उस जगह विद्यमान व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद क्या कुछ किया जाना है अथवा नहीं किया जाना है;

(2) क्या वे उच्चतम न्यायालय का एक पक्ष बनना चाहते हैं;

(3) इन परिस्थितियों के रहते हुए क्या मामले पर आगे चर्चा की आवश्यकता है अथवा नहीं।

महोदय समय से पहले किसी प्रकार की चर्चा आपके लिए बेकार होगी। अतः महोदय मैं चाहता हूं कि आप तब तक इन्तजार करें जब तक कि गृह मंत्री जी पूर्ण रूप से विचार नहीं कर लेते हैं और उसके बाद मामले पर निर्णय नहीं ले लेते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आपका व्यवस्था का प्रश्न दूसरी व्यवस्था पर है। जो व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है आप इसी पर बोलिए।

श्री भोगेन्द्र झा: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि भारत में न्यायपालिका की न अपनी फौज है, न सुरक्षा-बल है। उसके लिए कोई आरक्षी बल भी नहीं है। उसके आदेशों को लागू करना कार्य-पालिका का भार है, सरकार का भार है। अयोध्या में, यदि हमारे गृह मंत्री ने समझा कि उल्लंघन हो रहा है तो..

अध्यक्ष महोदय: यह प्रशासन का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा: अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका पार्टी बने न बनें, फैसले के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, तो फिर क्या होगा? अगर इन्होंने मस्जिद तोड़ दी तो क्या पुनर्निर्माण फिर होगा? इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत सरकार को दखल देना है और फौरन इनको ऐलान करना है। बाद में फिर क्या बात होगी। सर्वोच्च न्यायालय असहाय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो निर्माण करेंगे वे खत्म करने का, डैमोलिश करने का भी खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन अगर डैमोलिश कर देंगे मस्जिद को तो क्या भावना के सवाल पर नयी मस्जिद बनायेंगे? इसलिए मेरा आग्रह है कि बहस कराइये या न कराइये, सरकार न्यायालय में पार्टी बने या न बनें,

भारत सरकार पर उसकी सुरक्षा का भार है। निर्माण कार्य को बन्द करवाइये जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता है। इस विषय पर आप स्पष्टीकरण दें। यह मेरी करने का मामला नहीं है वरना बहुत देर हो जाएगी।... **(व्यवधान)**

6.00 म॰प॰

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रजीत जी, कृपया ऐसा नहीं करे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हम संभवतः इस पर चर्चा करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, मुझे पता है। मैं तो यह कहा रहा हूं कि....

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) 6 बज चुके हैं। आपको समय बढ़ाना होगा।

अध्यक्ष महोदय: हम सभा की बैठक कुछ मिनटों के लिए बढ़ा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव: भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ मित्रों ने आपत्ति की है कि गृह मंत्री जी ने एक वाक्य कहा है। केवल एक ही वाक्य पर आपत्ति है। उन्होंने कहा था कि उनके विचार में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम, दृष्टान्त में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है इसी बात पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्या कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इसकी विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये सभी बातें कहने का अवसर मिलेगा। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का कहना है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि गृह मंत्री कहते हैं कि उनके विचार से यह उल्लंघन है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि कोई उलंघन नहीं हुआ है तो वह भी उसी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जब यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस पर अपने विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है कि उनकी सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लघन नहीं कर रही है। अतः यदि वास्तव में कोई व्यक्ति कुछ कहने के लिए उत्तरदायी है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी बातें कह दी हैं।

दूसरी बात यह है कि हम सब इसके साक्षी हैं। चार दिनों से यह सभा कार्य नहीं कर पायी है। सभा चाहती है कि सरकार वक्तव्य दे। यह सभा गृह मंत्री पर वक्तव्य न देने के आरोप लगा रही है। अब यदि गृह मंत्री वहां जाने के बाद वक्तव्य देते हैं तो उस वक्तव्य में उन्हें क्या कहना चाहिए? वह केवल यह नहीं कह सकते हैं कि वह वहां गये थे, उन्होंने उस स्थान का दौरा किया और वापस आ गये। अतः जब गृह मंत्री कोई वक्तव्य देते हैं तो उन्हें इस सभा को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यह सभा सर्वोच्च है। इस मुद्दे पर यह मामला न्यायालय में पिछले 45 वर्षों से लम्बित पड़ा है। हमें बाबरी मस्जिद के सभी पहलुओं पर चर्चा करनी है। अतः सभा सर्वोच्च है और सभा समझती है कि न्यायालय की कोई अवमानना नहीं हुयी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम। मैं वास्तव में विनिर्णय देने की स्थिति में हूं लेकिन मैं आपको भी सुनना चाहूंगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा महत्वपूर्ण है और जिसे उठाया जा रहा है वह यह है कि गृह मंत्री...

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): वह अब विधि मंत्री नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: मैं संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से आपसे अनुमति लेने की बजाय मुझे उनसे बोलने की अनुमति लेनी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके विचार को वकील के रूप में ज्यादा महत्व देता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: जो मुद्दा उठा है वह यह है कि गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उस स्थल का दौरा करने के बाद इस संबंध में एक प्रथम दृष्टान्त विचार रखा है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्यवाही विशेष न्यायालय के आदेश की वहां कतिपय कार्य जारी रखने के इजाजत देने के संदर्भ में उल्लंघन है या नहीं। जैसा कि वक्तव्य में पहले भी ठीक ही कहा गया है कि मुख्य मंत्री के विचार से उन्होंने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है। दोनों ही वक्तव्य किये गये विचारों के संदर्भ में समान रवैया अपनाये हुए हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। यहां सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों संविधान के अन्तर्गत दायित्व है कि वे उच्चतम न्यायालय के सहायतार्थ कार्य करें। हम सब भी इससे बाध्य हैं।

श्री जसवन्त सिंह: तब तो सरकार की न्यायालय में एक पक्ष की हैसियत हो जानी चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: आपको एक पक्ष की हैसियत से नहीं आना पड़ेगा इसके विपरीत सभी सिविल प्राधिकारियों का कर्तव्य है...

श्री राम नाईक: कि वे निर्णय दें।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: हम निर्णय नहीं दे रहे हैं।

श्री राम कापसे: आपके निर्णय को दबाया हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगल: महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि यह मामला इतना अधिक संवेदनशील है कि उनमें से कोई भी निष्पक्ष रूप से इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? यदि वे इसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे, तो मुझे 'इर्सकाइन में' की "ट्रीट्रीज ऑन लॉ एंड प्रिवीलेजस एंड प्रोसिडिंगस और यूसेज ऑफ पार्लियामेंट' का उल्लेख करते हुए आपका ध्यान इसके पृष्ठ 378 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित इस बात की ओर आकर्षित करना पड़ेगा जिसमें यह कहा गया है कि,

> "राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय चाहे वे राष्ट्रीय एकता से संबंधित हों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था या जीवन की आवश्यकताओं के बारे में हों, जो सिविल न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े हैं, उनका उल्लेख पीठासीन अधिकारी के स्वविवेकाधिकार के अध्यधीन प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद-विवादों के माध्यम से किया जा सकता है।"

यह कहना आवश्यक है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि चार दिन से संसद में कार्य नहीं हो रहा है और हम नहीं समझते कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार इसे **प्रथम दृष्टया** मामला मानें, क्योंकि यह न्यायालय के अंतिम आदेशों के अध्यधीन है। यह कहना सही नहीं होगा कि न्याय निर्णयाधीन होने के कारण हम अपने सभी अधिकारों, बोलने के तथा विचार व्यक्त करने के मौलिक अधिकारों का परित्याग कर दें। इस मामले में संसद की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि न्यायालय में याचिका स्वीकार हो गई है और संसद को अब कुछ नहीं कहना है। हमें केवल इस बात को सुनिश्चित करना है कि संसद इस बारे में कुछ न कहे। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। महोदय मैं आपसे यह जानना

चाहता हूं कि जब कोई मामला न्याय निर्णायाधीन है— उच्चतम न्यायालय में लंबित है— तब क्या यह सभा उस पर चर्चा कर सकती है अथवा नहीं। सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकती है। किसी ने भी यह बात नहीं कही। वे गृह मंत्री के वक्तव्य में कही गई एक विशेष बात पर ही आपत्ति कर रहे हैं। इस विषय पर अनेक बार बहस हुई है जबकि यह न्याय निर्णायाधीन था। महोदय, कुछ सप्ताह पहले जब इस सभा में यह निर्णय लिया गया था कि संसद सदस्यों और राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाना चाहिए तब भी इसी विषय पर चर्चा हुई थी। यहां पर कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं जिससे यह आवश्यक समझा गया कि वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है आशंकाएं अथवा आरोप उच्चतम न्यायालय पर दबाव डालने के लिए व्यक्त किए जाए अथवा लगाए गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री के वक्तव्य में प्रथम दृष्टया टिप्पणियां की गई हैं, इससे न्यायधीशों पर दबाव पड़ेगा तथा मुख्य मंत्री द्वारा भी उन पर दबाव डाला जा रहा है जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मैंने न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन नहीं किया था। यदि दबाव डालने का कोई प्रश्न है तब यह दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। यदि वह न्यायालय पर दबाव डाल रहे हैं तो उसी प्रकार श्री कल्याण सिंह भी न्यायालय पर यह कहकर दबाव डाल रहे हैं कि मैंने न्यायालय के आदेश का उल्लघंन नहीं किया था। **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे: वह इसका एक पक्ष है लेकिन गृह मंत्री इसका एक पक्ष नहीं है **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि मैं गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वहां का दौरा करने, सभी बातें सुनने तथा मुख्य मंत्री के साथ चर्चा करने के बाद वह प्रथम दृष्टया इस बात को मानते हैं कि अयोध्या में न्यायालय के आदेश का उल्लघंन किया गया है और उन्होंने मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है कि उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए वहां काम स्थगित कर देना चाहिए। वहां काम स्थगित किया जाना चाहिए और चूंकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है और मुख्य मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई वचन नहीं दिया तब इसका अर्थ यही है कि वह उनसे सहमत नहीं है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया है, ऐसे में क्या किया जाएगा? मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह तैयार है....**(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: संबंधित पार्टी के और अधिक धैर्य का परिचय देना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। **(व्यवधान)** वह राज्य को यह निर्देश क्यों नहीं जारी करते हैं कि जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश नहीं दिए जाते तब तक उस स्थल पर कार्य रोक दिया जाना चाहिये? हम यह देखें कि वह उन निर्देशों का पालन करते हैं या उसका उल्लंघन। उसके बाद यह प्रश्न उठेगा कि क्या कदम उठाया जाना चाहिये या कोई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम अपने विचार उस समय ही व्यक्त करेंगे। लेकिन केवल यह कहना, उन पर दबाव डालने का प्रयास हम जारी रखेंगे।" या अन्य इसी तरह की बाते उन्होंने यहां कही है— "हम आशा करते है कि हम उन पर दबाव डालेंगे और मना लेंगे, हम यह आशा करना चाहते है", इन सब बातों से मामला दिनोंदिन गंभीर हो रहा है क्योंकि उन्हें रोका नहीं जा रहा है।

हम यहां चर्चा कर रहे हैं। हम कई चीजों और कानून की किताबों को उद्धृत कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या किया जाए यही बातें हो रही है। इससे पूरे देश में भय की भावना पैदा हो गई है। मैं नहीं जानता कि यहां बैठे ये सदस्य गण इस मामले के संबंध में क्या सोच रहे हैं जिसकी गंभीरता का अनुमान वे नहीं लगा पा रहे हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

(व्यवधान) सामने आएं और बताएं। **(व्यवधान)** आप तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे है? **(व्यवधान)** आप अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस संबंध में कुछ किया जाए? **(व्यवधान)**

यदि आप इस पर पूरी चर्चा आज या कल कराना चाहते हैं तो सभी व्यक्ति अपने विचार इन मुद्दों पर व्यक्त करना चाहेंगे। लेकिन समस्या के मूल में समय है। क्या आप कार्यवाही इस तरह चलने देंगे? क्या सरकार कोई कार्रवाई करने के लिये गंभीरता से प्रयास कर रही है जिससे यह स्थिति टल जाए—कम से कम इस समय जब तक कि उच्चतम न्यायालय अपना अंतिम निर्णय इस संबंध में दे? **(व्यवधान)** मैं यही जानना चाहता हूं। उन्होंने तो अभी तक कोई ऐसा आभास नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे के संबंध में निर्णय लेने में मेरी सहायता की है। मैं विशेष रूप से श्री गुमान मल लोढा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अत्यंत संक्षिप्त परन्तु प्रभाव हस्तक्षेप किया है।

यह मामला वास्तव में अति महत्वपूर्ण और नाजुक भी है। माननीय सदस्य गण यह चाहते हैं कि सभा में सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये। सदस्यों की मांग के प्रत्युत्तर में एक वक्तव्य दिया गया है। वक्तव्य में वे दो वाक्य हैं जिस पर आपत्ति की गई है। इस पढ़ने के क्रम में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा;

> " 'प्राइमा फेसी'—'प्राइमा फेसी' शब्द का प्रयोग बहुत समझ-बूझ कर किया गया है—मेरा यह विचार है—यह मात्र विचार है—कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देकर न्यायालय की अवहेलना की है।"

और दूसरा वाक्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है:

> "फिर भी, इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी।"

अब एक ओर, सदस्यों की सरकार से यह मांग है कि वह तथ्यों को सामने रखे। इस मुद्दे पर वे उत्तेजित भी थे। इसीलिये यह मुद्दा यहां उठाया गया है। **न्यायालय के निर्णयाधीन** होने के सिद्धांत को लागू करते हुए हम सभी को इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना होगा कि एक तरफ न्यायालय को उनके कर्त्तव्य की परिधि के अंतर्गत ही नहीं देखा जाए कि उनके सामने जो मुद्दे हैं वह उनके प्रति न्याय करें। इसके साथ ही दूसरा सिद्धान्त जोकि इतना ही महत्वपूर्ण है यह है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतन्त्रता सभा के बाहर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है, वही स्वतंत्रता सभा के अन्दर सदस्यों को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एक प्रकार का विशेषाधिकार भी है।

अब आप सभा के अन्दर जो विचार व्यक्त करते हैं उसे बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ है कि आपको एक प्रकार से ऐसी स्वतन्त्रता और विशेषाधिकार दोनों प्राप्त हैं। इसी कारण, **न्यायालय के विचाराधीन** मामला होने संबंधी सिद्धान्त को लागू करते समय इन दोनों बातों को संतुलित रखना होता है।

अब इस मामले में हमारे सम्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने का एक मुद्दा आया है और यह भी प्रथम दृष्टया विचार करने हेतु अन्तिम निर्णय लेने हेतु नहीं। प्रथम दृष्टि में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है और कह रही है कि हम नहीं जानते कि क्या स्थिति है हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इन्तजार करेंगे और एक प्रकार से वह इसका संकेत दे रही है। इस कारण से यह विचारों की अभिव्यक्ति का मामला है।

यहां पर अगर हम मामलों पर चर्चा करते हैं और सभी सदस्यों को विचार व्यक्त करने की अनुमति देते हैं और अगर इस मुद्दे पर अनेक सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं तो कोई यह कह सकता है कि इसमें न्यायाधीश प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यदि सभा के कोई सदस्य अपना विचार व्यक्त करता है और यदि गृह मंत्री ऐसा करता है तो ऐसा न्यायालय में भी किया जा सकता था। लेकिन यहां यह आवश्यक नहीं है कि (**न्यायालय के विचाराधीन** मामला का सिद्धान्त लागू किया जाए और यह आवश्यक नहीं है कि कोई सदस्य उक्त मामले में एक पक्ष हों। अगर सदस्य न्यायालय में चल रहे मामले में कोई पक्ष भी नहीं हैं तब भी **न्यायालय में विचाराधीन वाला मामला** सिद्धान्त लागू होगा। यहां मेरा विचार है कि क्योंकि यह वक्तव्य बहुत ध्यानपूर्वक दिया गया है और निर्णय के मुताबिक...

श्री सोमनाथ चटर्जी: कृपया संसद पर पाबन्दी मत लगाइए। संसद को न्यायालय में लंबित मामलों पर भी चर्चा करने का प्राधिकार प्राप्त है। कृपया संसद पर ऐसी पाबन्दी मत लगाइए।

अध्यक्ष महोदय: आपने मेरी बात नहीं सुनी और आप वैसी ही बोलते जा रहे हैं। इसी कारण मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि **न्यायालय में विचाराधीन** मामला का सिद्धान्त इस मामले पर लागू नहीं होता और मैं आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न वैध नहीं मानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मेरी बात पूरी होने से पूर्व ही निष्कर्ष निकालेंगे तो मुश्किलें पैदा हो जायेंगी।

सभा 14 जुलाई, 1992 को 11 म॰ पू॰ पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.15 म॰ प॰

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 जुलाई 1992/आषाढ़ 23, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।